Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई भाग-1
2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- भारत में फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का विनियमन 5
- डिजिटल इंडिया पहल के नौ वर्ष 7
- राज्य विषय' के रूप में शिक्षा पर विचार-विमर्श 10
- स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार 13
- हिरासत में होने वाली मौत पर NHRC का ओडिशा सरकार को नोटिस 16
- आपदा प्रबंधन और भगदड़ 20
- भारत में सहकारिता और उसका विकास 23
- ट्रांस फैट और अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि पर वैश्विक रिपोर्ट 27

भारतीय राजनीति 29

- उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध 29
- धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 32
- शहरी वित्त और 16वें वित्त आयोग का मुद्दा 34
- मंत्रिमंडलीय समितियों में नियुक्ति 37
- तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण-पोषण अधिकार 39

भारतीय अर्थव्यवस्था 42

- MSME अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव 42
- भारत ने सर्वाधिक पेटेंट प्रदान किये 45
- गिग वर्कर्स के लिये सामाजिक सुरक्षा 48
- भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग 50
- शास्त्रीय भाषा के लिये मानदंड 53
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2024 55
- कॉर्पोरेट्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 58
- भारत की महत्त्वाकांक्षी विमानपत्तन विस्तार योजना 60
- हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये प्रोत्साहन 62
- भारत में लाइटहाउस पर्यटन को प्रोत्सा 65
- जलवायु अनुकूल कृषि 68

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 72

- अमेरिका ने पारित किया 'तिब्बत समाधान अधिनियम' 72
- शिमला समझौता 1972 74
- भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट 76
- भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार 79
- भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास 82
- 22वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 84
- भारत-ऑस्ट्रिया संबंध 87

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 89

- ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 89

जैव विविधता 92

- पौधों और जानवरों की नई प्रजातियों की खोज 92
- नेट-ज़ीरो लक्ष्य के लिये नीति आयोग पैनल 94
- यूनेस्को ने घोषित किये 11 नए बायोस्फीयर रिज़र्व 97
- हाई सी ट्रीटी 101
- वर्ष 2050 तक 90% मृदा क्षरण की चेतावनी- UNESCO 103

नोट :

भारतीय विरासत 107

- संगीत प्रणाली का विकास 107
- धर्म में अभय मुद्रा 108

सामाजिक न्याय 113

- पोलियो के टीके का विकास 113
- महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश का मुद्दा 115

आंतरिक सुरक्षा 118

- मादक पदार्थों पर UNODC की रिपोर्ट 118
- वीरता पुरस्कार 2024 121

प्रिलिम्स फैक्ट्स 124

- भारत द्वारा रियायती शुल्क पर आयात 124
- ISA की 30वीं वर्षगाँठ 124
- SAARC हेतु संशोधित मुद्रा विनिमय ढाँचा 126
- नए आपराधिक कानून लागू 128
- अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 132
- BIS का प्रोजेक्ट नेक्सस 133
- भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना के संबंध में अनिश्चितता 136
- CCPA और लंबित मामले 138
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 139
- एपिलेप्सी (मिर्गी) के उपचार के लिये DBS ब्रेन इम्प्लांट सर्जरी 140
- भारत ने 2024 का T-20 वर्ल्ड कप जीता 141
- कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन 144
- प्राइड मंथ 145
- स्पाइरल गैलेक्सी पर नया अध्ययन 146
- उपग्रह-आधारित संचार 147
- जीनोम अनुक्रमण 150
- Axiom-4 मिशन हेतु गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों का चयन 153
- अपसौर 154
- 51,200 वर्ष प्राचीन गुफा चित्रकला की खोज 157
- भारत का भुगतान संतुलन 159
- IIT-M टीम ने जल की बूंदों से बनाए मिनरल नैनोपार्टिकल्स 161
- गाँवों के पुनर्वास पर NTCA की योजना 163
- विकिपीडिया के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा 165
- सड़क कार्यों के लिये हरित निधि का उपयोग 166
- पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार 167
- ग्रीनहाउस गैसें, वर्षा एवं जलवायु परिवर्तन 169

रैपिड फायर 171

- PLI योजना के तहत ग्लूकागॉन का विनिर्माण 171
- मेनलैंड सीरो 171
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण 171
- बोर्नियो हाथी 173
- अराकू कॉफी 174
- राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 175
- फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग 177
- आधार वर्ष में संशोधन हेतु समिति 177
- जमा प्रमाण-पत्र 177
- अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन 178
- जैविक अपशिष्ट की सफाई के लिये नया नैनोकंपोजिट 178
- हवलदार अब्दुल हामिद 179

नोट :

- रूस से भारत का कच्चा तेल आयात बढ़ा 180
- फलीदार फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बढ़ाने में जिंक की भूमिका 181
- विंडफॉल टैक्स 181
- भारत तथा ADB महामारी संबंधी तैयारियों को मज़बूत करेंगे 182
- संपूर्णता अभियान 183
- महिलाओं के लिये व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम 184
- अमेरिका का 248वाँ स्वतंत्रता दिवस 184
- घड़ियाल 184
- CJI ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण बेंचों का समर्थन किया 186
- सेंसेक्स 80000 के पार 186
- अमेरिका बैरर्ड उल्लुओं को मारेगा 186
- भारत का स्वदेशी लाइट टैंक ज़ोरावर 187
- समयपुरम मंदिर 188
- पेरू में 4,000 वर्ष पुराना मंदिर 190
- दलाई लामा 191
- माउंट एटना और स्ट्रोमबोली विस्फोट 191
- विश्व ज़ूनोसिस दिवस 192
- स्वदेशी रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर 192
- प्रागैतिहासिक शुतुरमुर्ग घोंसले की खोज 194
- SEHER कार्यक्रम 194
- भारत और पाकिस्तान द्वारा कैदियों की सूची का आदान-प्रदान 194
- कॉग्निटिव टेस्ट 195
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 196
- डॉ. गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त 196
- वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 197
- भारत-यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक 197
- ग्रोयनेस 198
- विश्व जनसंख्या दिवस 2024 198
- चीन सीमा पर सोने की तस्करी 199
- एरियन 6 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण 200
- जगन्नाथ रथ यात्रा और आषाढ़ी पर्व 200
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 201
- नेशनल वन हेल्थ मिशन 201
- अपनी बहुआयामी सांस्कृ 202
- RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक 203
- ब्याज समानीकरण योजना का पुनर्नियोजन 203
- समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिये IMO सम्मान 204
- खर्ची पूजा 204
- स्क्वैलस हिमा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति 205

नोट :

शासन व्यवस्था

भारत में फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का विनियमन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के प्रमुख **सार्वजनिक नीति थिंक-टैंक नीति आयोग ने देश में फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology- FRT)** के उपयोग को विनियमित करने के लिये व्यापक नीति और कानूनी सुधारों का आह्वान किया है।

- **गोपनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही** को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इस कदम को एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।

भारत में FRT के उपयोग को विनियमित करने हेतु क्या प्रस्ताव हैं ?

- **भारत में विनियमन की स्थिति:**
  - वर्तमान में भारत में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) के उपयोग को विनियमित करने के लिये कोई व्यापक कानूनी ढाँचा मौजूद नहीं है।
- **FRT को विनियमित करने की आवश्यकता:**
  - **बहुआयामी चुनौतियाँ:** FRT अन्य तकनीकों की तुलना में अलग-अलग चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि **इसमें संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा को दूर से ही कैप्चर करने और प्रोसेस करने** की क्षमता है। मौजूदा नियम इन विशिष्ट चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकते हैं।
  - **उत्तरदायी विकास सुनिश्चित करना:** इसका उद्देश्य एक व्यापक शासन ढाँचा तैयार करना है जो भारत में FRT के उत्तरदायी **विकास और क्रियान्वयन** को सुनिश्चित कर सके।
  - यह FRT के उपयोग से जुड़े जोखिमों और नैतिक चिंताओं को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, जैसे- **गोपनीयता का उल्लंघन, एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह और निगरानी शक्तियों का दुरुपयोग।**
  - **अंतर्राष्ट्रीय विचार नेतृत्व:** सक्रिय विनियमन से **भारत FRT प्रशासन पर वैश्विक विचार नेता के रूप में उभरेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श और नीतियों को** आकार देगा।
  - **सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देना:** प्रभावी विनियमन से प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक विश्वास का निर्माण होगा और विभिन्न क्षेत्रों में इसके व्यापक रूप से अपनाए जाने में सहायता मिलेगी।
  - **नवाचार और सुरक्षा उपायों में संतुलन:** सुधारों का उद्देश्य **FRT नवाचार को बढ़ावा देने तथा व्यक्तिगत अधिकारों एवं सामाजिक हितों की रक्षा के लिये आवश्यक सुरक्षा उपाय** लागू करने के बीच संतुलन बनाना है।
- **प्रमुख प्रस्ताव:**
  - **उत्तरदायित्व का मानकीकरण:**
    - एक **विधिक ढाँचा** तैयार करना जो **क्षतिपूर्ति के दायरे** को परिभाषित करता है और FRT की खराबी या दुरुपयोग से होने वाले नुकसान के लिये **दायित्व** स्थापित करता है। इससे ज़िम्मेदार नियोजन और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - **नैतिक निरीक्षण:**
    - FRT कार्यान्वयन की देखरेख के लिये विविध विशेषज्ञता वाली एक **स्वतंत्र नैतिक समिति** के गठन का प्रस्ताव रखा गया। यह समिति प्रणाली के भीतर **पारदर्शिता, जवाबदेहिता** और **संभावित पूर्वाग्रह** के मुद्दों का निराकरण करेगी।
  - **नियोजन में पारदर्शिता:**
    - **FRT** प्रणालियों **के नियोजन** के संबंध में **स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश** अनिवार्य करना। इसमें **विशिष्ट क्षेत्रों** में FRT के उपयोग के बारे में जनता को सूचित करना और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ उनकी सहमति प्राप्त करना शामिल होगा।
  - **विधिक अनुपालन:**
    - यह सुनिश्चित करना कि FRT प्रणालियों में न्यायमूर्ति ***के.एस.पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ*** मामले में दिये गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए।
    - इन सिद्धांतों में **वैधता** (मौजूदा कानूनों का अनुपालन), **तर्कसंगतता** (उद्देश्य के प्रति आनुपातिकता) और **आनुपातिकता** (वैयक्तिक अधिकारों के साथ सुरक्षा की आवश्यकता का संतुलन) शामिल हैं।

नोट :

फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है ?

- **परिचय:**
  - फेशियल रिकग्निशन एक **एल्गोरिथम-आधारित तकनीक** है जो किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं की पहचान और मानचित्रण करके **चेहरे का** एक **डिजिटल नक्शा** बनाती है तथा **उपलब्ध डेटाबेस से मिलान** करती है।
  - **ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (AFRS)** में बड़े डेटाबेस (जिसमें लोगों के चेहरों की तस्वीरें और वीडियो होते हैं) का इस्तेमाल व्यक्ति के चेहरे का मिलान करने और उसकी पहचान करने के लिये किया जाता है।
  - सीसीटीवी फुटेज से ली गई एक अज्ञात व्यक्ति की छवि की तुलना मौजूदा डेटाबेस से की जाती है, जो पैटर्न-खोज और मिलान के लिये **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक** का उपयोग करती है।
- **कार्यप्रणाली:**
  - चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली मुख्य रूप से कैमरे के माध्यम से **चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर** करके तथा कैप्चर की गई **विशेषताओं को पुन: बनाने के लिये** विभिन्न प्रकार के **सॉफ्टवेयर का उपयोग** करती है।
  - इसकी विशेषताओं के साथ कैप्चर किया गया चेहरा एक **डेटाबेस में संग्रहीत** किया जाता है जिसे किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा सकता है जिसका उपयोग सुरक्षा उद्देश्यों, बैंकिंग सेवाओं आदि के लिये किया जा सकता है।

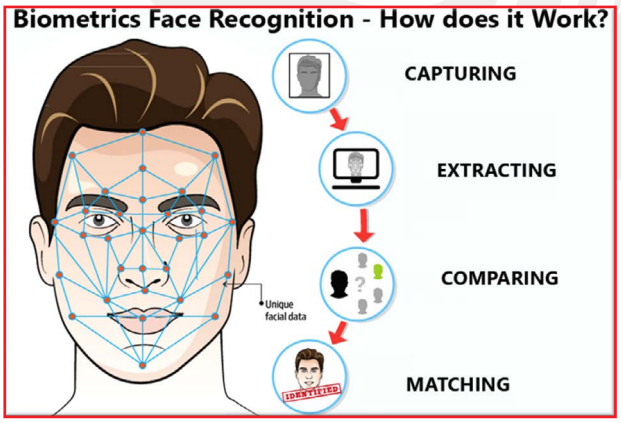

- **उपयोग:**
  - **सत्यापन:**
    - चेहरे का नक्शा किसी व्यक्ति की पहचान प्रामाणित करने के लिये डेटाबेस पर मौजूद उसकी तस्वीर से मिलान करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिये इसका उपयोग **फोन को अनलॉक करने** के लिये किया जाता है।
  - **पहचान:**
    - चेहरे का नक्शा किसी फोटो या वीडियो से प्राप्त किया जाता है और फिर फोटो या वीडियो में व्यक्ति की पहचान करने के लिये पूरे डेटाबेस से मिलान किया जाता है। उदाहरण के लिये, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ आमतौर पर पहचान के लिये FRT प्राप्त करती हैं।

FRT प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में चिंताएँ क्या हैं ?

- **अशुद्धता, दुरुपयोग तथा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** FRT में **गलत पहचान** हो सकती है, विशेषरूप से जब अलग-अलग जातीय तथा लैंगिक समूहों की तुलना की जाती है। इसके **परिणामस्वरूप योग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से अयोग्य घोषित** किया जा सकता है
- निगरानी एवं डेटा संग्रहण के लिये FRT का व्यापक उपयोग, कानूनी ढाँचे की उपस्थिति में भी, डेटा गोपनीयता के साथ-साथ संरक्षण के उद्देश्यों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है।
- **नस्लीय तथा लैंगिक पूर्वाग्रह:** अध्ययनों से पता चलता है कि नस्लीय तथा लैंगिक आधार पर FRT सटीकता में असमानताएँ हैं, जो संभावित रूप से **योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित** कर देती हैं और सामाजिक पूर्वाग्रहों को मज़बूत करती हैं।
- **आवश्यक सेवाओं से बहिष्कार:** आधार प्रणाली के अंतर्गत **बायोमेट्रिक प्रामाणीकरण में विफलता** के कारण लोग **आवश्यक सरकारी सेवाओं की पहुँच से वंचित** हो गए हैं।
- **डेटा संरक्षण कानूनों का अभाव:** व्यापक डेटा संरक्षण कानूनों की कमी बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह, **भंडारण एवं उपयोग के लिये अपर्याप्त सुरक्षा उपायों** के साथ, **FRT प्रणाली को दुरुपयोग को अधिक संवेदनशील** बनाती है।
- **नैतिक चिंताएँ:** यह सार्वजनिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के साथ-साथ दुरुपयोग की संभावना के बारे में नैतिक प्रश्न भी उत्पन्न करता है। **अनामिता के ह्रास** के साथ-साथ इस बात की भी चिंता है कि **FRT का उपयोग सामाजिक नियंत्रण एवं विपक्ष के दमन के लिये** किया जाएगा।

अन्य देशों में FRT विनियमन

- **यूरोपीय संघ (EU): सामान्य डेटा संरक्षण विनियम (GDPR)** एवं **डेटा संरक्षण निर्देश** के अतिरिक्त, EU के पास एक **AI अधिनियम** है जिसका उद्देश्य जोखिम-आधारित अनुपालन ढाँचे को निर्मित करना, FRT प्रणालियों को **"उच्च जोखिम"** के रूप में वर्गीकृत करना और साथ ही उन्हें कठोर अनुपालन आवश्यकताओं के अधीन करना है।

नोट :

- **यूके, यूएस, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया:** इन देशों में **FRT का विनियमन मुख्य रूप से उनके संबंधित डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता कानूनों द्वारा** नियंत्रित होता है।

आगे की राह

- **मज़बूत कानूनी ढाँचा:** सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के लोगों द्वारा FRT के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले समर्पित कानून या विनियमन स्थापित करना। इन कानूनों में FRT के इस्तेमाल के लिए वैध उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये, आनुपातिकता पर ज़ोर दिया जाना चाहिये और जवाबदेही की स्पष्ट रेखाएँ स्थापित की जानी चाहिये।
- **नैतिक निरीक्षण और शासन:** FRT की तैनाती के नैतिक निहितार्थों का आकलन करने, कार्यप्रणाली संहिता निर्धारित करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र नैतिक निरीक्षण समितियों के गठन की आवश्यकता है।
- **पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा:** सरकारी और **निजी दोनों संस्थाओं के लिये FRT तैनाती** का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य बनाना तथा मज़बूत डेटा सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिये FRT प्रशासन को भारत के आगामी डेटा सुरक्षा ढाँचे के साथ संरेखित करना।
- **पूर्वाग्रह को विकसित करना:** विशेष रूप से उच्च-दांव वाले अनुप्रयोगों में FRT के निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश विकसित करने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक नेतृत्व:** वैश्विक मानकों को आकार देने के लिये **FRT शासन पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना।** विश्व मंच पर ज़िम्मेदार AI विकास को बढ़ावा देने के लिये एक तकनीकी नेता के रूप में भारत की स्थिति का लाभ उठाना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी प्रणालियों को स्थापित करने से जुड़ी प्रमुख चिंताओं पर चर्चा कीजिये तथा पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने और संभावित पूर्वाग्रहों को दूर करने के उपाय सुझाइए

डिजिटल इंडिया पहल के नौ वर्ष

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के **9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे** होने की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया एक सशक्त भारत का प्रतीक है जिससे लोगों का **'जीवनयापन और ज़्यादा आसान'** होता जा रहा है एवं पारदर्शिता भी बढ़ रही है।

डिजिटल इंडिया पहल क्या है ?

- **परिचय**
  - डिजिटल इंडिया **1 जुलाई, 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च** किया गया था।
  - यह **कार्यक्रम 1990 के दशक के मध्य में शुरू हुए ई-गवर्नेंस प्रयासों** पर आधारित है, लेकिन इसमें सामंजस्य और अंतरक्रियाशीलता का अभाव था।
- **उद्देश्य:**
  - **डिजिटल विभाजन को कम करना:** यह पहल तकनीक-प्रेमी व्यक्तियों और सीमित डिजिटल पहुँच वाले लोगों के बीच असमानता को कम करने के लिये काम करती है।
  - **डिजिटल भागीदारी को बढ़ावा देना:** यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए सभी नागरिकों के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी लाभों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
  - **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** तकनीकी प्रगति और नवीन समाधानों का उपयोग करके, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
  - **जीवन स्तर को उन्नत करना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी के रणनीतिक अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- **डिजिटल इंडिया पहल के नौ स्तंभ:**
  - **ब्रॉडबैंड हाईवे:** कनेक्टिविटी और डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये देश भर में व्यापक **हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क** के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच:** दूरदराज़ के क्षेत्रों तक मोबाइल कवरेज का विस्तार करना, जिससे सभी नागरिक मोबाइल सेवाओं से जुड़ सकें और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें।
  - **सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम:** वहनीय इंटरनेट पहुँच उपलब्ध कराने, डिजिटल विभाजन को दूर करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये वंचित क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करना।
  - **ई-गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग:** नागरिक सहभागिता को बढ़ाते हुए पहुँच, दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करना।
  - **ई-क्रांति:** MyGov.in जैसे प्लेटफॉर्म पहुँच एवं परिचालन दक्षता को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं।

नोट :

- **सभी के लिये सूचना:** ऑनलाइन पहुँच के लिये **सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटाइज़** करना तथा **नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु ओपन डेटा पहल** को बढ़ावा देना।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:** आयात को कम करने, रोज़गार सृजन करने तथा विनिर्माण क्लस्टरों के साथ-साथ **निवेश प्रोत्साहनों के माध्यम से डिजिटल आर्थिक विकास को समर्थन देने हेतु स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहित** करना।
- **नौकरियों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (IT):** डिजिटल साक्षरता मिशन तथा स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से **उद्योग जगत की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये युवाओं** के आईटी कौशल को बढ़ाना, कौशल संवर्धन के **साथ-साथ आईटी क्षेत्र में रोज़गार पर ध्यान केंद्रित** करना।
- **अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट:** तत्काल डिजिटल आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं को शामिल करना, जैसे– स्कूली प्रमाण-पत्रों तक ऑनलाइन पहुँच, **डिजिटल उपस्थिति एवं सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई** सुविधा।

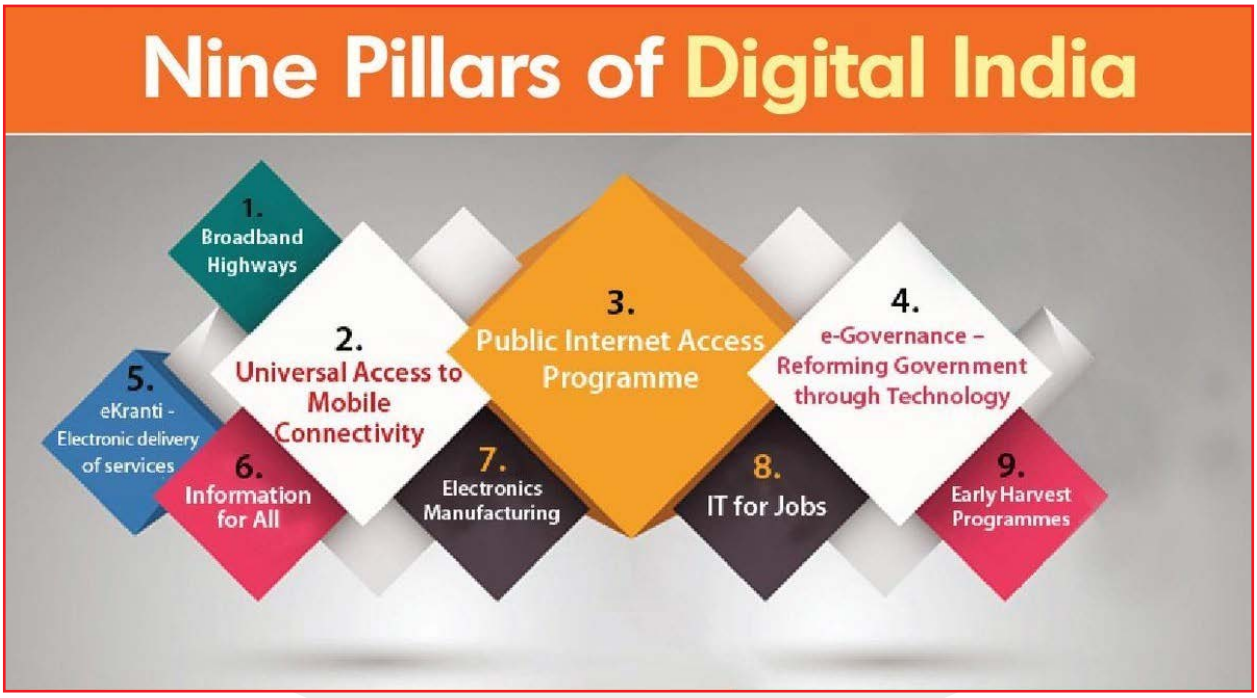

डिजिटल इंडिया के लिये की गई विभिन्न डिजिटल इंडिया पहल क्या हैं ?

- **आधार:** एक बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जो निवासियों को **12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या** प्रदान करती है।
- **भारतनेट:** यह परियोजना गाँवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तथा **ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएँ सक्षम बनाने के उद्देश्य** से बनाई गई है।
- **स्टार्टअप इंडिया:** यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन, वित्तपोषण तथा मार्गदर्शन के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन देने की एक पहल है।
- **ई-नाम (e-NAM):** एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कृषि बाज़ारों को जोड़ता है, उपज की कुशल बिक्री की सुविधा भी प्रदान करता है।
- **डिजिटल लॉकर:** महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के साथ-साथ डिजिटल रूप से उन तक पहुँचने के लिये एक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म।
- **भीम यूपीआई:** एक डिजिटल भुगतान प्रणाली जो स्मार्टफोन का उपयोग करके सुरक्षित **पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम** बनाती है।
- **ई-साइन फ्रेमवर्क:** डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके दस्तावेज़ों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **MyGov:** एक नागरिक सहभागिता मंच जो शासन एवं नीतिगत चर्चाओं में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।
- **ई-हॉस्पिटल:** ऑनलाइन पंजीकरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँच सहित डिजिटल अस्पताल सेवाएँ।

नोट :

- **SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म**
- **उमंग एप (UMANG App)**
- **स्मार्ट सिटी**
- **डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA), 2023:** प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य भारत के बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार, तकनीकी प्रगति और नई डिजिटल चुनौतियों के अनुकूल, पुराने **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** को प्रतिस्थापित करना है। **DIA, AI और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को ज़िम्मेदारी से अपनाने के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करता है,** नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

डिजिटल इंडिया के संबंध में चुनौतियाँ और आगे की राह क्या है ?

चुनौतियाँ	आगे की राह
• **डिजिटल डिवाइड: 2021 तक** भारत की इंटरनेट पहुँच दर लगभग 47% थी, जिससे आधी से ज़्यादा आबादी बिना पहुँच के रह गई। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं, **जहाँ शहरी क्षेत्रों में 67% की तुलना में केवल 32% ग्रामीण इंटरनेट पहुँच है।** • यद्यपि भारतनेट ने प्रगति की है, फिर भी वर्ष **2021 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से केवल 1.7 लाख ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं,** जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के अंतराल को दर्शाता है।	• **डिजिटल विभाजन को कम करना:** सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने के लिये **पीएम-वाणी योजना** जैसी पहलों को लागू करना, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक **2 मिलियन हॉटस्पॉट** स्थापित करना है। • 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक 40% आबादी को कवर करना है।
• **डिजिटल साक्षरता:** डिजिटल साक्षरता की कमी एक बाधा बनी हुई है। **IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड कंतार** की वर्ष 2021 की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की केवल **34%** आबादी ही डिजिटल रूप से साक्षर मानी जाती है।	• **डिजिटल साक्षरता बढ़ाना:** वर्ष 2023 तक 60 मिलियन ग्रामीण परिवारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)** का विस्तार करना। • **स्कूल पाठ्यक्रम** में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को शामिल करना, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक डिजिटल रूप से साक्षर जनसंख्या को **34% से बढ़ाकर 50%** करना है।
• **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: CERT-In** के अनुसार भारत को वर्ष 2020 में 11 मिलियन से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं का सामना करना पड़ा। • भारत **डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDPA)** एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में व्यक्तियों की निजता की रक्षा करना है।	• **साइबर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण:** • लक्ष्य मज़बूत कानून और निजता हेतु सुदृढ़ तंत्र के माध्यम से वर्ष 2026 तक साइबर अपराध की घटनाओं को 50% कम करने के लक्ष्य के साथ **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति** क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
• **ई-गवर्नेंस चुनौतियाँ:** यद्यपि ई-गवर्नेंस पहल में सुधार हुआ है फिर भी दूरवर्ती क्षेत्रों में **डिजिटल पहचान सत्यापन** और सेवा के वितरण संबंधी समस्याएँ बनी हुई हैं।	• **ई-गवर्नेंस की दक्षता वृद्धि:** • वर्ष 2024 तक सभी सरकारी सेवाओं के लिये **एकीकृत डिजिटल पहचान प्रणाली** क्रियान्वित की जानी चाहिये। **वर्ष 2025** तक **उमंग ऐप** की सहायता से उपलब्ध सेवाओं की मौजूदा संख्या **1,251 से बढ़ाकर 2,500** की जानी चाहिये।
• **कौशल अंतराल: नैसकॉम फ्यूचरस्किल्स रिपोर्ट** के अनुसार भारत के 20% तकनीकी पेशेवरों में भविष्य की नौकरियों के लिये आवश्यक प्रासंगिक डिजिटल कौशल का अभाव है।	• **कौशल अंतराल को पाटना:** उभरती प्रौद्योगिकियों में पेशेवरों को कुशल बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक निजी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2026 तक **30 मिलियन डिजिटल रूप से कुशल पेशेवरों** की आवश्यकता होगी।

नोट :

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डिजिटल इंडिया पहलों का निरीक्षण करते हुए उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों और इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिये आवश्यक उपायों का उल्लेख कीजिये।

राज्य विषय' के रूप में शिक्षा पर विचार-विमर्श

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में NEET-UG और UGC-NET जैसी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवादों ने **फिर से** यह **विचार-विमर्श** करने के लिये विवश कर दिया है कि क्या **शिक्षा** को **पुन: राज्य सूची में शामिल किया जाना** चाहिये।

भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थिति क्या है ?

- **इतिहास:**
  - प्राचीन भारत में **गुरुकुल** एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें **शिष्य (छात्र)** और गुरु एक ही घर में वास करते थे।
  - नालंदा, जहाँ विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय स्थित है, ने समग्र विश्व के छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर आकर्षित किया है।
  - **ब्रिटिश सरकार** ने मैकाले समिति की अनुशंसाओं, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग की रिपोर्ट और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में **कई सुधार** किये, जिन्होंने समाज को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति:**
  - **भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है** जो विश्व औसत 86.3% से कम है। भारत में कई राज्य राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से थोड़ा ऊपर औसत श्रेणी में आते हैं।
  - भारत में साक्षरता में **लैंगिक अंतराल** 1991 में कम होना शुरू हुआ और इसमें सुधार की गति भी तेज हो गई। हालांकि, भारत में वर्तमान महिला साक्षरता दर (65.46%-जनगणना 2011) अभी भी UNESCO द्वारा 2015 में रिपोर्ट की गई 87% की वैश्विक औसत से काफी पीछे है।
- **विभिन्न विधिक और संवैधानिक प्रावधान:**
  - **विधिक प्रावधान:**
    - सरकार ने प्राथमिक स्तर (6-14 वर्ष) के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के एक भाग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) को कार्यान्वित किया है।
    - माध्यमिक स्तर (आयु वर्ग 14-18) की ओर बढ़ते हुए सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से SSA का विस्तार माध्यमिक शिक्षा तक किया है
    - उच्चतर शिक्षा– जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और एमफिल/पीएचडी स्तर शामिल हैं, को सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के माध्यम से संबोधित किया जाता है ताकि उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके
    - इन सभी योजनाओं को **'समग्र शिक्षा अभियान'** की छत्र योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है
  - **संवैधानिक प्रावधान:**
    - प्रारंभ में DPSP के अनुच्छेद 45 का उद्देश्य 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, जिसे बाद में आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल को शामिल करने के लिये संशोधित किया गया तथा अंतत: इसके उद्देश्यों की पूर्ति न होने के कारण 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से इसे **मूल अधिकार** (अनुच्छेद 21A) बना दिया गया।
    - **संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची की प्रविष्टि 64 और 65** में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण आदि के लिये संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है।
- **शिक्षा एक 'राज्य के' विषय के रूप में:**
  - **भारत सरकार अधिनियम, 1935** ने **संघीय ढाँचे** का निर्माण किया तथा शिक्षा को **प्रांतीय सूची** में रखा।
  - स्वतंत्रता के बाद के भारत में, शिक्षा एक राज्य का विषय बनी रही।
  - हालाँकि आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति ने शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी, जिसे 42वें संविधान संशोधन,1976 के माध्यम से लागू किया गया।
  - 44वाँ संविधान संशोधन कुछ हद तक परिवर्तनों को ठीक करने का एक प्रयास था।

शैक्षिक सुधारों से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें:

- नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (NPTEL)
- समग्र शिक्षा अभियान
- प्रज्ञाता (PRAGYATA)

नोट :

- मध्याह्न भोजन योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- पीएम श्री स्कूल (PM SHRI School)
- समग्र शिक्षा योजना 2.0

शिक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** राज्य और स्थानीय सरकारें शैक्षिक मानक निर्धारित करती हैं, जबकि संघीय विभाग वित्तीय सहायता तथा समान पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **कनाडा:** शिक्षा का प्रबंधन प्रांतों द्वारा किया जाता है।
- **जर्मनी:** शिक्षा के लिये विधायी शक्तियाँ लैंडर (राज्यों) के पास हैं।
- **दक्षिण अफ्रीका:** दो राष्ट्रीय विभाग शिक्षा का प्रबंधन करते हैं, जबकि प्रांतीय विभाग स्थानीय कार्यान्वयन का काम संभालते हैं।
- **फिनलैंड का शासन मॉडल:** कई देशों के विपरीत, फिनलैंड मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं है। यह प्रणाली स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के बीच सहयोग पर ज़ोर देती है, जिससे एक सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलता है

शिक्षा को राज्य सूची में क्यों रखा जाना चाहिये ?

- **मूल संविधान निर्माण:** संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को शुरू में राज्य सूची में रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि **स्थानीय सरकारें शिक्षा संबंधी** आवश्यकताओं को पूरा करने में बेहतर तरीके से सक्षम हैं।
- **42वें संशोधन का प्रभाव:** आपातकाल के दौरान शिक्षा को एकतरफा तौर पर समवर्ती सूची में डालने से संघीय ढाँचे को नुकसान पहुँचा।
  - राज्यों को शिक्षा पर विशेष नियंत्रण देने से संविधान निर्माताओं द्वारा **परिकल्पित शक्ति संतुलन** बहाल हो सकेगा।
- **राज्य-विशिष्ट नीतियाँ:** राज्य अपनी शैक्षिक नीतियों को अपनी **विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों** के अनुरूप बना सकते हैं।
- इससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिक और उत्तरदायी है और साक्षरता दर तथा शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये **अनुच्छेद 350A** के तहत **प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा** में प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- **भिन्न-भिन्न नीतियाँ:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test - NEET) जैसी केंद्र सरकार की नीतियाँ अक्सर राज्य की नीतियों के साथ टकराव पैदा करती हैं, जिससे अकुशलता और वंचितता पैदा होती है।
- **संसाधनों का आवंटन:** जो राज्य अपने **शैक्षिक बुनियादी ढाँचे** में महत्त्वपूर्ण निवेश करते हैं, उन्हें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने **निवेश को विनियमित** करने और उससे लाभ उठाने का अधिकार होना चाहिये।
  - शिक्षा मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा पर होने वाले व्यय का अधिकांश हिस्सा (85%) राज्य वहन करते हैं।
- **योग्यता निर्धारण:** NEET जैसी केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाएँ आवश्यक रूप से **विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि के छात्रों की योग्यता या क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं** करती हैं।
  - राज्यों को प्रवेश मानदंड तैयार करने में लचीलापन होना चाहिये, जिससे छात्रों की क्षमता का बेहतर आकलन और संवर्धन हो सके।
  - **तमिलनाडु व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश अधिनियम 2006,** जिसे मद्रास उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, इस तर्क का समर्थन करता है कि **सामान्य प्रवेश परीक्षाएँ योग्यता निर्धारित नहीं** करती हैं।
  - ***नील ऑरेलियो नून्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **अंक योग्यता का निर्धारण करने वाला कारक नहीं** हैं।
- **जवाबदेही का मुद्दा:** यदि महत्त्वपूर्ण संस्थानों को राज्य के दायरे में लाया जाता है, तो इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में राज्य की जवाबदेही प्रवाहित तरीके से सुनिश्चित होगी।

शिक्षा को राज्य सूची में क्यों नहीं होना चाहिये ?

- **प्राथमिक शिक्षा की स्थिति:** ASER 2023 रिपोर्ट के अनुसार, 14-18 वर्ष के अधिकांश ग्रामीण बच्चे कक्षा 3 के गणितीय प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं, जबकि 25% से अधिक बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। यह राज्यों में शिक्षा के खराब प्रशासन को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय एकीकरण एवं गतिशीलता:** कोठारी आयोग (1964-66) ने **राष्ट्रीय एकीकरण एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान** को बढ़ावा देने के लिये **राज्यों में एक समान शैक्षणिक ढाँचे के महत्त्व पर ज़ोर** दिया।

नोट :

- समवर्ती सूची केंद्र को प्रमुख राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की अनुमति देती है, जबकि राज्य उन्हें स्थानीय संदर्भों के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे **एकता और विविधता दोनों को बढ़ावा** मिलता है।

- **न्यूनतम मानक तथा समानता सुनिश्चित करना:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTI), 2009 पूरे **भारत में न्यूनतम स्तर की शिक्षा की गारंटी** देता है।
  - शिक्षा को समवर्ती बनाए रखने से केंद्र को कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायता प्राप्त होती है, साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि वंचित वर्गों को उनके राज्य की परवाह किये बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
- **कौशल तथा रोज़गार का मानकीकरण:** FICCI (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) की रिपोर्ट में एक मानकीकृत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्नातकों के पास अखिल भारतीय रोज़गार बाज़ार के लिये आवश्यक कौशल प्राप्त हो सके।
  - एक समवर्ती सूची राज्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तैयार करने की अनुमति प्रदान करते हुए एक सामान्य ढाँचा स्थापित करते हुए इसे सुविधाजनक बनाती है।
- **राष्ट्रीय संस्थानों एवं प्रत्यायन का विनियमन:** शिक्षा को समवर्ती बनाए रखने से केंद्र को इन संस्थानों में निगरानी रखने के साथ-साथ गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होती है, जो **देश भर के छात्रों को शिक्षा** प्रदान करते हैं।
- **राष्ट्रीय चिंताओं तथा आपात स्थितियों का समाधान:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 डिजिटल साक्षरता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के क्षेत्रों के लिये रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है।
  - जलवायु परिवर्तन जैसी नई राष्ट्रीय चुनौतियों के लिये भी एक एकीकृत शैक्षणिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
  - एक समवर्ती सूची केंद्र को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित करने की अनुमति देती है जो राज्य-विशिष्ट चिंताओं को समायोजित करते हुए इन उभरते मुद्दों का समाधान करती है।

आगे की राह

- **सहयोगात्मक संघवाद: कोठारी आयोग (1964-66)** द्वारा सुझाए गए **"सहयोगात्मक संघवाद"** दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - इससे केंद्र द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सकेगा, जबकि राज्यों को पाठ्यक्रम, भाषा और शिक्षण-पद्धति में लचीलापन मिलेगा।
- **परिणाम-आधारित वित्तपोषण:** नीति आयोग **द्वारा अपने नए भारत के लिये रणनीति @ 75 दस्तावेज़** में की गई अनुशंसा के अनुसार **परिणाम-आधारित वित्तपोषण तंत्र** को लागू करना।
  - यह सीखने के परिणामों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, तथा राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- **विकेंद्रीकृत स्कूल प्रबंधन: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में** परिकल्पित विकेंद्रीकृत स्कूल प्रबंधन संरचनाओं को बढ़ावा देना।
  - इससे स्कूल प्रबंधन समितियों (School Management Committees- SMC) को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, तथा स्थानीय स्वामित्व और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण एवं स्थानांतरण नीति सुधार: TSR सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट (2009)** की सिफारिशों के आधार पर सुधारों का समर्थन करना।
  - इसमें **बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम,** पारदर्शी स्थानांतरण नीतियाँ तथा अधिक प्रेरित और प्रभावी शिक्षण बल तैयार करने के लिये प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं।
- **राज्य-विशिष्ट बेंचमार्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन:** ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की प्रथाओं से प्रेरित होकर, राज्य-विशिष्ट बेंचमार्क के साथ-साथ एक **मानकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन ढाँचा विकसित करना। यह क्षेत्रीय विविधताओं को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय तुलना** की अनुमति देता है।
- **न्यायसंगत पहुँच के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में न्यायसंगत पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये भारत सरकार के **"पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन"** (Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching- PMMMNMTT) में उल्लिखित रणनीतियों को लागू करना।
- **राज्य अनुकूलन के साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा:** NCERT द्वारा सुझाए गए अनुसार एक लचीला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curriculum Framework- NCF) विकसित करना, जिससे राज्यों को इसे अपने विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति मिले। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं राज्य की ज़रूरतों के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

नोट :

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 'शिक्षा' को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने से शिक्षा क्षेत्र में नीति कार्यान्वयन अधिक प्रभावी हो सकेगा। टिप्पणी कीजिये।

स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने **स्मार्ट सिटी मिशन** (Smart Cities Mission) की समयसीमा **31 मार्च, 2025** तक बढ़ाने का फैसला किया है।

- इस मिशन को पहले वर्ष 2020 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी, **लेकिन इसे पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है।**

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) क्या है ?

- **परिचय:**
- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसे जून 2015 में "स्मार्ट सॉल्यूशंस" के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता एवं स्वच्छ तथा संवहनीय वातावरण प्रदान करने के लिये, 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढाँचे को बदलने के लिये प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य सतत् और **समावेशी विकास** के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **SCM के घटक::**
  - **क्षेत्र-आधारित विकास:**
    - **पुनर्विकास (शहर नवीनीकरण):** बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं में सुधार के लिये मौजूदा शहरी क्षेत्रों का नवीनीकरण। जैसे भिंडी बाज़ार, मुंबई।
    - **रेट्रोफिटिंग (शहर सुधार):** मौजूदा क्षेत्रों को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाने के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास करना। जैसे स्थानीय क्षेत्र विकास (अहमदाबाद)।
    - **ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ (शहर विस्तार):** स्थिरता और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ नए शहरी क्षेत्रों का विकास। जैसे न्यू टाउन, कोलकाता, नया रायपुर, **गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी)**।
  - **पैन-सिटी समाधान:**
    - **ई-गवर्नेंस**, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** समाधानों का अनुप्रयोग किया जाना।
- **शासन संरचना:**
  - इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये नवीन शासन मॉडल अपनाना।
    - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक **विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV)** बनाया गया, जिसका नेतृत्व नौकरशाह या **बहुराष्ट्रीय निगमों (MNC)** के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।
- **स्मार्ट शहरों का वित्तपोषण:**
  - **SCM के लिये 5 वर्षों हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त लगभग 48,000 करोड़ रुपए** (प्रतिवर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपए), **इनके विकास के क्रम में निर्णायक** हैं।
  - राज्यों और **शहरी स्थानीय निकायों (ULB)** को इसमें समान राशि का योगदान करना आवश्यक होता है, जिससे कुल मिलाकर यह राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो जाती है।
- **अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण:**
  - SCM के संसाधनों और उद्देश्यों को **AMRUT** (शहरी रूपांतरण), **स्वच्छ भारत मिशन** (स्वच्छता), **HRIDAY** (विरासत शहर विकास), **डिजिटल इंडिया, कौशल विकास** और **सभी के लिये आवास** जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने से इसकी प्रभावशीलता को बढ़ावा मिलता है।
  - **अभिसरण के लाभ:**
    - SCM के तहत **समान लक्ष्यों को प्राप्त करने** के क्रम में विभिन्न योजनाओं के मौजूदा फंड एवं बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाया जा सकता है।
    - अन्य **योजनाओं के साथ इसके अभिसरण** से सुनिश्चित होता है कि स्मार्ट शहरों में भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक **बुनियादी ढाँचे** (स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति) को भी प्रमुखता दी जाए।
    - SCM को इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये केंद्र और राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ रणनीतिक रूप से एकीकृत किया जा सकता है।

स्मार्ट सिटी क्या है ?

- स्मार्ट सिटी **एक अवधारणा** है **जो शहरी क्षेत्रों में दक्षता, स्थिरता के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी, डेटा एवं नवीन समाधानों के उपयोग** को संदर्भित करती है।

नोट :

- स्मार्ट सिटी के मुख्य बुनियादी ढाँचे में निम्नलिखित तत्त्व शामिल हैं:
  - पर्याप्त जलापूर्ति,
  - सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति,
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता,
  - कुशल शहरी गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहन,
  - विशेष रूप से गरीबों के लिये किफायती आवास,
  - मज़बूत आईटी कनेक्टिविटी एवं डिजिटलीकरण,
  - सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस एवं नागरिक भागीदारी,
  - पर्यावरण की धारणीयता,
  - नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों की सुरक्षा
  - स्वास्थ्य एवं शिक्षा।

नोट: जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% हिस्सा शहरों में निवास करती है तथा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इनका योगदान 63% है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवासित होगी तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान 75% होगा।

स्मार्ट सिटी मिशन के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **परिभाषा में स्पष्टता का अभाव:** SCM ने "स्मार्ट सिटी" शब्द के लिये एक सार्वभौमिक परिभाषा की कमी को स्वीकार किया है। यह मान्यता इस समझ को दर्शाती है कि स्मार्ट सिटी के लिये प्रत्येक शहर का दृष्टिकोण उसके अद्वितीय स्थानीय संदर्भों एवं आकांक्षाओं द्वारा आकार लेता है।हालाँकि, स्मार्ट शहर की अवधारणा में यह **अस्पष्ट संसाधनों के प्रभावी आवंटन के साथ ही परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में चुनौतियाँ** प्रस्तुत करती है।
  - स्मार्ट सिटी की **संकल्पना एक शहर से दूसरे शहर तथा एक देश से दूसरे देश में भिन्न- भिन्न** होती है। ये अंतर विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार को स्वीकार करने की इच्छा, संसाधनों की उपलब्धता तथा शहर के निवासियों की आकांक्षाओं जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं।

नोट :

- **परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब:** समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, **बड़ी संख्या में परियोजनाएँ (लगभग 10%) अभी भी अधूरी** हैं, जो **निष्पादन में देरी का संकेत** देती हैं। इसके लिये **अपर्याप्त नियोजन, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी तथा भूमि अधिग्रहण एवं मंजूरी में देरी** जैसी समस्याओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण एवं उसका उपयोग:** जबकि **74 शहरों को उनके केंद्रीय हिस्से का 100% वित्त प्राप्त** हुआ है, परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण **26 शहरों को अभी भी संपूर्ण वित्त नहीं** प्राप्त हो सका है।
  - स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिये अपनाए गए SPV मॉडल को **74वें संविधान संशोधन** के साथ इसके **गलत संरेखण के कारण आपत्तियों का सामना** करना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप स्मार्ट सिटी पहलों के **टॉप-डाउन शासन ढाँचे की आलोचना** हुई है।
- **समन्वय का अभाव:** प्राथमिकताओं में अंतर, नौकरशाही बाधाओं एवं भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों में **स्पष्टता की कमी के कारण केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय एक चुनौती** रहा है, जिससे **मिशन के निर्बाध कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न** हुई है।
- **स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में संदेह है, क्योंकि उनमें से **विभिन्न शहरी नियोजन एवं शासन के बुनियादी मुद्दों को संबोधित करने के स्थान पर प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित** करते हैं।
- **विस्थापन एवं सामाजिक प्रभाव:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्रों में **49% से अधिक आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में निवास** करती है।
  - स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कारण गरीब क्षेत्रों के निवासियों, जैसे **स्ट्रीट वेंडरों का विस्थापन** हुआ है, जिससे शहरी समुदायों का ताना-बाना बाधित हुआ है। कुछ **कस्बों में बुनियादी ढाँचे के विकास ने जल प्रणालियों में व्यवधान के कारण शहरी बाढ़ में वृद्धि** में योगदान दिया है।

स्मार्ट सिटी मिशन को प्रभावी बनाने के लिये कौन से कदम उठाए जाने चाहिये?

- **प्रभावी शासन एवं योजना का प्रभावी कार्यान्वयन:** निश्चित कार्यकाल वाले CEOs की नियुक्ति से निरंतरता सुनिश्चित होने के साथ योग्य पेशेवर आकर्षित होते हैं। विशेषज्ञों और **संसद सदस्यों (MPs)** सहित विभिन्न हितधारकों को समावेशी निर्णय लेने पर बल देना चाहिये।
- परियोजना पर रणनीतिक फोकस: SCM डिजिटल बुनियादी ढाँचे के तहत विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करने एवं उपयोग करने की आशा है। इसलिये यह आवश्यक है कि इन प्लेटफार्मों को साइबर हमलों से बचाने के साथ संवेदनशील सार्वजनिक एवं निजी डेटा के लिये पर्याप्त सुरक्षा की गारंटी देने के क्रम में एक मज़बूत प्रणाली लागू की जाए।
- डेटा सुरक्षा एवं उन्नयन: साइबर खतरों का मुकाबला करने एवं डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के क्रम में मज़बूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे की स्थापना की जानी चाहिये।
  - बुनियादी ढाँचे की समयावधि को अधिकतम करने तथा समय पर इसका उन्नयन सुनिश्चित करने हेतु संचालन एवं रखरखाव संबंधी समग्र रणनीति विकसित करनी चाहिये।
- **क्षमता निर्माण और वित्तपोषण:** क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे शहरों में **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** को मज़बूत बनाना चाहिये। इस क्रम में संगठनात्मक पुनर्गठन तथा कौशल विकास हेतु केंद्र सरकार की सहायता महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
- **परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होना:** संबंधित मंत्रालय की भूमिका निधि आवंटन से विस्तारित होकर समय पर परियोजना निष्पादन हेतु सक्रिय निगरानी एवं विशेषज्ञता प्रदान करने तक होनी चाहिये।
- **वैश्विक ज्ञान साझाकरण:** विकासशील देशों की सतत् शहरी विकास से संबंधित इसी तरह की परियोजनाएँ इस संदर्भ में सूचना साझाकरण हेतु निर्णायक हो सकती हैं (उदाहरण: **भूटान की गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना**)।
  - गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य **भारत के पूर्वोत्तर राज्यों** को शामिल करते हुए **दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने** वाला एक आर्थिक गलियारा बनाना है। इसमें पर्यावरण मानकों एवं स्थिरता को प्राथमिकता देने से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से निवेश आकर्षित होगा।

नोट :

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: स्मार्ट सिटीज़ मिशन क्या है? इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों को बताते हुए इनसे निपटने हेतु उपाय बताइए।

हिरासत में होने वाली मौत पर NHRC का ओडिशा सरकार को नोटिस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** ने ओडिशा सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आयोग को कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मरने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिये।

नोट :

हिरासत में होने वाली मौत क्या है ?

- हिरासत में होने वाली मौत **से तात्पर्य उस मौत से है,जो तब होती है जब कोई व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारियों या सुधार गृह की हिरासत में होता है**। यह **विभिन्न कारणों जैसे** अत्यधिक बल का प्रयोग, उपेक्षा या अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार से हो सकता है ।
- **भारत के विधि आयोग** के अनुसार, किसी लोक सेवक द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्ति के खिलाफ की गई हिंसा **हिरासत में यातना** के समान है।

- **हिरासत में होने वाली मौत पर न्यायिक घोषणाएँ:**
  - **किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1981):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस द्वारा थर्ड **डिग्री का इस्तेमाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है**।
  - **नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993):** जीवन के अधिकार की रक्षा के लिये राज्य की **ज़िम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस की लापरवाही या क्रूरता के** परिणामस्वरूप हिरासत में होने वाली मौतों के लिये राज्य मुआवजा देने के लिये उत्तरदायी है।
  - **जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):** सर्वोच्च न्यायालय ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के **परिणामस्वरूप होने वाली अव्यवस्थित गिरफ्तारियों के मुद्दे पर विचार किया**। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट में की **गई सिफारिशों का हवाला दिया कि अधिकारियों को तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिये जब तक कि वे जघन्य अपराधों से संबंधित न हों।।**
  - **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):** सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में यातना और मौतों को रोकने के लिये विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किये, **जिनमें गिरफ्तारी मेमो, चिकित्सा परीक्षण का अधिकार और कानूनी परामर्श तक पहुँच की आवश्यकताएँ शामिल थीं।**

टिप्पणी:

- **डी.के. बसु मामले में हिरासत में होने वाली मृत्यु के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किये गए:**
  - पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य है, कि वह **अभियुक्त से जाँच और पूछताछ करते समय थर्ड डिग्री के तरीकों का इस्तेमाल न करें**।
  - पुलिस अधिकारियों के कामकाजी माहौल, प्रशिक्षण और बुनियादी मानवीय मूल्यों के साथ उनके उन्मुखीकरण की जाँच करने में ध्यान दिया जाना चाहिये।

नोट :

- विधानसभा को **धारा 114-B को** शामिल करके **विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा दी गई सिफारिशों को अपनाना चाहिये**।
- **पुलिस को दुर्दांत अपराधियों से जानकारी निकालने के लिये संतुलित दृष्टिकोण** का इस्तेमाल करना चाहिये।
- गिरफ्तारी के **समय प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा एक ज्ञापन बनाया जाना चाहिये** एवं गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कम से कम एक परिवार के सदस्य को मौजूद रहना चाहिये।
- भारत के संविधान के **अनुच्छेद 21 और 22 (1) के** तहत **संविधान की आवश्यकताओं का पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिये**।
- गिरफ्तार व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिये ताकि जब उसे हिरासत में लिया जाए तो वह उन्हें समझ सके।
- साथ ही, न्यायालय ने कुछ **निवारक उपाय** भी प्रदान किये हैं जिनका किसी आरोपी की गिरफ्तारी के समय प्रभारी पुलिस अधिकारी को पालन करना चाहिये।

हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित नैतिक चिंताएँ क्या हैं?

- **मानव अधिकारों एवं गरिमा का उल्लंघन:**
  - हर व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण एवं निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिये। हिरासत में हिंसा/यातना से शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति होने के साथ व्यक्तियों की गरिमा एवं मूल मानवाधिकारों की अवहेलना होती है।
- **विधि के शासन का कमज़ोर होना:**
  - इससे विधि के शासन एवं सम्यक प्रक्रिया जैसे मूल सिद्धांतों पर प्रश्नचिह्न लगता है। विधि प्रवर्तन अधिकारियों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा लागू करने की ज़िम्मेदारी होती है ऐसे में हिंसा होने से न्याय, समानता तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा जैसे मूल सिद्धांतों का खंडन होता है।
- **दोष की पूर्वधारणा:**
  - इससे "दोषी साबित होने तक निर्दोष" को प्राप्त अधिकारों की अवहेलना होती है। किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने से पहले **व्यक्तियों को यातना देने के साथ निष्पक्ष सुनवाई एवं उचित प्रक्रिया जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करना अमानवीय** है।
- **व्यावसायिकता और ईमानदारी की अवहेलना:**
  - पुलिस अधिकारियों से उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें व्यावसायिकता, ईमानदारी और मानवाधिकारों का सम्मान करने की प्रतिबद्धता शामिल है। हिरासत में हिंसा से इन नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होने के साथ इनकी पेशेवर प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगता है।

हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **विधिक प्रणालियों को मज़बूत बनाना:**
  - हिरासत में होने वाली **हिंसा के आरोपों की त्वरित एवं निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित** होनी चाहिये।
  - हिरासत में होने वाली **हिंसा के आरोपों की त्वरित एवं निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित** होनी चाहिये।
  - निष्पक्ष एवं त्वरित सुनवाई के माध्यम से अपराधियों को दंड देना चाहिये।
- **पुलिस सुधार और संवेदनशीलता:**
  - **मानव अधिकारों एवं गरिमा** को बनाए रखने के क्रम में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार किया जाना चाहिये। हिरासत में हिंसा के मामलों की प्रभावी निगरानी के साथ इनके समाधान हेतु निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।
  - **विधि प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेहिता, व्यावसायिकता तथा सहानुभूति संबंधी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिये।**
  - **उदाहरण के लिये, प्रकाश सिंह मामले, 2006 में** सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित सात निर्देश जारी किये। इसमें **राजनीतिकरण एवं जवाबदेहिता की कमी के साथ पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत कमज़ोरियों** जैसे व्यापक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।
- **नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों का सशक्तीकरण:**
  - हिरासत में यातना से **पीड़ित व्यक्तियों के लिये नागरिक समाज संगठनों** द्वारा उनके लिये आवाज़ उठाने को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
  - **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** को मानवाधिकार उल्लंघन की कथित तिथि से **एक वर्ष के पश्चात् भी** किसी भी मामले की **जाँच करने की अनुमति** दी जानी चाहिये।
  - पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार का **समर्थन** कर उन्हें **विधिक सहायता** प्रदान की जानी चाहिये।
  - निवारण और न्याय प्रदान के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों और संगठनों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।

नोट :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- मामलों का स्वतः संज्ञान
- मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- मानवाधिकार जागरुकता फैलाना
- मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

कार्यकाल

- 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- **NHRC** को वर्ष 1999 से **'A'** श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- **'A' श्रेणी की स्थिति :** वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- **'A' स्थिति का निलंबन:** वर्ष 2023 और वर्ष 2024

Drishti IAS

नोट:

- वे **मानवाधिकार और हिरासत में यातना पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय** जिनका **भारत हस्ताक्षरकर्त्ता है:**
- यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय(UNCAT)
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR)

नोट :

- सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय।
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)
- बाल अधिकार अभिसमय
- दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अभिसमय
- आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICESCR)

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अभिरक्षा में होने वाली मौतों से संबंधित नैतिक चिंताएँ क्या हैं? इनकी रोकथाम के लिये संभव उपायों की विवेचना कीजिये।

आपदा प्रबंधन और भगदड़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश ने उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में एक और **दुखद भगदड़ देखी जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान** चली गई।

- यह विनाशकारी घटना पिछले **दो दशकों में देश भर में धार्मिक समारोहों और त्योहारों के दौरान हुई** ऐसी ही त्रासदियों की लंबी सूची में शामिल हो गई है।
- ये **घटनाएँ सीमित स्थानों में बड़ी भीड़ को प्रबंधित करने की मौजूदा चुनौतियों को उजागर करती हैं** और बेहतर सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

भगदड़ क्या होती है?

- **परिचय:** भगदड़ भीड़ का एक **आवेगपूर्ण सामूहिक आंदोलन** है जिसके परिणामस्वरूप लोग अक्सर घायल और उनकी मौतें होती हैं। यह अक्सर किसी खतरे की आशंका, भौतिक स्थान की हानि और संतुष्टिदायक कुछ पाने की सामूहिक इच्छा के कारण होता है।
- **भगदड़ के दो मुख्य प्रकार हैं:** एकदिशात्मक भगदड़ तब होती है जब एक ही दिशा में चलती भीड़ को बल में अचानक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, जो अचानक रुकने जैसी शक्तियों या टूटे हुए अवरोधों जैसी नकारात्मक शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है।
  - **अशांत भगदड़** तब होती है जब भीड़ अनियंत्रित हो, अथवा भीड़ कई दिशाओं से आ जाए।
- **भगदड़ में मृत्यु:** भगदड़ के कारण निम्नलिखित प्रकार से मृत्यु हो सकती है:
  - अभिघातजन्य श्वासावरोध: यह सबसे आम कारण है जो वक्ष या ऊपरी पेट के बाहरी दबाव के कारण होता है। यह 6-7 लोगों की मध्यम भीड़ में भी हो सकता है जो एक दिशा में धक्का दे रहे हो।
  - अन्य कारण: मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (दिल का दौरा), आंतरिक अंगों को प्रत्यक्ष रूप से दमित करने वाली चोटें, सिर की चोटें और गर्दन का संपीड़न।
- **भगदड़ में योगदान देने वाले कारक:**
  - **मनोवैज्ञानिक कारक:** भगदड़ का प्राथमिक कारक या प्रवर्द्धक घबराहट है।
    - इसमें आपात स्थितियों में सहयोगात्मक व्यवहार का अभाव शामिल है। घबराहट पैदा करने वाली स्थितियों में, सहयोगात्मक व्यवहार शुरुआत में लाभकारी होता है किंतु सहयोगात्मक व्यवहार में ह्रास के साथ वैयक्तिक अस्तित्व की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - **पर्यावरण और संरचनात्मक तत्त्व:**
    - प्रकाश की उचित व्यवस्था का अभाव।
    - भीड़ के प्रवाह का अनुचित प्रबंधन (विभिन्न समूहों के लिये भीड़ के प्रवाह को नियोजित करने में विफलता)।
    - बैरियर अथवा भवनों का ढहना।
    - बाहर निकलने या निकासी मार्गों का अवरुद्ध होना।
    - आग का खतरा।
    - **भीड़ का अधिक घनत्व** (जब घनत्व प्रति वर्ग मीटर 3-4 व्यक्तियों हो)। इस घनत्व की स्थिति में भवन से लोगों के निकास में लगने वाला समय बढ़ जाता है, जिससे घबराहट और भगदड़ का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **भगदड़ का प्रभाव:**
  - **मनोवैज्ञानिक अभिघात:** जीवित बचे व्यक्तियों और साक्षियों को दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक अभिघात का सामना करना पड़ सकता है जिसमें **पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD)** शामिल है।
  - **आर्थिक परिणाम:** भगदड़ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को प्रभावित करती है, जिससे परिवार में **आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु** हो जाती है और समुदाय में आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

नोट :

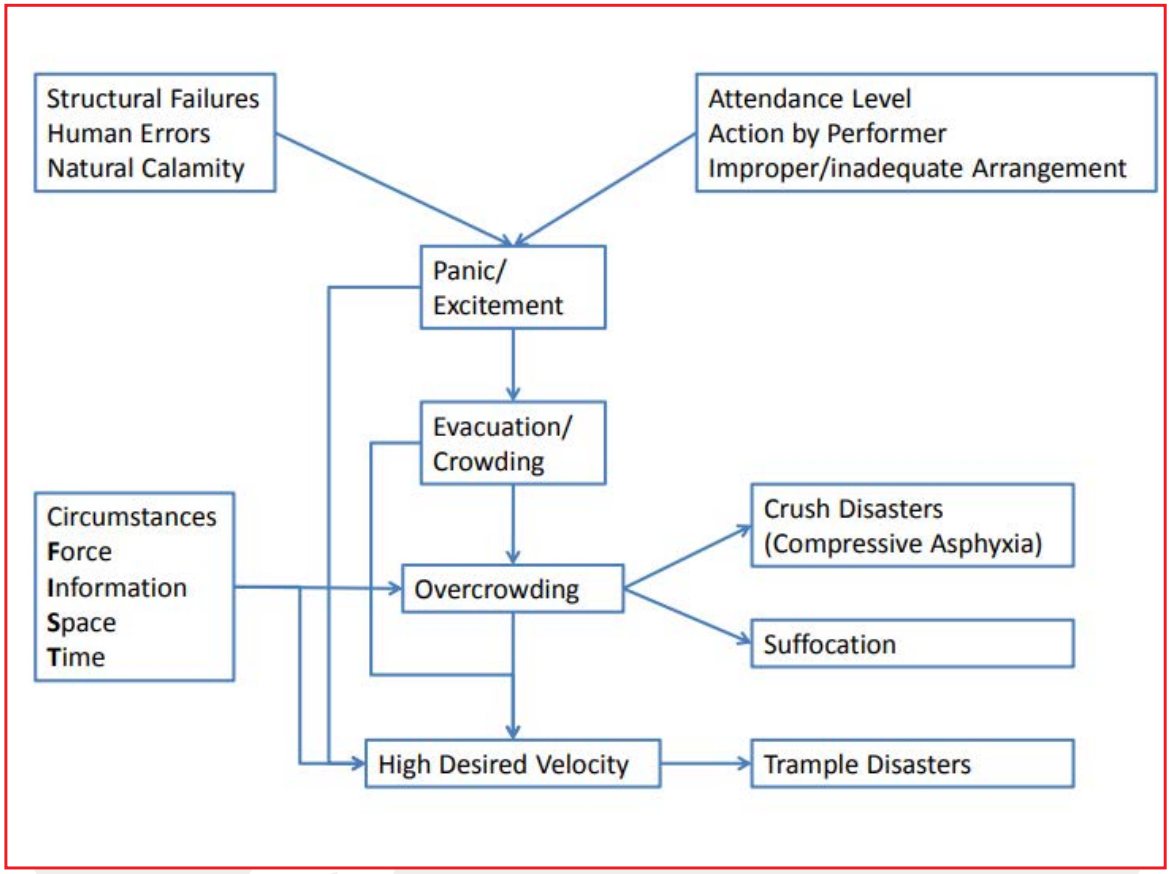

- मृत व्यक्तियों के चिकित्सा व्यय, मुआवज़ा, कानूनी लागत और चोटों के कारण देश की आर्थिक उत्पादकता में कमी आती है।

- **सामाजिक प्रभाव:** भगदड़ जैसे घटनाओं से जनमानस का इवेंट आयोजकों और अधिकारियों में विश्वास की कमी, सामाजिक अशांति और दोष, और समुदाय के मनोबल तथा सामंजस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - ऐसे परिणामों के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जिसके लिये अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने और इसी तरह की घटनाओं को रोकने के प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- **बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव:** यह भौतिक बुनियादी ढाँचे जैसे कि बैरियर और भवनों को क्षति पहुँचा सकता है। बुनियादी ढाँचे की मरम्मत और उन्नयन से जुड़ी लागतों का वहन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

भारत में पहले हुई घातक भगदड़ों की परिस्थितियाँ क्या थीं?

- **माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल (2022):** कश्मीर में एक हिंदू तीर्थयात्रा के दौरान भीड़ उमड़ने से 12 लोगों की मृत्यु हुई।
- **मुंबई पैदल यात्री पुल (2017):** भीड़भाड़ के समय भगदड़ में 22 लोगों की मृत्यु हुई।
- **वाराणसी पुल (2016):** धार्मिक समारोह के लिये भीड़ भरे पुल को पार करते समय 24 लोगों की मृत्यु हुई।
- **गोदावरी नदी (2015):** हिंदू स्नान उत्सव के दौरान भगदड़ में 27 लोगों की मृत्यु हुई।
- **रतनगढ़ मंदिर (2013):** पुल ढहने से हुई भगदड़ में 115 लोगों की मृत्यु हुई।
- **इलाहाबाद रेलवे स्टेशन (2013):** कुंभ मेले के दौरान प्लेटफॉर्म बदलने के कारण 36 लोगों की मृत्यु हुई।
- **जोधपुर मंदिर (2008):** नवरात्र उत्सव के दौरान भगदड़ में 168 लोगों की मृत्यु हुई।
- **नैना देवी मंदिर (2008):** भूस्खलन की अफवाहों के कारण हुई भगदड़ में 145 लोगों की मृत्यु हुई।
- **वाई मंदिर (2005):** भगदड़ और उसके बाद लगी आग में 258 लोगों की मृत्यु हुई।

नोट :

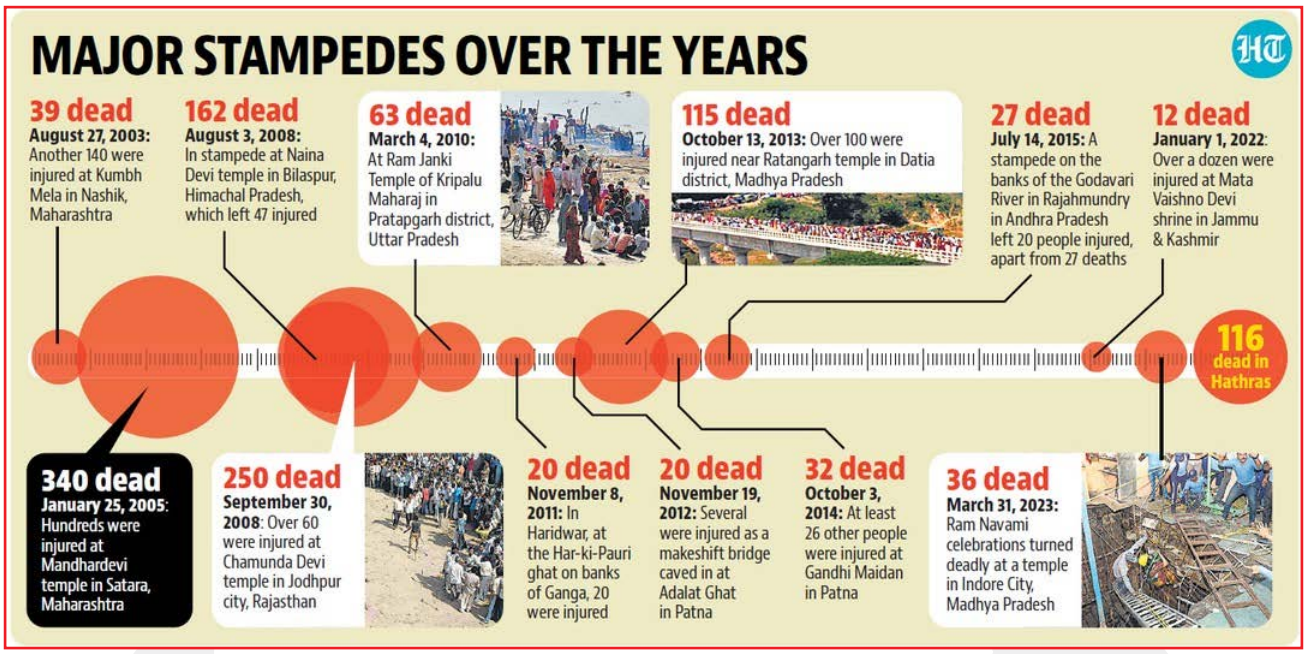

भगदड़ को नियंत्रित करने के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) त्योहारों के दौरान सुरक्षित भीड़ प्रबंधन और सावधानियों के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
  - **यातायात और भीड़ प्रबंधन:** NDMA त्योहारों के दौरान **यातायात को नियंत्रित करने, मार्ग मानचित्र प्रदर्शित करने** और पैदल यात्रियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये बैरिकेड्स का उपयोग करने की सलाह देता है।
  - **सुरक्षा उपाय:** अपराधों को रोकने के लिये **CCTV निगरानी** और पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने पर ज़ोर देते हुए, NDMA ने आयोजकों से अनधिकृत पार्किंग तथा स्टॉल का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने का आग्रह किया।
  - **चिकित्सा संबंधी तैयारियाँ:** NDMA ने **एम्बुलेंस** को स्टैंडबाय पर रखने और चिकित्सा कर्मचारियों को तैयार रखने की सिफारिश की है, साथ ही नज़दीकी अस्पतालों को स्पष्ट संकेत भी दिये हैं।
  - **भीड़ से सुरक्षा के सुझाव:** सभा के दौरान उपस्थित लोगों को निकास मार्गों और शांत व्यवहार के बारे में शिक्षित करते हुए, NDMA ने भगदड़ की स्थिति से निपटने के लिये तैयारियों पर ज़ोर दिया है।
  - **अग्नि सुरक्षा:** NDMA सुरक्षित विद्युत वायरिंग, LPG सिलेंडर के उपयोग की निगरानी तथा आग से बचाव के लिये आतिशबाज़ी के साथ सावधानी बरतने पर प्रकाश डालता है।
  - **आपदा जोखिम न्यूनीकरण:** NDMA आपदा न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (UNISDR) के सहयोग से एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जैसे सरकारी पहलों और आगामी सम्मेलनों का समर्थन करता है, जिसमें आपदा के लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) को मान्यता दी जाती है।
  - **सामुदायिक उत्तरदायित्व:** NDMA आपदा निवारण में सामूहिक उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है तथा उत्सव के आयोजनों के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NDMA **देश में आपदा प्रबंधन के लिये सर्वोच्च वैधानिक निकाय** है। इसे राज्य और ज़िला स्तर पर संस्थागत तंत्र के निर्माण के लिये **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के अनुसार स्थापित किया गया था।
- NDMA **आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों, योजनाओं** और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिये ज़िम्मेदार है, जिसमें रोकथाम, शमन, तैयारी तथा प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य एक सक्रिय और सतत् विकास रणनीति के माध्यम से एक सुरक्षित तथा आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है

नोट :

भगदड़ को रोकने के लिये क्या प्रयास किये जा सकते हैं?

- **वास्तविक समय घनत्व निगरानी (Real-time Density Monitoring):** वास्तविक समय में भीड़ घनत्व की निगरानी के लिये **सेंसर (थर्मल, LiDAR) का एक नेटवर्क** तैनात कर सकते हैं। यह डेटा, भीड़ के बढ़ने का अनुमान लगाने और प्रारंभिक चेतावनियों को ट्रिगर करने के लिये AI मॉडल में फीड किया जा सकता है।
  - टिकट अथवा रिस्टबैंड में **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग** लगाना प्रारंभ करना। यह भीड़ की आवाजाही पर वास्तविक समय में नज़र रखने, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करने और डिस्प्ले के माध्यम से लक्षित संचार को सक्षम बनाने की अनुमति प्रदान करता है।
  - वास्तविक समय में भीड़ की निगरानी के साथ-साथ विसंगति का पता लगाने के लिये **उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों तथा थर्मल इमेजिंग से लैस ड्रोन का उपयोग** करना। ये बड़ी स्क्रीन पर शांतिदायक संदेश या घोषणाएँ भी प्रदर्शित कर सकते हैं।
- **इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम:** भीड़-प्रतिक्रियाशील प्रकाश व्यवस्था लागू करना जो आंदोलन या शांत स्थितियों का मार्गदर्शन करने हेतु भीड़ घनत्व के आधार पर चमक एवं रंग को समायोजित कर सकती है।
  - **बायोल्यूमिनसेंट सामग्रियों** से युक्त रास्ते के साथ वॉक-वे को लागू करना जो **आपात स्थिति के मामले में स्वचालित रूप से उज्ज्वल चमकते** हैं। यह गति को निर्देशित कर सकते है और साथ ही कम रोशनी वाली स्थितियों में घबराहट को भी कम कर सकता है।
- **इंटरैक्टिव संचार डिस्प्ले:** इंटरैक्टिव डिस्प्ले स्थापित करना जो वास्तविक समय में प्रतीक्षा समय, निकासी मार्ग और आवश्यक जानकारी को कई भाषाओं में दिखाएँ।
- **अभियान:** लोगों को भीड़ सुरक्षा प्रोटोकॉल और साथ ही साथ बड़ी सभाओं के दौरान उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाना।

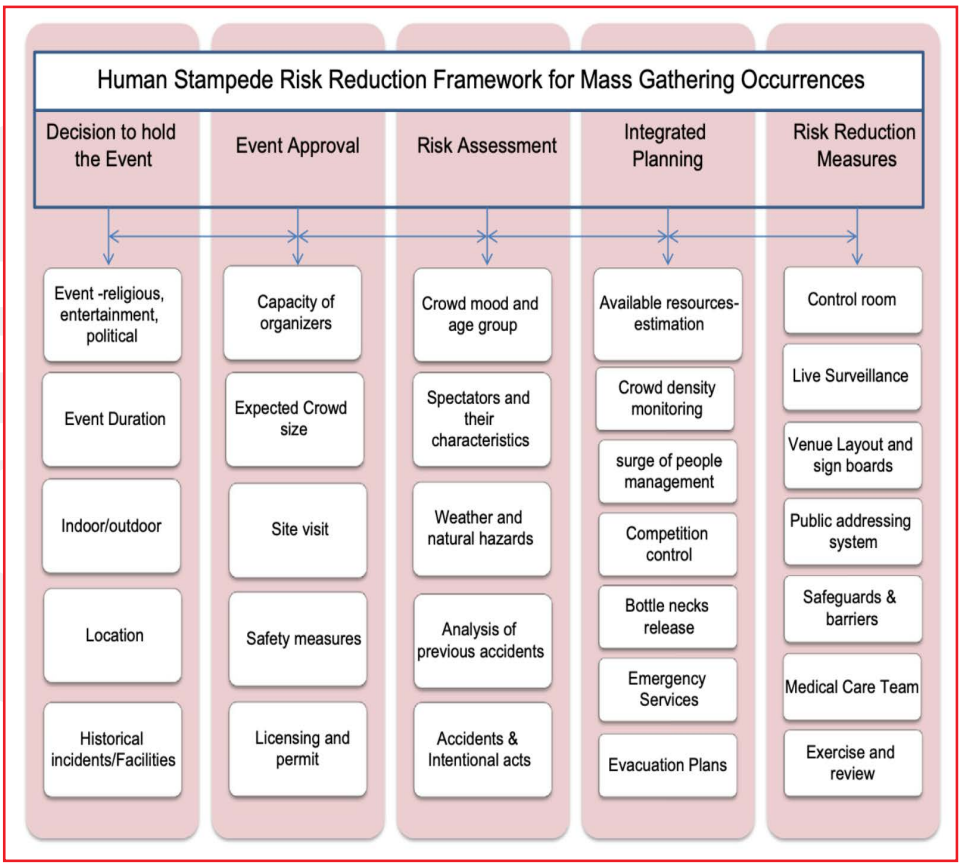

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भगदड़ की रोकथाम के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये। साथ ही इसमें क्या सुधार किये जा सकते हैं?

भारत में सहकारिता और उसका विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री** ने गुजरात में **102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (International Day of Cooperatives)** के अवसर पर आयोजित '**सहकार से समृद्धि**' कार्यक्रम को संबोधित किया।

नोट :

नोट:

- **अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस** प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है।
  - वर्ष 2024 की थीम **"कोऑपरेटिव बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फोर ऑल"** है।
  - यह थीम **संयुक्त राष्ट्र** के आगामी **समिट ऑफ द फ्यूचर** के उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है जिसकी थीम **"मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फोर ए बेटर टुमॉरो"** है।
  - सामाजिक विकास में सहकारिता पर वर्ष 2023 की संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार सहकारिता हमेशा से हाशियाई समूहों सहित सभी व्यक्तियों के **आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य** करती रही है।
  - यह दिवस वर्ष **2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष** का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत में सहकारी समितियों का विकास किस प्रकार हुआ ?

- **परिचय:**
  - सहकारी समितियाँ **जन-केंद्रित उद्यम** हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी **साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं** एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिये किया जाता है।
  - कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 800,000 से अधिक सहकारी समीतियों के साथ भारत का सहकारिता नेटवर्क **विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक** है।
  - कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइज़र्स के वितरण में 35%, चीनी उत्पादन में 31%, गेहूँ की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20% का योगदान सहकारिता क्षेत्र दे रहा है।

- **स्वतंत्रता पूर्व युग में सहकारी समितियाँ:**
  - **भारत में पहला सहकारी अधिनियम: भारतीय अकाल आयोग (1901)** द्वारा वर्ष 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद (संशोधित) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 पारित हुआ।
  - **मैक्लेगन समिति:** वर्ष 1915 में सर एडवर्ड मैक्लेगन की अध्यक्षता में एक समिति को इस विषय का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिये नियुक्त किया गया था कि क्या सहकारी आंदोलन आर्थिक तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं।
  - **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार:** 1919 के **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों** के माध्यम से सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया जिसने इस आंदोलन को और गति प्रदान की।

नोट :

- **आर्थिक मंदी के बाद, 1929:** सहकारी समितियों के पुनर्गठन की संभावनाओं की जाँच करने के लिये मद्रास, बॉम्बे, त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर और पंजाब में विभिन्न समितियों की नियुक्ति की गई।
- **गांधीवादी समाजवादी दर्शन:** गांधीजी के अनुसार, समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिये सहयोग आवश्यक था।
  - उनके अनुसार लोगों को सशक्त बनाने के लिये सहयोग एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
  - **महात्मा गांधी** ने दक्षिण अफ्रीका में **'फीनिक्स सेटलमेंट'** की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी।
  - उन्होंने इस अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित परिवारों के लिये **पुनर्वास सहकारी बस्ती के रूप में टॉल्स्टॉय फार्म** की स्थापना की।

- **स्वतंत्रता के बाद के भारत में सहकारिता:**
  - **प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56):** व्यापक सामुदायिक विकास के लिये सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया।
  - **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002:** बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली हेतु प्रावधान करता है।
    - **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2022** ने **बहु-राज्य सहकारी समितियों** में बोर्ड चुनावों की देख-रेख के लिये सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत की।
  - **97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2011:** सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को **मौलिक अधिकार** के रूप में स्थापित किया गया (अनुच्छेद 19)।
    - सहकारी समितियों पर राज्य की नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया **(अनुच्छेद 43-B)**।
    - संविधान में "सहकारी समितियाँ" शीर्षक से एक नया भाग IX-B जोड़ा गया **(अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)**।
    - **बहु-राज्य सहकारी समितियों (multi-state cooperative societies- MSCS)** को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिये संसद को अधिकार दिया गया और साथ ही अन्य सहकारी समितियों के लिये राज्य विधानसभाओं को अधिकार सौंपा गया।
  - **केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना (2021):** सहकारी मामलों की ज़िम्मेदारी संभाली गई, जिसकी देख-रेख पहले कृषि मंत्रालय करता था।

- **सहकारिता का प्रभाव:**
  - **हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना: गुजरात में अमूल डेयरी सहकारी संस्था**, जिसके 3.6 मिलियन से अधिक दुग्ध उत्पादक हैं (जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों से हैं), दुग्ध के लिये उचित मूल्य उपलब्ध कराकर तथा विशेष रूप से महिलाओं हेतु आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर **ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती** है।
  - **कृषि उत्पादकता और विपणन को बढ़ावा देना: भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited- IFFCO)** विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक है। IFFCO जैसी सहकारी संस्थाएँ **किसानों को उर्वरक,** बीज और ऋण जैसे आवश्यक कृषि इनपुट प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं, जिससे उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि होती है।
  - **आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाना: केरल राज्य दुग्ध विपणन संघ (मिल्मा)**, एक डेयरी सहकारी संस्था है, जो किसानों से दुग्ध खरीदती है और इसे केरल में उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर उपलब्ध कराती है। इससे उत्पादकों के लिये **बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित** होती है तथा लोगों को आवश्यक डेयरी उत्पाद उपलब्ध होते हैं।
  - **समावेशी विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना: नीति आयोग** की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि **महाराष्ट्र में चीनी सहकारी समितियाँ** 5 लाख से अधिक लोगों (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष) को रोज़गार प्रदान करती हैं, जो ग्रामीण रोज़गार सृजन एवं आय सृजन में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।

सहकारिता को मज़बूत करने के लिये सरकारी पहल

- **UCB के लिये अम्ब्रेला संगठन:** RBI ने UCB क्षेत्र के लिये एक अम्ब्रेला संगठन (Umbrella Organization- UO) के गठन हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (National Federation of Urban Co-operative Banks and Credit Societies Ltd.- NAFCUB) को मंज़ूरी दे दी है, जो लगभग 1,500 UCB को आवश्यक IT बुनियादी ढाँचा और परिचालन सहायता प्रदान करेगा।

नोट :

- **पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना:**
  - **PACS के लिये आदर्श उपनियम,** जिससे वे बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएँ बन सकें।
  - **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना (2023)।**
  - सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि **वर्ष 2029 तक प्रत्येक पंचायत में एक PACS हो,** जिससे प्रधानमंत्री मोदी के 'सहकार से समृद्धि' (सहयोग से समृद्धि) के दृष्टिकोण को पूरा किया जा सके।
- **अन्य पहल:**
  - प्रामाणिक एवं अद्यतन डेटा संग्रह हेतु राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस।
  - सहकारी कल्याण के लिये **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation- NCDC)** द्वारा 2000 करोड़ रुपए के बांड जारी किये गए।
  - सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर 'खरीदार' के रूप में शामिल करना।
  - NCDC का विस्तार कर इसकी सीमा और गहराई बढ़ाई जाएगी।
  - **राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (National Cooperative Organic Limited- NCOL)** की स्थापना जैविक खेती को बढ़ावा देने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये की गई थी।
  - **भारत ऑर्गेनिक आटा** का शुभारंभ।

सहकारी समितियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं ?

- **शासन संबंधी चुनौतियाँ:** सहकारी समितियाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की कमी की चुनौतियों से जूझती हैं।
  - सदस्यों की सीमित भागीदारी, हाशिए पर पड़े समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा कुछ व्यक्तियों के पास सत्ता का संकेंद्रण सहकारी उद्यमों की समावेशी प्रकृति को कमज़ोर कर सकता है।
- **वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच:** कई सहकारी समितियाँ, खास तौर पर हाशिये पर पड़े समुदायों की सेवा करने वाली, वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करती हैं। उनके पास अक्सर पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक या औपचारिक दस्तावेज़ों की कमी होती है, जिससे ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और बहिष्कार:** सहकारी समितियों को अक्सर समावेशिता की कमी, संरचनात्मक असमानताओं आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:** बुनियादी ढाँचे की कमी और कनेक्टिविटी की कमी उनकी दक्षता तथा प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिससे पहुँच सीमित हो जाती है।
- **तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का अभाव:** प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों का अभाव एक तथा चुनौती है, जिसके कारण मानव संसाधन पुराने हो जाते हैं।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक:** संभावित सदस्यों के बीच सहकारी मॉडल और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी उनकी भागीदारी को सीमित करती है।
  - कुछ मामलों में, सामाजिक पदानुक्रम और जाति-आधारित विभाजन सहकारी समितियों के भीतर न्यायसंगत भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व के लिये बाधाएँ पैदा करते हैं।

आगे की राह

- वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू करें, नियमित ऑडिट करें और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
- हाशिये पर पड़े समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये लचीली संपार्श्विक आवश्यकताओं के साथ सहकारी विकास निधि स्थापित करें। सहकारी समितियों को **क्राउडफ़ंडिंग, सामाजिक प्रभाव बॉण्ड** और अन्य अभिनव वित्तपोषण समाधानों का पता लगाने के लिये प्रोत्साहित करें।
- **हाशिये पर पड़े समुदायों के सदस्यों को शिक्षित करने** और आकर्षित करने के लिये आउटरीच कार्यक्रम तैयार करें, जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं तथा चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास में सरकारी निवेश की वकालत करें, सहकारी समितियों के लिये कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुँच में सुधार करें।
- सहकारी सदस्यों और प्रबंधकों के लिये कौशल निर्माण कार्यशालाओं की पेशकश करने के लिये सरकारी एजेंसियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी करें।
- संभावित सदस्यों को सहकारी समितियों के लाभों और सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करने के लिये **स्थानीय भाषाओं में लक्षित जागरूकता अभियान** शुरू करें।

नोट :

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने के लिये इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

ट्रांस फैट और अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि पर वैश्विक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (**World Health Organization- WHO**) ने वैश्विक **ट्रांस वसा या ट्रांस फैट** उन्मूलन की दिशा में प्रगति पर **फिफ्टी माइलस्टोन रिपोर्ट** प्रकाशित की है, जिसमें वर्ष 2018-2023 की अवधि शामिल है।

- एक अन्य घटनाक्रम में, ***लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल*** में एक लेख प्रकाशित हुआ, जो बताता है कि वर्ष 2022 में भारत में लगभग 50% वयस्क अपर्याप्त स्तर की शारीरिक गतिविधियों **में संलग्न** होंगे।

ट्रांस फैट पर WHO रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- औद्योगिक रूप से उत्पादित **ट्रांस फैट एसिड (TFA)** को हृदय रोग के लिये प्रमुख कारण माना जाता है। **TFA से कोई पोषण संबंधी लाभ नहीं मिलता है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।**
- वर्ष 2018 में WHO ने वर्ष **2023 के अंत** तक **वैश्विक खाद्य आपूर्ति से TFA को खत्म करने का लक्ष्य** रखा था। हालाँकि लक्ष्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, लेकिन उल्लेखनीय प्रगति हुई है और वर्ष 2025 तक निरंतर उन्मूलन हासिल कर लिया जाएगा।
- वर्ष 2023 तक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के **REPLACE एक्शन फ्रेमवर्क** ने 53 देशों में सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को व्यापक रूप से अपनाने में मदद की, जिससे 3.7 बिलियन लोग प्रभावित हुए, जो पाँच साल पहले 6% कवरेज से काफी अधिक है।
- WHO ने TFA उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने वाले देशों को मान्यता देने के लिये एक **सत्यापन कार्यक्रम** शुरू किया। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड TFA सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले **पहले देश** थे।
- WHO सभी देशों को सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू करने, सत्यापन कार्यक्रम में शामिल होने और कंपनियों को वैश्विक स्तर पर TFA को खत्म तथा उत्पादों को फिर से तैयार करने के लिये प्रोत्साहित करने की सिफारिश करता है।
  - केवल आठ अतिरिक्त देशों (अज़रबैजान और चीन सहित) में सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू करने से **वैश्विक TFA बोझ का 90% समाप्त** हो जाएगा।

अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि पर लैंसेट पेपर के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि की परिभाषा यह है कि **प्रति सप्ताह कम-से-कम 150 मिनट मध्यम-तीव्रता या 75 मिनट तीव्र-तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि** नहीं की जाती।
- वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2022 में लगभग **एक तिहाई (31.3%) वयस्क अपर्याप्त रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय** थे, जबकि वर्ष 2010 में यह संख्या 26.4% थी।
- वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के मामले में दक्षिण एशिया, उच्च आय वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाद, **विश्व स्तर पर दूसरे स्थान** पर है। भारत में, 57% महिलाएँ अपर्याप्त रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय पाई गईं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 42% था।
  - अनुमानों से पता चलता है कि यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो **वर्ष 2030 तक 60% भारतीय वयस्क अपर्याप्त** रूप से सक्रिय हो सकते हैं।
- शारीरिक निष्क्रियता मधुमेह और हृदय रोग जैसी गैर-संचारी रोगों के जोखिम को बढ़ाती है। शारीरिक निष्क्रियता में वृद्धि, साथ ही **गतिहीन जीवनशैली,** इन रोगों के प्रसार में योगदान देती है और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर बोझ डालती है।

नोट:

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-भारत मधुमेह **(ICMR-INDIAB)** द्वारा वर्ष 2023 में किये गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 में भारत में:
  - 101 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं।
  - 315 मिलियन लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं।
  - 254 मिलियन लोग मोटापे से पीड़ित हैं।
  - 185 मिलियन लोग LDL या 'खराब' कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से पीड़ित हैं।

ट्रांस फैट

- ट्रांस फैट या ट्रांस-फैटी एसिड **असंतृप्त फैटी एसिड** होते हैं जो प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों से आते हैं।

नोट :

- प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ट्रांस-फैट जुगाली करने वाले **पशुओं (गाय और भेड़)** से आता है।
- औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-वसा एक **औद्योगिक प्रक्रिया** में बनती है जिसमें वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाकर तरल को ठोस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप "आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत" तेल बनता है।

स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिये भारत की पहल

- 'खेलो इंडिया' योजना
- राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को सहायता योजना
- ईट राइट इंडिया मूवमेंट
- फिट इंडिया मूवमेंट

■■■

जनसंख्या के बीच स्वस्थ जीवनशैली सुनिश्चित करने के लिये क्या किया जा सकता है ?

- खाद्य पदार्थों के लेबल पर **"आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों" की जाँच** करना, जो **ट्रांस फैट का संकेत** देते हैं और साथ ही हेल्थी फैट जैसे **जैतून का तेल, एवोकाडो, नट्स एवं वसायुक्त मछली** का चयन करना।
- **WHO सुझाव** के अनुसार सप्ताह कम-से-कम 150 मिनट सामान्य तरीके से व्यायाम या 75 मिनट तेज़ी से व्यायाम करना। दिनभर बैठे रहने वाले व्यक्ति समय को छोटी-छोटी सैर या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।
- महिलाओं के लिये सुरक्षित पैदल पथ एवं फिटनेस कक्षाओं जैसी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसरों को प्रोत्साहित करने के साथ ही **विशेष रूप से महिलाओं हेतु व्यायाम के स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा** देना।
- **शैक्षणिक अभियानों के माध्यम से ट्रांस फैट के खतरों एवं शारीरिक गतिविधि के महत्त्व के बारे में जागरूकता** बढ़ाना और साथ ही संदेश के विस्तार हेतु स्कूलों, कार्यस्थलों एवं सामुदायिक केंद्रों के साथ भागीदारी करना।
- **प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट को सीमित करने के लिये** मज़बूत सरकारी नियमों का समर्थन करना। पैदल चलने योग्य मार्ग निर्माण एवं सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाओं जैसी शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करना।

नोट :

भारतीय राजनीति

उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 9 छात्राओं ने **कॉलेज में लागू किये गए नए ड्रेस कोड** को चुनौती देते हुए **बॉम्बे** उच्च न्यायालय में **याचिका** दायर की जिसे न्यायालय ने **खारिज कर दिया।** नए ड्रेस कोड के तहत कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का, नकाब और धार्मिक पहचान दर्शाने वाले अन्य साधन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ड्रेस कोड का निर्णय छात्रों के **व्यापक शैक्षणिक हित** को ध्यान में रखकर लिया गया था।

नोट:

- हाल ही में **ताजिकिस्तान** ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के लिये **हिजाब पर प्रतिबंध** लगाया जबकि वहाँ की 95% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम है।
- विभिन्न स्तर के प्रतिबंधों के साथ, यह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, फ्राँस, कनाडा, कज़ाकिस्तान, कोसोवो, किर्गिज़स्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान में भी प्रतिबंधित है।

- **ईरान हिजाब आंदोलन:**
  - ईरानी महिलाएँ हिजाब पहनने अथवा या न पहनने के अधिकार के लिये हमेशा से ही संघर्षरत रही हैं। वर्ष 1979 की क्रांति के बाद महिलाओं के लिये हिजाब अनिवार्य कर दिया गया जिसका लोगों ने विरोध किया। महिलाओं ने विभिन्न माध्यमों से लगातार इसका विरोध किया है, जिसमें **"गर्ल ऑफ एंगेलाब स्ट्रीट"** (जहाँ एक महिला ने अपने सफेद हेडस्कार्फ को एक छड़ी से बाँधकर हवा में लहराया, यह अनिवार्य हिजाब के विरूद्ध विरोध का एक मूक प्रदर्शन था) और **महसा अमिनी** की मृत्यु जैसी प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं, जिसने चल रहे प्रतिरोध के लिये उत्प्रेरक का काम किया। सरकार के आदेश प्रवर्तन के बाद भी यह आंदोलन जारी है, जिसमें कई ईरानी, पुरुष तथा महिलाएँ दोनों, **अनिवार्य हिजाब का विरोध** कर रहे हैं।
  - ईरान में **नए कानून** के माध्यम से **ईरानी महिलाओं के लिये हिजाब पहनना अनिवार्य** कर दिया गया है तथा इस ड्रेस कोड का अनुपालन न करने वालों के जुर्माने और कारावास का प्रावधान किया गया है।

मुख्य तर्क और न्यायालय का निर्णय क्या था ?

- **छात्रों के तर्क:**
  - छात्रों ने तर्क दिया कि **कॉलेज का ड्रेस कोड** उनकी **धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार** का उल्लंघन करता है। उनके अनुसार कॉलेज के पास इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है, विशेषकर तब जब यह अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करता है।
    - छात्रों ने तर्क दिया कि कॉलेज का नया ड्रेस कोड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) **(अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार)** और अनुच्छेद 25 **(धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)** का उल्लंघन करते हैं।
    - उन्होंने यह भी दावा किया कि यह निर्णय **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012** का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य **SC, ST, OBC** और **अल्पसंख्यक समुदायों** के लिये उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना है।
- **कॉलेज प्रशासन के तर्क:**
  - हालाँकि, **कॉलेज प्रशासन ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड सभी छात्रों पर लागू होता है,** चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों। उन्होंने कहा कि नियमों के पीछे का उद्देश्य छात्रों के धर्म को उजागर न करना है।
    - उन्होंने **कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2022** के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि हिजाब या नकाब पहनना इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के लिये **"आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है"।**
    - कॉलेज ने यह भी कहा कि यह **एक आंतरिक मामला** है और **अनुशासन बनाए रखने के उसके अधिकार का हिस्सा है।**
    - इसने माना कि **ड्रेस कोड**, जिसमें लड़कियों के लिये **"कोई भी भारतीय/पश्चिमी असभ्य (non-revealing) ड्रेस" निर्धारित की गई है,** धार्मिक और सामुदायिक सीमाओं से परे सभी छात्रों पर लागू होता है।

नोट :

- **बंबई उच्च न्यायालय का फैसला:**
  - बॉम्बे उच्च न्यायालय ने छात्राओं के **इस तर्क को खारिज कर दिया** कि हिजाब पहनना एक **"आवश्यक धार्मिक प्रथा"** है तथा इस बात पर बल दिया कि **ड्रेस कोड** सभी छात्राओं पर समान रूप से लागू होता है, **चाहे उनकी "जाति, पंथ, धर्म या भाषा" कुछ भी हो,** जो उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है।
  - न्यायालय ने कहा कि **छात्र के पोशाक के चयन के अधिकार और अनुशासन बनाए रखने के संस्थान के अधिकार के बीच, कॉलेज के "बड़े अधिकारों" को प्राथमिकता दी जानी चाहिये,** क्योंकि छात्रों से शैक्षणिक उन्नति के लिये संस्थान में आने की अपेक्षा की जाती है।
  - अदालत ने ***रेशम बनाम कर्नाटक राज्य, 2022*** पर **कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्ष 2022 के फैसले पर भरोसा किया और उसके साथ "पूर्ण सहमति" व्यक्त की, जिसमें सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को वैध ठहराया गया था।**
- **सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती:**
  - हालाँकि, हिजाब प्रतिबंध पर **कर्नाटक उच्च न्यायालय** का फैसला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है, **जहाँ 2 जजों की पीठ ने** अक्तूबर 2022 में विभाजित फैसला सुनाया। मामला अब **सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच या पीठ को सौंप दिया गया है।**
    - **बंबई उच्च न्यायालय** के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दिये जाने की संभावना है।

कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया

- वर्ष 2022 में, कर्नाटक सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब **(सिर ढकने वाला कपड़ा)** पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया।
- आदेश में **कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133(2)** का हवाला दिया गया, जो राज्य को सरकारी स्कूलों के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
- वर्ष 2013 में राज्य ने इस प्रावधान का **इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म** को अनिवार्य बना दिया था। नवीनतम आदेश में कहा गया है कि **हिजाब मुसलमानों के लिये एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा** नहीं है जिसे संविधान के तहत संरक्षित किया जा सके।

हिजाब के मुद्दे पर अब तक अदालतों ने क्या निर्णय दिया है?

- **बॉम्बे उच्च न्यायालय, 2003:**
  - **फातिमा हुसैन सईद बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी** मामले में न्यायालय ने माना कि कुरान में सिर पर दुपट्टा पहनने का निर्देश नहीं दिया गया है तथा यदि **कोई छात्रा सिर पर दुपट्टा नहीं पहनती है तो इसे इस्लामी आदेशों का उल्लंघन नहीं माना** जा सकता।
- **2015 केरल उच्च न्यायालय के मामले:**
  - दो याचिकाओं में **अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा** के लिये ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी, जिसमें आधे आस्तीन वाले हल्के कपड़े और जूतों के स्थान पर चप्पल पहनने की बात कही गई थी।
  - **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of School Education- CBSE)** ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड अनुचित व्यवहार को रोकने के लिये बनाया गया है।
    - केरल उच्च न्यायालय ने CBSE को धार्मिक पोशाक पहनने के इच्छुक छात्रों के लिये अतिरिक्त उपाय लागू करने का निर्देश दिया।
- ***आमना बिंट बशीर बनाम CBSE, 2016:***
  - इस मामले में न्यायालय ने माना कि **हिजाब पहनने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन CBSE नियम को रद्द नहीं किया** गया। न्यायालय ने एक बार फिर वर्ष 2015 में "अतिरिक्त उपायों" और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी।
- **केरल उच्च न्यायालय, 2018:**
  - **फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य मामले** में न्यायालय ने ईसाई मिशनरी स्कूल के सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति न देने के निर्णय के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के **"सामूहिक अधिकारों"** को व्यक्तिगत छात्र अधिकारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

नोट :

हिजाब प्रतिबंध पर सर्वोच्च न्यायालय का विभाजित फैसला:

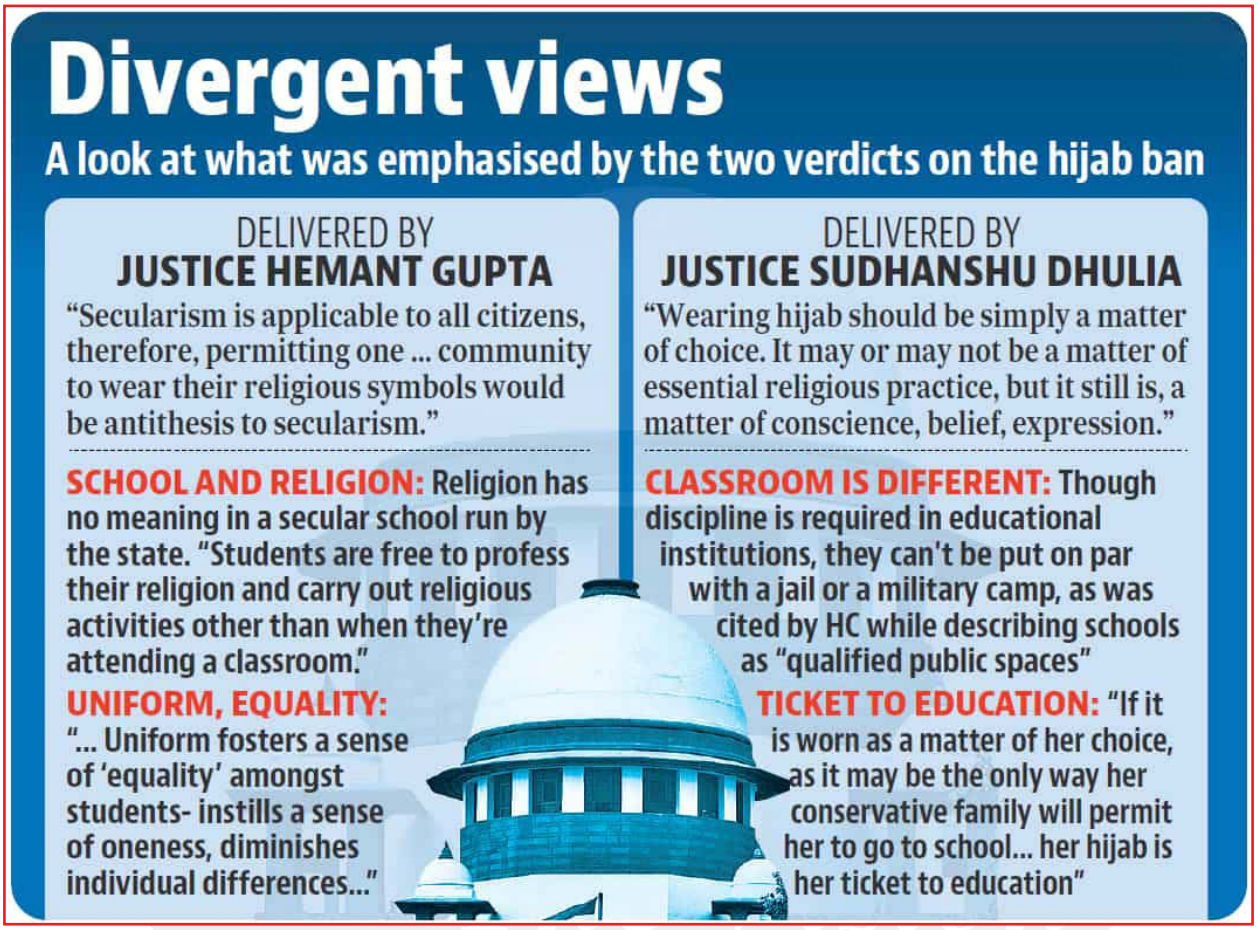

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिये संवैधानिक ढाँचा क्या है ?

- **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार:** संविधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) के अनुच्छेद 25-28 सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं।
  - **अनुच्छेद 25(1): 'अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार'** की गारंटी देता है। यह अधिकार स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की गारंटी देता है- जिसका अर्थ है कि **राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न हो।**
  - **अनुच्छेद 26:** यह लेख सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन **"धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता"** प्रदान करता है।
    - यह धार्मिक संप्रदायों को **धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये संस्थान स्थापित करने और साथ ही उन्हें बनाए रखने की अनुमति** प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद 27: **किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख-रखाव में व्यय करने के लिये कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं** किया जाएगा।
  - अनुच्छेद 28: यह प्रावधान **उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन** हुई हो।
    - राज्य (भारत का क्षेत्र) निधियों से **पूर्णत: पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं** दी जाए।
- इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30 **अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण** से संबंधित हैं।

नोट :

आगे की राह

- **न्यायिक सहमति तथा सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:** उच्च न्यायालय के निर्णयों को सरेखित करना एक उभरते न्यायिक दृष्टिकोण का संकेत प्रदान कर सकता है। स्पष्ट कानूनी ढाँचे के लिये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महत्त्वपूर्ण होगा।
- **अधिकारों तथा संस्थागत आवश्यकताओं में संतुलन:** चुनौती **व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता एवं संस्थानों की ड्रेस कोड लागू करने की स्वायत्तता के बीच संतुलन** बनाने में है। प्रत्येक शैक्षणिक संदर्भ में इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
- व्यापक दिशा-निर्देश एवं समावेशिता: राष्ट्रीय स्तर पर ड्रेस कोड संबंधी दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण UGC की ओर से स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता है, ताकि एकरूपता सुनिश्चित हो सके और साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा भी हो सके।
  - **समावेशिता को बढ़ावा** देने के साथ-साथ **विविध धार्मिक प्रथाओं से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये सभी हितधारकों को शामिल** करते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से ड्रेस कोड तैयार करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय हिजाब विवाद में एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड विनियमन की अनुमति पर न्यायालय के रुख की पुष्टि करता है। हालाँकि इसके लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो छात्रों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखे और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता के साथ-साथ शैक्षणिक हितों को भी सुरक्षित रखे।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में हिजाब विवाद को लेकर चल रही कानूनी और सामाजिक बहस पर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय के संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

चर्चा में क्यों

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) ने हाल ही में **भारत में धर्मांतरण** के मुद्दे पर विचार किया तथा बहुसंख्यक आबादी पर इसके संभावित जनसांख्यिकीय प्रभाव पर प्रकाश डाला।

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021** और **भारतीय दंड संहिता (IPC)** की धाराओं (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण) के तहत दर्ज एक व्यक्ति की ज़मानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं।
- यह मामला धार्मिक प्रचार की संवैधानिक सीमाओं पर अदालत के रुख और गैरकानूनी धर्मांतरण गतिविधियों पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ हैं?

- न्यायालय ने कहा कि **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25**, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, **धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है, लेकिन धर्म के प्रचार की अनुमति देता है।**
  - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **"प्रचार"** का अर्थ किसी धर्म को बढ़ावा देना है, लेकिन इसका अर्थ किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना नहीं है।
- न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि यदि इस प्रकार के धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई गई तो भारत में बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन सकती है तथा न्यायालय ने इन धर्मांतरणों के कारण बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक बनने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
- न्यायालय ने कहा कि गैरकानूनी धर्मांतरण, विशेष रूप से **अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों** और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को निशाना बनाकर, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है।
- न्यायालय ने सिफारिश की कि जिन धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण हो रहा है, उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिये।

धर्म परिवर्तन से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 25:** सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, **अंत:करण की स्वतंत्रता** तथा **धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने** एवं **प्रचार करने** के अधिकार की गारंटी देता है। राज्य धार्मिक अभ्यास से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है।
  - यह धार्मिक आचरण से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के विनियमन और **हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों तथा तबकों के लिये खोलने की भी अनुमति देता है।**
- **अनुच्छेद 26:** प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को **सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता** और **स्वास्थ्य** के अधीन अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 27-30:** धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, किसी भी धर्म के लिये आर्थिक योगदान देने तथा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी।

नोट :

उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021

- इसका उद्देश्य **धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करना तथा गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, ज़बरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से किये गए धर्मांतरण पर रोक** लगाना है।
- अवैध धर्मांतरण के लिये मानक सज़ा 1-5 वर्ष की कैद और कम-से-कम 15,000 रुपए का जुर्माना है। यदि पीड़ित महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति है, तो सज़ा कम-से-कम 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 2-10 वर्ष तक बढ़ जाती है।
  - सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में सज़ा 3-10 वर्ष की कैद और न्यूनतम 50,000 रुपए का जुर्माना है।
- बार-बार अपराध करने वालों को संबंधित सज़ा से दोगुनी सज़ा हो सकती है। **विधि-विरुद्ध धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया कोई भी विवाह अमान्य घोषित कर दिया जाता है।**

सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन की व्याख्या कैसे की है?

- **रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1977:** धर्मांतरण विरोधी कानूनों को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 25(1) दूसरों का धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रदर्शन के माध्यम से अपने धर्म को प्रसारित या फैलाने का अधिकार देता है।
- ***सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, 1995 और लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2000: न्यायालय ने माना कि केवल बहुविवाह के लिये इस्लाम में धर्मांतरण अवैध है।***
- **एम. चंद्रा बनाम एम. थंगमुथु एवं अन्य, 2010:** धर्मांतरण और नए समुदाय में स्वीकृति दोनों के साक्ष्य की आवश्यकता स्थापित की गई।
- **ग्राहम स्टेन्स केस, 2011:** कहा गया कि किसी को बल, उकसावे के माध्यम से धर्मांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है।
- **गोपनीयता का अधिकार मामला, 2017: धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर** ज़ोर दिया गया, जिसमें विश्वास को चुनने और व्यक्त करने की क्षमता भी शामिल है तथा इस बात पर ज़ोर दिया गया कि राज्य का हस्तक्षेप आनुपातिक होना चाहिये।

नोट: सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक **अनुच्छेद 25 के अंतर्गत "प्रचार" की कानूनी व्याख्या पर कोई निश्चित निर्णय** नहीं दिया है

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून क्या हैं?

- **परिचय:** भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून ऐसे नियम हैं **जो व्यक्तियों को बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या प्रलोभन** जैसे माध्यमों से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरित होने से रोकने का प्रयास करते हैं।
  - इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **धार्मिक परिवर्तन स्वैच्छिक हो, न कि ज़बरदस्ती किया गया हो,** ताकि व्यक्तियों को अपने धर्म को बदलने के लिये दबाव डाले जाने या गुमराह किये जाने से बचाया जा सके।
- **धर्मांतरण विरोधी कानून का ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - **स्वतंत्रता-पूर्व काल:** भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले, **कई रियासतों ने मिशनरी गतिविधियों और ईसाई धर्म में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिये** धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए थे।
    - **उदाहरण:** रायगढ़ राज्य धर्मांतरण अधिनियम (1936), पटना धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (1942), सरगुजा राज्य धर्मत्याग अधिनियम (1945) और उदयपुर राज्य धर्मांतरण विरोधी अधिनियम (1946)।
  - **स्वतंत्रता के बाद के प्रयास:** धर्म परिवर्तन पर केंद्रीय कानून पारित करने के प्रयास बार-बार विफल रहे हैं।
    - **भारतीय धर्मांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक (1954),** पिछड़ा समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक (1960) और अखिल भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक (1978)।
    - इन असफलताओं के बावजूद, **कई राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने स्वयं के धर्मांतरण** विरोधी कानून बनाए हैं।
  - **राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून:**
    - ओडिशा (1967): धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करने, बलपूर्वक धर्मांतरण और धोखाधड़ी के तरीकों पर रोक लगाने वाला कानून बनाने वाला पहला राज्य।
    - **मध्य प्रदेश (1968):** मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत कानून के तहत किसी भी धर्मांतरण गतिविधि के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट को अधिसूचना देना आवश्यक कर दिया गया।
    - अरुणाचल प्रदेश (1978), गुजरात (2003), छत्तीसगढ़ (2000 और 2006), राजस्थान (2006 तथा 2008), हिमाचल प्रदेश (2006 एवं 2019), तमिलनाडु (2002-2004), झारखंड (2017), उत्तराखंड (2018), उत्तर प्रदेश (2021) व **हरियाणा (2022)**।

नोट :

- इन राज्यों ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक रूपांतरणों पर रोक लगाने के लिये कानून बनाए हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिये दंड बढ़ाया गया है।
- **केंद्र का मत:** केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को दिये एक हलफनामे में कहा कि **धर्म के अधिकार में दूसरों को, विशेष रूप से धोखाधड़ी या बलपूर्वक माध्यम से धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है।**
  - उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 25 की व्याख्या का उल्लेख करते हुए बल दिया कि धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन व्यक्ति की अंत:करण की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और लोक व्यवस्था को बाधित कर सकता है।
  - केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वह याचिका में किये गए अनुरोध के अनुसार धार्मिक धर्मांतरण पर कोई विशेष कानून पेश करेगा।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **संवैधानिक चिंताएँ:** भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के लिये प्राथमिक चुनौती उनकी संवैधानिकता, विशेष रूप से भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त **मूल अधिकारों** से संबंधित है।
- आलोचकों का तर्क है कि ये कानून अनुच्छेद 19, 21 और 25 में निहित **धर्म, अभिव्यक्ति और निजता की स्वतंत्रता** के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं
- वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून, 2006 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया। इसने **निजता के अधिकार को बरकरार रखते हुए अभिनिर्धारित किया कि ज़िला मजिस्ट्रेट को एक माह का नोटिस देने की आवश्यकता इस अधिकार का उल्लंघन** करती है
- वर्ष 2021 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने **गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003** के प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें **धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के आधार के रूप में विवाह को शामिल** करने के लिये संशोधन **किया गया था।**
- **न्यायालय ने चयन के अधिकार को बरकरार रखते हुए निर्णय दिया कि इस अधिनियम से यह धारणा बनती है कि धर्मांतरण के बाद अंतर-धार्मिक विवाह को अवैध माना जा सकता है।**
- **साक्ष्य का भार:** धर्मांतरण विरोधी कानून से, **धर्मांतरण अवैध तरीकों का उपयोग करके नहीं किये जाने** को साबित करने **का भार** अभियुक्त पर आता है।
- **अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रभाव:** हाल ही में राज्य कानून संशोधनों में ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया है जिनमें केवल शादी के उद्देश्य से धर्मांतरण शामिल है।
- आलोचकों का तर्क है कि ये प्रावधान धार्मिक मतभेदों की परवाह किये बिना स्वतंत्र रूप से विवाह करने और जीवन साथी चुनने के व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं।
- **दुरुपयोग और निशाना बनाने के आरोप:** आलोचकों का तर्क है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का प्राय: **धार्मिक अल्पसंख्यकों और असहमति जताने वालों को निशाना बनाने** के लिये दुरुपयोग किया जाता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने तथा दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं जैसे सुभेद्य समूहों के साथ भेदभाव की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

- व्यक्तिपरक व्याख्याएँ और संभावित दुरुपयोग को कम करने के लिये धर्मांतरण विरोधी कानूनों में "बल", "प्रलोभन" तथा "ज़बरन" जैसे **अस्पष्ट पदों की स्पष्ट परिभाषाओं का उल्लेख** किया जाना चाहिये।
- धर्मांतरण विरोधी कानूनों में **निर्दोषता की उपधारणा के सिद्धांत** (किसी भी अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए) को बनाए रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- भ्रम और संभावित दुरुपयोग से बचने के लिये **सभी राज्यों में एक समान नियम** स्थापित किये जाने चाहिये।
- जबरन धर्मांतरण से सुरक्षा प्रदान करते हुए वैयक्तिक स्वतंत्रता हेतु **धर्मांतरण पर एक राष्ट्रीय ढाँचा** स्थापित किया जाना चाहिये।
  - यह अधिक एकरूपता प्रदान कर सकता है और संभावित रूप से राज्य स्तर पर दुरुपयोग को रोक सकता है।
- धार्मिक समूहों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिये **अंतर-धार्मिक संवाद कार्यक्रमों और शैक्षिक पहलों** को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर धर्मांतरण विरोधी कानूनों के सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। ये कानून सांप्रदायिक सद्भाव और वैयक्तिक स्वतंत्रता के विषयों से किस प्रकार संबंधित हैं?

शहरी वित्त और 16वें वित्त आयोग का मुद्दा

चर्चा में क्यों?

भारत में 16वें वित्त आयोग (Finance Commission-FC) से संबंधित हाल के घटनाक्रमों ने राजकोषीय विकेंद्रीकरण से

संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है, **विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों** और संघीय ढाँचे के भीतर उनकी **वित्तीय स्थिरता** पर ध्यान केंद्रित किया है।

- विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगले दशक में बुनियादी शहरी बुनियादी ढाँचे के लिये **840 बिलियन अमरीकी डॉलर** की आवश्यकता होगी।

शहरी क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता संबंधी मुद्दे क्या हैं?

- **शहरीकरण की चुनौतियाँ:** भारत के शहरी क्षेत्र, जो भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में 66% और कुल सरकारी राजस्व में लगभग 90% का योगदान करते हैं**, भारी बुनियादी ढाँचे तथा वित्तीय चुनौतियों का सामना करते हैं।
  - महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र होने के बावजूद, **शहरों को अपर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है तथा** अंतर-सरकारी हस्तांतरण **सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.5% होता है,** जिससे आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने और बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- **वित्तीय हस्तांतरण मुद्दे:** शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि का हस्तांतरण अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है।
  - उदाहरण के लिये, **दक्षिण अफ्रीका** अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.6%, मेक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% और ब्राज़ील 5.1% अपने शहरों को आवंटित करता है।
  - यह कमी **शहरी उत्पादकता** और **जीवन की गुणवत्ता** को प्रभावित करती है, जो कि **GST** की शुरुआत से और भी बदतर हो गई है, जिसने **ULB** के अपने कर राजस्व को कम कर दिया है।
- **संसाधनों का दोहन:** 221 नगर निगमों (2020-21) के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वेक्षण से पता चला है कि इनमें से **70% से अधिक निगमों** के राजस्व में गिरावट देखी गई, जबकि इसके विपरीत, उनके व्यय में लगभग 71.2% की वृद्धि हुई।
  - RBI की रिपोर्ट में संपत्ति कर के सीमित कवरेज और नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने में इसकी विफलता पर भी प्रकाश डाला गया है।
  - आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अनुसार **भारत में संपत्ति कर संग्रह दर (GDP अनुपात में संपत्ति कर) दुनिया में सबसे कम है।**
- **अनुदान में कमी:** विशेषज्ञों का तर्क है कि **GST ने न केवल चुंगी समाप्त कर दी,** बल्कि कई छोटे उद्यमियों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप **शहरी स्थानीय निकायों के कर राजस्व में उल्लेखनीय कमी** देखी गई।
  - पहले शहरी केंद्रों के **कुल राजस्व व्यय का लगभग 55% चुंगी** से पूरा किया जाता था, जो अब काफी कम हो गया है।
- **अन्य मामले:**
  - **जनगणना डेटा संबंधी चिंताएँ: अद्यतन** जनगणना आँकड़ों **(2011 से)** की अनुपस्थिति शहरी आबादी और उसकी आवश्यकताओं का सटीक आकलन करने में चुनौती पेश करती है।
    - यह पुराना डेटा साक्ष्य-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण योजना को प्रभावित करता है, **जो कि गतिशील शहरीकरण प्रवृत्तियों, जिसमें टियर-2 और 3 शहरों की ओर प्रवास भी शामिल है,** को उजागर करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **नीतिगत विकृतियाँ:** समानांतर एजेंसियाँ और योजनाएँ, जैसे कि सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता को कमज़ोर करती हैं, इच्छित संघीय ढाँचे को विकृत करती हैं और शहरी शासन तथा सेवा वितरण को जटिल बनाती हैं।
  - **कम क्रियात्मक स्वायत्तता:** महामारी के दौरान, राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर के नेताओं को आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों पर विचार करते देखा गया, हालाँकि **नगर निगमों के प्रमुखों को इस समूह में शामिल नहीं किया गया।**
    - **स्थानीय सरकारों** को राज्य सरकारों के सहायक के रूप में मानने का पुराना दृष्टिकोण नीतिगत प्रतिमान पर हावी बना हुआ है।
  - **संरचनात्मक मुद्दे:** कुछ शहरी स्थानीय सरकारों के पास **बुनियादी ढाँचे और** मानव संसाधन नहीं हैं। जबकि कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के लिये नियमित चुनाव नहीं कराए जाते हैं। इससे उनके कामकाज और सेवाओं की डिलीवरी प्रभावित होती है।

16वें वित्त आयोग के लिये प्रमुख विचारणीय विषय क्या हैं?

- **परिचय:**
  - **भारत में** वित्त आयोग भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 280** के तहत स्थापित एक **संवैधानिक निकाय** है।
    - इसका **प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों** के वितरण की सिफारिश करना है।
  - 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली **छह वर्षों की अवधि को कवर** करते हुए सिफारिशें कीं।

नोट :

- पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें **वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य** हैं।

- **संदर्भ की शर्तें:**
  - **कर आय का विभाजन:** संविधान के अध्याय-I के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना।
    - इसमें कर आय से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन शामिल है।
  - **सहायता अनुदान के सिद्धांत:** भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना।
    - इसमें विशेष रूप से संविधान के **अनुच्छेद 275** के अंतर्गत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का निर्धारण करना शामिल है।
  - **स्थानीय निकायों के लिये राज्य निधि को बढ़ाना:** राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की पहचान करना।
    - इसका उद्देश्य राज्य के अपने वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिये उपलब्ध संसाधनों को पूरक बनाना है।
  - **आपदा प्रबंधन वित्तपोषण का मूल्यांकन:** आयोग आपदा प्रबंधन पहल से संबंधित वर्तमान वित्तपोषण संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है।
    - इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए गए फंड की जाँच करना और सुधार या बदलाव के लिये उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना शामिल है।

असम सरकार ने राज्य वित्त आयोग में नियुक्ति की

- **असम सरकार** ने सातवें **असम** राज्य वित्त आयोग का गठन किया है, जिसके **अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता (सेवानिवृत्त) और छह अन्य** सदस्य होंगे।
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission- SFC) का उद्देश्य भारत में राज्य तथा उप-राज्य स्तर पर राजकोषीय संबंधों को सुव्यवस्थित करना है, जिसकी नियुक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I एवं 243-Y द्वारा शासित होती हैं।
  - **अनुच्छेद 243-I:** राज्य के **राज्यपाल को प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग** गठित करने का आदेश देता है।
  - **अनुच्छेद 243Y:** इसके तहत गठित **वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा** भी करेगा और राज्यपाल को सिफारिशें करेगा।

शहरी वित्त को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है ?

- **नगर निगम के राजस्व को मज़बूत करना:** सभी वित्त आयोगों ने नगर निगम के वित्त को बेहतर बनाने हेतु संपत्ति कर राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना है। उदाहरण के लिये:
  - 12वें वित्त आयोग ने संपत्ति कर प्रशासन में सुधार के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (**Geographical Information System- GIS**) और डिजिटलीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित किया।
  - **14वें वित्त आयोग** ने अनुशंसा की कि नगर निकायों को **खाली भूमि पर कर** लगाने में सक्षम किया जाए।
- **कर प्रशासन का आधुनिकीकरण:** पुरानी प्रणालियाँ अकुशलता और लीकेज का कारण बनती हैं। स्थानीय निकाय संपत्ति कर मूल्यांकन, **ई-फाइलिंग और ऑनलाइन भुगतान के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म** लागू कर सकते हैं।
  - इससे **पारदर्शिता बढ़ती** है, नागरिकों को सुविधा मिलती है तथा संग्रह दर में वृद्धि होती है।
- **विशिष्ट सेवाओं के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क का पता लगाएँ:** एक व्यापक कर संरचना के बजाय, कुछ सेवाओं हेतु उपयोगकर्त्ता शुल्क हो सकते हैं। यह **पार्किंग, थोक जनरेटर के लिये अपशिष्ट संग्रह** या मनोरंजन सुविधाओं पर लागू हो सकता है।
  - मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि शुल्क उचित हो और सेवा प्रदान करने की लागत को प्रतिबिंबित करे। बेंगलुरु जैसे शहरों ने **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क** को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- **रणनीतिक संपत्ति प्रबंधन:** स्थानीय निकायों के पास अक्सर कम उपयोग वाली संपत्तियाँ होती हैं। इन्हें वाणिज्यिक स्थानों, बाज़ारों या पार्किंग स्थलों के विकास के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnerships-PPP)** के माध्यम से मुद्रीकृत किया जा सकता है।
  - इससे स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में किराये की आय और आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होती है। विश्व बैंक स्थानीय सरकारों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये वित्तपोषण और विशेषज्ञता तक पहुँचने के साधन के रूप में PPP की सिफारिश करता है।
- **स्थानीय व्यवसायों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** एक संपन्न स्थानीय अर्थव्यवस्था से **स्थानीय निकायों के लिये उच्च कर राजस्व** की प्राप्ति होती है। इसके लिये किये जाने वाले पहलों में व्यवसाय लाइसेंस को सुव्यवस्थित करना, स्टार्टअप के लिये कर छूट की पेशकश करना या नवाचार केंद्र स्थापित शामिल हो सकता है।

नोट :

- अमेरिका में टेक्सास में स्थित शहर ऑस्टिन उद्यमियों के लिये अनुकूल परिवेश के लिये जाना जाता है, जिसके कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई।

- **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) का अन्वेषण:** ये बाज़ार **लाभ सृजन के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव** पर ध्यान केंद्रित वाले सामाजिक उद्यमों को पूंजी जुटाने का माध्यम प्रदान करते हैं। स्थानीय निकाय एक नया SSE स्थापित करने या पहले से मौजूद किसी के साथ सहयोग करने की व्यवहार्यता की जाँच कर सकते हैं।
  - इससे उन **पहलों के लिये निवेश** आकर्षित हो सकता है जिनसे स्थानीय सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ स्थानीय निकाय के लिये राजस्व उत्पन्न होता है।
- **वैल्यू कैप्चर तंत्र का क्रियान्वन:** इसमें **सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं** के परिणामस्वरूप निजी संपत्तियों के मूल्य में हुए वर्द्धन के एक हिस्से का अधिग्रहण (कैप्चर) करना शामिल है।
  - **हॉन्गकॉन्ग** एक ऐसे शहर का प्रमुख उदाहरण है जो अवसंरचना परियोजनाओं के लिये **भूमि मूल्य कैप्चर** का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है।

निष्कर्ष:

राजकोषीय हस्तांतरण सिद्धांतों की पुनः समीक्षा करके, वर्तमान शहरीकरण गतिशीलता के आधार पर कार्यप्रणाली को अद्यतन करके तथा शहरी क्षेत्रों के लिये IGT में पर्याप्त वृद्धि की सिफारिश कर उक्त **चुनौतियों का समाधान करने में 16वाँ वित्त आयोग की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण** है।

- इन सिफारिशों के परिणाम **दूरगामी** होंगे, जो **भारत के आर्थिक विकास**, सामाजिक समानता लक्ष्यों और शहरी केंद्रों में पर्यावरणीय स्थिरता प्रयासों को प्रभावित करेंगे।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिये नीतियों को संरेखित करने और देश में सतत् शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिये **केंद्र तथा राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों** की आवश्यकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: क्या 16वें वित्त आयोग द्वारा निधियों का वर्द्धित न्यागमन भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के समक्ष विद्यमान वित्त संबंधी प्रणालीगत चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है। विश्लेषण कीजिये।

मंत्रिमंडलीय समितियों में नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, **केंद्र सरकार ने आठ** मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया, जिसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) में तीन नए सदस्य शामिल किये गए तथा मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ACC) तथा **सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति** (CCS) में कोई बदलाव नहीं किया गया।

- एक अन्य घटनाक्रम में, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा **संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण नियमों में संशोधन** किया है, जिसके तहत **सदन के सदस्य के रूप में शपथ के दौरान उन्हें किसी भी टिप्पणी करने से रोका** गया है।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - मंत्रिमंडलीय समितियाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल का **एक उपसमूह** है, जिसमें चयनित केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।
  - इन समितियों की स्थापना विभिन्न समूहों, जैसे आर्थिक मामलों, सुरक्षा, संसदीय मामलों एवं राजनीतिक मामलों से निपटने वाले समूहों के बीच ज़िम्मेदारियों को विभाजित करके **निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये** की जाती है।
  - वे **जटिल मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श** करते हैं तथा उनका **कुशलतापूर्वक निपटान सुनिश्चित करते** हैं, जिन्हें अंतिम अनुमोदन के लिये पूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
  - वे श्रम **विभाजन तथा प्रभावी प्रत्यायोजन के सिद्धांतों पर आधारित** हैं।
- **प्रकार:**
  - **स्थायी** (स्थायी प्रकृति)
  - **तदर्थ** (विशेष समस्याओं के समाधान हेतु अस्थायी प्रकृति)
- **मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएँ:** वे **प्रकृति में संविधानेत्तर** हैं और **कार्य-नियम उनकी स्थापना का प्रावधान** करते हैं।
  - भारत में कार्यपालिका भारत सरकार **कार्य संचालन नियम, 1961** के अंतर्गत कार्य करती है।
    - ये नियम **संविधान के अनुच्छेद 77(3)** के अनुसार हैं, "राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिये नियम बनाएगा।"
- **सदस्यता:**
  - इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा समय की **आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुसार स्थापित किया जाता है।**

नोट :

- इनकी **सदस्य संख्या तीन से आठ तक होती** है। इनमें आमतौर पर **केवल कैबिनेट मंत्री** ही शामिल होते हैं। हालाँकि **गैर-कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सदस्यता** से वंचित नहीं किया जाता है।
  - इनमें न केवल अपने अधीन आने वाले विषयों के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं, **बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं।**
- यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य हैं, तो वे अनिवार्य रूप से इसकी अध्यक्षता करते हैं।
- वे न केवल मुद्दों को सुलझाते हैं और कैबिनेट के विचार के लिये प्रस्ताव तैयार करते हैं, **बल्कि निर्णय भी लेते हैं।** हालाँकि **कैबिनेट उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।**

- **8 मंत्रिमंडल समितियों (Cabinet Committee) की सूची:**
  - आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)
  - कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC)
  - सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)
  - आवास पर कैबिनेट समिति
  - संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (सुपर-कैबिनेट के रूप में संदर्भित)
  - राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति
  - निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति
  - कौशल, रोज़गार और आजीविका पर कैबिनेट समिति
- **हाल में हुए परिवर्तन:**
  - गृह मंत्री इन सभी समितियों में शामिल होने वाले **एकमात्र कैबिनेट** सदस्य हैं।
  - आवास समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर **सभी छह समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।**
  - नियुक्ति समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, **जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं** और जिसमें **गृह मंत्री एकमात्र सदस्य** हैं।

संसदीय समितियाँ

- संसदीय समितियाँ **विशेष समितियाँ** होती हैं, जो संसद के विस्तृत कार्यों को संभालने के लिये गठित की जाती हैं, जो प्राय: इतना जटिल और व्यापक होता है कि उसे सदनों की पूर्ण बैठकों में पूरा नहीं किया जा सकता।
- वे विशिष्ट मामलों में विस्तृत जाँच, चर्चा और जाँच सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं। संसदीय समितियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे- स्थायी समितियाँ, विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs) आदि।

मंत्रियों के समूह

- ये **तदर्थ निकाय** हैं जो कुछ **आकस्मिक मुद्दों और गंभीर समस्या क्षेत्रों पर मंत्रिमंडल** को सिफारिशें देने के लिये गठित किये गए हैं।
- इनमें से कुछ **मंत्री समूह मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने के लिये** अधिकृत हैं, जबकि अन्य मंत्री कैबिनेट समितियों को सिफारिशें करते हैं।
  - मंत्रिसमूहों की संस्था मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और प्रभावी बन गई है।
- संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों को संबंधित मंत्री समूह में शामिल किया जाता है और जब सलाह स्पष्ट हो जाती है तो उन्हें भंग कर दिया जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों हेतु शपथ ग्रहण नियमों में किया संशोधन:

- सदन के कामकाज से संबंधित विशिष्ट मामलों को प्रबंधित करने के लिये **'अध्यक्ष द्वारा निर्देश'** के अंतर्गत 'निर्देश 1' में एक नया खंड जोड़ा गया है, जो मौजूदा नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।
- **'निर्देश 1'** में संशोधन के अनुसार, **नए खंड 3 में कहा गया है कि कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग किये बिना शपथ लेगा** और प्रतिज्ञान करेगा।

कैबिनेट समितियों की चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **ओवरलैपिंग जनादेश:** इससे **देरी, अक्षमता और समितियों के बीच संघर्ष** होता है क्योंकि वे नियंत्रण के लिये लड़ते हैं। प्रस्ताव में रुकावट आ जाती हैं जिससे निर्णय लेने में देरी होती है।
- **विशेषज्ञता की कमी:** स्वास्थ्य सेवा नीति पर **केंद्रित समिति में चिकित्सा पेशेवरों की कमी हो सकती** है। इससे गलत निर्णय लिये जा सकते हैं और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञों की कमी के कारण दीर्घकालिक नीतिगत परिणाम हो सकते हैं।
- **सूचना साइलो और खराब संचार:** समितियाँ अलग-थलग होकर काम कर सकती हैं, सूचना साझा नहीं कर सकती या सहयोग नहीं कर सकती। इससे अस्पष्टता पैदा होती है तथा समग्र दृष्टिकोण में बाधा आती है। इससे प्रयासों में पुनरावृत्ति होती है, **तालमेल के अवसर चूक जाते हैं और सीमित सूचना के आधार पर** निर्णय लिये जाते हैं।
- **राजनीतिक दबाव और अल्पकालिकता:** राजनीतिक विचार समितियों को दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के बजाय

नोट :

अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। इससे **सक्रिय समाधानों के बजाय प्रतिक्रियात्मक उपाय** हो सकते हैं।

- **जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव:** लिये गए **निर्णयों को छिपाया नहीं जाना चाहिये क्योंकि इससे विश्वास में कमी आती** है। समिति की गतिविधियों और निर्णयों के बारे में स्पष्ट जानकारी के बिना **विधायिका उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा सकती।**
- **सत्ता का संकेंद्रण:** यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल कुछ समितियों या व्यक्तियों के पास होगा तो मूल्यवान मत के बहिष्कृत होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप लिये गए **निर्णय असंतुलित हो सकते हैं।** यह संभव है कि महत्त्वपूर्ण मत की अनदेखी हो जाएगी जिससे संभावित रूप से **सृजनात्मक समाधानों की उपेक्षा** हो सकती है और असंतुष्ट पक्षों में **आक्रोश** उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह

- **स्पष्ट अधिदेश:** किसी भी प्रकार की संशयात्मक स्थिति से बचने के लिये **समिति के अधिदेशों को** स्पष्ट रूप से **परिभाषित किया जाना चाहिये।** अंतर-समिति विवादों के लिये एक **केंद्रीय संघर्ष समाधान निकाय** की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- **विशेषज्ञ नियुक्ति:** सलाहकार या अस्थायी समिति सदस्यों के रूप में **विषय वस्तु विशेषज्ञों** की नियुक्ति की जानी चाहिये। विशेष ज्ञान हेतु **विदेशी प्रबुद्ध मंडलों** के साथ साझेदारी की जा सकती है।
- **बेहतर सूचना साझाकरण:** सभी समितियों के लिये एक केंद्रीकृत सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म स्थापित करने की आवश्यकता है। सहयोग को बढ़ावा देने के लिये **नियमित अंतर-समिति** पत्रसार (Briefings) किया जाना चाहिये।
- **दीर्घकालिक लक्ष्य:** समितियों को अल्पकालिक कार्रवाई के साथ-साथ **दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएँ** बनाने हेतु अधिदेश दिया जाना चाहिये। निर्णय लेने की प्रक्रिया में **निष्पक्ष आर्थिक** या सामाजिक प्रभाव आकलन को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **जवाबदेहिता:** नियमित रूप से **बैठक का कार्यविवरण** और सारांश जारी करना जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है।
- **व्यापक-आधारित परामर्श:** परामर्श अधिक **व्यापक-आधारित** होना चाहिये। अन्य कैबिनेट सदस्यों को विशेष आमंत्रण देकर आमंत्रित किया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मंत्रिमंडलीय समितियों की भूमिका और महत्त्व की विवेचना कीजिये। नीति के निर्माण और इसके कार्यान्वयन में उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजिये।

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण-पोषण अधिकार

चर्चा में क्यों ?

मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य, 2024 के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता **(Criminal Procedure Code- CrPC)** की **धारा 125 की** प्रयोज्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका किस बारे में थी ?

- यह याचिका एक मुस्लिम व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें अंतरिम भुगतान के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया।
  - याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को CrPC की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी होना चाहिये।
- याचिकाकर्त्ता ने दावा किया कि 1986 का अधिनियम, एक विशेष कानून होने के कारण, अधिक व्यापक भरण-पोषण प्रावधान प्रदान करता है और इसलिये इसे **CrPC की धारा 125 के सामान्य प्रावधानों** पर वरीयता दी जानी चाहिये।
  - याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 और 4, एक **गैर-अस्थायी खंड** के साथ, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को **मेहर** (विवाह के अवसर पर पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाने वाला अनिवार्य उपहार) तथा निर्वाह भत्ते के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है।
  - उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पारिवारिक न्यायालयों के पास **अधिकार क्षेत्र नहीं** है क्योंकि अधिनियम में इन मुद्दों को निपटाने के लिये मजिस्ट्रेट को अनिवार्य बनाया गया है। याचिकाकर्त्ता ने धारा 5 के अनुसार 1986 के अधिनियम के बजाय CrPC प्रावधानों को चुनने हेतु हलफनामा प्रस्तुत करने में पत्नी की विफलता पर ज़ोर दिया।

नोट :

- यह तर्क दिया गया कि **1986 का अधिनियम अपने विशिष्ट प्रावधानों के कारण मुस्लिम महिलाओं** के लिये धारा 125 CrPC को निरस्त कर देता है, जिससे उन्हें धारा 125 CrPC के तहत राहत मांगने से रोक दिया जाता है।

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 क्या है ?

- **उद्देश्य:** यह अधिनियम उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया था, जिन्हें उनके पतियों ने तलाक दे दिया है या जिन्होंने अपने पतियों से तलाक ले लिया है। यह इन अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिये प्रावधान करता है।
  - यह अधिनियम ***मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, 1985*** के मामले का जवाब था। जिसमें **सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि CrPC की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है** जो **धर्म के बावजूद सभी पर लागू** होता है।
  - **CrPC** के तहत भरण-पोषण का अधिकार पर्सनल लॉ के प्रावधानों से नकारा नहीं जाता है।
- **प्रावधान:**
  - एक **तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से उचित एवं न्यायसंगत भरण-पोषण पाने की हकदार है**, जिसका भुगतान ***इद्दत अवधि*** के भीतर किया जाना चाहिये।
    - ***इद्दत* एक अवधि है, जो आमतौर पर तीन महीने की होती है**, जिसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी करने से पहले मनाना होता है।
  - इस अधिनियम में ***महर (मेहर)*** का भुगतान और शादी के समय महिला को दी गई संपत्ति की वापसी भी शामिल है।
  - यह तलाकशुदा महिला और उसके पूर्व पति को **CrPC, 1973 की धारा 125 से 128** के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है। यदि वे आवेदन की पहली सुनवाई में इस आशय की संयुक्त या अलग घोषणा करते हैं।
- **उत्थान:**
  - सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ***डेनियल लतीफी एवं अन्य बनाम भारत संघ*** मामले में वर्ष 2001 में अपने फैसले में 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था और कहा था कि इसके प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं।
    - इसने **मुस्लिम महिलाओं को इद्दत अवधि के बाद पुनर्विवाह करने तक भरण-पोषण** प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया।
  - ***शबाना बानो बनाम इमरान खान केस, 2009:*** *सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएँ CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता मांग सकती हैं, यहाँ तक कि इद्दत अवधि के बाद भी,* ***जब तक कि वे दोबारा शादी न कर लें****। इसने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि CrPC प्रावधान धर्म के बावजूद लागू होता है।*

CrPC की धारा 125 क्या कहती है ?

- CrPC की धारा 125 के अनुसार **प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट** पर्याप्त साधन **संपन्न व्यक्ति को निम्नलिखित के भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता** है:
  - यदि उसकी पत्नी स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
  - उसका वैध या नाजायज़ नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या न हो, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।
  - उसका वैध या नाजायज़ वयस्क बच्चा शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं या चोटों से ग्रस्त हो, जो उसे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ बनाती हैं।
  - उसका पिता या माता, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा ?

- सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि **CrPC की धारा 125** न केवल विवाहित स्त्रियों अपितु **सभी स्त्रियों पर लागू होती है।** उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रावधान सार्वभौमिक रूप से लागू होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने विधिक समता सुनिश्चित करते हुए और संविधान के **समता एवं गैर-भेदभाव की गारंटी** का संरक्षण करते हुए विच्छिन्न-विवाह मुस्लिम स्त्रियों द्वारा **CrPC की धारा 125** के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अधिकारों की पुष्टि की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि मुस्लिम स्त्रियाँ **1986 के अधिनियम के अस्तित्त्व के बावजूद CrPC की धारा 125** के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।
- न्यायालय ने कहा कि 1986 के अधिनियम की धारा 3, जो एक **सर्वोपरि खंड** (Non-Obstante Clause) से शुरू होती है, धारा 125 CrPC की **प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करने के बजाय** एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करती है।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय पुरुषों के लिये अपनी पत्नियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया**, जिनके पास **स्वतंत्र आय का अभाव** है। इसने आर्थिक रूप से स्वतंत्र या **नौकरीपेशा विवाहित महिलाओं** और उन **महिलाओं के बीच अंतर को उजागर** किया, जो अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिये किसी भी साधन के बिना घर पर रहती हैं।
- न्यायालय ने पुष्टि की कि विच्छिन्न-विवाह मुस्लिम स्त्रियाँ, जिनमें **तीन तलाक** (अब विधि-विरुद्ध) के माध्यम से तलाक लेने वाली स्त्रियाँ भी शामिल हैं, पर्सनल लॉ के बावजूद भी **धारा 125 CrPC** के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं।
  - तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया है।

नोट: तत्काल तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत, मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक प्रथा है, जिसमें एक **पुरुष अपनी पत्नी को एक बार में तीन बार "तलाक" बोलकर**, फोन पर या फिर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से **तलाक दे सकता है।** यह तलाक तत्काल और अपरिवर्तनीय होता है तथा तलाक के बाद संबद्ध व्यक्ति यदि सुलह करने को भी इच्छुक हो तो नहीं कर सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बीच अंतर्संबंध का परीक्षण कीजिये। विवादों का समाधान करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

MSME अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस (27 जून)**, 2024 के अवसर पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने **'उद्यमी भारत-MSME दिवस' कार्यक्रम** का आयोजन किया और साथ ही विलंबित भुगतानों के लिये विवाद समाधान में सुधार के साथ ही MSME क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये MSME विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा।

- इस कार्यक्रम में केंद्रीय MSME मंत्री द्वारा कई पहलों का शुभारंभ किया गया, जिनमें समाधान पोर्टल का प्रस्तावित उन्नयन, **MSME विकास अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधन, टीम पहल** (Team Initiative) **और यशस्विनी अभियान** शामिल हैं।

MSME के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs)** ऐसे व्यवसाय हैं जो **वस्तुओं एवं पण्यों (कमोडिटी) का उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण** करते हैं।
- **वर्गीकरण:**

CLASSIFICATION	MICRO	SMALL	MEDIUM
Manufacturing Enterprises and Enterprises rendering Services	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.1 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 5 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.10 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 50 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.50 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 250 crore

- **भारत में MSME विनियमन:**
  - **लघु उद्योग मंत्रालय** तथा **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय** को **वर्ष 2007** में विलय कर **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** बनाया गया।
    - यह मंत्रालय MSME को समर्थन देने तथा उनके **विकास में सहायता के लिये नीतियाँ** विकसित करता है और साथ ही **कार्यक्रमों को भी सुगम** बनाने के साथ **कार्यान्वयन की निगरानी** भी सुनिश्चित करता है।
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 MSME को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देता है, **MSME के लिये एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना** करता है तथा साथ ही यह **"उद्यम" की अवधारणा** को परिभाषित करता है एवं MSME की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है।
- **MSME क्षेत्र का महत्त्व:**
  - **वैश्विक स्तर पर:**
    - संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार, MSME का योगदान **वैश्विक व्यवसायों में 90%, नौकरियों में 60% से 70% से अधिक** तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में आधा हिस्सा है।
  - **भारत के स्तर पर:**
    - **GDP में योगदान और रोज़गार सृजन:** MSMEs वर्तमान में **भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में **लगभग 30%** का योगदान देते हैं, जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **उद्यम पंजीकरण प्रणाली** से प्राप्त जानकारी के आधार पर **MSME मंत्रालय के पास 200 मिलियन से अधिक पंजीकृत नौकरियाँ तथा 46 मिलियन से अधिक MSME** हैं (जो चीन के 140 मिलियन के बाद दूसरे स्थान पर है)।
    - **निर्यात संवर्द्धन:** वर्तमान में MSME भारत के **कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान** करते हैं।
  - भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र, (जिसमें लघु उद्योगों और कारीगरों का प्रभुत्व है) देश के निर्यात के लिये अत्यधिक लाभदायक है और साथ ही इसका विश्वव्यापी बाज़ार है।
    - **विनिर्माण उत्पादन में योगदान:** MSME देश के विनिर्माण उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, **इंजीनियरिंग एवं रसायन** जैसे क्षेत्रों में।

नोट :

- **ग्रामीण औद्योगीकरण एवं समावेशी विकास:** MSME ग्रामीण औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- लघु-स्तरीय इकाइयों से युक्त **खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र** ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में सहायक रहा है।
  - **नवाचार एवं उद्यमिता:** चूंकि छोटे उद्यमों को आमतौर पर बदलती बाज़ार स्थितियों के साथ समायोजन करना तथा नई वस्तुओं अथवा सेवाओं को लॉन्च करना आसान लगता है, इसलिये MSME क्षेत्र नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2024

- यह दिवस MSME के महत्त्व एवं अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देने के लिये **प्रतिवर्ष 27 जून** को मनाया जाता है।
- **MSME दिवस 2024 की थीम:**
  - **इस वर्ष की थीम: 'विभिन्न संकटों के समय में सतत् विकास में तेज़ी लाने और गरीबी उन्मूलन के लिये सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम आकार के उद्यमों (MSME) की शक्ति एवं लचीलेपन का लाभ उठाना'** ('leveraging the power and resilience of Micro-, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) to accelerate sustainable development and eradicate poverty in times of multiple crises)
- **इतिहास एवं महत्त्व:**
  - अप्रैल 2017 में, **संयुक्त राष्ट्र** ने 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में घोषित किया।
  - इस दिवस का उद्देश्य **सतत् विकास लक्ष्यों** को प्राप्त करने में MSME की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये राष्ट्रीय क्षमताओं में वृद्धि करना है।

MSME विकास अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन क्या हैं?

- **MSME विकास अधिनियम, 2006:** यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के संवर्द्धन एवं विकास हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।
  - **उद्देश्य:**
    - MSMEs के संवर्द्धन और विकास को सुगम बनाना।
    - MSMEs की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना।
    - MSMEs को ऋण, विपणन सहायता एवं अन्य सहायक सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करना।
    - MSMEs क्षेत्र में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देना।
- **प्रस्तावित प्रमुख संशोधन:**
  - **भुगतान तीव्र बनाना:** MSMEs के लिये समाधान पोर्टल को शिकायत ट्रैकर से अपग्रेड करके **पूर्ण विकसित ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म के रूप में बदलने का प्रस्ताव है।**
    - इससे MSMEs को ऑनलाइन **शिकायत दर्ज करने, प्रतिक्रया प्राप्त करने तथा मध्यस्थता में भाग लेने का अधिकार मिलने से भुगतान में तीव्रता** आएगी।
  - **MSME के प्रतिनिधित्व को मज़बूत बनाना: MSME से संबंधित राष्ट्रीय बोर्ड** में सभी राज्य सचिवों के रूप में प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे बेहतर नीति-निर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ MSME से संबंधित चुनौतियों का समाधान हो सकेगा।
  - **पूर्व के अधिनियम का आधुनिकीकरण:** वर्ष 2006 के MSMEs अधिनियम को लगातार **विलंबित भुगतान एवं MSMEs क्षेत्र में उभरती नवीन आवश्यकताओं एवं समकालीन मुद्दों को हल** करने के क्रम में अद्यतन करने की आवश्यकता है। संबंधित संशोधनों का उद्देश्य इस **क्षेत्र के विकास के लिये अधिक उत्तरदायी कानूनी ढाँचे का विकास** करना है।

MSME मंत्रालय द्वारा घोषित प्रमुख पहल:

- **MSME व्यापार सक्षमता एवं विपणन (TEAM) पहल:** इसका उद्देश्य **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** पर 5 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को शामिल करना है।
  - इसके तहत सरकार द्वारा ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सामग्री एवं डिज़ाइन हेतु **वित्तीय सहायता** प्रदान करना शामिल है।
  - इसमें **आधे लाभार्थी महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम** होंगे।
- **यशस्विनी अभियान:** यह महिलाओं के स्वामित्व वाले **अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने एवं**

नोट :

महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के संदर्भ में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सहायता एवं सलाह प्रदान करने के क्रम में जन जागरूकता अभियानों की एक शृंखला है।

- इसमें MSME मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा महिला उद्योग संघों के सहयोग से अभियान आयोजित करना शामिल है।

- **सरकार की MSME पहल के 6 स्तंभ:**
  - **मज़बूत आधार तैयार करना:** यह स्तंभ व्यवसायों को औपचारिक बनाने तथा ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जो MSME की संवृद्धि एवं स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **बाज़ार पहुँच का विस्तार:** सरकार का लक्ष्य MSME की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच बढ़ाने के साथ उन्हें ई-कॉमर्स अपनाने को प्रोत्साहित करना है।
  - **तकनीकी परिवर्तन:** यह स्तंभ MSME क्षेत्र में उत्पादकता तथा दक्षता को बढ़ावा देने के क्रम में आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने पर बल देता है।
  - **कार्यबल को कुशल बनाना:** कौशल स्तर को बढ़ाना तथा सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, जो MSME के लिये उभरते बाज़ार के साथ तालमेल बनाए रखने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
  - **परंपरागत के साथ वैश्विक मानदंडों को अपनाना:** सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग जैसे पारंपरिक उद्योगों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने हेतु कदम उठाएगी।
  - **उद्यमियों को सशक्त बनाना:** यह स्तंभ MSME क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए महिलाओं एवं कारीगरों के बीच उद्यम निर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है।

MSME से संबंधित सरकारी पहल:

- MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज़ करने यानी RAMP (Rising and Accelerating MSME Performance) योजना
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (CGTMSE)
- इंटरेस्ट सब्सिडी पात्रता सर्टिफिकेट (ISEC)
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE)
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (CLCSS)
- ज़ीरो डिफेक्ट एवं ज़ीरो इफेक्ट (ZED)
- चैंपियंस पोर्टल

MSMEs के समक्ष चुनौतियाँ:

- **वित्त और ऋण तक सीमित पहुँच:** MSME को अक्सर औपचारिक वित्तपोषण एवं ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी संवृद्धि और विस्तार में बाधा आती है।
  - केवल 16% MSME की ही औपचारिक ऋण तक पहुँच है, जिसके कारण कई MSME ऋण हेतु अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं।
- **तकनीकी अभाव:** तकनीकी प्रगति और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के सीमित होने से इनकी नवाचार तथा प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता सीमित होती है।
  - अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तक सीमित पहुँच तथा उद्योग 4.0 तकनीकों को अपनाने में चुनौतियों से इनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता सीमित हो जाती है।
- **बाज़ार पहुँच और प्रतिस्पर्द्धा:** MSME को सीमित बाज़ार पहुँच के साथ बड़े पैमाने के उद्यमों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे इनकी लाभप्रदता में कमी आती है।
- **कुशल श्रम की कमी:** कुशल श्रम प्राप्त करना तथा प्रतिभा का प्रबंधन करना, इनके समक्ष एक प्रमुख मुद्दा है, जिससे इनके संचालन की गुणवत्ता तथा दक्षता प्रभावित होती है।
  - एसोचैम की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में **23 मिलियन श्रमिकों का कौशल अंतराल** है, जिससे एमएसएमई के लिये योग्य कर्मचारी ढूँढना मुश्किल हो रहा है, जिसका उत्पादकता और नवाचार पर प्रभाव पड़ रहा है।
- **आर्थिक भेद्यता:** MSME विशेष रूप से आर्थिक मंदी और बाज़ार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं, जो उनकी स्थिरता तथा विकास की संभावनाओं को काफी प्रभावित कर सकता है।
  - कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत में लगभग **21% MSME आर्थिक प्रभाव** के कारण **स्थायी** रूप से बंद हो गए, जिससे वे आर्थिक मंदी के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए।
- **कच्चे माल की कमी:** MSME को **कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और थोक खरीद** के लिये सीमित वित्तीय क्षमता से जूझना पड़ रहा है।
  - यह विशेष रूप से **छोटे वस्त्र इकाइयों के** लिये चुनौतीपूर्ण है, जिन्हें अक्सर कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लाभ मार्जिन और प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर असर पड़ता है।

नोट :

- **वर्तमान मुकदमा प्रणाली की समस्याएँ:** महँगी कानूनी प्रक्रिया के कारण छोटे व्यवसायों के लिये न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
  - वर्तमान प्रणाली **विवादों को निपटाने में बहुत अधिक समय लेती** है, जिससे छोटे व्यवसायों की वित्तीय कठिनाइयाँ और बढ़ जाती हैं।
  - **समाधान पोर्टल** केवल विश्लेषण के लिये जानकारी प्रदान करता है तथा विवादों को सीधे सुलझाने में मदद नहीं करता है।

आगे की राह

- **वित्तीय सशक्तीकरण और पहुँच:** लक्षित योजनाओं, **संपार्श्विक छूट और उद्यम पूंजी**, देवदूत निवेशकों तथा **पीयर-टू-पीयर** ऋण प्लेटफॉर्मों जैसे वैकल्पिक **वित्तपोषण विकल्पों को बढ़ावा देने** के माध्यम से औपचारिक ऋण तक पहुँच में वृद्धि करना।
- **डिजिटल परिवर्तन और बाज़ार विस्तार: डिजिटल साक्षरता तथा तकनीकी कौशल प्रदान** करना, ई-कॉमर्स एकीकरण को सुविधाजनक बनाना, **डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश को सब्सिडी देना** तथा उप-ठेके के लिये बड़े उद्यमों के साथ संबंध स्थापित करना।
- **विनियामक सुधार और कौशल:** विनियमों को सरल बनाना, **एकल खिड़की मंज़ूरी प्रणाली** को लागू करना, विनियामक प्रभाव आकलन करना, उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना तथा **सभी स्तरों पर उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा** देना।
  - सफल उद्यमियों को प्रेरक MSME मालिकों से जोड़ने के लिये **मेंटरशिप कार्यक्रम** स्थापित करना।
- **बुनियादी ढाँचा, जोखिम प्रबंधन और नीति जागरूकता:** MSME के विकास के लिये विश्वसनीय बिजली, परिवहन तथा संचार बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश करना।

बीमा योजनाओं जैसी जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करना तथा लचीलेपन में सुधार के लिये उत्पाद/बाज़ार विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और गुणवत्ता वृद्धि: गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देना और निर्यातोन्मुख MSME क्लस्टर विकसित करना वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता तथा गुणवत्ता को बढ़ा सकता है।

उदाहरण के लिये शून्य दोष शून्य प्रभाव प्रमाणन योजना ने एमएसएमई को गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद की है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में MSME के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और इन चुनौतियों से निपटने में सरकार की पहल का मूल्यांकन कीजिये।

भारत ने सर्वाधिक पेटेंट प्रदान किये

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** ने इस बात पर प्रकाश डाला कि **भारत ने वर्ष 2024 में लगभग एक लाख पेटेंट जारी किये हैं**, जो पेटेंट अनुमोदन में **उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता** है।

पेटेंट क्या है ?

- **परिचय:**
  - पेटेंट एक आविष्कार का विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को दूसरों के हस्तक्षेप के बिना दिया जाता है जो इसे दोहराने, उपयोग करने या बेचने की इच्छा रखते हैं
  - **पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार** है और इसलिये यह केवल **भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रभावी** है। **वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं** है।
  - भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा शासित होती है, जिसमें बदलते परिवेश के अनुरूप पेटेंट नियमों में नियमित रूप से संशोधन किया जाता है, सबसे संशोधन पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 है।
  - **पेटेंट योग्यता के मानदंड:** कोई आविष्कार पेटेंट योग्य विषय वस्तु होता है यदि वह नवीन, स्पष्ट एवं औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सक्षम है।
  - इसके अतिरिक्त, इस पर **पेटेंट अधिनियम, 1970** की **धारा 3 और 4 के प्रावधान लागू नहीं** होने चाहिये।
- **पेटेंट अधिनियम, 1970:**
  - भारत में पेटेंट प्रणाली के लिये यह प्रमुख कानून वर्ष 1972 में लागू हुआ। इसने **भारतीय पेटेंट एवं डिज़ाइन अधिनियम, 1911** का स्थान लिया।
  - इस अधिनियम को पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 **द्वारा संशोधित** किया गया, जिसके अंतर्गत उत्पाद पेटेंट को खाद्य, औषधि, रसायन तथा सूक्ष्मजीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।
  - संशोधन के बाद विशेष विपणन अधिकार से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है, और साथ ही अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के लिये सक्षम बनाने के साथ ही **अनुदान-पूर्व तथा अनुदान-पश्चात विरोध से संबंधित प्रावधान भी प्रस्तुत** किये गए हैं।

नोट :

- पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 **के अंतर्गत प्रमुख परिवर्तन:**
- परीक्षण के लिये अनुरोध दाखिल करने की **समयसीमा को घटाकर प्राथमिकता तिथि से 48 महीने से 31 महीने** किया गया।

- **'आविष्कार प्रमाणपत्र' की शुरूआत':** आविष्कारकों के पेटेंट किये गए आविष्कारों की पहचान करके उनके योगदान को स्वीकार करना।
- **विवरण दाखिल करने की आवृत्ति:** वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष में एक बार कर दिया गया।
- **अनुदान-पूर्व तथा अनुदान-पश्चात् विरोध प्रक्रियाओं में संशोधन:** विपक्षी बोर्ड द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने की समय सीमा एवं आवेदकों के लिये प्रतिक्रिया समय को समायोजित किया गया है।

नोट:
- WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII), 2023 रैंकिंग में **भारत ने 132 देशों में से 40वाँ स्थान** प्राप्त किया है। यह वर्ष 2021 में 46वें स्थान और वर्ष 2015 में 81वें स्थान की तुलना में सुधार को दर्शाता है।
- **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन** द्वारा जारी अध्ययन के अनुसार **भारत में वर्ष 2022 में पेटेंट आवेदनों में रिकॉर्ड 31.6% की वृद्धि** हुई **जो चीन, यू.के. तथा अन्य देशों की तुलना में अधिक है।**

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4:

- **धारा 3 के अंतर्गत** तुच्छ दावे, **प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध आविष्कार**, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत आविष्कार, वैज्ञानिक सिद्धांतों या अमूर्त सिद्धांतों की खोज, प्राकृतिक सजीव या निर्जीव पदार्थों की खोज आदि को आविष्कार नहीं माना जाता है।
- **धारा 4 परमाणु ऊर्जा से संबंधित** उन आविष्कारों से संबंधित है जो पेटेंट योग्य नहीं हैं। धारा 4 के अनुसार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले परमाणु ऊर्जा से संबंधित किसी आविष्कार के संबंध में कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जाएगा।

पेटेंट प्रदान करने का महत्त्व क्या है

- **नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना:** पेटेंट के माध्यम से विशेष अधिकार प्रदान करना नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना:** बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु सुदृढ़ व्यवस्था वाले देश अधिक FDI आकर्षित करते हैं। एक अच्छी तरह से संरक्षित IP परिवेश विदेशी निवेशकों को यह विश्वास दिलाता है कि उनके नवाचारों की सुरक्षा की जाएगी, जिससे भारत में निवेश करने के लिये वे प्रोत्साहित होंगे।
- **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण:** कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का संरक्षण साहित्य, कला, संगीत और ब्रांडिंग जैसे क्षेत्रों में बौद्धिक संपत्तियों के निर्माण और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करता है, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है।

पेटेंट प्रणाली में विद्यमान चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **अनुमोदन की लंबी प्रक्रिया:** पेटेंट कार्यालयों को प्राप्त आवेदनों की जाँच करने में कई माह या वर्षों का समय लग सकता है। यह उन आविष्कारकों के लिये समस्याजनक हो सकता है जो अपने संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- **पेटेंट आवेदनों का बैकलॉग:** पेटेंट कार्यालय प्राय: **बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों** की जाँच करते हैं जिससे इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है कार्य शेष रह जाता है और बैकलॉग बढ़ता है जो अनुमोदन के समय को और बढ़ा सकता है।
- **सीमित जागरूकता और शिक्षा:** कई आविष्कारक, विशेष रूप से छोटे व्यवसाय और जनसाधारण को पेटेंट और इसकी प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। यह उनके आविष्कारों को प्रभावी ढंग से संरक्षित रखने की उनकी क्षमता को बाधित कर सकता है।
- **संसाधन की कमी:** पेटेंट कराने की प्रक्रिया में वकील की फीस, आवेदन शुल्क और संभावित रखरखाव शुल्क शामिल हैं जिससे पेटेंट की प्रक्रिया महँगी साबित हो सकती है। यह सीमित संसाधन वाले आविष्कारकों के लिये अड़चन उत्पन्न कर सकता है।
- **पेटेंट कराने के कठोर मानदंड:** भारत में **पेटेंट अधिनियम की धारा 3 के तहत** विशिष्ट प्रावधान हैं जो कुछ आविष्कारों को पेटेंट कराने के दायरे से बाहर रखते हैं। यह संबद्ध विशिष्ट क्षेत्रों में नवाचार के लिये एक बाधा हो सकती है।
- **प्रवर्तन मुद्दे:** पेटेंट कराने के बाद भी **उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ पेटेंटी (पेटेंट धारक) अधिकारों को लागू रखना महँगा** हो सकता है जिसमें काफी समय भी लग सकता है जिसके लिये कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- **बायोपाइरेसी और पारंपरिक ज्ञान के विषय:** आनुवंशिक संसाधनों तक उचित पहुँच सुनिश्चित करना और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा करना पेटेंट प्रणाली में जटिल मुद्दे हो सकते हैं।

नोट :

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।

IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।

संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- **WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):**
  - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 **(पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।**
  - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 **(कॉपीराइट)।**
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:**
  - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
  - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- **बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:**
  - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- **मर्राकेश VIP समझौता, 2016:**
  - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को **अनुच्छेद 27** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।

भारत की पहल और IPR

- **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:**
  - **आदर्श वाक्य:** "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
  - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
  - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
  - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन **(NIPAM)**
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम **(KAPILA)**

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हों	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

Drishti IAS

पेटेंट प्रणाली में सुधार के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है ?

- **प्रक्रिया को सुलभ बनाना: ऑनलाइन फाइलिंग** और उपयोगकर्त्ता-अनुकूल इंटरफेस के साथ **आवेदन प्रक्रिया** को सुलभ बनाना
  - पेटेंट प्रारूपण और अभियोजन के लिये स्पष्ट और सुलभ दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- **अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना:** त्वरित जाँच के लिये पेटेंट कार्यालयों में **मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों में वृद्धि**।
- महत्त्वपूर्ण आविष्कारों के लिये त्वरित परीक्षण विकल्प प्रदान करना।
- **बैकलॉग को समाप्त करना:** मामलों का कुशल प्रबंधन और निपटान रणनीतियों के माध्यम से **बैकलॉग को समाप्त करना**।
- **जागरूकता में वृद्धि करना: शैक्षणिक पाठ्यक्रमों (STEM क्षेत्रों)** में एकीकृत बौद्धिक संपदा (IP) की जागरूकता में वृद्धि करना।
  - लघु उद्योगों के लिये बौद्धिक संपदा (IP) सहायता केंद्र और निःशुल्क विधिक सेवाएँ स्थापित करना।

नोट :

- **सब्सिडी का प्रावधान:** व्यक्तिगत आविष्कारकों और स्टार्टअप के लिये **सरकारी सब्सिडी** और शुल्क में कटौती का प्रावधान।
- लागत साझा करने के लिये **पेटेंट पूल और सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना।**
- **पेटेंट योग्यता मानदंड को आसन करना: पेटेंट योग्यता मानदंड की समीक्षा करना** और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
  - आविष्कार की पेटेंट योग्यता का आकलन करने के लिये **प्री-फाइलिंग का परामर्श प्रदान करना।**
- **विधिक तंत्र को मजबूत करना:** विशेष अदालतों और त्वरित न्यायनिर्णयन सहित बौद्धिक संपदा प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना।
  - लागत-प्रभावी प्रवर्तन के लिये वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना।
- **पारंपरिक ज्ञान की संरक्षण करना:** बायोपाइरेसी के खिलाफ सख्त नियम और प्रभावी कार्यान्वयन लागू करना
  - बेहतर संरक्षण के लिये पारंपरिक ज्ञान का **राष्ट्रीय डेटाबेस** विकसित करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में दिये जाने वाले पेटेंट की संख्या में वृद्धि के संभावित सामाजिक-आर्थिक लाभों पर चर्चा कीजिये तथा सामाजिक उन्नति के लिये इन लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की रणनीति प्रस्तुत कीजिये।

गिग वर्कर्स के लिये सामाजिक सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **कर्नाटक**, राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिये कानून लाने वाला दूसरा राज्य बना।

- **कर्नाटक** सरकार ने इस कानून **{कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कर्मकार (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक}** का प्रारूप संस्करण प्रस्तुत किया जिसका लक्ष्य **बोर्ड, कल्याण कोष और शिकायत प्रकोष्ठ** स्थापित कर राज्य में प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को विनियमित करना है।

विधेयक से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं ?

- **कल्याण बोर्ड का गठन:** कर्नाटक के श्रम मंत्री, दो एग्रीगेटर अधिकारी, दो गिग वर्कर और एक सिविल सोसायटी सदस्य को शामिल करते हुए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा।
  - प्रारूप विधेयक में श्रमिकों के लिये **दो-स्तरीय शिकायत निवारण** तंत्र और प्लेटफॉर्मों द्वारा नियोजित स्वचालित निगरानी तथा निर्णय लेने की प्रणालियों के संबंध में अधिक पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है।

गिग वर्कर्स यूनियन ने हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की

- **तेलंगाना में गिग वर्कर्स की यूनियन** ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से गिग वर्कर्स पर हीटवेव के प्रभाव पर विचार करने की मांग की।
- यूनियन की मांग है कि हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिये और **श्रमिकों के लिये सहायता प्रणाली** स्थापित की जानी चाहिये।
- इसमें **स्वच्छ पेयजल, ओरल रिहाइड्रेशन, सुलभ शौचालय, विश्राम हेतु छायादार स्थल,** अत्यधिक गर्मी की स्थिति में **कार्य के उपयुक्त घंटों** के विकल्प के साथ अनिवार्य विराम की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में **राज्य सरकार के हस्तक्षेप** सहित 10 मांगें रखी गई हैं।

- **समय पर भुगतान:** इस प्रारूप में एग्रीगेटर्स द्वारा वर्कर को प्रत्येक सप्ताह भुगतान करने और भुगतान में कटौती के कारणों के बारे में उन्हें सूचित करने का आदेश दिया गया है।
- **विशिष्ट पहचान:** गिग वर्कर बोर्ड के साथ पंजीकरण करने के साथ सभी प्लेटफॉर्म पर प्रयोज्य **विशिष्ट पहचान** प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण:** इसमें गिग वर्कर्स के लिये शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ योगदान के आधार पर सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- **स्वायत्तता एवं संविदात्मक अधिकार:** अनुबंधों को समाप्त करने की अधिक स्वतंत्रता तथा नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक कार्य दबाव से बचना, इस विधेयक के दो लक्ष्य हैं।
  - एग्रीगेटर किसी भी कर्मचारी को **लिखित में वैध कारण बताए बिना** तथा **14 दिन की पूर्व सूचना दिये बिना नौकरी से नहीं** हटाएगा।
- **कार्यात्मक वातावरण एवं सुरक्षा:** एग्रीगेटर्स के लिये यह अनिवार्य है कि वे गिग वर्कर्स हेतु सुरक्षित कार्यात्मक वातावरण बनाए रखें।
- **कल्याण निधि:** प्रस्तावित निधि का वित्तपोषण राज्य और श्रमिक योगदान के साथ-साथ एग्रीगेटर्स से प्राप्त कल्याण शुल्क द्वारा किया जाएगा।
- **दंड:** विधेयक के अंतर्गत शर्तों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स के लिये मूल **जुर्माना 5,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए** किया जा सकता है।

नोट :

गिग वर्कर्स कौन हैं ?

- **गिग वर्कर्स:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार, गिग इकॉनमी एक श्रम बाज़ार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों द्वारा भरे गए अस्थायी और अंशकालिक पदों पर बहुत अधिक निर्भर करता है तथा साथ ही वे ऐसी गतिविधियों से लाभ अर्जित करते हैं।
- **गिग इकोनॉमी:** एक **मुक्त बाज़ार प्रणाली जिसमें अस्थायी पद सामान्य** होते हैं और संगठन अल्पकालिक **अनुबंधों के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध** करते हैं।
  - नीति आयोग की **2022 की रिपोर्ट** का अनुमान है कि **वर्ष 2029-30 तक भारत** में **23.5 मिलियन गिग वर्कर्स** होंगे।

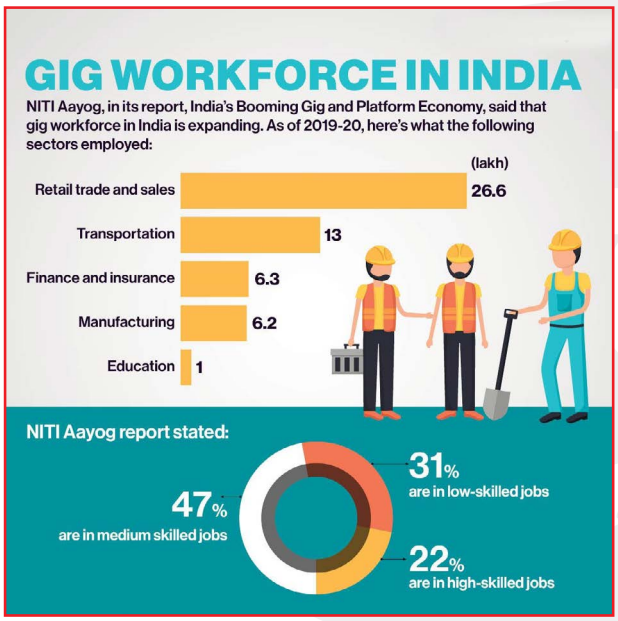

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की क्या आवश्यकता है ?

- **बारंबार समापन:** श्रमिकों का पक्ष सुने बिना उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने या नौकरी से बर्खास्त करने की घटनाएँ बढ़ी हैं।
- आर्थिक सुरक्षा: यह क्षेत्र मांग पर निर्भर करता है, जिसके कारण नौकरी की असुरक्षा और आय की अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे बेरोज़गारी बीमा, विकलांगता कवरेज तथा सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- स्वास्थ्य बीमा: नियोक्ता द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्वास्थ्य सेवा लाभों तक पहुँच की कमी के कारण गिग कर्मचारी अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने से एक स्वस्थ तथा अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण होगा।
- **समान अवसर:** पारंपरिक रोज़गार सुरक्षा से छूट से असमानताएँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ गिग वर्कर्स को **शोषणकारी कार्य स्थितियों और अपर्याप्त मुआवज़े का सामना करना** पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने से समान अवसर मिलेंगे।
- **दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा:** नियोक्ता द्वारा प्रायोजित **सेवानिवृत्ति योजनाओं के बिना गिग** वर्कर्स को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त बचत करने में कठिनाई हो सकती है।

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **वर्गीकरण और अत्यधिक लचीलापन:** **'गिग इकोनॉमी' (Gig Economy)** को इसके लचीलेपन के लिये जाना जाता है, जहाँ कामगारों को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि वे कब, कहाँ और कितना कार्य करें।
  - इस लचीलेपन को समायोजित करने वाले तथा गिग श्रमिकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले **सामाजिक सुरक्षा** लाभों को डिज़ाइन करना एक जटिल कार्य है।
- **वित्तपोषण और लागत वितरण:** पारंपरिक **सामाजिक सुरक्षा** प्रणालियाँ नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नियोक्ता आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करते हैं।
  - पारंपरिक **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ नर्स और कर्मचारियों** के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नर्स आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करती हैं।
- **समन्वय और डेटा साझाकरण:** विभिन्न **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये गिग वर्कर्स के आय अर्जन, योगदान एवं पात्रता का सटीक आकलन करने के लिये गिग प्लेटफॉर्म,** सरकारी एजेंसियों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच कुशल डेटा साझाकरण और समन्वयन आवश्यक है।
  - लेकिन चूँकि गिग वर्कर्स प्राय: कई प्लेटफॉर्म या क्लाइंट्स के लिये कार्य करते हैं, जिससे इस संदर्भ में समन्वय करना और उचित कवरेज सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **शिक्षा और जागरूकता:** कई गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में **अपने अधिकारों और पात्रता से अनभिज्ञ** भी हो सकते हैं।
  - इनकी जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा, पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

नोट :

गिग वर्कर्स से संबंधित सरकार की पहल

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020** में 'गिग अर्थव्यवस्था' पर एक अलग खंड शामिल है और यह **गिग नियोक्ताओं पर एक सामाजिक सुरक्षा कोष** में योगदान करने का दायित्व डालता है, जिसे सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- वेतन संहिता 2019, गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन तथा न्यूनतम वेतन का प्रावधान करती है।
- **राजस्थान विधानसभा** ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया जिसका उद्देश्य गिग श्रमिकों को **सामाजिक सुरक्षा** लाभ प्रदान करना है।

गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का क्रियान्वयन:** हालाँकि **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** में गिग वर्कर्स के लिये उपबंध मौजूद हैं, लेकिन **विभिन्न राज्यों द्वारा इस संदर्भ में नियमों को तैयार किया जाना** अभी शेष है और बोर्ड की स्थापना के संबंध में भी अधिक कुछ नहीं किया गया है। सरकार को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिये।
- **नियोक्ता की ज़िम्मेदारियों का विस्तार:** गिग श्रमिकों के लिये **मज़बूत समर्थन** उन गिग कंपनियों की तरफ से आना चाहिये जो इस **दक्ष एवं निम्न लागत वाली कार्यव्यवस्था से लाभान्वित** होती हैं।
  - गिग वर्कर्स को **स्व-नियोजित या स्वतंत्र अनुबंधकर्त्ता** के रूप में वर्गीकृत किया जाए, व्यवहार्यत: यह उचित नहीं भी हो सकता है।
  - कंपनियों को नियमित कर्मचारी के समान लाभ प्रदान किये जाने चाहिये।
- **शिक्षा एवं प्रशिक्षण:** सरकार को गिग श्रमिकों के कौशल में सुधार लाने तथा उनकी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिये **शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश** करना चाहिये।
- **सरकारी सहायता: सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी साझा करने हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी तंत्र** स्थापित करने के लिये सरकारों, गिग प्लेटफॉर्मों एवं श्रमिक संगठनों के बीच सहयोग स्थापित करना।
  - उदाहरण के लिये, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को नियोक्ता के साथ लागत साझा करते हुए गिग श्रमिकों को भी कवर करने हेतु बढ़ाया जाना चाहिये।
- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को अपनाना: ब्रिटेन ने गिग श्रमिकों को "श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत करके एक मॉडल स्थापित किया है, जो कर्मचारियों तथा स्व-रोज़गार वाले लोगों के बीच की श्रेणी है।
  - इससे उन्हें **न्यूनतम वेतन, सवैतनिक छुट्टियाँ, सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ और स्वास्थ्य बीमा** सुरक्षित होता है।
  - उन्हें **इंडोनेशिया में स्वास्थ्य, दुर्घटना और मृत्यु बीमा** आदि के अधिकार प्राप्त हैं।
- **महिला सशक्तीकरण को गिग इकोनॉमी से जोड़ना:** ऐसे भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है जो गिग कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करे।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित आवश्यकताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। साथ ही इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालिये।

भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय औषधि नियामक द्वारा निरीक्षण की गई लगभग 36% औषधि निर्माण इकाइयों को दिसंबर 2022 से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drug Standards Control Organisation - CDSCO) द्वारा जोखिम आधारित निरीक्षण के बाद गुणवत्ता मानकों का पालन न करने के कारण बंद कर दिया गया।

गुणवत्ता नियंत्रण विफलताओं को उजागर करने वाली घटनाएँ क्या हैं?

- भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस और मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US Food and Drug Administration- FDA) ने भारतीय सुविधाओं के 145 निरीक्षणों में से 13% को आधिकारिक कार्रवाई संकेत OAI के रूप में वर्गीकृत किया, जो कि 15% OAI के वैश्विक औसत से कम है।
  - डेटा अखंडता के मुद्दे प्रचलित थे, जिनमें गलत डेटा, अनुचित समूह वितरण, संदिग्ध नमूना पुन:विश्लेषण प्रथाएँ और खराब प्रणालीगत गुणवत्ता प्रबंधन शामिल थे।
- अक्टूबर 2022 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के चार उत्पादों को तीव्र किडनी की चोट और गाम्बिया में ज़हरीले रसायनों डाइएथिलीन ग्लाइकॉल तथा एथिलीन ग्लाइकॉल के संदूषण के कारण 66 बच्चों की मौत से जोड़ते हुए एक चेतावनी जारी की।

नोट :

- **दिसंबर 2022** में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने उज़्बेकिस्तान में **18 बच्चों की मौत** के संबंध में जाँच शुरू की जो कथित रूप से **भारतीय फर्म मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित एक खाँसी की औषधि** थी।
  - हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने कथित रूप से भारत से आयातित आई ड्रॉप्स से जुड़े औषधि प्रतिरोधी बैक्टीरिया स्ट्रेन पर चिंता व्यक्त की थी।
- जनवरी 2020 में जम्मू में 12 बच्चों की दूषित औषधि खाने से मौत हो गई, जिसमें **डायथिलीन ग्लाइकॉल** पाया गया था, जिससे किडनी में विषाक्तता हो गई थी।

भारत में औषधिओं का नियमन कैसे होता है ?

- **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:**
  - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 ने औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के विनियमन के लिये केंद्रीय एवं राज्य नियामकों को **विभिन्न ज़िम्मेदारियाँ सौंपी** हैं।
  - यह आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधिओं के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करने के लिये नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):**
  - देश में **औषधि, सौंदर्य प्रसाधनों, निदान और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा गुणवत्ता** सुनिश्चित करने के लिये मानक एवं उपाय निर्धारित करता है।
  - नई औषधि और नैदानिक परीक्षण मानकों के बाज़ार प्राधिकरण को विनियमित करता है।
- **ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया:**
  - DCGI, **भारत सरकार के CDSCO विभाग का प्रमुख** है जो भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके एवं सीरम जैसी औषधिओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - DCGI भारत में औषधिओं के **विनिर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिये मानक** भी निर्धारित करता है।

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की स्थिति क्या है ?

- **वर्तमान परिदृश्य:**
  - भारत विश्व में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है और साथ ही यह वैश्विक स्तर पर जेनेरिक औषधिओं का सबसे बड़ा प्रदाता भी है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी है।
    - वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में **भारत का योगदान 60%** है, जो इसे **विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक** बनाता है।
  - भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा की दृष्टि से **विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तथा मूल्य की दृष्टि से 14वाँ सबसे बड़ा उद्योग** है।
    - फार्मा क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में **लगभग 1.72% का योगदान** देता है।
- **बाज़ार का आकार तथा निवेश:** भारत विश्व भर में **जैव प्रौद्योगिकी के शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक** है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में **जैव प्रौद्योगिकी के लिये तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य** है।

ग्रीनफील्ड बनाम ब्राउनफील्ड निवेश

- ग्रीनफील्ड परियोजना: इसका तात्पर्य **किसी विनिर्माण, कार्यालय या अन्य भौतिक कंपनी-संबंधित संरचना या संरचनाओं के समूह में ऐसे क्षेत्र में निवेश से है जहाँ पहले कोई सुविधाएँ मौजूद नहीं** हैं।
- ब्राउनफील्ड निवेश: जिन **परियोजनाओं को संशोधित या उन्नत किया जाता है उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ** कहा जाता है। इस शब्द का **उपयोग किसी नई उत्पादन गतिविधि को शुरू करने हेतु मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को खरीदने या पट्टे पर देने के लिये** किया जाता है।

  - भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा है और साथ ही इसकी **गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं नवीनता को बढ़ाते हुए वैश्विक फार्मा बाज़ार के आकार के लगभग 13%** तक पहुँचने की आशा है।
  - ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्गों के माध्यम से **100% तक** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति प्रदान की गई है।
    - ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्ग से 74% तक FDI की अनुमति है तथा इससे अधिक के लिये सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है।
  - अनुमान है कि **वर्ष 2030** के अंत तक **भारतीय फार्मास्युटिकल बाज़ार का मूल्य 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच जाएगा।
- **निर्यात:** भारत में विदेशी निवेश के लिये **फार्मास्यूटिकल शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक** है। फार्मास्यूटिकल निर्यात विश्व भर के 200 से अधिक देशों तक पहुँच गया है, जिसमें अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक विनियमित बाज़ार शामिल हैं।

नोट :

- वित्त वर्ष 2024 (अप्रैल-जनवरी) में भारत का औषधि और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात 22.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो इस अवधि में **वार्षिक रूप से 8.12% की वृद्धि** को दर्शाता है।

भारत के फार्मा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **IPR नियमों का उल्लंघन:** भारतीय औषधि कंपनियों को बौद्धिक संपदा अधिकार (**Intellectual Property Rights- IPR**) कानूनों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय औषधि कंपनियों के साथ कानूनी विवाद हुए हैं।
- रॉश ने सिप्ला पर औषधि के एक सामान्य संस्करण का उत्पादन करके कैंसर की औषधि टार्सेवा (Tarceva) के लिये अपने पेटेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ गया, जिससे दोनों कंपनियों के बीच न्यायालयी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें सिप्ला को दोषी पाया गया और रॉश को मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया।
- ऐसा ही एक मामला वर्ष 2014 में स्विस औषधि कंपनी रॉश और भारतीय औषधि निर्माता सिप्ला से जुड़ा था।
- **मूल्य निर्धारण और सामर्थ्य:** भारत अपनी **जेनेरिक औषधि निर्माण** क्षमताओं के लिये जाना जाता है, जिसने विश्व स्तर पर सस्ती स्वास्थ्य सेवा में योगदान दिया है।
  - हालाँकि भारत में औषधियों की **उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा औषधि कंपनियों की लाभप्रदता** बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।
  - इसके अतिरिक्त, जेनेरिक औषधिओं की गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ उद्योग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जो **90% से अधिक अमेरिकी नुस्खों की आपूर्ति करता** है।
- **स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और पहुँच:** भारत के मज़बूत फार्मास्यूटिकल उद्योग के बावजूद आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से हेतु स्वास्थ्य सेवा की पहुँच चुनौती बनी हुई है।
  - अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण और कम स्वास्थ्य बीमा कवरेज जैसे मुद्दे औषधिओं तक पहुँचने में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** भारतीय फार्मा क्षेत्र **सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients- API)** के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो औषधिओं हेतु कच्चा माल है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान से कमी और कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

संबंधित सरकारी पहलें

- फार्मास्यूटिकल्स हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना
- बल्क ड्रग पार्क योजना का प्रसार
- फार्मास्यूटिकल्स उद्योग योजना को मज़बूत करना
- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023

आगे की राह

- **विधायी परिवर्तन और केंद्रीकृत डेटाबेस:** औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940) में संशोधन की आवश्यकता है और एक केंद्रीकृत औषधि डेटाबेस की स्थापना से निगरानी को बढ़ाया जा सकता है तथा सभी निर्माताओं पर प्रभावी विनियमन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **विधायी परिवर्तन और केंद्रीकृत डेटाबेस:** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित करने की आवश्यकता है साथ ही एक केंद्रीकृत ड्रग्स डेटाबेस की निगरानी बढ़ा सकती है एवं सभी निर्माताओं हेतु प्रभावी विनियमन सुनिश्चित कर सकती है।
  - **भारत में 36 क्षेत्रीय औषधि नियामक हैं**, उन्हें एक इकाई में समेकित करने से विनियामक निगरानी एवं प्रभाव नेटवर्क के जोखिम को कम किया जा सकता है।
  - इसके अलावा उत्पाद की निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों में समान गुणवत्ता मानकों को लागू करना आवश्यक है।
- **निरंतर सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना:** फार्मास्युटिकल कंपनियों को **स्वैच्छिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली** और आत्म-सुधार पहलों को लागू करने के लिये प्रेरित करना। इसे उद्योग संघों तथा सरकारी प्रोत्साहनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक रिपोर्टिंग:** नियामक कार्रवाइयों में **पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण विफलताओं की सार्वजनिक रिपोर्टिंग** में वृद्धि। निरीक्षण रिपोर्ट और औषधि वापसी को साझा करने के लिये नामित सरकारी पोर्टल के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है।
- **सतत् विनिर्माण प्रथाओं पर ध्यान:** हरित रसायन, अपशिष्ट में कमी और ऊर्जा दक्षता सहित टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं पर बल, लागत को कम करते हुए क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि कर सकता है।
  - **पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं** को अपनाने से सकारात्मक ब्रांड छवि में भी योगदान दिया जा सकता है और पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है।

नोट :

- **डिजिटल औषधि विनियामक प्रणाली (DDRS):** डिजिटल औषधि विनियामक प्रणाली (डीडीआरएस), जो औषधि विनियमन से संबंधित सभी कार्यों के लिये एक केंद्रीय पोर्टल के रूप में काम करेगी, ने प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) जारी किया है।
  - **सुगम पोर्टल** को बेहतर बनाने के लिये उन्नत किया जा रहा है। यह नया संस्करण **CDSCO की सभी गतिविधियों और कार्यों को एकीकृत करेगा।** अंततः इसके दायरे में राज्य औषधि नियंत्रक और अन्य संबंधित अभिकरण भी शामिल होंगे।
- **औषधि विनियामक संरचना और कार्यों को सुव्यवस्थित तथा तर्कसंगत बनाना:** सरकार को पूरे फार्मा क्षेत्र को विनियमित करने और औषधि कानूनों तथा मानदंडों के प्रभावी प्रवर्तन एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त शक्तियों, संसाधनों, विशेषज्ञता व स्वायत्तता के साथ एक एकल, केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिये।
- **फार्माकोविजिलेंस का सुदृढ़ीकरण:** प्रतिकूल प्रभावों की तुरंत पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिये विपणन के बाद औषधि की निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता है। यह गुणवत्ता नियंत्रण के कठोर उपायों के लिये की गई सिफारिशों के अनुरूप है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय फार्मा क्षेत्र के समक्ष विद्यमान मौजूदा चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर इन चुनौतियों के प्रभावों की विवेचना कीजिये।

शास्त्रीय भाषा के लिये मानदंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय** की **भाषाविज्ञान विशेषज्ञ समिति** की सिफारिशों के बाद, केंद्र सरकार ने **शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने** का निर्णय लिया है।

शास्त्रीय भाषाएँ क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - **वर्ष 2004** में भारत सरकार ने **"शास्त्रीय भाषाएँ"** नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया।
  - वर्ष 2006 में इसने **शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिये मानदंड निर्धारित** किये। अब तक **6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा** प्रदान किया जा चुका है।

क्रम.	भाषा	घोषित करने का वर्ष
1.	तमिल	2004
2.	संस्कृत	2005
3.	तेलुगु	2008
4.	कन्नड़	2008
5.	मलयालम	2013
6.	ओड़िया	2014

- **मानदंड:**
  - **प्रारंभिक लेखन और ऐतिहासिक विवरणों** की प्राचीनता **1,500 से 2,000 BC** की है।
  - प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का संग्रह जिसे **पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत** माने जाते है।
  - किसी अन्य **भाषा समुदाय से उधार न ली गई एक मौलिक साहित्यिक परंपरा** की उपस्थिति।
  - **शास्त्रीय भाषा और साहित्य,** आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण, **शास्त्रीय भाषा तथा उसके बाद के रूपों अथवा शाखाओं के बीच एक विसंगति** से भी उत्पन्न हो सकती है।
- **लाभ:**
  - जब किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित कर दिया जाता है, तब उसे उस **भाषा के अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है और साथ ही **प्रतिष्ठित विद्वानों के लिये दो प्रमुख पुरस्कार** प्राप्त करने के मार्ग भी खुल जाते है।
  - इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों से शुरुआत करते हुए शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिये व्यावसायिक पीठ स्थापित करना।
- **हालिया घटनाक्रम:**
  - केंद्र सरकार ने **केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय** की भाषाविज्ञान विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद **शास्त्रीय भाषा का दर्जा** देने के मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
    - भाषाविज्ञान विशेषज्ञ समिति में **केंद्रीय गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि और साथ ही चार से पाँच भाषा विशेषज्ञ** शामिल होते हैं। इसकी **अध्यक्षता** साहित्य अकादमी **के अध्यक्ष द्वारा** की जाती है।
  - **केंद्रीय मंत्रिमंडल** द्वारा अनुमोदन के बाद नए मानदंडों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

नोट :

- इससे **मराठी जैसी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा देने पर विचार करने** में देरी हुई है।

- अन्य भाषा समूहों की ओर से भी अपनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की जाती रही है। उदाहरण के लिये- बंगाली, तुलु आदि।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार **पाली, फारसी और प्राकृत साहित्य** को भी संरक्षित किया जाएगा।

विभिन्न भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के तर्क क्या हैं ?

- **बंगाली:** भाषा परिवार के अनुसार, **बंगाली को इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार की आधुनिक या नई इंडो-आर्यन भाषा के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।
  - **बंगाली वर्णमाला और शब्द** 10वीं शताब्दी ई. के **आरंभिक वर्षों में ही साहित्य में दिखाई** देने लगे थे। तब से लेकर अब तक यह विकास के महत्त्वपूर्ण चरणों से गुज़रते हुए अंततः वर्तमान स्वरूप में आ गया है।
  - हालाँकि बंगाल सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने स्थापित किया कि बंगाली भाषा की उत्पत्ति **2,500 वर्ष पुरानी** है तथा **ठोस साक्ष्य दर्शाते हैं कि इसका लिखित अस्तित्त्व तीसरी-चौथी ईसा पूर्व** तक पहुँच चुका था।
    - शोध से पता चलता है कि **बंगाली ने अपनी मौलिक वाक्य रचना संरचना के साथ-साथ** अपने विशिष्ट रूपात्मक और ध्वन्यात्मक पैटर्न को कम-से-कम तीसरी ईसा पूर्व से लेकर अब तक अपने विकास के दौरान बरकरार रखा है।
- **तुलु:** तुलू (Tulu) एक द्रविड़ भाषा है, जिसे **बोलने-समझने वाले लोग मुख्यतया कर्नाटक के दो तटीय ज़िलों और केरल के कासरागोड ज़िले** में रहते हैं।
  - विद्वानों का मानना है कि **तुलु वह भाषा है जो लगभग 2,000 वर्ष पहले मूल द्रविड़ भाषाओं से अलग हो गई थी और यह द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं** में से एक है।
  - इस भाषा का उल्लेख **तमिल के संगम साहित्य और ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी** किया गया है।
  - तुलु में **मौखिक साहित्य की समृद्ध परंपरा** है, जिसमें पद्दना (Paddana) जैसे लोकगीत और पारंपरिक लोकनाट्य यक्षगान शामिल हैं।

भाषा से संबंधित सांविधानिक प्रावधान क्या हैं ?

- **आठवीं अनुसूची:**
  - इसका उद्देश्य **हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना** तथा भाषा को समृद्ध और **संवर्धित करना** था।
  - **अनुच्छेद 344(1)** में संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु संविधान के प्रारंभ से **पाँच वर्ष की समाप्ति पर** राष्ट्रपति द्वारा एक **आयोग के गठन** का प्रावधान है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 351** के अनुसार **हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना**, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, **संघ का कर्त्तव्य होगा।**
  - **आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ:** संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
    - असमिया, बांगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
  - उक्त भाषाओं में से **केवल 14 को ही प्रारंभ में** आठवीं अनुसूची में **शामिल किया गया** था।
  - सिंधी भाषा को वर्ष 1967 **(21वें संशोधन अधिनियम)** में शामिल किया गया।
  - तीन और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को वर्ष 1992 **(71वें संशोधन अधिनियम)** में शामिल किया गया।
  - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को वर्ष 2004 **(92वें संशोधन अधिनियम)** में शामिल गया।
  - **आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने की मांग:** वर्तमान में आठवीं अनुसूची में **38 और भाषाओं को शामिल करने की मांग** की जा रही है। उदाहरण: अंगिका, बंजारा, बज्जिका, भोजपुरी आदि।
  - **आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने की वर्तमान स्थिति:** चूँकि **बोलियों और भाषाओं का विकास गतिशील** है जो सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विकास से प्रभावित होते हैं इसलिये मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है और इसपर निर्णय **पाहवा (1996) तथा सीताकांत महापात्र (2003) समिति** की अनुशंसा के अनुरूप लिया जाएगा।
- **संघ की भाषा:**
  - **अनुच्छेद 120:** यह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है।
  - **अनुच्छेद 210:** यह अनुच्छेद 120 के समान है किंतु यह राज्य विधानमंडल पर कार्यान्वित होता है।
  - **अनुच्छेद 343:** इसके अनुसार संघ की राजभाषा **हिंदी** और लिपि **देवनागरी** होगी।

नोट :

- **क्षेत्रीय भाषाएँ:**
  - **अनुच्छेद 345:** राज्य विधानमंडल को राज्य के लिये कोई भी **आधिकारिक भाषा** अपनाने की अनुमति देता है।
  - **अनुच्छेद 346:** राज्यों के बीच तथा राज्यों और संघ के बीच संचार के लिये **आधिकारिक भाषा निर्दिष्ट** करता है।
  - **अनुच्छेद 347:** यदि मांग की जाए तो **राष्ट्रपति को किसी राज्य की आबादी के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को मान्यता** देने का अधिकार है।
- **विशेष निर्देश:**
  - **अनुच्छेद 29:** यह **अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा** करता है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी **विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने** का अधिकार है।
  - **अनुच्छेद 350:** यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक **व्यक्ति को संघ या राज्य** में प्रयुक्त किसी भी भाषा में किसी भी शिकायत के निवारण के लिये अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है।
    - **अनुच्छेद 350A:** राज्यों को निर्देश दिया गया है कि **वे भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर** पर मातृभाषा में शिक्षा के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें।
    - **अनुच्छेद 350B: राष्ट्रपति द्वारा** नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की स्थापना की गई, जिसका कार्य संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जाँच करना था।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में विभिन्न भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिये जाने की चल रही मांग पर चर्चा कीजिये। साथ ही ऐसी मान्यता के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2024

चर्चा में क्यों ?

जून 2024 के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की द्वि-वार्षिक **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) डिजिटल व्यक्तिगत ऋणों के प्रसार एवं वित्तीय स्थिरता उपायों** के प्रभाव पर समस्याओं को उजागर करते हुए वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच **भारत की मज़बूत वित्तीय आघात-सह** (resilience) **को रेखांकित** करती है।

जून 2024 के लिये FSR की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **वैश्विक मैक्रोफाइनेंशियल जोखिम:** रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली के बढ़ते जोखिम एवं अनिश्चितताओं के बीच आघात-सहनीयता नहीं प्रदर्शित कर रही है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि **वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर 3.2% पर स्थिर** रहेगी, जबकि विश्व बैंक ने **2.6% की दर का अनुमान लगाया** है।
  - निकट भविष्य की संभावनाएँ बेहतर हो रही हैं, लेकिन मुद्रास्फीति, उच्च सार्वजनिक ऋण, परिसंपत्तियों के बढ़े हुए मूल्यांकन,आर्थिक विखंडन, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु आपदाओं और साइबर खतरें जोखिम बने हुए हैं। उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ (EME) बाह्य झटकों और स्पिलओवर के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं।
- **घरेलू मैक्रोफाइनेंशियल जोखिम:** मज़बूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाँचे तथा एक **सुदृढ़ एवं स्थिर वित्तीय प्रणाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत् विस्तार को समर्थन** प्रदान किया है।
  - मुद्रास्फीति में कमी, मज़बूत बाह्य स्थिति तथा चालू राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से व्यापार और उपभोक्ता के विश्वास में वृद्धि हो रही है।
  - वित्तीय संस्थानों में स्वस्थ तुलन-पत्र मज़बूत पूंजी बफर, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, पर्याप्त प्रावधान एवं पर्याप्त लाभ से घरेलू वित्तीय स्थिति मज़बूत हुई है।
- **बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) का GNPA अनुपात मार्च 2024 में घटकर 2.8% रह गया है, जो 12 वर्षों में सबसे कम है। शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA) **अनुपात** भी सुधरकर 0.6% के पर पहुँच गया है।
  - आधारभूत तनाव परिदृश्य के अंतर्गत मार्च 2025 तक GNPA अनुपात में 2.5% तक सुधार होने की आशा है।
  - यदि समष्टि आर्थिक परिवेश अत्यधिक रूप से खराब हो जाता है तब GNPA अनुपात में 3.4% तक की वृद्धि हो सकती है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिये GNPA अनुपात के गंभीर तनाव परिदृश्य में मार्च 2024 में 3.7% से बढ़कर मार्च 2025 में 4.1% हो सकता है।
  - कृषि क्षेत्र में GNPA अनुपात सर्वाधिक 6.2% रहा, जबकि व्यक्तिगत ऋण 1.2% रहा। फिर भी RBI, वैयक्तिक

नोट :

ऋण **विशेष रूप से डिजिटल एप के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने वालों से उत्पन्न** होने वाली संभावित वित्तीय समस्याओं के बारे में चिंतित है।

- **जमा और ऋण वृद्धि:** वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में जमा वृद्धि बढ़ी, जो मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में 13.5% तक पहुँच गई।
  - **निजी क्षेत्र के बैंकों में जमा वृद्धि दर सबसे अधिक 20.1% रही,** जिसके बाद विदेशी बैंकों में 15.1% तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 9.6% की वृद्धि रही।
  - समग्र ऋण वृद्धि 19.2% पर स्वस्थ रही हालाँकि यह पिछली छमाही की तुलना में थोड़ी कम है।
  - RBI के नियमों के कारण उपभोक्ता ऋण में कमी आई, लेकिन फिर भी यह 32.9% के साथ ऋण पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा घटक बना रहा।
- **पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता:**
  - SCB के पास मज़बूत पूंजी बफर्स है, पूंजी से **जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio- CRAR)** 16.8% पर स्थिर रहा, PSB में सुधार देखा गया तथा निजी/विदेशी बैंकों में मामूली गिरावट देखी गई।
    - CRAR किसी **बैंक की उपलब्ध पूंजी का माप है जो उसके जोखिम-भारित ऋण जोखिम के प्रतिशत के** रूप में होता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि बैंकों के पास संभावित घाटे को संभालने और दिवालियापन से बचने के लिये पर्याप्त पूंजी है।
  - परिसंपत्तियों पर रिटर्न (Return on assets- RoA) और इक्विटी पर रिटर्न (Return on Equity- RoE) क्रमशः 1.3% तथा 13.8% के दशक के उच्चतम स्तर के करीब हैं।
    - **ROA एक लाभप्रदता** अनुपात है जो मापता है कि कोई कंपनी लाभ कमाने के लिये अपनी परिसंपत्तियों का कितना अच्छा उपयोग करती है। **इसकी गणना किसी कंपनी की शुद्ध आय को उसकी कुल परिसंपत्तियों से** विभाजित करके की जाती है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
    - **ROE किसी कंपनी की वित्तीय सेहत का आकलन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मीट्रिक है,** जिसकी गणना कंपनी की शुद्ध आय को इक्विटी फाइनेंसिंग से विभाजित करके की जाती है। यह समझने में मदद करता है कि लाभ उत्पन्न करने हेतु शेयरधारक इक्विटी का कितनी कुशलता से उपयोग किया गया है।
- **तनाव परीक्षण परिणाम:** बैंकों ने तनाव के प्रति पर्याप्त लचीलापन दर्शाया है तथा SCB मध्यम और अत्यधिक तनाव परिदृश्यों में समष्टि आर्थिक झटकों को संभालने के लिये पर्याप्त पूंजीकृत हैं।
  - तनाव परीक्षण एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा यह आकलन करने के लिये किया जाता है कि कोई बैंक या वित्तीय प्रणाली प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यों का सामना किस प्रकार कर सकती है।

नोट: FSR, RBI द्वारा अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की **उप-समिति के सामूहिक** मूल्यांकन को दर्शाता है, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन का मूल्यांकन करती है और वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिमों की पहचान करती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ क्या हैं ?

श्रेणी	विवरण
परिभाषा	• कोई परिसंपत्ति तब NPA बन जाती है जब वह बैंक के लिये आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। यह **आमतौर पर एक ऋण या अग्रिम** होता है जहाँ मूलधन या ब्याज का भुगतान एक निश्चित अवधि के लिये बकाया रहता है। **अधिकांश ऋणों हेतु यह अवधि 90 दिन** होती है। • कृषि ऋणों हेतु अल्पावधि फसल ऋणों को NPA माना जाएगा यदि मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिये बकाया रहती है। दीर्घावधि फसल ऋणों को NPA माना जाएगा यदि मूलधन या ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिये बकाया रहती है।

नोट :

NPA के प्रकार	• **अवमानक परिसंपत्ति:** 12 महीने या उससे कम अवधि के लिये NPA। • **संदिग्ध परिसंपत्ति:** यदि कोई परिसंपत्ति 12 महीने तक घटिया श्रेणी में रहती है तो उसे संदिग्ध माना जाता है। एक संदिग्ध ऋण में वही कमज़ोरियाँ होती हैं जो घटिया संपत्तियों में होती हैं। • **हानि परिसंपत्तियाँ:** ऐसी अप्राप्य परिसंपत्तियाँ जिनकी वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें पूरी तरह से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।
सकल NPA (GNPA)	• अनंतिम राशि काटे बिना NPA की कुल राशि। • बैंक ऋण राशि का एक प्रतिशत प्रावधान के रूप में अलग रखते हैं। भारतीय बैंकों में, ऋण के लिये प्रावधान की मानक दर व्यवसाय क्षेत्र और उधारकर्त्ता की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर 5 से 20% तक होती है। एनपीए के लिये, बेसल-III मानकों के अनुसार 100% प्रावधान की आवश्यकता होती है।
शुद्ध NPA	• सकल NPA - प्रावधान राशि।
NPA अनुपात	• इससे यह पता चलता है कि कुल अग्रिम राशि में से कितनी राशि वसूल नहीं की जा सकी है। • GNPA अनुपात कुल अग्रिमों के कुल GNPA का अनुपात है। • NNPA अनुपात कुल अग्रिमों के अनुपात को निर्धारित करने के लिये शुद्ध NPA का उपयोग करता है।

डिजिटल व्यक्तिगत ऋण एक चिंता का विषय क्यों हैं?

- **डिजिटल व्यक्तिगत ऋण की वृद्धि:** डिजिटल एप्स के माध्यम से वितरित व्यक्तिगत ऋणों में अतिदेय खातों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जिससे वित्तीय स्थिरता के लिये चिंता बढ़ गई है।
  - 2010 के दशक के मध्य तक, बैंक **प्राय: बड़े उद्योगों को बड़े पैमाने पर ऋण** देते थे। हालाँकि इनमें से कई ऋण खराब हो गए और वर्ष **2017 में** बैड लोन **10% तक पहुँच गए**।
  - वर्ष 2017 के बाद, **बैंकों ने उद्योगों को ऋण देना कम कर दिया** और **व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियाँ तथा आवास ऋण** सहित खुदरा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन से बैंकों को खराब ऋणों की वसूली में मदद मिली, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
  - 2010 के दशक के मध्य में युवा, **डिजिटल रूप से समझदार उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाले तत्काल ऋण एप का प्रसार हुआ** और संभावित ऋण जाल में फँस गए।
  - पिछले 11 वर्षों में, डिजिटल ऋण बाज़ार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, **जो वर्ष 2023 तक अनुमानित 350 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।**
- **बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव:** खुदरा ऋणों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा बकाया राशि के मामले में **यह औद्योगिक और सेवा ऋणों से आगे निकल गया है।**
  - खुदरा ऋणों की खतरनाक वृद्धि ने **RBI को नियामक उपायों को लागू करने के लिये प्रेरित किया**, हालाँकि व्यक्तिगत ऋणों के लिये समग्र GNPA अनुपात लगातार कम हो रहा है, जो मार्च 2024 में 1.2% तक पहुँच जाएगा।
  - तत्काल ऋण ऐप्स के प्रसार ने कई उपभोक्ताओं के लिये कर्ज़ का जाल बिछा दिया है। ये एप्स अक्सर उपयोगकर्त्ताओं को उनकी क्षमता से ज़्यादा लोन लेने के लिये प्रेरित करते हैं, जिससे वित्तीय संकट पैदा होता है।
- **RBI की चिंताएँ:** खुदरा ऋणों (आवास ऋण के अतिरिक्त) के कारण स्लिपेज (गिरावट) या अशोध्य ऋणों की वृद्धि तेज़ी से बढ़ रही है जो **वित्त वर्ष 24 में नए NPA का 40%** है।
  - 50,000 रुपए से कम के वैयक्तिक ऋणों के संबंध में अपचारिता/चूक (Delinquency) का स्तर उच्च बना हुआ है। इनमें से कई ऋण डिजिटल एप के माध्यम से NBFC-Fintech ऋणदाताओं द्वारा मंज़ूर किये गए थे।
  - **25 वर्ष** से कम आयु के उधारकर्त्ताओं में चूक की दर सबसे अधिक **5%** है। **26-35 आयु वर्ग** में यह **3%, 36-45 वर्ष** में **2%** और **45 वर्ष** से अधिक आयु वर्ग में **1%** है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 3% की चूक दर दर्ज की गई है जबकि मेट्रो तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 2% की दर है।

डिजिटल पर्सनल लोन

- ये मोबाइल एप्लीकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले ऋण हैं। परंपरागत बैंकों के विपरीत, ये ऋणदाता प्राय: न्यूनतम कागज़ी कार्रवाई और ऋण के तत्काल अनुमोदन के साथ **सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया** प्रदान करते हैं जिसके लिये वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

नोट :

डिजिटल पर्सनल लोन

- ऋण पहुँच की यह सुगमता व्यापक संख्या में लोगों को आकर्षित करती है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी परंपरागत बैंकिंग सेवाओं तक सुगम पहुँच नहीं होती है।
- डिजिटल ऋण प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म उन लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं अथवा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच अपर्याप्त है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और यह भारत सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है।

डिजिटल पर्सनल लोन की वसूली के लिये क्या किया जा सकता है ?

- **वित्तीय प्रौद्योगिकी:** फिनटेक कंपनियों को वसूली के लिये **स्वचालित पुनर्भुगतान योजनाओं** और ऋण समेकन विकल्पों जैसे उपाय विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - ऋण निष्पादन की निरंतर निगरानी की जानी चाहिये और संभावित चूक की जल्द पहचान की जानी चाहिये।
- **ऋण-पात्रता मूल्यांकन:** क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के अन्य विकल्पों का अन्वेषण किया जा सकता है जो पारंपरिक क्रेडिट रिकॉर्ड के अतिरिक्त आय स्थिरता और वित्तीय व्यवहार पैटर्न जैसे कारकों पर आधारित हो सकता है।
- **बेहतर दक्षता:** पारंपरिक विधियों की तुलना में डिजिटल NPA वसूली प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। **संचार और डेटा विश्लेषण जैसे कार्यों को स्वचालित करने से अन्य क्षेत्रों के लिये संसाधन जुटाए जा सकते हैं।**
- **विधिक उपाय:** बकाया राशि की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिये ऋण वसूली अधिकरण (DRT) को उपयोग में लाया जा सकता है। **कुशल वसूली** के लिये लोक अदालत और SARFAESI अधिनियम, 2002 जैसे विधिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में अनर्जक परिसंपत्तियों (NPA) की प्रवृत्तियों और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिये।

प्रश्न: भारत में डिजिटल वैयक्तिक ऋण के चलन में आई वृद्धि का मूल्यांकन कीजिये। उनकी लोकप्रियता के मुख्य कारक क्या हैं और वे वित्तीय स्थिरता के लिये कौन-से जोखिम उत्पन्न करते हैं?

कॉर्पोरेट्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER)** की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में शीर्ष प्रबंधन और कंपनी बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन अभी भी यह वैश्विक औसत से काफी कम है।

- **विश्व बैंक** के एक अन्य अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत को ऋण तक आसान पहुँच के लिये **महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों** के लिये एक **विशिष्ट प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा** देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER)

- यह भारत का अग्रणी **स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान संस्थान** है। **वर्ष 1956** में स्थापित यह **सर्वेक्षण और डेटा संग्रह** के माध्यम से **व्यावहारिक आर्थिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित** करता है।

प्राथमिक क्षेत्र में योगदान:

- RBI ने बैंकों को अपने **फंड का एक निश्चित हिस्सा** कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढाँचा तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे **अन्य क्षेत्रों** को ऋण प्रदान का आदेश दिया है।
  - सभी **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** और **विदेशी बैंकों** (भारत में एक बड़ी उपस्थिति के साथ) को इन क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिये अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANDC) का **40% अलग रखना** अनिवार्य है।
  - **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों** को ANDC का **75%** PSL को आवंटित करना होगा।
- **इसके पीछे यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त संस्थागत ऋण अर्थव्यवस्था के कमज़ोर क्षेत्रों तक पहुँचे**, जो अन्यथा लाभप्रदता के दृष्टिकोण से बैंकों के लिये आकर्षक नहीं हो सकते हैं।

भारतीय कॉर्पोरेट्स में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर NCAER के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

- **शीर्ष प्रबंधन पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी** वित्त वर्ष 2014 में लगभग **14%** से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में लगभग **22%** हो गई।

नोट :

- भारत में कंपनी बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014 में लगभग 5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में लगभग 16% हो गई।
- **भारत में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी** केवल **20%** है, जबकि वैश्विक औसत **33%** है।
- **NSE सूचीबद्ध फर्मों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी:**
  - अध्ययन की गई लगभग **60%** फर्मों, जिनमें बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष **10 NSE**-सूचीबद्ध फर्मों में से **5 शामिल** हैं, की मार्च 2023 तक उनकी शीर्ष प्रबंधन टीमों में **कोई महिला नहीं थी।**
  - लगभग **10%** फर्मों में **मात्र एक महिला थी।**

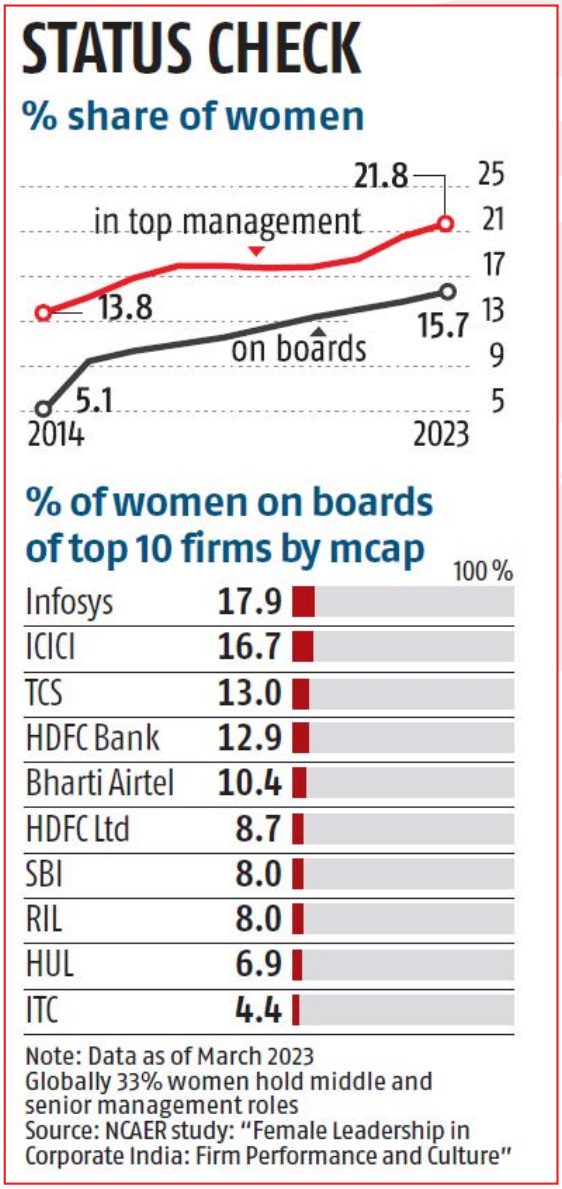

नोट:

- विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, **महिलाओं की वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) 50%** से थोड़ी अधिक है, **जबकि पुरुषों की 80% है।**
- **श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR)** कुल श्रम शक्ति को कुल कार्यशील आयु वर्ग की आबादी से विभाजित करने का अनुपात है। जो कार्यशील आयु वर्ग की आबादी 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को संदर्भित करती है।
  - भारत में महिलाओं की LFPR वर्ष 2017 में 23% से बढ़कर वर्ष 2023 में लगभग 37% हो गई है।

भारत में महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर विश्व बैंक की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- **महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों हेतु प्राथमिकता क्षेत्र का टैग प्रदान करना:** विश्व बैंक के अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं के सूक्ष्म उद्यमों को दिये जाने वाले ऋणों को अलग से प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
  - यह उच्च विकास क्षमता वाले महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को विशेष रूप से पूरा करने के लिये सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के भीतर एक नवीन उप-श्रेणी निर्माण का सुझाव देता है।
- डिजिटल विभाजन को कम करना: रिपोर्ट ने महिला उद्यमियों को डिजिटल साक्षरता से युक्त करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जिसमें उनकी वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिये डिजिटल बहीखाता और भुगतान प्रणालियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
- स्थायी विकास हेतु स्नातक कार्यक्रम: रिपोर्ट में सूक्ष्म ऋणकर्त्ताओं को मुख्यधारा के वाणिज्यिक वित्त में मदद करने के लिये स्नातक कार्यक्रमों को लागू करने का सुझाव दिया गया है।
  - यह ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमिता को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और सूचित निर्णय लेने के लिये बैंकों सहित हितधारकों द्वारा ज़िला-स्तरीय डेटा एनालिटिक्स के रणनीतिक उपयोग का भी समर्थन करता है।
- संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना: रिपोर्ट में मेंटरशिप और व्यावसायिक सहायता के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में इनक्यूबेशन केंद्रों को विकेंद्रीकृत करने की सिफारिश की गई है।
  - यह समुदाय और सहकर्मी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये महिला उद्यमी संघों को विकसित करने का भी सुझाव देता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय कॉर्पोरेट जगत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी की स्थिति पर चर्चा कीजिये। कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उपाय भी सुझाइये।

नोट :

भारत की महत्त्वाकांक्षी विमानपत्तन विस्तार योजना

चर्चा में क्यों ?

भारत की योजना वर्ष 2047 तक अपने परिचालन हेतु **विमानपत्तन/हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना करके 300 तक** करने की है, जो यात्री यातायात में आठ गुना वृद्धि के कारण संभव होगा। इस महत्त्वाकांक्षी विस्तार में देश भर में मौजूदा हवाई पट्टियों का विकास एवं नए हवाई अड्डों का निर्माण शामिल है।

इस विस्तार को प्रेरित करने वाले कारक क्या हैं ?

- **मौजूदा हवाई पट्टियों का विकास:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण(AAI) 70 हवाई पट्टियों को A320 या B737 जैसे संकीर्ण अवसंरचना वाले विमानों को संभालने में सक्षम हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है।
  - **मांडवी (गुजरात), सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश), तुरा (मेघालय) और छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)** में मौजूदा हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के लिये उन्नत किया जा सकता है। छोटे विमानों को समायोजित करने हेतु लगभग 40 हवाई पट्टियाँ विकसित की जानी हैं।
  - यदि मौजूदा हवाई पट्टियों का विकास नहीं किया जा सकता है अथवा 50 किलोमीटर के भीतर कोई नागरिक हवाई अड्डा नहीं है तो नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।

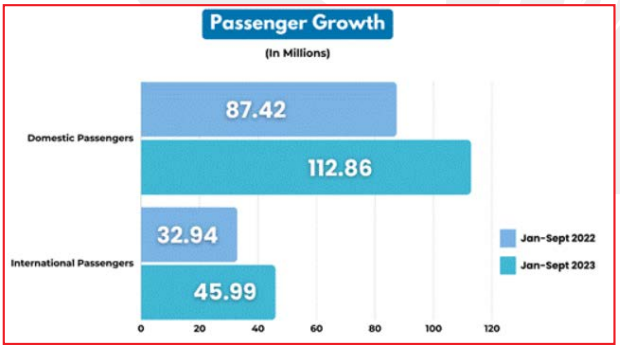

  - नए **ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे** कोटा (राजस्थान), परंदूर (तमिलनाडु), कोट्टायम (केरल), पुरी (ओडिशा), पुरंदर (महाराष्ट्र), कार निकोबार एवं मिनिकॉय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में बनाए जा सकते हैं।
- **अनुमानित यात्री यातायात वृद्धि: वर्ष 2047 तक यात्री यातायात में आठ गुना वृद्धि** होने की आशा है, जो **376 मिलियन से बढ़कर 3-3.5 बिलियन वार्षिक** हो जाएगा। इस वृद्धि में **अंतर्राष्ट्रीय यातायात का योगदान 10-12%** प्राप्त सकता है।
  - यह योजना विज़न 2047 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा की मांग में भारी वृद्धि को समायोजित करना है।
- **उड़ान योजना कार्यान्वयन:** उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) जैसी योजनाओं के माध्यम से **टियर-II और टियर-III शहरों** में कनेक्टिविटी में सुधार करना।
  - वर्ष 2014 में, 74 परिचालन हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 148 हो गए हैं। उड़ान योजना के तहत, 58 हवाई अड्डों, 8 हेलीपोर्ट तथा 2 जल हवाई अड्डों सहित 68 कम सेवा वाले/असेवित गंतव्यों को जोड़ा गया है। इसने 29 से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को हवाई कनेक्टिविटी विकसित हुई है।
  - भारत का विमानन अवसंरचना हवाई अड्डों पर अत्यधिक भीड़भाड़ वाला है। **हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि** के साथ, देश भर के प्रमुख **हवाई अड्डे अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक परिचालन** कर रहे हैं।

- **आय का बढ़ता स्तर:** वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, प्रति व्यक्ति आय 18,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की आशा है। यह आर्थिक वृद्धि विमानन विस्तार को बढ़ावा देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक भी है।
  - अधिक व्यय योग्य आय के कारण जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिये हवाई यात्रा अधिक किफायती हो जाती है।
  - बढ़ता हुआ **मध्यम वर्ग व्यवसाय और अवकाश दोनों के लिये** अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा हवाई यात्रा को प्राथमिकता देगा।
  - आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई व्यावसायिक गतिविधियाँ तथा पर्यटन से हवाई यात्रा की मांग में और वृद्धि होगी।
- **एयर कार्गो में प्रत्याशित वृद्धि:** हालाँकि यात्री के यातायात का ध्यान देना प्राथमिक है, लेकिन विस्तृत होते एयर कार्गो क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया है।
  - ई-कॉमर्स का विकास कुशल **हवाई माल ढुलाई सेवाओं** की मांग को बढ़ा रहा है।

नोट :

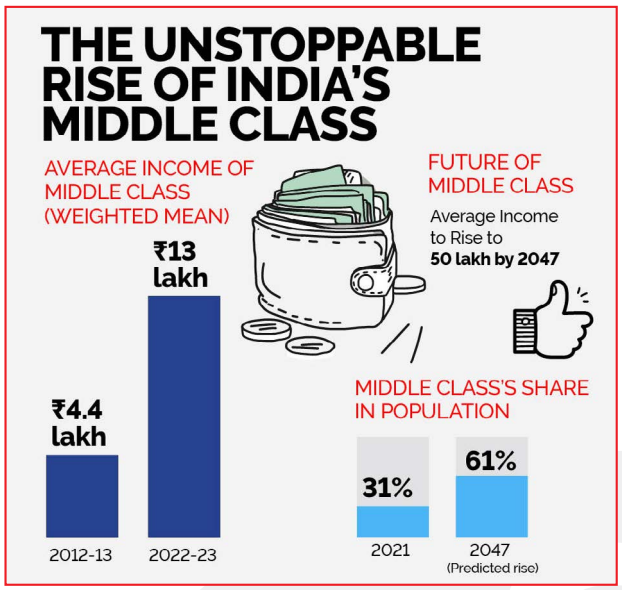

- भारत का लक्ष्य वैश्विक एयर कार्गो बाज़ार में एक प्रमुख अभिकर्त्ता बनना है।
- नए और विस्तारित हवाई अड्डों में कार्गो-हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि होगी।

- **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों का विकास:** भारत का लक्ष्य अपने प्रमुख हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के रूप में स्थापित करना है, ताकि वे **मध्य पूर्व** और **दक्षिण पूर्व एशिया** के स्थापित केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
  - यह आकांक्षा मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ-साथ नए हवाई अड्डों के विकास को भी प्रेरित कर रही है, ताकि अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों तथा यात्रियों को आकर्षित किया जा सके, **पारगमन यातायात में वृद्धि हो एवं भारत में पर्यटन और व्यावसायिक** यात्रा को बढ़ावा मिले।
- **हवाई यात्रा की कम पहुँच:** भारत का विमानन **बाज़ार विश्व के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में भारत में हवाई यात्रा की पहुँच** अभी भी कम है।
  - AAI का आकलन अन्य प्रमुख बाज़ारों के साथ दिलचस्प तुलना प्रदान करता है:
    - **चीन (2019):** प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 0.47 यात्राएँ (प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद: 10,144 अमेरिकी डॉलर), **USA:** प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 1.2-1.3 यात्राएँ (प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद: 20,000 अमेरिकी डॉलर) और **वर्ष 2047 के लिये भारत का अनुमान:** प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 1 यात्रा (प्रति व्यक्ति अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद: 18,000-20,000 अमेरिकी डॉलर)।
  - इससे विकास के लिये अत्यधिक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि आय का स्तर बढ़ेगा और हवाई यात्रा अधिक सुलभ होगी तथा मांग में भी तेज़ी आने की उम्मीद है।
  - विस्तार योजना हवाई यात्रा अपनाने में अपेक्षित वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने और उसके लिये तैयारी करने हेतु तैयार की गई है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India- AAI) भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के **नागरिक उड्डयन महानिदेशालय** के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन वर्ष 1995 में **राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण** को मिलाकर किया गया था।
- यह भारतीय **हवाई क्षेत्र और आस-पास के समुद्री क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रबंधन** सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- AAI के कार्यों में हवाई अड्डे का विकास, हवाई क्षेत्र नियंत्रण, यात्री और कार्गो टर्मिनल प्रबंधन तथा संचार एवं नेविगेशन सहायता का प्रावधान शामिल हैं।
- AAI **2.8 मिलियन वर्ग समुद्री मील हवाई क्षेत्र में हवाई नेविगेशन सेवाएँ** प्रदान करता है।

भारत में हवाई अड्डों के विस्तार के लिये चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भूमि की कमी:** बढ़ते **शहरीकरण** के कारण भूमि की कमी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर बड़े शहरों और कस्बों में। भूमि की लागत और उपलब्धता कई हवाईअड्डा परियोजनाओं की व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकती है।
- **अधिक निवेश की आवश्यकताएँ:** भारत को वर्ष **2047 तक हवाईअड्डा विकास के लिये 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** की आवश्यकता होगी।
  - हवाई क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे और ज़मीनी परिवहन के उन्नयन को शामिल करने पर कुल व्यय 70-80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।
- **बुनियादी ढाँचा संबंधी बाधाएँ:** मुंबई जैसे महत्त्वपूर्ण केंद्रों सहित कई मौजूदा हवाई अड्डे संतृप्ति की ओर बढ़ रहे हैं या पहुँच चुके हैं। कई शहरों को तत्काल नवीन हवाई अड्डों या मौजूदा हवाई अड्डों के महत्त्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता है; यह नवीन हवाई अड्डों के विकास की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है।

नोट :

- **एयर नेविगेशन सर्विसेज़ (ANS) संबंधी बुनियादी ढाँचा:** ANS तकनीक के लिये लोगों और उनके प्रशिक्षण में महत्त्वपूर्ण निवेश (संभवत: 6-7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक) की आवश्यकता है।
- **भूतल परिवहन:** हवाई अड्डों तक भूतल परिवहन में आवश्यक निवेश लगभग उतना ही हो सकता है जितना कि हवाई अड्डों के निर्माण में।
  - पर्याप्त सतही संपर्क की कमी नवीन हवाई अड्डों की व्यवहार्यता और सुविधा को प्रभावित कर सकती है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** हवाई अड्डों के विस्तार को प्राय: संभावित पर्यावरणीय प्रभावों, जिसमें ध्वनि प्रदूषण और **आवास व्यवधान** शामिल हैं, के कारण विरोध का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **एकीकृत भूमि उपयोग योजना: "एयरोट्रोपोलिस" अवधारणा** के अनुरूप **हवाई अड्डों के आस-पास विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण** करना, जो **हवाई अड्डे को व्यवसाय, रसद और आवासीय क्षेत्रों** के साथ जोड़ता है। यह भूमि अधिग्रहण को उचित ठहराने और आर्थिक लाभ को अधिकतम करने में सहायक हो सकता है।
- **मल्टी-मॉडल परिवहन एकीकरण:** फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे के साथ लंबी दूरी के ट्रेन स्टेशन जैसे एकीकृत परिवहन केंद्र विकसित करना, जो **हवाई अड्डे को सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ता हो।** यह **सतही परिवहन चुनौतियों का समाधान** करता है और **हवाई अड्डे की पहुँच को बढ़ाता** है।
- **ग्रीन एयरपोर्ट डिज़ाइन: सतत् एवं पर्यावरण के अनुकूल हवाई अड्डे के डिज़ाइन को प्राथमिकता देना।** सतत् सामग्री और अन्य पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करने के लिये ओस्लो एयरपोर्ट के दृष्टिकोण को अपनाना।
  - नॉर्वे में ओस्लो एयरपोर्ट नॉर्डिक के कठोर शीतकाल से निपटने के लिये बायोमास हीटिंग सिस्टम का उपयोग करता है, गर्मी के लिये जैविक सामग्रियों का उपयोग करता है।
  - **भविष्य के विस्तार और आवश्यकताओं** एवं परिवर्तित विमानन रुझानों के अनुकूलन हेतु लचीलेपन के साथ हवाई अड्डों को डिज़ाइन करना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** निवेश और विशेषज्ञता को आकर्षित करने के लिये PPP मॉडल का लाभ उठाना। निर्माण - परिचालन - हस्तांतरण (BOT) मॉडल के समान एक मज़बूत PPP ढाँचा विकसित करना। इससे कुशल संचालन सुनिश्चित करते हुए बड़े पैमाने पर निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल सकती है।
- **मौजूदा हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि: तकनीकी और परिचालन सुधारों के माध्यम से क्षमता को अधिकतम** करना। इसमें उन्नत हवाई यातायात प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना और नवीन रनवे निर्मित किये बिना क्षमता बढ़ाने के लिये **रनवे के उपयोग को अनुकूलित करना** शामिल है।
- **स्मार्ट एयरपोर्ट तकनीक:** दक्षता और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिये आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाना। परिचालन दक्षता और क्षमता में सुधार हेतु **बायोमेट्रिक बोर्डिंग** तथा **स्वचालित बैगेज हैंडलिंग सिस्टम** जैसी तकनीकों को अपनाना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिये भारत के विज़न 2047 पर चर्चा कीजिये, इसका उद्देश्य यात्री यातायात में अनुमानित वृद्धि को कैसे पूरा करना है?

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (EV)** के लिये **पंजीकरण शुल्क माफ** करने की घोषणा की।

- यह कदम उत्तर प्रदेश को **तमिलनाडु और चंडीगढ़** के साथ जोड़ता है, जो पेट्रोल तथा डीज़ल वाहनों के स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV) क्या है?

इलेक्ट्रिक वाहन के संबंध में:

- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को ऐसे वाहन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित किया जा सकता है जो **बैटरी से बिजली खींचता है और बाहरी स्रोत से चार्ज होने** में सक्षम होता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रकार:

- **बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV):** ये **पूरी तरह से बिजली से चलते** हैं। ये हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड की तुलना में ज़्यादा कुशल होते हैं।
- **फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV):** इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये विद्युत ऊर्जा **रासायनिक ऊर्जा** से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिये, हाइड्रोजन FCEV।
- **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV):** इसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड EV भी कहा जाता है। यह वाहन आंतरिक दहन (आमतौर पर पेट्रोल) **इंजन और बैटरी से चलने वाले मोटर पावरट्रेन** दोनों का उपयोग करता है।
  - **पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल ड्राइव करने और बैटरी खत्म होने** पर चार्ज करने के लिये किया जाता है। ये वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों की तरह कुशल नहीं हैं।

नोट :

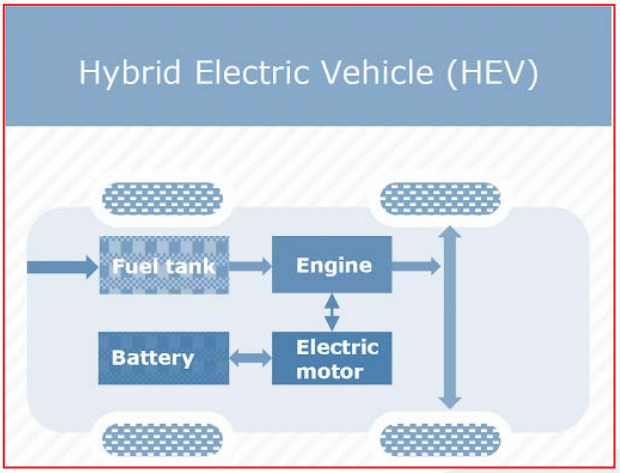

- **प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV):** ये एक **आंतरिक दहन इंजन और एक बाहरी सॉकेट से चार्ज की गई बैटरी (इनमें प्लग होता है) दोनों का उपयोग** करते हैं।
  - PHEV., HEV से अधिक कुशल हैं, लेकिन BEV से कम कुशल हैं।
  - PHEV कम-से-कम 2 मोड में चल सकते हैं:
    - **ऑल-इलेक्ट्रिक मोड,** जिसमें मोटर और बैटरी कार की सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
    - **हाइब्रिड मोड,** जिसमें बिजली और पेट्रोल/डीज़ल दोनों का उपयोग होता है।
    - वाहन की **बैटरी को केवल बाहरी बिजली स्रोत से ही चार्ज किया जा** सकता है, इंजन से नहीं।

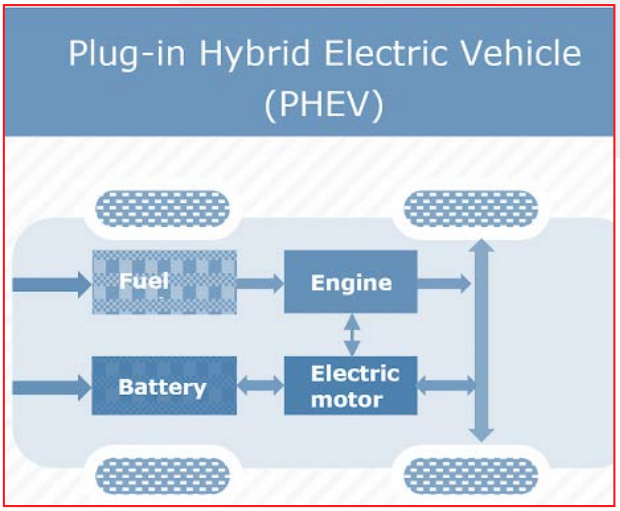

- **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों का महत्त्व:**
  - **मध्यम अवधि में व्यावहारिकता (5-10 वर्ष):** चूँकि उन्हें बाहरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिये हाइब्रिड को मध्यम अवधि के लिये एक व्यावहारिक और व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जाता है क्योंकि भारत धीरे-धीरे अपने वाहनों के समूह के पूर्ण विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस बदलाव में **5-10 वर्ष** लगने की संभावना है।
  - **स्वामित्व लागत परिप्रेक्ष्य:** हाइब्रिड को **लागत प्रभावी** माना जाता है क्योंकि कई राज्य सरकारें पंजीकरण शुल्क, RTO शुल्क आदि पर छूट दे रही हैं।
    - उदाहरण के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार ने मज़बूत हाइब्रिड वाहनों के लिये पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की घोषणा की है, जिससे खरीदारों को संभावित रूप से 3.5 लाख रुपए तक की बचत होगी।
    - पारंपरिक ईंधन गाड़ियों की तुलना में हाइब्रिड कारों की **ईंधन अर्थव्यवस्था बेहतर** होती है, जिससे समय के साथ चालकों की लागत बचत होती है।
  - **डीकार्बोनाइज़ेशन अभियान के लिये महत्त्वपूर्ण:** हाइब्रिड वाहन भारत के डीकार्बोनाइज़ेशन प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाइब्रिड वाहनों में समान आकार के वाहनों के लिये इलेक्ट्रिक और पारंपरिक ICE वाहनों की तुलना में कुल (वेल-टू-व्हील या WTW) कार्बन उत्सर्जन कम होता है।
    - **हाइब्रिड** वाहन **133 ग्राम/किमी. CO_2** उत्सर्जित करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन 158 ग्राम/किमी. CO_2 उत्सर्जित करते हैं। इसका अर्थ है कि हाइब्रिड वाहन अपने समकक्ष इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में **16% कम प्रदूषण** करते हैं।
    - पेट्रोल वाहनों के लिये यह 176 ग्राम/किमी. तथा **डीज़ल वाहनों** के लिये 201 ग्राम/किमी. है।

नोट:

- फरवरी 2023 में, **तमिलनाडु सरकार** ने मज़बूत हाइब्रिड के लिये रोड टैक्स, पंजीकरण और परमिट शुल्क छूट के रूप में प्रोत्साहन की घोषणा की।
- **चंडीगढ़ प्रशासन** 20 लाख रुपए से कम कीमत वाले मज़बूत हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स छूट भी प्रदान करता है।

EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की पहल क्या हैं ?

- इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ी से अपनाना और विनिर्माण (FAME) योजना II
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP)
- बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन
- गो इलेक्ट्रिक अभियान

नोट :

- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके कलपुर्जों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन
- **चार्जिंग अवसंरचना पर विद्युत मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देश:** राजमार्गों के दोनों ओर 3 किमी के ग्रिड में और साथ ही प्रति 25 किलोमीटर पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद होना चाहिये।
- **मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2016 (MBBL) में संशोधन:** आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में ईवी चार्जिंग सुविधाओं के लिये पार्किंग स्थान का 20% हिस्सा अलग रखना अनिवार्य किया गया।
- वैश्विक EV30@30 अभियान को भारत द्वारा समर्थन।

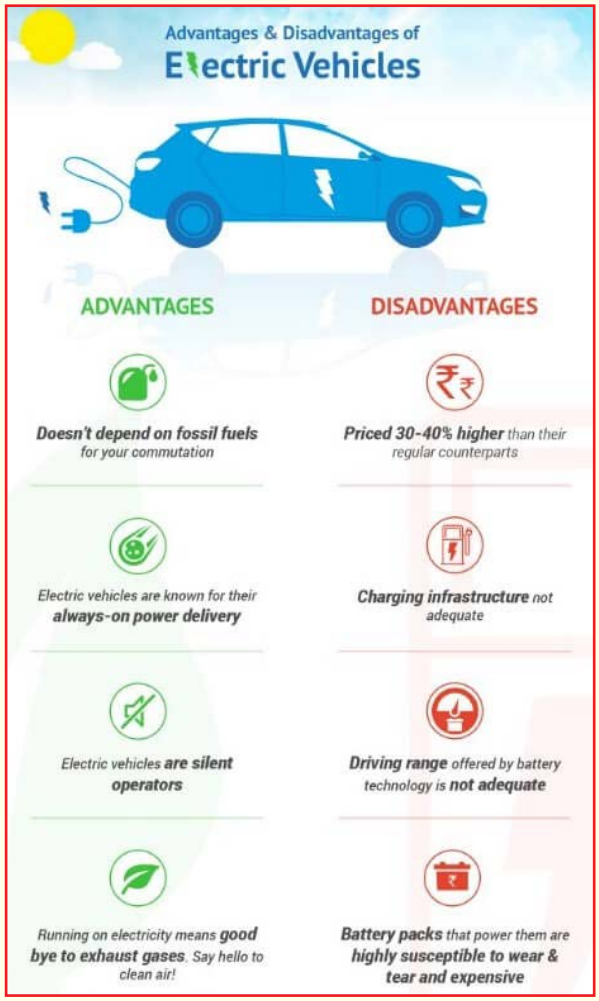

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **उच्च लागत:** पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये उच्च अग्रिम लागत एक प्राथमिक बाधा है। बैटरी की लागत, जो EV की कीमत का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, उच्च बनी हुई है, जिससे कई उपभोक्ताओं के लिये EVs कम किफायती हो जाते हैं, विशेषरूप से भारत जैसे मूल्य-संवेदनशील बाज़ार में।
- **स्वच्छ ऊर्जा का अभाव:** भारत की अधिकांश विद्युत, कोयले से उत्पन्न की जाती है, इस प्रकार सभी EV के लिये विद्युत उत्पन्न करने हेतु कोयले पर निर्भर रहने से EV अपनाने के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
- **आपूर्ति शृंखला के मुद्दे:** लिथियम-आयन बैटरियों हेतु वैश्विक आपूर्ति शृंखला के मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं, 90% से अधिक लिथियम उत्पादन चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन जैसे देशों में केंद्रित है।
  - भारत में इन बैटरियों की मांग वर्ष 2030 तक वार्षिक रूप से 30% से अधिक की वृद्धि की आशा है, जिसके लिये EV बैटरी उत्पादन हेतु 50,000 टन से अधिक लिथियम की आवश्यकता होगी। यह निर्भरता भारत को कुछ देशों से आयात पर अत्यधिक रूप से निर्भर बनाती है।
- **अविकसित चार्जिंग अवसंरचना:** भारत का मौजूदा चार्जिंग अवसंरचना EV की बढ़ती मांग के लिये पर्याप्त नहीं है, केवल **12,146 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन मुख्यत: शहरी क्षेत्रों में** हैं, यह चीन से काफी पीछे है, जहाँ 1.8 मिलियन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं।
  - विश्व बैंक (WB) के एक विश्लेषण के अनुसार अग्रिम खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग अवसंरचना में निवेश करना EV को अपनाने की दिशा में चार से सात गुना अधिक प्रभावी होगा।
- **सब-ऑप्टिमल बैटरी टेक्नोलॉजी:** मौजूदा EV बैटरियों की **वोल्टेज क्षमता सीमित** है, जो ड्राइविंग क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है। सीमित चार्जिंग स्टेशन, वायुगतिकीय प्रतिरोध एवं वाहन के वज़न के साथ-साथ, ड्राइवरों के लिये बिना रिचार्ज के लंबी दूरी की यात्रा करना कठिन हो जाता है।
- परिवर्तन के प्रति लगातार प्रतिरोध: दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के बावजूद, भारतीय उपभोक्ता जागरूकता की कमी के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रति सामान्य अनिच्छा के कारण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, EV को अपनाने का लगातार विरोध करते हैं।

हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में वृद्धि

- बिक्री के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में HEV अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। FY23 तथा FY24 के बीच कुल बाज़ार हिस्सेदारी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हिस्सेदारी **0.5% से बढ़कर 2.2%** हो गई।
- यह प्रवृत्ति वैश्विक अवलोकनों के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइब्रिड की बिक्री में वृद्धि हो रही है, विशेषरूप से अमेरिका तथा यूरोप में, जहाँ वे BEV वृद्धि को पीछे छोड़ रहे हैं।

नोट :

आगे की राह

- **लागत संबंधी चिंताओं का समाधान:**
  - सरकार को मांग प्रोत्साहन और लक्षित सब्सिडी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मध्यम आय एवं बजट क्षेत्रों के लिये, चार्जिंग समय को कम करने और रेंज की चिंता को दूर करने के लिये बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क विकसित करना तथा बड़ा EV उपयोगकर्त्ता आधार बनाने के लिये इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।
- **चार्जिंग से संबंधित बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना:**
  - प्रमुख राजमार्गों और शहरी केंद्रों पर फास्ट-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को प्राथमिकता देने और सौर तथा पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इलेक्ट्रिक वाहन उत्सर्जन को कम करने में योगदान देना।
  - बैटरी प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देना:
  - आयात पर निर्भरता कम करने के लिये घरेलू लिथियम-आयन सेल विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और नवीन कच्चे माल पर निर्भरता कम करने के लिये कुशल बैटरी रीसाइक्लिंग कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है।
- **उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना:**
  - गलतफहमियों को दूर करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को उजागर करने के लिये लक्षित जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये। कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिये इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

भारत में लाइटहाउस पर्यटन को प्रोत्सा

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने केरल के विझिनजाम में **दीप स्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (Directorate General of Lighthouses and Lightships)** द्वारा आयोजित हितधारकों की बैठक के दौरान भारत में मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV) 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के तहत लाइटहाउस पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की।

लाइटहाउस क्या है ?

- **परिचय:** लाइटहाउस/दीपस्तंभ एक प्रकार का टावर, इमारत या अन्य प्रकार की संरचना है जिसे **लैंप और लेंस की प्रणाली** से **प्रकाश उत्सर्जित** करने के लिये डिज़ाइन किया गया है तथा इनका उपयोग **नाविकों एवं स्थानीय मछुआरों** हेतु नौचालन सहायता के रूप में किया जाता है। लाइटहाउस खतरनाक समुद्री तटों, परिसंकटमय रेतिले क्षेत्र, चट्टानों आदि को चिह्नित करने के साथ-साथ बंदरगाहों में सुरक्षित प्रवेश भी उपलब्ध कराते हैं।
  - वर्तमान में भारत के जलीय क्षेत्र के समुद्री तट और द्वीपों पर अब तक **194 दीपस्तंभों** की स्थापना और **रखरखाव** का कार्य किया जा रहा है।
- **ऐतिहासिक भूमिका:**
  - **पौराणिक संबंध:** 'मनु' को बाढ़ से बचाए जाने संबंधी कथाएँ समुद्र और नौवहन के संबंध में भारत के प्रारंभिक ज्ञान को उजागर करती है।
  - **7वीं शताब्दी** ई. में, **पल्लव राजा नरसिंहवर्मन-I** ने जहाज़ों के नौचालन हेतु लकड़ी की आग का उपयोग करते हुए *मामल्लपुरम (महाबलीपुरम)* में एक लाइटहाउस की स्थापना की।
    - यह लाइटहाउस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, शोर मंदिर परिसर के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है।

महत्त्वपूर्ण आधुनिक लाइटहाउस:

लाइटहाउस	विवरण	इमेज
तांगसेरी लाइटहाउस, कोल्लम, केरल	यह केरल में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित **सबसे ऊँचा लाइटहाउस** है। इसे सफेद और लाल रंग से रंगा गया है जो इसे आकर्षक बनाता है।	

नोट :

महाबलीपुरम लाइटहाउस, तमिलनाडु	यह **औपनिवेशिक काल का प्राचीन लाइटहाउस** है जो पल्लव वंश के महेंद्र पल्लव द्वारा बनवाए गए प्राचीन लाइटहाउस के समीप स्थित है। हालाँकि यह क्रियाशील नहीं है किंतु पर्यटक के लिये खुला है।	
कौप बीच लाइटहाउस, उडुपी, कर्नाटक	मूलत: इसका निर्माण वर्ष 1901 में अंग्रेज़ों ने किया था और विगत कुछ वर्षों में इसमें कई सुधार किये गए हैं जिसमें विभिन्न लाइटिंग उपकरण संस्थापित किये गए।	
विझिनजाम लाइटहाउस, कोवलम, केरल	वर्ष 1925 में कोलाचल में एक लाइट बीकन स्थापित किया गया था और उसके पश्चात् 1960 में विझिनजाम में एक डे मार्क बीकन प्रदान किया गया। एक प्रमुख लाइटहाउस निर्माण वर्ष 1972 में पूरा हुआ था। यह भारत के प्राचीनतम और सबसे अद्भुत लाइटहाउस में से एक है।	
अगुआड़ा किला लाइटहाउस, गोवा	यह **पुर्तगाली** द्वारा निर्मित एक सुव्यवस्थित रूप से संरक्षित संरचना है जो गोवा में स्थित प्रमुख स्थलों में से एक। यहाँ से समुद्र का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है जो इसे पर्यटकों के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थल बनाता है।	
चंद्रभागा, ओडिशा	यह लाइटहाउस कोणार्क मंदिर के समीप स्थित है सुपर साइक्लोन (1999), फैलिन (2013) और फानी (2019) जैसे भीषण चक्रवातों का सामना किया है।	

टिप्पणी: तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, **टॉलेमी द्वितीय ने प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से एक, अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध फारोस (अलेक्जेंड्रिया का लाइटहाउस)** का निर्माण करवाया था।

- उच्च गुणवत्ता वाले केदान पत्थर की ईंटों से बना यह टॉवर पिघले हुए सीसे में जड़ा हुआ था, जिसे 1600 वर्षों तक संचालित किया गया था। 13वीं शताब्दी ईस्वी में, एक भयंकर भूकंप के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया।

भारत में आधुनिक लाइटहाउस की क्या भूमिका है ?

- आधुनिक लाइटहाउस जहाज़ों का दिशा प्रदर्शित करने, बंदरगाहों को चिह्नित करने और सिग्नल भेजने में सहायता करते हैं, जो जीपीएस तकनीक के लिये मूल्यवान आधार के रूप में काम करते हैं।
- **वर्ष 2008 के** मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद, **तटीय निगरानी के लिये लाइटहाउसों को अत्याधुनिक राडार से लैस किया गया** था।
- भारत सरकार ने मछुआरों और लाइटहाउस के बीच संचार की सुविधा के लिये स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) की स्थापना की।
- नेविगेशन के लिये **समुद्री सहायता अधिनियम 2021** का उद्देश्य लाइटहाउस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य में वृद्धि करना है।
- **गोवा में इंडियन लाइटहाउस फेस्टिवल जैसे आयोजन** इन संरचनाओं की विरासत और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। कई लाइटहाउस अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं, जो ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

नोट :

आधुनिक नौवहन सहायक उपकरण

- **लाइट वेसल्स (Light Vessels):** ऐसी परिस्थितियों में जहाँ लाइटहाउस बनाना संभव नहीं होता, इन फ़्लोटिंग लाइट वेसल्स का इस्तेमाल अलग-अलग उथले जल या जल के नीचे के खतरों की पहचान करने के लिये किया जाता है। वे रोशनी और ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करके जहाज़ के झुकाव को रोकती है।
- **प्लव (Buoys):** प्लव नाविकों को नेविगेशनल दिशाएँ प्रदान करते हैं। आरंभ में एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हुए, वे अब सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक लाइट पर काम करते हैं।
- **एम. एफ. रेडियो बीकन (M.F Radio Beacons):** वर्ष 1955-60 के बीच स्थापित, इन्हें समुद्री स्थिति में बेहतर सटीकता के लिये डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- **रैकन्स (Racons):** ये रडार ट्रांसपोंडर बीकन जहाज़ के रडार को एक विशिष्ट कूट सिग्नल भेजते हैं, जो रेंज, दिशा और पहचान संबंधी डेटा प्रदान करते हैं।

भारत में लाइटहाउस पर्यटन को बढ़ावा देने के क्या लाभ हैं?

- **सांस्कृतिक विरासत:** लाइटहाउस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करते हैं, जिससे वे शैक्षणिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, साथ ही गोवा के ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में आयोजित **भारत का प्रथम लाइटहाउस महोत्सव "भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव"** जैसे कार्यक्रम भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का उत्सव मनाते हैं, जो ऐतिहासिक लाइटहाउस के प्रति जागरूकता तथा प्रशंसा को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें पूर्व में वृहद् स्तर पर नज़रअंदाज़ किया गया है।
  - नौवहन के लिये **नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021** के तहत, कुछ प्रकाशस्तंभों को विरासत स्थल के रूप में नामित किया जा सकता है, जिससे उनकी भूमिका नौवहन सहायता से आगे बढ़कर सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्यों तक विस्तारित हो जाएगी।
  - लाइटहाउस विजिट करने से व्यापार, विजय और यात्रा में **उनकी सदियों पुरानी भूमिका की झलक मिलती है।** लाइटहाउस समुद्र के किनारे सूर्यास्त का आनंद लेने और समुद्री इतिहास के बारे में जानने के लिये अद्वितीय सुविधाजनक स्थान प्रदान करते हैं।
- **आर्थिक विकास:** **लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय** ने पर्यटन विकास में संभावित निवेश के लिये 75 लाइटहाउस की पहचान की है, जो आस-पास के क्षेत्रों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।
  - यह पहल **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** के माध्यम से निवेश क्षमता पर प्रकाश डालती है, जिससे निजी संस्थाओं को इन स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
  - पर्यटन बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, जिससे स्थानीय विक्रेताओं, रेस्तरां और सेवा प्रदाताओं को लाभ होगा।
- **पर्यावरण जागरूकता:** विरासत लाइटहाउस पर ध्यान पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देता है,जो पर्यटकों को आकर्षित करते हुए तटीय वातावरण की रक्षा कर सकते हैं।
  - इस पहल का उद्देश्य लाइटहाउस को बहुआयामी पर्यटन स्थलों में बदलना है, जो पारंपरिक सागरीय तट पर्यटन से परे विविध अनुभव प्रदान करते हैं।

लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय

- बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत लाइटहाउस तथा लाइटशिप महानिदेशालय, भारतीय तट के साथ **समुद्री नेविगेशन में सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नोएडा में है,** क्षेत्रीय मुख्यालय 9 ज़िलों (गांधीधाम, जामनगर, मुंबई, गोवा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर) में है।
- इसका उद्देश्य लाइटहाउस, हल्के जहाज़ों, प्लव (Buoys) और बीकन जैसे दृश्य सहायता के साथ-साथ डीजीपीएस तथा रैकन्स(RACONs) जैसे रेडियो सहायता के माध्यम से **भारतीय जल में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करना है।**
- निदेशालय इंटरैक्टिव नेविगेशन नियंत्रण के लिये पोत यातायात सेवाएँ भी प्रदान करता है। यह लाइटहाउस अधिनियम 1927 के अनुसार समुद्री नेविगेशन के लिये सामान्य सहायता बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार है, जबकि स्थानीय सहायता समुद्री राज्य सरकार संगठनों द्वारा बनाए रखी जाती है।
  - **निदेशालय स्थानीय लाइटों के रखरखाव के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करता है,** साथ ही यदि वित्तीय बाधाओं या तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं किया जाता है तो निदेशालय रखरखाव की ज़िम्मेदारी ले सकता है।

मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV), 2030 क्या है?

- मैरीटाइम इंडिया विज़न, 2030 (जिसे **नवंबर, 2020 में मैरीटाइम इंडिया समिट** में प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था) भारत में समुद्री क्षेत्र से संबंधित दस वर्ष की रणनीति है। इसका उद्देश्य जलमार्ग, जहाज़ निर्माण उद्योग और क्रूज पर्यटन को उन्नत बनाना है।

नोट :

- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के तहत वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की स्थिति को मज़बूत बनाने के क्रम में आवश्यक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसके द्वारा सागरमाला पहल का स्थान लिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में जलमार्गों को बढ़ावा देना तथा क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
  - MIV 2030 के तहत 4 प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेपों की पहचान की गई है: **ब्राउनफील्ड क्षमता में वृद्धि, विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट विकसित करना, दक्षिण भारत में ट्रांसशिपमेंट हब का विकास करना और बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना।**
  - भारत का लक्ष्य **अगले 5 से 10 वर्षों में विश्व निर्यात में 5% हिस्सेदारी हासिल करना** है, जिसके लिये निर्यात में उचित वृद्धि की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिये भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके तहत प्रमुख
    - 200 से अधिक बंदरगाहों की कनेक्टिविटी परियोजनाओं, मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने, परिवहन समय में कमी, लागत में कमी, तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना और पोर्टलैंड औद्योगिकीकरण के माध्यम से **लॉजिस्टिक दक्षता एवं लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना।**
  - MIV 2030 का उद्देश्य **शासन तंत्र में सुधार करना**, मौजूदा कानूनों में संशोधन करना, समुद्री एवं तटरक्षक एजेंसी (MCA) को मज़बूत करना तथा समुद्री क्षेत्र में सतत् विकास का समर्थन करने हेतु PPP अपनाना और राजकोषीय सहायता एवं वित्तीय अनुकूलन को बढ़ावा देना शामिल है।
  - भारत का लक्ष्य शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनना है। वर्तमान में **विश्व के नाविकों में 10-12% की भागीदारी** वाले भारत को फिलीपींस जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।
    - इस क्षेत्र के तहत मुख्य हस्तक्षेपों में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सुधार करना और नाविकों तथा बंदरगाह क्षमता के विकास हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना शामिल है।
  - भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा का 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना है और इस क्रम में **भारत में सुरक्षित, कुशल एवं टिकाऊ बंदरगाहों हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लक्ष्यों के साथ समन्वित होने की आवश्यकता है।**
    - MIV 2030 के तहत सुरक्षित, धारणीय एवं हरित बंदरगाहों में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिये प्रमुख हस्तक्षेपों की पहचान की गई है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, वायु उत्सर्जन को कम करना, जल उपयोग को अनुकूलित करना, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, **शून्य दुर्घटना सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करना तथा एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली की स्थापना करना शामिल** है हस्तक्षेपों में **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (समुद्री)** का निर्माण करना, समुद्री हितधारकों से संबंधित प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना, डिजिटल-आधारित स्मार्ट बंदरगाहों का निर्माण करना तथा प्रणालीगत-संचालित दृष्टिकोणों के माध्यम से बंदरगाह के प्रदर्शन की निगरानी करना शामिल है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में लाइटहाउस के ऐतिहासिक महत्त्व को बताते हुए समुद्री नौवहन में उसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। लाइटहाउस पर्यटन को बढ़ावा देने से इस विरासत को संरक्षित करने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान मिल सकता है?

जलवायु अनुकूल कृषि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील ज़िलों में स्थित 50,000 गाँवों में जलवायु-अनुकूल कृषि (Climate Resilient Agriculture- CRA)) को बढ़ावा देने के लिये एक रूपरेखा का अनावरण करने की योजना बना रही है।

जलवायु अनुकूल कृषि (CRA) क्या है?

- **परिचय:**
  - खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO)) के अनुसार, जलवायु अनुकूल कृषि को **"जलवायु और चरम मौसम में परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने तथा उसके लिये तैयारी करने, साथ ही उसके अनुकूल होने, उसे आत्मसात करने एवं उससे उबरने की कृषि प्रणाली की क्षमता"** के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) की एक नेटवर्क परियोजना, जलवायु-अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय

नोट :

नवाचार (National Innovations on Climate Resilient Agriculture- NICRA) ने कृषि और किसानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया।

- अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अनुकूलन उपायों की अनुपस्थिति में, जलवायु परिवर्तन अनुमानों से वर्ष **2020-2039 की अवधि** के लिये सिंचित चावल की पैदावार में 3%, वर्षा आधारित चावल की पैदावार में 7 से 28%, गेहूँ की पैदावार में 3.2-5.3%, मक्का की पैदावार में 9-10% की कमी आने की संभावना है और सोयाबीन की पैदावार में 2.5-5.5% की वृद्धि होने की संभावना है।
- सूखे जैसी चरम घटनाएँ खाद्य और पोषक तत्त्वों की खपत को प्रभावित करती हैं, गरीबी को बढ़ाती हैं, पलायन को बढ़ावा देती हैं, ऋणग्रस्तता बढ़ाती हैं तथा किसानों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता को कम करती हैं।

- **CRA पद्धति:**
  - **कृषि वानिकी:** कृषि वानिकी में फसलों के साथ-साथ पौधों की खेती भी शामिल है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मृदा अपरदन में कमी तथा जैवविविधता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
    - यह पद्धति **मृदा में नमी बनाए रखने में मदद करती** है तथा किसानों को अनेक लाभ प्रदान करती है।
  - **मृदा एवं जल संरक्षण: कंटूर बंडिंग, कृषि तालाब और चेक डैम** जैसी तकनीकें मृदा में नमी बनाए रखने, मृदा अपरदन को कम करने तथा भू-जल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।
    - ये पद्धतियाँ किसानों को **सूखे और जल की कमी से निपटने** में भी मदद कर सकती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ती जा रही हैं।
  - **सतत् कृषि:** फसल विविधीकरण, जैविक कृषि और **एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी पद्धतियाँ** रासायनिक इनपुट के उपयोग को कम करने तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती हैं।
    - इन पद्धति से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है तथा किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है।
  - **पशुधन प्रबंधन: पशुधन प्रबंधन** पद्धतियाँ, जैसे **स्टाल-फीडिंग और मिश्रित फसल,** पशुधन प्रणालियों की उत्पादकता तथा लचीलेपन में सुधार कर सकती हैं।
    - इन प्रथाओं से **प्राकृतिक संसाधनों जैसे चरागाह भूमि पर दबाव भी कम** होता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण दुर्लभ होते जा रहे हैं।

जलवायु अनुकूल कृषि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

- सरकार जलवायु-अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (NAPCC) का क्रियान्वयन कर रही है, जो देश में जलवायु कार्रवाई के लिये **नीतिगत ढाँचा** प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture- NMSA) NAPCC के अंतर्गत भारतीय कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिये चलाए जा रहे मिशनों में से एक है।
  - NMSA को तीन प्रमुख घटकों अर्थात् **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development- RAD), खेत जल प्रबंधन** (On Farm Water Management- OFWM) और **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (Soil Health Management- SHM)** के लिये अनुमोदित किया गया था।
  - इसके बाद चार नए कार्यक्रम शुरू किये गए, जिनके नाम हैं **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) और प्रति बूंद अधिक फसल।**
  - इसके अतिरिक्त पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन **(National Bamboo Mission- NBM)** अप्रैल 2018 में शुरू किया गया।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2011 में **राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (National Innovations in Climate Resilient Agriculture- NICRA)** नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की।
  - यह एक **बहु-क्षेत्रीय, बहु-स्थानीय कार्यक्रम** है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनीयता को संबोधित करना तथा समग्र देश में हितधारकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है।
  - कृषि और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई पहलुओं पर नीतिगत जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त **अनुसंधान, प्रदर्शन तथा क्षमता निर्माण इसके तीन प्रमुख घटक** हैं।

नोट :

- जलवायु अनुकूल कृषि पर ICAR की प्रमुख उपलब्धियों में 1888 **जलवायु उपयुक्त फसल किस्मों** का विकास, 650 ज़िलों के लिये ज़िला कृषि आकस्मिकता योजनाओं (District Agriculture Contingency Plans- DACP) का विकास आदि शामिल हैं।

- सरकार ने लघु भू-धारकों सहित किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाने के लिये वर्ष 2016 के खरीफ सीज़न से **उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के सहित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) की शुरुआत की है।
  - इस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की प्रतिकूल घटनाओं के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को **वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में सतत् उत्पादन को बढ़ावा देना** है ताकि किसानों की आय में स्थिरता लाई जा सके।

कृषि से संबंधित अन्य पहल

- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
- मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीज़न (MOVCDNER)
- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- एग्रीस्टैक
- डिजिटल कृषि मिशन
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)
- **प्रधानमंत्री 'नमो ड्रोन दीदी' योजना**

जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- विकासशील देश जलवायु जोखिमों के प्रति **अधिक संवेदनशील** हैं क्योंकि वे प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर हैं तथा जोखिम प्रबंधन के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकियों का अभाव है। उदाहरण हेतु भारत में **65% जनसंख्या** कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है।
  - **जोखिमों को कम करने और अनुकूलन उपायों** के अभाव के कारण ये गरीब किसान निम्न आय, उच्च ऋण तथा गरीबी के चक्र से उबर नहीं पाते हैं।
- वर्तमान में MSP व्यवस्था कुछ फसलों पर केंद्रित है जिसमें **अन्य फसलों के लिये पर्याप्त सहायता नहीं दी जाती है** जिसके परिणामस्वरूप फसलों का विविधीकरण कम होता है।
- विशेष रूप से **उत्तरी भारत में भू-जल पर अत्यधिक निर्भरता** से सतत् कृषि के क्षेत्र में किये गए प्रयासों की प्रभावशीलता कम होती है।
- कृषि क्षेत्र का देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 14% योगदान है और **सिंथेटिक** नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- **भारत की कृषि उत्पादकता** अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में **अपेक्षाकृत कम है**, जहाँ प्रति हेक्टेयर **चावल की औसत उपज लगभग 2.5 टन** है जबकि चीन में प्रति हेक्टेयर औसतन लगभग 6.5 टन है।
- जलवायु परिवर्तन नीति का सबसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक पहलू **ग्राम पंचायतों** या स्थानीय स्वशासी निकायों **द्वारा अपर्याप्त मान्यता** है, जिसके कारण ज़मीनी स्तर पर नीतिगत पहल का अभाव है।

आगे की राह

- विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को तकनीकी उन्नति, मौसम विज्ञान और डेटा विज्ञान जैसे **एकीकृत दृष्टिकोणों** के माध्यम से कम किया जा सकता है।
  - जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं से किसानों की रक्षा के लिये **राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (NICRA)** योजना को **सभी जोखिम-संवेदनशील गाँवों** में लागू किया जाना चाहिये।
- फसलों के विविधीकरण की आवश्यकता है जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाएगी।
  - फसल विविधता **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करने, मृदा की उर्वरता बढ़ाने, कीटों को नियंत्रित करने और उपज स्थिरता लाने में भी मदद करती है।
- ड्रिप सिंचाई के दायरे में न केवल उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों अपितु अन्य फसलों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- सरकार को भू-जल निष्कर्षण के संदर्भ में बिजली सब्सिडी पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करना चाहिये, क्योंकि भू-जल स्तर में कमी आने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है।
  - सिंचाई कार्यक्रम को अनुकूलित करने, जल को संरक्षित करने तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिये।

नोट :

- चूँकि **जैविक खेती** में **ग्रीनहाउस गैसों** को कम करने की क्षमता होती है, इसलिये संबंधित मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिये।
  - जैविक खेती में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग प्रतिबंधित होने से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है।
- **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)** के बुनियादी ढाँचे के साथ तकनीकी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्हें **स्थानीय भाषाओं** में जानकारी प्रदान करने के लिये तकनीकी नवाचारों का उपयोग करना चाहिये। ये परिवर्तन मौजूदा KVK को नया रूप देने के साथ उन्हें जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिये सुसज्जित करेंगे।
- **जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को अपनाने और उनका प्रसार** करने के क्रम में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इन फसलों में **तापमान तथा वर्षा के उतार-चढ़ाव के प्रति सहनशीलता** अधिक होने के साथ जल और पोषक तत्त्वों का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित होगा।
  - **कृषि नीति के तहत फसल उत्पादकता में सुधार को प्राथमिकता देने** के साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों से निपटने हेतु सुरक्षा संजाल तैयार किया जाना चाहिये।
- जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा किये गए प्रयासों से तब वांछित परिणाम नहीं मिल सकते हैं **जब तक कि स्थानीय शासन को कृषि नीति-निर्माण में शामिल नहीं** किया जाता है।
  - चूँकि पंचायतें कई सरकारी योजनाओं से धन प्राप्त कर सकती हैं, इसलिये इस संदर्भ में जागरूकता लाभप्रद होगी।
  - जलवायु के प्रति सर्वोत्तम अनुकूलनीय पद्धतियों को अपनाने वाले गाँवों हेतु **राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर रैंकिंग प्रणाली शुरू करने** से ऐसी पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहन मिल सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इन चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय बताइए?

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका ने पारित किया 'तिब्बत समाधान अधिनियम'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी कॉन्ग्रेस द्वारा **तिब्बत-चीन विवाद समाधान अधिनियम** पारित किया है, जिसे **तिब्बत समाधान अधिनियम** के नाम से भी जाना जाता है।

- इसका उद्देश्य **बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर के अनुसार** तिब्बत-चीन विवाद **का शांतिपूर्ण समाधान** करना है।

तिब्बत समाधान अधिनियम, 2024 क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह जून 2024 में **संयुक्त राज्य अमेरिका कॉन्ग्रेस** द्वारा पारित एक विधान है।
  - यह **तिब्बती नीति अधिनियम (2002)** तथा **तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम (2020)** के बाद तिब्बत के संबंध में अमेरिकी सरकार का तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - इसका उद्देश्य तिब्बत पर **अमेरिका की स्थिति को मज़बूत करने** तथा चीन पर दलाई लामा **के साथ वार्ता पुनः शुरू करने** के लिये दबाव डालना है।
  - इस अधिनियम का **उद्देश्य तिब्बत के लिये अमेरिकी समर्थन** को बढ़ाना तथा अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों को चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के बारे में फैलाई जा रही **गलत सूचनाओं का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिये सशक्त** बनाना है।
  - यह अधिनियम **चीनी सरकार तथा दलाई लामा अथवा उनके प्रतिनिधियों या तिब्बती समुदाय** के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं के बीच **"बिना किसी पूर्व शर्त" के वार्ता** को भी बढ़ावा देगा।
  - इसमें **तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के साथ-साथ मानवाधिकारों को रेखांकित** किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में चीन के कर्त्तव्य को रेखांकित किया गया है।
  - यह तिब्बती लोगों की **विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई पहचान** को मान्यता देता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - इसका उद्देश्य **तिब्बत में न्याय एवं शांति के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सशक्त बनाना** भी है।
- **पूर्व के अधिनियमों से भिन्नता:**
  - तिब्बत समाधान अधिनियम **स्पष्ट रूप से तिब्बत पर चीन के दावे का विरोध** करता है, जबकि **वर्ष 2002 के अधिनियम में इस दावे को स्वीकार** किया गया था।
  - दलाई लामा को, एक राजनीतिक दूत के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में, वर्ष 2002 अधिनियम के तहत वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसके विपरीत, यह अधिनियम चीन से बिना किसी पूर्व शर्त के दलाई लामा या उनके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि के साथ वार्ता में शामिल होने का आग्रह करता है।
  - **तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम, 2020** में भी रचनात्मक वार्ता पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन तिब्बत समाधान अधिनियम में यह भी स्पष्ट है कि इन वार्ताओं का उद्देश्य पक्षों के बीच **"मतभेदों का समाधान"** होना चाहिये।

तिब्बत के साथ भारत के संबंध कैसे हैं ?

- **यंगहसबैंड मिशन (1903-1904):** कर्नल यंगहसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत में ब्रिटिश सैन्य अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में **ब्रिटिश उपस्थिति स्थापित करना और बढ़ते रूसी प्रभाव** का मुकाबला करना था।
  - इसके परिणामस्वरूप तिब्बती सेनाओं के साथ संघर्ष हुआ, जिसकी परिणति ब्रिटिश विजय और साथ ही **वर्ष 1904 के ल्हासा सम्मेलन पर हस्ताक्षर** के रूप में हुई।
- **आंग्ल-रूसी सम्मेलन (1907):** इस समझौते का उद्देश्य औपनिवेशिक ब्रिटेन एवं रूस के बीच लंबित औपनिवेशिक विवादों का समाधान करना था।
  - इस समझौते के अनुसार, **दो महाशक्तियाँ चीनी सरकार की मध्यस्थता के बिना तिब्बत के साथ वार्ता नहीं** करेंगी।

नोट :

- **तिब्बत के साथ भारत के संबंध:** चीन-रूस संधि के बावजूद, भारत ने **बौद्ध धर्म के प्रभाव** के कारण तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा।
  - भारत से तिब्बत तक बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ-साथ प्रभावशाली **बौद्ध मठों की उपस्थिति ने दोनों क्षेत्रों के बीच मज़बूत सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों को बढ़ावा** दिया।
- **भारत-तिब्बत सीमा:** चीन-भारत सीमा विवाद **विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में,** भारत तथा चीन के बीच विवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है।
  - तिब्बत की स्थिति तथा भारत के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध इस विवाद के केंद्र में हैं, दोनों देश विवादित क्षेत्रों पर संप्रभुता का दावा करते हैं।
- **तिब्बत पर भारत का रुख:** वर्ष 2003 से **भारत और चीन के बीच संबंधों एवं व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर** करने के बाद **भारत ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना** के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है।
  - **वर्ष 1959** में एक असफल विद्रोह के बाद **भारत ने दलाई लामा को शरण** दी थी।

चीन-तिब्बत विवाद की पृष्ठभूमि क्या है?

- **तिब्बत की स्वतंत्रता का दावा:**
  - तिब्बत, तिब्बती पठार पर स्थित एक **स्वायत्त क्षेत्र** है, जिसकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपरा तिब्बती बौद्ध धर्म पर केंद्रित है।
  - **वर्ष 1913 में,** 13वें दलाई लामा ने किंग राजवंश के पतन के बाद **तिब्बत की वास्तविक स्वतंत्रता की घोषणा** की और साथ ही यह दावा किया कि **तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं** था।
  - हालाँकि **वर्ष 1949** में स्थापित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) सहित, लगातार **चीनी सरकारों ने तिब्बत पर संप्रभुता का दावा** किया है।
- **चीनी आक्रमण एवं सत्रह सूत्रीय समझौता:**
  - **वर्ष 1912 से वर्ष 1949 तक तिब्बत किसी भी चीनी सरकार के नियंत्रण में नहीं** था, इस क्षेत्र पर **दलाई लामा की सरकार का शासन** था।
  - **वर्ष 1951** में **चीन** की **पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने तिब्बत पर आक्रमण** किया और साथ ही तिब्बती नेताओं को सत्रह सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये विवश किया गया, जिसने नाममात्र के लिये तिब्बती स्वायत्तता की गारंटी दी, लेकिन **ल्हासा (तिब्बत की राजधानी) में चीनी सिविल एवं सैन्य मुख्यालय की स्थापना की अनुमति** दी।
  - **दलाई लामा सहित तिब्बती लोगों ने इस समझौते की वैधता को अस्वीकार** कर दिया है और इसे **बलपूर्वक अधिकार** तथा **"सांस्कृतिक नरसंहार"** का कृत्य माना है।
- **वर्ष 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह और उसके परिणाम:**
  - तिब्बत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण **वर्ष 1959 में एक बड़ा विद्रोह हुआ,** जिसके परिणामस्वरूप **दलाई लामा और उनके साथ हज़ारों तिब्बती नागरिकों ने भारत में** शरण ली।
  - तिब्बती निर्वासितों ने भारत के धर्मशाला में स्थित एक **निर्वासित सरकार, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA)** की स्थापना की।
  - वर्ष 1959 के विद्रोह के पश्चात् **चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया,** साथ ही भाषण, धर्म और प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें जबरन गर्भपात, नसबंदी और **जातीय हान चीनी (Ethnic Han Chinese)** के माध्यम से जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मानवाधिकारों के हनन शामिल थे।
  - चीन ने **तिब्बत में बुनियादी ढाँचे के विकास** में निवेश किया है, इन निवेशों को व्यापक रूप से क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को मज़बूत करने की एक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।

दलाई लामा:

- **परंपरा:** दलाई लामा **तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा** से संबंधित हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है।
- **इतिहास:** तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल **14 दलाई लामा** हुए हैं और पहले तथा दूसरे दलाई लामाओं को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी। वर्तमान दलाई लामा **तेनज़िन ग्यात्सो** हैं, जो इस वंश की 14वीं पीढ़ी से संबंधित हैं।
- **आध्यात्मिक महत्त्व:** ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा **अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के प्रतीक हैं।**
  - बोधिसत्व सभी **संवेदनशील प्राणियों** के लाभ के लिये बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित प्राणी हैं, जिन्होंने मानवता की मदद के लिये दुनिया में पुनर्जन्म लेने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- **दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया:**
  - **पुनर्जन्म की खोज:** दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया में **पिछले दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करना** शामिल है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में कार्य करते हैं। यह **खोज आमतौर पर मौजूदा दलाई लामा के निधन के बाद शुरू होती है।**

नोट :

- गेलुग्पा परंपरा के उच्च लामा और तिब्बती सरकार अगले दलाई लामा को खोजने के लिये ज़िम्मेदार होती हैं। यदि इसके लिये कई उम्मीदवारों की पहचान की जाती है, तो **वास्तविक उत्तराधिकारी का निर्धारण करने के लिये लॉटरी निकालने के साथ एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया जाता है।**

- **मान्यता और प्रशिक्षण:** चुने गए बच्चे को, जो सामान्यत: बहुत छोटा होता है, **दलाई लामा के पुनर्जन्म** के रूप में मान्यता दी जाती है। उसे कठोर आध्यात्मिक और शैक्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **भूमिका:** तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा की भूमिका में **आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व** दोनों शामिल हैं। चयन प्रक्रिया तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **अवधि: खोज में कई वर्ष लग सकते हैं;** उदाहरण के लिये, वर्तमान (14वें) दलाई लामा को खोजने में 4 वर्ष का समय लगा।
- **भौगोलिक दायरा:** यह खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है। हालाँकि **वर्तमान दलाई लामा ने यह सुझाव दिया है कि उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है या यदि होगा भी, तो वह चीनी प्रशासन वाले देश में नहीं होगा।**

चीन-तिब्बत मुद्दे पर वैश्विक रुख क्या है?

- **चीन का रुख:** चीन का दावा है कि तिब्बत **13वीं सदी से ही उसका हिस्सा** रहा है और उसकी नीतियों का उद्देश्य इस क्षेत्र का विकास करना है। उसका तर्क है कि तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसके पास महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं तथा वह दलाई लामा पर स्वतंत्रता की मांग करने का आरोप लगाता है।
  - चीन ने दलाई लामा के भविष्य के चयन पर चिंता व्यक्त की है। उसे डर है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को **तिब्बत में उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिये** चुना जा सकता है।
- **तिब्बती स्वायत्तता/स्वतंत्रता के लिये समर्थन: अमेरिका और कनाडा** जैसे कुछ **पश्चिमी देशों ने तिब्बती स्वायत्तता तथा मानवाधिकारों हेतु समर्थन व्यक्त** किया है।
  - दलाई लामा के नेतृत्व वाली निर्वासित तिब्बती सरकार, **केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (Central Tibetan Administration- CTA)** को भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा **मान्यता नहीं दी** गई है।
- **अहस्तक्षेप और तटस्थता:** कई देश, **विशेषकर चीन के साथ संबंध रखने वाले देश,** तटस्थ रुख बनाए रखते हैं तथा चीन के साथ **राजनयिक एवं आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता** देते हैं।
  - **नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देश चीन** के साथ तनाव से बचने के लिये सतर्क रुख अपनाते हैं।
- **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:** संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और सांस्कृतिक दमन भी शामिल है।

शिमला समझौता 1972

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **2 जुलाई 1972** को भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौते की **52वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

शिमला समझौता क्या है?

- **उत्पत्ति एवं संदर्भ:**
  - **वर्ष 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति:** यह समझौता वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) स्वतंत्र हुआ।
    - इस संघर्ष में भारत के सैन्य हस्तक्षेप ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, परिणामस्वरूप **दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन** हुए।
  - **मुख्य वार्ताकार:** भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो।
    - इस समझौते का **उद्देश्य शत्रुता के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना** और साथ ही आगामी संबंधों को सामान्य बनाना था।
- **शिमला समझौते के उद्देश्य:** भारत के शिमला में कई प्रमुख उद्देश्य थे।
  - **कश्मीर समस्या का समाधान:** भारत ने द्विपक्षीय समाधान की दिशा में कार्य करके पाकिस्तान को कश्मीर विवाद को वैश्विक स्तर का होने से रोका।
  - **संबंधों का सामान्यीकरण:** नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर **पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की आशा** है।
  - **पाकिस्तान को अपमानित होने से बचाना:** भारत ने पाकिस्तान में और अधिक असंतोष तथा **संभावित प्रतिशोध को रोकने के लिये युद्ध विराम रेखा को स्थायी सीमा में बदलने पर ज़ोर नहीं** दिया।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **संघर्ष समाधान एवं द्विपक्षीयता:** इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच **सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से, मुख्य रूप से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने पर ज़ोर** दिया गया। इसका उद्देश्य संघर्ष एवं टकराव को समाप्त करना था।

नोट :

- **कश्मीर की स्थिति:** सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक **कश्मीर** में **नियंत्रण रेखा (Line of Control-LoC)** थी, जिसे वर्ष 1971 के युद्ध के बाद स्थापित किया गया था।
  - दोनों पक्ष अपने दावों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इस **रेखा का सम्मान करने** और बिना दोनों पक्षों की सहमति के बिना इसकी स्थिति में परिवर्तन न करने **की सहमति जताई।**
- **सेनाओं की वापसी:** इसमें सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने-अपने पक्षों में वापस जाने का प्रावधान किया गया, जो तनाव कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था जो दोनों देशों के तनाव कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- **भविष्य की कूटनीति:** इस समझौते में दोनों सरकारों के प्रमुखों के बीच आगामी बैठकों और स्थायी शांति स्थापित करने, संबंधों को सामान्य बनाने तथा युद्धबंदियों के प्रत्यावर्तन जैसे मानवीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये जारी वार्ताओं के प्रावधान भी निर्धारित किये गए।

- **महत्त्व:**
  - **भू-राजनीतिक तनाव:** जैसा कि **कश्मीर का मुद्दा** और **भारत-पाक व्यापक** संबंध, दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं इसलिये इस समझौते की वर्तमान में भी प्रासंगिकता बनी हुई है।
  - **विधिक और कूटनीतिक ढाँचा:** यह अपनी सीमाओं और भिन्न व्याख्याओं के बावजूद दोनों देशों के बीच **भविष्य की चर्चाओं** तथा वार्ताओं के लिये एक **कानूनी ढाँचा** प्रदान करता है।
- **आलोचना:**
  - **अप्राप्य क्षमता:** शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देने के अपने **इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा।** गहनता से विद्यमान अविश्वास और ऐतिहासिक मुद्दे प्रगति में बाधा बने हुए हैं।
  - **परमाणु परीक्षण और रणनीतिक बदलाव:** दोनों देशों ने वर्ष 1998 के बाद परमाणु परीक्षण किये, जिससे रणनीतिक स्थिति में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया। इस परमाणु क्षमता से आई **निवारक-आधारित स्थिरता** ने शिमला समझौते के महत्त्व को कम कर दिया है।।
  - **दीर्घकालिक प्रभाव:** शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित करने या इनके संबंधों को सामान्य बनाने में असफल रहा।
  - **अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को हल करने के लिये **शिमला समझौते के द्विपक्षीय दृष्टिकोण** का सम्मान करता है।
    - इसका इस्तेमाल प्राय: कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को रोकने के लिये किया जाता रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत-पाकिस्तान संबंध कैसे रहे हैं ?

- **विभाजन और आज़ादी (1947):**
  - वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन एक निर्णायक क्षण था, जिसके परिणामस्वरूप **दो अलग-अलग राष्ट्रों** का निर्माण हुआ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और पाकिस्तान एक धर्मशासित राष्ट्र।
    - कश्मीर के महाराजा ने शुरू में स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन अंतत: पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर हमले के कारण भारत में विलय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष **1947-48 में प्रथम भारत-पाक युद्ध हुआ।**
- **युद्ध, समझौते और आतंक:**
  - **1965 और 1971 के युद्ध: वर्ष 1965 का युद्ध सीमा पर झड़पों से शुरू हुआ** और एक बड़े पैमाने पर संघर्ष में बदल गया। यह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम और किसी बड़े क्षेत्रीय परिवर्तन के बिना समाप्त हुआ।
    - वर्ष 1971 में **भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष में हस्तक्षेप किया,** जिसके परिणामस्वरूप **बांग्लादेश का निर्माण** हुआ।
  - **शिमला समझौता (1972):** वर्ष 1971 के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित इस समझौते ने **भारत और पाकिस्तान** के बीच **कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LOC)** स्थापित कर दी।
  - **कश्मीर में उग्रवाद (1989):** पाकिस्तान ने कश्मीर में **उग्रवादी विद्रोह** को समर्थन दिया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा और मानवाधिकारों का हनन हुआ।
  - **कारगिल युद्ध (1999):** पाकिस्तान समर्थित सेना ने कारगिल में भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे युद्ध छिड़ गया, जो भारतीय सैन्य विजय के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इससे संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए।
  - मुंबई हमला (2008): पाकिस्तान स्थित **लश्कर-ए-तैयबा** के आतंकवादियों ने मुंबई में समन्वित हमले किये, जिसमें 166 लोग मारे गए। इस घटना ने संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा।
  - पुलवामा हमले (2019) और उसके बाद की सैन्य मुठभेड़ों जैसी घटनाओं के कारण समय-समय पर वार्ता तथा विश्वास-निर्माण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे शांति संबंधी प्रयासों की विफलता उजागर हुई है।

नोट :

- **वर्तमान स्थिति (2023-2024):**
  - **पाकिस्तान में जारी राजनीतिक अस्थिरता,** साथ ही चल रही आतंकवादी गतिविधियाँ और सीमा पार तनाव, **दोनों देशों के बीच हिंसा तथा अविश्वास के चक्र को कायम रखते हैं।**
  - **भू-राजनीतिक आयाम:** क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, जिसमें पाकिस्तान के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और भारत के साथ क्षेत्रीय विवाद शामिल हैं, **भारत-पाकिस्तान संबंधों में जटिलता की एक ओर परत जोड़ता है।**

निष्कर्ष

- कुल मिलाकर, **भारत-पाकिस्तान संघर्ष** एक **जटिल और अस्थिर मुद्दा बना** हुआ है, जिसकी **गहरी ऐतिहासिक जड़ें** हैं, जो भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, घरेलू राजनीति तथा क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। **हिंसा, आतंकवादी गतिविधियों और आपसी अविश्वास की बार-बार होने वाली घटनाओं** के बीच स्थायी शांति की दिशा में प्रयासों को महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- वर्ष 1972 का शिमला समझौता 1971 के युद्ध के बाद **भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की दिशा** में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था, लेकिन इसकी सीमाएँ तथा विवाद भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिल एवं स्थायी प्रकृति को रेखांकित करते हैं। **दक्षिण एशियाई कूटनीति व सुरक्षा की गतिशीलता और चुनौतियों** को समझने में इसकी विरासत महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।

भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने भारत पर एक **पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (Mutual Evaluation Report- MER)** जारी की, जिसे सिंगापुर में आयोजित उनके पूर्ण सत्र के दौरान अनुमोदित किया गया। इसमें विशेष रूप से धन शोधन (**Money Laundering- ML**), आतंकवादी वित्तपोषण (**Terrorist Financing- TF**) और प्रसार हेतु वित्तपोषण (Proliferation Financing) से निपटने में भारत के प्रयासों का मूल्यांकन किया गया।

MER रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं ?

- **भारत पर पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट:**
  - **नियमित अनुवर्ती श्रेणी:**
    - भारत को 'नियमित अनुवर्ती' (Regular Follow-Up) श्रेणी में रखा गया है जिससे यह एक ऐसे विशेष समूह में शामिल हो गया है जिसमें केवल चार देश- **यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, इटली** और **अन्य G20 देश** शामिल हैं।
    - 'नियमित अनुवर्ती' का अर्थ है कि भारत को केवल अक्तूबर 2027 में अनुशंसित कार्यों पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  - FATF, सदस्य देशों को चार श्रेणियों में से किसी एक में रखता है अर्थात् **'नियमित अनुवर्ती', 'वर्द्धित अनुवर्ती' (Enhanced Follow-Up), 'ग्रे लिस्ट' और 'ब्लैक लिस्ट'।**
  - नियमित अनुवर्ती **उक्त 4 श्रेणियों** में शीर्ष श्रेणी है और पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद भारत सहित G20 में **केवल 5 देशों को** नियमित अनुवर्ती में रखा गया है।
  - **JAM ट्रिनिटी के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था:**
    - जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी और नकद लेन-देन के कठोर विनियमों द्वारा भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है जिससे **ML, TF** तथा **भ्रष्टाचार** एवं संगठित अपराध **जैसे अपराधों से प्राप्त आय** से जुड़े जोखिम सफलतापूर्वक कम हुआ हैं।

FATF क्या है ?

- **परिचय:**
  - FATF वर्ष **1989 में स्थापित अंतर-सरकारी संगठन** है।
  - यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिये एक **वैश्विक मानक-निर्धारक** है।
- **उद्देश्य:**
  - FATF का प्राथमिक उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना** तथा धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से निपटने हेतु **उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन** को बढ़ावा देना है।
- **गठन:**
  - FATF का गठन G7 देशों की पहल पर **धन शोधन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव** के बारे में बढ़ती चिंताओं का समाधान करने के लिये किया गया था।
  - प्रारंभ में यह मुख्यत: मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये सिफारिशें करने और सर्वोत्तम अभ्यास विकसित करने पर केंद्रित था।
    - विगत कुछ वर्षों में, इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ और इसमें आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम करने तथा नए उभरते खतरों से निपटना शामिल किया गया है।

नोट :

- **ब्लैक लिस्ट:**
  - **ब्लैक लिस्ट में उन असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT)** को शामिल किया जाता है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
  - अभी तक **ईरान, उत्तर कोरिया और म्याँमार** तीन देश ब्लैक लिस्टेड हैं।
- **ग्रे लिस्ट:**
  - जिन देशों को टेरर फंडिंग और **मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन** करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, **उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल** दिया जाता है।
  - यह उस देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
- **FATF के सदस्य और पर्यवेक्षक:**
  - FATF में वर्तमान में **37 सदस्य निकाय** हैं जो दुनिया के के लगभग सभी हिस्सों के सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - **39 सदस्यों** में से **दो क्षेत्रीय संगठन** हैं: **यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद।**
- **भारत और FATF:**
  - भारत वर्ष 2006 में 'पर्यवेक्षक' देशों की सूची में शामिल हुआ और **वर्ष 2010 में FATF** का पूर्ण सदस्य बन गया।

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था पर MER रिपोर्ट का महत्त्व क्या है?

- **वैश्विक वित्तीय प्रतिष्ठा में वृद्धि:**
  - FATF का सकारात्मक मूल्यांकन भारत की मज़बूत वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बढ़ता है। यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT सिटी) जैसी पहलों को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है।
  - इस बेहतर प्रतिष्ठा से बेहतर क्रेडिट रेटिंग मिल सकती है, जिससे वैश्विक बाज़ारों में भारतीय संस्थाओं के लिये उधार लेने की लागत कम हो सकती है।
- **विदेशी निवेश में वृद्धि:**
  - एक भरोसेमंद वित्तीय प्रणाली अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment - FDI) को आकर्षित करने की संभावना रखती है। फिनटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में, जहाँ वित्तीय अखंडता महत्त्वपूर्ण है, अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने पहले ही भारत में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है।
- **डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार:**
  - रिपोर्ट का समर्थन भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface - UPI) के वैश्विक विस्तार का समर्थन करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में UPI की व्यापक स्वीकृति हो सकती है क्योंकि **UPI पहले से ही सिंगापुर और UAE जैसे देशों में चालू है इसे और देशों में विस्तारित करने की योजना है।**
- **भारत के फिनटेक उद्योग को बढ़ावा:**
  - सकारात्मक मूल्यांकन से भारत के फिनटेक क्षेत्र के विकास में तेज़ी आ सकती है। पेटीएम और फोनपे जैसी फिनटेक कंपनियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना आसान हो सकता है। **यह अधिक उद्यम पूंजी को आकर्षित कर सकता है और ब्लॉकचेन तथा डिजिटल मुद्राओं** जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **संवर्द्धित धन प्रेषण प्रवाह:**
  - बेहतर वित्तीय प्रणालियों के साथ, **अनिवासी भारतीयों (NRI)** से प्राप्त धन अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो सकता है। धन प्रेषण की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, जो भारत के विदेशी मुद्रा में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता है।

धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण क्या है?

- **धन शोधन (Money Laundering):**
  - **धन शोधन** में अवैध रूप से प्राप्त **धन की पहचान को छिपाना या प्रच्छन्न करना** शामिल है, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वह वैध स्रोतों से आया है।
  - यह अक्सर अन्य, अधिक गंभीर अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली का एक घटक होता है। **IMF के अनुसार,** वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग का अनुमान **वैश्विक GDP** के 2 से 5% के बीच है।
- **आतंकवाद वित्तपोषण (TF):**
  - **आतंकवाद का वित्तपोषण** आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य है, ताकि वे आतंकवादी कार्य कर सकें या किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन को लाभ पहुँचा सकें।
  - **यद्यपि धन आपराधिक गतिविधियों से आ सकता है, लेकिन यह वैध स्रोतों से भी प्राप्त हो सकता है,** उदाहरण के लिये **वेतन, वैध व्यवसाय से प्राप्त राजस्व या गैर-लाभकारी संगठनों सहित दान के माध्यम से।**
  - आतंकवाद के वित्तपोषण में सामान्यत: तीन चरण होते हैं: **धन जुटाना, धन का स्थानांतरण और उसका उपयोग करना।**

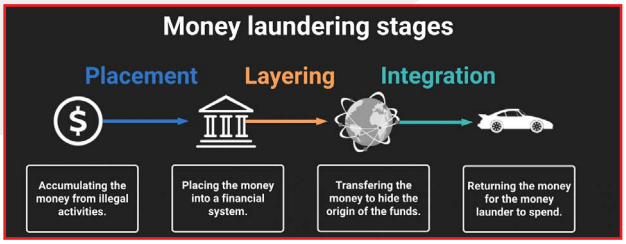

भारत के लिये FATF की चिंताएँ और सुझाव क्या हैं?

चिंताएँ	सुझाव
• **गैर-वित्तीय क्षेत्रों की भेद्यता:** गैर-वित्तीय क्षेत्र कमज़ोर निगरानी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, **भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र,** जिसे अवैध वित्तीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील माना जाता है।	• **पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन को मज़बूत करना:** उच्च मूल्य वाली संपत्ति के लेन-देन के लिये मज़बूत परिश्रम प्रक्रियाओं या गैर-वित्तीय क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों हेतु बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता है। • अधिक प्रभावी जाँच हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय खुफिया जानकारी का विश्लेषण और प्रसार करने के लिये भारत की **वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND)** की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

नोट :

• **लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ:** यह AML/CFT (**एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला**) प्रयासों की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकता है और संभावित रूप से अपराधियों को न्याय से बचने का मौका दे सकता है। उदाहरण के लिये, देश से भाग चुके हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों में अभियोजन तथा संपत्ति की वसूली में काफी देरी का सामना करना पड़ा है।	• **ML और TF अभियोगों में देरी को संबोधित करना:** इसके लिये **बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें न्यायिक सुधार, वित्तीय अपराध मामलों में कानून प्रवर्तन तथा न्यायिक अधिकारियों हेतु** क्षमता निर्माण एवं न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग शामिल हो सकता है।
• **आभासी परिसंपत्ति जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध:** आभासी परिसंपत्तियों (क्रिप्टोकरेंसी) का बढ़ता उपयोग AML/CFT व्यवस्थाओं के लिये नई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। • अप्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग **सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के प्रयासों में बाधा** डालता है।	• **आभासी परिसंपत्ति जोखिमों के विरुद्ध उपायों को सुदृढ़ बनाना:** भारत को आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिये अधिक **व्यापक विनियमन और पर्यवेक्षण तंत्र विकसित करने की** आवश्यकता है, ताकि धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण हेतु उनके दुरुपयोग को रोका जा सके। • भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध या **सीमा पार धन शोधन योजनाओं से जुड़े मामलों में अन्य देशों के साथ सूचना साझा करने** और सहयोग करने के लिये अपने तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देश **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA)** पर वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए, जिससे दोनों पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक आर्थिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त होगा।

- वर्ष 2022 में दोनों देशों ने **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA)** पर एक **संयुक्त व्यवहार्यता** अध्ययन पूरा किया।

हाल की बैठक के प्रमुख परिणाम क्या थे ?

- भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच **आर्थिक संबंधों** को बढ़ाने तथा व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिये **CEPA** पर काम शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।
  - इस समझौते का **उद्देश्य दक्षिण एशिया की दो तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक अनुपूरकता का लाभ** उठाना है।
- भारत ने बांग्लादेश के सिराजगंज में एक **अंतर्देशीय कंटेनर बंदरगाह** के निर्माण में सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे बेहतर रसद और व्यापार प्रवाह की सुविधा मिलेगी।
- दोनों देशों ने **वर्ष 1996** की **गंगाजल संधि** को **नवीनीकृत करने के लिये तकनीकी स्तर की वार्ता** शुरू करने पर सहमति जताई, जिसमें बाढ़ प्रबंधन, पूर्व-चेतावनी प्रणाली एवं पेयजल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच साझा होने वाली 54 नदियों को देखते हुए यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
- एक समुद्री सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जो **हिंद महासागर** के लिये **उनके साझा दृष्टिकोण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी हितों को प्रदर्शित** करता है। भारत ने **हिंद-प्रशांत महासागर पहल** में शामिल होने के बांग्लादेश के निर्णय का स्वागत किया।

भारत-बांग्लादेश सहयोग में अन्य हालिया घटनाक्रम

- भारत-बांग्लादेश **मैत्री पाइपलाइन** का उद्घाटन।
- भारत और बांग्लादेश के बीच **वर्ष 1965 से पहले के रेल संपर्कों का पुनर्वास तथा संचालन**।
- वर्ष 2023 में **अखौरा-अगरतला रेल लिंक** का उद्घाटन, जो त्रिपुरा के माध्यम से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर को जोड़ता है। यह **छठा भारत-बांग्लादेश क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक** है।
- परिवहन संपर्क के लिये **बिम्सटेक** मास्टर प्लान भारत, बांग्लादेश, म्याँमार तथा थाईलैंड में प्रमुख परिवहन परियोजनाओं को जोड़ता है, जिससे शिपिंग नेटवर्क की स्थापना होती है।
- **मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट** का परिचालन।

नोट :

- खुलना-मोंगला बंदरगाह के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिये कार्गो सुविधा।
  - मोंगला बंदरगाह **पहली बार रेल मार्ग** से जुड़ा है।
- **इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र** जैसे केंद्रों के माध्यम से **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग**।
- भारत, **भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC)** के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश को उच्च शिक्षा के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अनुदान प्रदान करता है।

भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे हैं ?

- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - **बांग्लादेश के साथ भारत** के संबंधों की नींव वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में रखी गई थी। भारत ने पाकिस्तान से **आज़ादी की लड़ाई में बांग्लादेश** की मदद के लिये महत्त्वपूर्ण सैन्य और भौतिक सहायता प्रदान की थी।
  - इसके बावजूद सैन्य शासन और भारत विरोधी भावना के कारण कुछ वर्षों में ही संबंध खराब हो गए, लेकिन वर्ष 1996 में सत्ता परिवर्तन तथा गंगाजल बँटवारे पर संधि के साथ ही स्थिरता लौट आई।
  - भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 2015 में **भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement- LBA)** तथा प्रादेशिक जल पर समुद्री विवाद जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को भी सफलतापूर्वक सुलझाया।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - पिछले दशक में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है।
  - बांग्लादेश **दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार** है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
  - भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेशी निर्यात लगभग 2 बिलियन अमेरीकी डॉलर का होगा।
  - वर्ष 2010 से भारत ने बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की ऋण सहायता प्रदान की है।
- **ऊर्जा:**
  - **ऊर्जा क्षेत्र में**, बांग्लादेश भारत से लगभग **2,000 मेगावाट (MW) बिजली आयात करता** है।
  - वर्ष 2018 में रूस, बांग्लादेश और भारत ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, बांग्लादेश के पहले **परमाणु ऊर्जा रियेक्टर के कार्यान्वयन में सहयोग** पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- **रक्षा एवं बहुपक्षीय सहयोग:**
  - **द्विपक्षीय अभ्यास:**
    - अभ्यास संप्रीति (सेना)
    - अभ्यास बोंगो सागर (नौसेना)
  - **क्षेत्रीय सहयोग के लिये मंच:**
    - दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)
    - बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC)
    - हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियाँ और उनके संभावित समाधान क्या हैं ?

चुनौतियाँ	आगे की राह
सीमा-पारीय नदी जल का बँटवारा	**स्थायी नदी आयोग की स्थापना:** साझा नदियों के प्रबंधन के लिये द्विपक्षीय आयोग का गठन
	संयुक्त नदी प्रबंधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन: बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिये संयुक्त परियोजनाएँ विकसित करना।

नोट :

अवैध प्रवास	**प्रवासन पर द्विपक्षीय समझौते:** विधिक प्रवासन और श्रम गतिशीलता पर केंद्रित नए समझौतों का मसौदा तैयार करना।
	रोहिंग्या शरणार्थियों का समन्वय: इसके मूल कारणों का पता लगा कर उन्हें संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना।
मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार	**अवैध व्यापार पर संयुक्त कार्य बल:** मानव तस्करी और अवैध शिकार की रोकथाम करने के लिये संयुक्त कार्य बल की स्थापना करना।
	विधिक ढाँचों का सुदृढ़ीकरण: विधि में सामंजस्य स्थापित करना और तस्करी तथा अवैध व्यापार करने वालों के लिये दंड वर्द्धित करना।
बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव	**आर्थिक सहयोग में सुधार:** चीन के विकल्प के रूप में भूमिका बढ़ाने के लिये व्यापार और निवेश पहलों में विस्तार करना।
	सांस्कृतिक और पारस्परिक आदान-प्रदान: संबंधों को सुदृढ़ करने और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिये दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

भारत के प्रमुख व्यापार समझौते

पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- भारत-श्रीलंका FTA
- भारत-नेपाल व्यापार संधि
- व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता

भारत के क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

- **भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता (11):** 10 आसियान देश + भारत
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (7):** भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव
- **व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली** (41 देश + भारत)

भारत का CECA और CEPA

CECA/CEPA मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक है, जो नियामक, व्यापार एवं आर्थिक पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है, CEPA में सेवाओं, निवेश आदि समेत व्यापक क्षेत्र है, जबकि CECA मुख्य रूप से टैरिफ और TQR दरों के समझौते पर केंद्रित है।

- **संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, जापान** के साथ CEPA
- **सिंगापुर, मलेशिया** के साथ CECA

मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच एक व्यापक समझौता है, जो विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को छोड़कर एक नकारात्मक सूची (negative list) के साथ अधिमान्य व्यापार शर्तों और टैरिफ रियायतों की पेशकश करता है।

अन्य:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)
- भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS)
- भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)

एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS) FTA/CECA/CEPA से पहले होता है, जहाँ समझौता करने वाले देश टैरिफ उदारीकरण के लिये उत्पादों का चयन करते हैं, व्यापक व्यापार समझौतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं।

अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA)

PTA में भागीदार सहमत टैरिफ सीमाओं पर शुल्क कम करके, कम या शून्य टैरिफ के लिये पात्र उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाए रखते हुए विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करते हैं।

- **एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (APTA):** बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ PDR, श्रीलंका और मंगोलिया
- **SAARC अधिमान्य व्यापार समझौता (SAPTA):** SAFTA के समान
- **भारत-MERCOSUR PTA:** ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और भारत
- **चिली, अफगानिस्तान** के साथ भारत का PTA

Drishti IAS

नोट :

भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भारत-मंगोलिया** संयुक्त सैन्य अभ्यास **नोमैडिक एलीफेंट (NOMADIC ELEPHANT)** का **16वाँ संस्करण** विदेशी प्रशिक्षण नोड, उमरोई (मेघालय) में शुरू हुआ।

भारतीय सेना द्वारा आयोजित प्रमुख संयुक्त अभ्यास कौन-से हैं ?

- **परिचय:**
  - संयुक्त अभ्यास रक्षा सहयोग के प्रमुख कार्यक्रम हैं जो **विभिन्न परिचालन परिदृश्यों में भारतीय सेना की पेशेवर क्षमता** को प्रदर्शित करते हैं तथा प्रतिभागियों को सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।
  - संयुक्त अभ्यास का दायरा यथार्थवादी और विविधतापूर्ण है जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियान, मानवीय सहायता और आपदा राहत, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, उच्च ऊँचाई वाले अभियान, रेगिस्तान युद्ध, शहरी युद्ध एवं जंगल युद्ध शामिल हैं।
  - युद्ध में नवीनतम अभ्यासों और ड्रोन युद्ध, ग्रे ज़ोन युद्ध आदि जैसी **यथार्थवादी स्थितियों को जोड़कर इसके दायरे की जटिलता** को बढ़ाया गया है।
- **संयुक्त युद्ध अभ्यास:**

देश	युद्ध अभ्यास
ऑस्ट्रेलिया	AUSTRA HINDBAH
बांग्लादेश	सम्प्रीति
चीन	हैंड इन हैंड
फ्राँस	शक्ति
इंडोनेशिया	गरुड़ शक्ति
कजाखस्तान	प्रबल दोस्त्यक
किर्गिज़स्तान	खंजर
मालदीव	एकुवेरिन
मंगोलिया	नोमडिक एलीफैंट
म्याँमार	इंबेक्स(IMBEX)
नेपाल	सूर्य किरण
ओमान	अल-नागाह
रूस	इंद्र
सेशल्स	लामितिये (LAMITIYE)
श्रीलंका	मित्र शक्ति
थाईलैंड	मैत्री
ब्रिटेन	अजय वॉरियर
संयुक्त राज्य अमेरिका	युद्धाभ्यास
संयुक्त राज्य अमेरिका	वज्र प्रहार

भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास:

- **संयुक्त युद्ध अभ्यास:**

अभ्यास	देश
मालाबार	भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया
वरुण	भारत, फ्राँस
ला पेरोस	भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, जापान और यूनाइटेड किंगडम
समुद्री ड्रैगन	भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया
कोंकण	भारत, ब्रिटेन
AIME और IMDEX	भारत, आसियान देश
ब्राइट स्टार	भारत, 34 देश
SALVEX	भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका
SLINEX	भारत, श्रीलंका
समुद्र शक्ति	भारत, इंडोनेशिया
अल-मोहद अल-हिंदी	भारत, सऊदी अरब
भारत - फ्राँस - संयुक्त अरब अमीरात त्रिपक्षीय अभ्यास	भारत, फ्राँस, UAE
भारत - फ्राँस - यूएई त्रिपक्षीय PASSEX	भारत, फ्राँस, UAE
KOMODO	भारत, संयुक्त (36 देश)
AUSINDEX	भारत, ऑस्ट्रेलिया
SIMBEX	भारत, सिंगापुर

- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) तथा खोज एवं बचाव (SAR) ऑपरेशन :**

ऑपरेशन का नाम	विवरण	स्थान
ऑपरेशन कावेरी	सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी	लाल सागर

नोट :

ऑपरेशन करुणा	म्याँमार को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) (चक्रवात मोचा के बाद)	रंगून, म्याँमार
ब्रह्मपुरम अग्निशमन सहायता	ब्रह्मपुरम ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र में अग्निशमन प्रयासों में स्थानीय अधिकारियों की सहायता की	कोच्चि, भारत

वायु सेना द्वारा आयोजित प्रमुख अभ्यास कौन-से हैं ?

- **संयुक्त अभ्यास:**

ऑपरेशन का नाम	विवरण	स्थान
अभ्यास वीर गार्जियन	भारत और जापान के बीच पहला वायुसेना का संयुक्त अभ्यास	-
अभ्यास PASSEX फ्राँस के साथ	फ्राँस के लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त अभ्यास	हिंद महासागर क्षेत्र
संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास डेज़र्ट फ्लैग-8	किसी अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में तेजस की पहली भागीदारी	अल-धफरा, संयुक्त अरब अमीरात
अभ्यास कोबरा वारियर	एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास	ब्रिटेन
अभ्यास कोप इंडिया	भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त अभ्यास (पर्यवेक्षक)	AFS कलाईकुंडा से पानागढ़, भारत
अभ्यास ओरियन	बहुराष्ट्रीय अभ्यास	फ्राँस
अभ्यास INIOCHOS	भारत और ग्रीस के बीच पहला वायु अभ्यास	ग्रीस
अभ्यास ब्राइट स्टार	मिस्र के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास	मिस्र

- **सहयोगी सेवाओं के साथ एकीकृत अभ्यास:**

अभ्यास	विवरण
क्रांति महोत्सव	01 मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (MLH)
चक्र दृष्टि	फाइटर एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) और एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AEW&C)
पश्चिमी कमान थियेटर	हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, RPA और फाइटर एयरक्राफ्ट
लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक	फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS)
एयरफोर्स स्टेशन नलिया में MiG-29K टुकड़ी	भारतीय नौसेना के MiG-29K लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त तैनाती

- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:**

ऑपरेशन	स्थान	विवरण
ऑपरेशन दोस्त - तुर्किये और सीरिया	तुर्किये, सीरिया	भूकंप राहत
ऑपरेशन कावेरी - सूडान	सूडान	भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी
ऑपरेशन अजय (इज़रायल - हमास संघर्ष)	इज़रायल, गाज़ा	चिकित्सा और आपदा राहत

सैन्य अभ्यास के क्या लाभ हैं ?

- **उन्नत अंतरसंचालनीयता:** अभ्यास सैनिकों के बीच साझा सामरिक **भाषाओं और सांस्कृतिक समझ के विकास को बढ़ावा देते** हैं। सफल बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन सिर्फ तकनीकी अनुकूलता पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि ऐसी एकजुट टीमों पर भी निर्भर करते हैं जो एक-दूसरे की कार्रवाइयों का अनुमान लगा सकती हैं और उनके अनुसार खुद को ढाल सकती हैं।
- **ज्ञान का विनिमय:** नाटो की डिफेंडर श्रृंखला जैसे अभ्यासों ने एक "सहयोगात्मक नवाचार वातावरण" को बढ़ावा दिया है जहाँ सेनाएँ वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान का सह-विकास करती हैं। इससे संयुक्त रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और तकनीकी प्रगति में तेजी आती है।
- **राजनयिक संबंधों:** सैन्य अभ्यास रक्षा कूटनीति के एक रूप के रूप में कार्य करते हैं, तथा इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करते हैं।

नोट :

- उदाहरण के लिये, मालाबार नौसैनिक अभ्यास ने न केवल अंतर-संचालन क्षमता में सुधार किया है, बल्कि यह विश्वास-निर्माण उपाय के रूप में भी कार्य किया है, तथा **क्षेत्रीय चुनौतियों के विरुद्ध एकजुट मोर्चे का संकेत दिया है।**

- **क्षमता आकलन:** अभ्यासों से सेनाओं के भीतर अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दों का पता चल सकता है।
  - **2022 रैंड (RAND) कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट** इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हाल ही में अमेरिका-सहयोगी अभ्यास ने विशेष ऑपरेशन बलों और पारंपरिक इकाइयों के बीच संचार अंतराल को उजागर किया, **जिससे अमेरिकी सेना के भीतर संचार प्रोटोकॉल का एक महत्त्वपूर्ण पुनर्गठन हुआ।**
- **निवारण: संयुक्त अभ्यास संभावित शत्रुओं को सैन्य तत्परता और गठबंधन की ताकत का संकेत देते हैं।**
  - उदाहरण के लिये, **यूक्रेन पर आक्रमण से पहले रूस-बेलारूसी अभ्यास** ने न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी किया, जिसका उद्देश्य संभवत: यूक्रेन और पश्चिम को भयभीत करना था।
- **मानवीय सहायता की तैयारी:** अब कई अभ्यासों में नागरिक भागीदारी और मीडिया की उपस्थिति जैसी वास्तविक दुनिया की जटिलताएँ शामिल हो गई हैं।
  - **संयुक्त राष्ट्र की 2023 विश्व मानवीय डेटा रिपोर्ट** मानवीय संकटों के दौरान बेहतर **अंतर-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता पर बल देती है।** नागरिक सहायता संगठनों को शामिल करने वाले अभ्यास इन अंतरालों को पाट सकते हैं।

22वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मॉस्को में **22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन** में **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन** ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इस शिखर सम्मेलन का **उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को विशेष रूप से सामरिक भू-राजनीतिक तनाव के परिपेक्ष्य में मज़बूत** करना था।

- एक अन्य घटनाक्रम में, रूस ने एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद विश्व बैंक ने उसे **उच्च मध्यम आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड कर दिया है।**

22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **राजनयिक उपलब्धियाँ:** राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ***"ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल"*** से सम्मानित किया।
  - सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ऑर्डर की स्थापना **ज़ार पीटर द ग्रेट** ने वर्ष 1698 में की थी और इसे वर्ष 1998 में पुन: स्थापित किया गया था, **जिसमें दो सिर वाला ईगल प्रतीक एवं हल्के नीले रंग का रेशमी मौइर रिबन शामिल है।**
    - इस पुरस्कार का नाम **रूस और स्कॉटलैंड के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू** के नाम पर रखा गया है, जिन्हें यूरोप तथा एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये जाना जाता है।
  - रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में मोदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया था।
    - **चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग** और पूर्व कजाख राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव जैसे विदेशी नेताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

- **आर्थिक सहयोग: वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य** निर्धारित किया गया, जो वर्ष **2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के पिछले लक्ष्य से काफी अधिक है, जिसे वर्ष 2023 में लगभग दोगुना कर दिया गया है।

नोट :

- इसका मुख्य कारण यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका और यूरोप द्वारा रूस पर तेल प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत द्वारा छूट पर रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाना है।
- आर्थिक सहयोग के आशाजनक क्षेत्रों के विकास के लिये एक व्यापक "**कार्यक्रम-2030**" तैयार करने पर सहमति।
  - इस कार्यक्रम का समन्वयन **भारत-रूस अंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग (India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation- IRIGC-TEC)** द्वारा किया जाएगा।
- **IRIGC-TEC** द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिये **शीर्ष G2G मंच** है जिसकी **अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और रूस के उप-प्रधानमंत्री** करते हैं।
- **भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ** के बीच **वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते** के लिये वार्ता शुरू की जा चुकी है। वे सेवाओं और निवेश में भी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर विचार कर रहे हैं।
- नेताओं ने "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" कार्यक्रमों में **रूसी व्यवसायों** की भागीदारी तथा रूस में निवेश परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने पर सहमति व्यक्त की।

- **रक्षा और प्रौद्योगिकी:** दोनों देशों के क्रेता-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान, विकास, **सह-विकास** और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियों के संयुक्त विकास हेतु वार्ता की गई।
  - इनका उद्देश्य **मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम** के तहत भारत में **रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों** के लिये स्पेयर पार्ट तथा घटकों के **संयुक्त विनिर्माण** को प्रोत्साहित करना भी है।
    - इसमें **भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा करने** और उसके पश्चात् मित्र देशों को इसका निर्यात करने **के लिये संयुक्त उद्यम स्थापित करना** शामिल है।
  - दोनों देशों ने **सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग (Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation - IRIGC-M&MTC)** की अगली बैठक में इसके प्रावधानों पर वार्ता करने के लिये एक नया कार्य समूह स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
  - रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी युद्ध मोर्चे पर **रूसी सेना में सेवारत** और भारत लौटने की इच्छा रखने वाले भारतीय **सैन्य कर्मियों को सेवामुक्त करने** के भारत के प्रधानमंत्री के अनुरोध को स्वीकार किया।
    - रूसी कानून में मानसिक और शारीरिक जाँच सहित अन्य गहन जाँच के बाद **विदेशी सैनिकों की** रूस की सेना में **भर्ती** का प्रावधान है।
- **परिवहन और कनेक्टिविटी:** दोनों पक्षों ने यूरेशिया में स्थिर और कुशल परिवहन गलियारे विकसित करने पर विचार किया जिसमें चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर तथा इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) शामिल हैं।
  - **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा**, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों और रूस के सुदूर-पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाहों के बीच एक समुद्री संपर्क है जिसे वर्ष 2019 में प्रस्तावित किया गया था और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के माल का परिवहन करना तथा **भारत-रूस परिवहन समय को 40% तक कम करना** है।
  - INSTC एक बहुविध परिवहन मार्ग है जिसकी अभिकल्पना सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिये **ईरान, रूस और भारत** द्वारा वर्ष 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी।
    - यह गलियारा हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है तथा रूसी संघ के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग एवं उत्तरी यूरोप से जुड़ा हुआ है।
  - दोनों पक्षों का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे की क्षमता में वृद्धि करना और उत्तरी समुद्री मार्ग का उपयोग करना है। दोनों पक्ष कार्गो परिवहन के समय और लागत को कम करने तथा यूरेशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये मिलकर कार्य करेंगे।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** रूस ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (2021-22) में भारत की अस्थायी सदस्यता की सराहना** की और शांति स्थापना तथा आतंकवाद-रोधी प्रयासों में भारत का समर्थन किया।
  - रूस ने संशोधित एवं विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में **भारत की स्थायी सदस्यता** के लिये अपना समर्थन दोहराया।
  - भारत ने **"न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिये बहुपक्षवाद को मज़बूत करना"** विषय के अंतर्गत वर्ष 2024 में **रूस की ब्रिक्स** अध्यक्षता के लिये पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

नोट :

- बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र, G-20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization- SCO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग पर बल दिया गया है।
- भारतीय पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (**International Solar Alliance- ISA**), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure- CDRI) और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (International Big Cat Alliance- IBCA) में रूस के शामिल होने की आशा व्यक्त की।

- **वैश्विक मामले:**
  - **जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन से निपटने और** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्धता, जिसमें निम्न-कार्बन विकास एवं हरित वित्तपोषण पर सहयोग शामिल है।
  - **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था:** बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आवश्यकता तथा **यूरेशियाई अंतरिक्ष और हिंद एवं प्रशांत महासागर क्षेत्रों में समान तथा अविभाज्य क्षेत्रीय सुरक्षा की संरचना** के विकास पर बल दिया गया।
  - **आतंकवाद का विरोध:** नेताओं ने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही और आतंकवाद के **वित्तपोषण नेटवर्क सहित** सभी रूपों तथा **अभिव्यक्तियों में आतंकवाद एवं हिंसक उग्रवाद** की स्पष्ट रूप से निंदा की।
    - दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, धन शोधन **या मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering), आतंकवादी वित्तपोषण और मादक पदार्थों** की तस्करी से निपटने में बहुपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

रूस को उच्च आय वाले देश का दर्जा दिलाने में किन कारकों का योगदान रहा?

- **विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास:** विश्व बैंक देशों को उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income- GNI) के आधार पर वर्गीकृत करता है, जिसे एटलस पद्धति (क्रय शक्ति समता के लिये लेखांकन) का उपयोग करके अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाता है।
  - जुलाई 2024 तक, **"उच्च आय" की सीमा 14,005 अमेरिकी डॉलर** है। रूस ने वर्ष 2023 में 14,250 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के साथ इस सीमा को पार कर लिया।
  - हाल के वर्षों में रूस ने व्यापार (+6.8%), वित्तीय क्षेत्र (+8.7%) और निर्माण (+6.6%) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जिससे वास्तविक (3.6%) तथा नाममात्र (10.9%) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई।
- **सैन्य खर्च का प्रभाव:** वर्ष 2023 में सैन्य-संबंधी गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, हालाँकि विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह वृद्धि टिकाऊ नहीं हो सकती है।
- **व्यापार विविधीकरण:** पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण व्यापार पैटर्न में बदलाव आया, जिससे **G7** और यूरोपीय संघ के देशों पर निर्भरता कम हो गई तथा चीन, **भारत, तुर्की, मध्य एशिया एवं दक्षिण काकेशस के साथ लेन-देन में वृद्धि** हुई।
- **लचीला ऊर्जा क्षेत्र:** अपने ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों के बावजूद, रूस ने वैश्विक तेल की कीमतों और **रणनीतिक व्यापार विविधीकरण का लाभ उठाते** हुए, समग्र निर्यात मात्रा को स्थिर बनाए रखा।
- **राजकोषीय प्रोत्साहन और निवेश:** राजकोषीय प्रोत्साहन और रक्षा व्यय में वृद्धि (GDP का अनुमानित 7%) सहित सरकारी पहलों ने आर्थिक सुधार तथा विकास को समर्थन दिया।
- **जॉब मार्केट और उपभोक्ता व्यय:** कम बेरोज़गारी, बढ़ती मज़दूरी तथा मज़बूत निजी खपत ने आर्थिक स्थिरता एवं विकास में सकारात्मक योगदान दिया।
- वर्ष 2014 के पहले के प्रतिबंधों से उबरते हुए, रूस ने मौजूदा चुनौतियों को कम करने के लिये अपनी आर्थिक नीतियों और बुनियादी ढाँचे में निवेश को अनुकूलित किया।

विश्व बैंक का राष्ट्रीय आय वर्गीकरण क्या है?

- **परिचय:** विश्व बैंक समूह द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को **चार आय वर्गों में विभाजित** किया है: **समूह:** निम्न, निम्न-मध्य, उच्च-मध्य और उच्च।
  - यह वर्गीकरण पिछले कैलेंडर वर्ष की **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर 1 जुलाई को प्रतिवर्ष अद्यतन** किया जाता है।
  - विश्व बैंक के आय वर्गीकरण का उद्देश्य आर्थिक क्षमता के संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति एटलस GNI का उपयोग करते हुए **किसी देश के विकास के स्तर को प्रतिबिंबित करना** है।
- **वर्गीकरण की सीमाएँ:**
  - **निम्न आय:** 1,145 अमेरिकी डॉलर या उससे कम;
  - **निम्न-मध्यम आय:** 1,146 अमेरिकी डॉलर से 4,515 अमेरिकी डॉलर;

- **उच्च-मध्यम-आय:** 4,516 अमेरिकी डॉलर से 14,005 अमेरिकी डॉलर ;
- **उच्च आय:** 14,005 अमेरिकी डॉलर से अधिक।
- **आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, विनिमय दर तथा जनसंख्या वृद्धि** जैसे कारक किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकते हैं।

- **क्षेत्रीय मुख्य आकर्षण:**
  - दक्षिण एशिया में निम्न आय वाले देशों की हिस्सेदारी **वर्ष 1987 में 100% से घटकर वर्ष 2023 में मात्र 13%** रह गयी है।
    - विश्व बैंक के अनुसार, **भारत एक निम्न-मध्यम आय वाला देश** है। भारत वर्ष 2007 से इस श्रेणी में है, जब यह निम्न-आय श्रेणी से ऊपर आया था।
  - वर्ष 2023 तक, PPP के संदर्भ में **भारत की प्रति व्यक्ति GNI लगभग 10,030 अमेरिकी डॉलर** है।
  - मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में, कम आय वाले देशों की हिस्सेदारी वर्ष 1987 में 0% से बढ़कर वर्ष 2023 में 10% हो गई है।
  - लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में, उच्च आय वाले देशों की हिस्सेदारी वर्ष 1987 में 9% से बढ़कर वर्ष 2023 में 44% हो गई है।
  - यूरोप और मध्य एशिया में वर्ष 2023 में उच्च आय वाले देशों की हिस्सेदारी वर्ष 1987 (71%) की तुलना में थोड़ी कम (69%) होगी।

नोट: GNI, एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में निवासियों द्वारा दावा किये गए **कुल घरेलू और विदेशी मूल्य वर्धन को मापता** है, जिसे **क्रय शक्ति समता दरों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में** व्यक्त किया जाता है।

- इसमें **सकल घरेलू उत्पाद के साथ-साथ गैर-निवासी स्रोतों से प्राथमिक आय की शुद्ध प्राप्तियाँ** शामिल होती हैं तथा यह आय की समग्र माप प्रदान करता है।

भारत-ऑस्ट्रिया संबंध

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का आधिकारिक दौरा किया। यह 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75वें वर्ष का प्रतीक है।

इस यात्रा का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाना था।

नोट: जून 1955 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑस्ट्रिया की राजकीय यात्रा की, जो **राज्य संधि** के समापन के माध्यम से ऑस्ट्रिया को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के लगभग एक महीने बाद की बात है। नेहरू की यह किसी विदेशी नेता की नव-स्वतंत्र ऑस्ट्रिया की पहली राजकीय यात्रा थी।

प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ?

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिये समर्थन:** दोनों देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय **(United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की बात कही।
- **राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग:** चर्चाओं में यूरोप और पश्चिम एशिया में विकास का आकलन शामिल था, जिसमें शांति बहाल करने तथा विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर साझा ध्यान केंद्रित किया गया।
  - नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा **(India-Middle East-Europe Corridor-IMEC)** के शुभारंभ तथा इस पहल में शामिल होने में ऑस्ट्रिया की रुचि का स्वागत किया।
- **आर्थिक सहयोग:** नेताओं ने **हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों**, बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्योन्मुखी आर्थिक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की।
  - **प्रथम उच्चस्तरीय द्विपक्षीय व्यापार फोरम** का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा दिया गया तथा नए अवसरों की खोज के लिये CEO स्तर पर बातचीत को प्रोत्साहित किया गया।
- **जलवायु प्रतिबद्धताएँ:** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन **(United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC)** के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हुए, दोनों देशों ने **ऑस्ट्रिया की हाइड्रोजन रणनीति** और भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर विशेष ध्यान देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग करने का संकल्प लिया।
  - UNFCCC के पक्षकारों तथा वैश्विक तापमान वृद्धि **को 2°C से नीचे** सीमित रखने के लिये प्रतिबद्ध नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के महत्त्व को स्वीकार किया।
  - उन्होंने **वर्ष 2050 तक यूरोपीय संघ के जलवायु तटस्थता लक्ष्य, 2040 तक ऑस्ट्रिया के लक्ष्य** तथा 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य पर ध्यान दिलाया।

नोट :

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** स्टार्ट-अप ब्रिज और ऑस्ट्रिया के **ग्लोबल इनक्यूबेटर नेटवर्क** तथा भारत के स्टार्ट-अप इंडिया के अंतर्गत आदान-प्रदान जैसी पहलों को नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण बताया गया।
  - उन्होंने **सतत् अर्थव्यवस्था सहित औद्योगिक प्रक्रियाओं (उद्योग 4.0)** में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बढ़ते महत्त्व को भी स्वीकार किया।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका को स्वीकार करते हुए योग, आयुर्वेद और अन्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के प्रयासों पर बल दिया गया।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधारों का समर्थन किया। भारत ने **वर्ष 2027-28 की अवधि के लिये ऑस्ट्रिया की UNSC** उम्मीदवारी हेतु अपना समर्थन दोहराया, जबकि **ऑस्ट्रिया ने वर्ष 2028-29 की अवधि के लिये भारत** के उम्मीदवारी के लिये अपना समर्थन व्यक्त किया।
  - भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और सतत् विकास में सहयोग पर प्रकाश डालते हुए ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन **(International Solar Alliance- ISA)** में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया।

अब तक भारत-ऑस्ट्रिया संबंध कैसे रहे हैं ?

- **राजनीतिक संबंध:** राजनयिक संबंध वर्ष 1949 में स्थापित हुए। द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक मनाई जाएगी।
  - वर्ष 1955 में ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता के लिये सोवियत संघ के साथ वार्ता में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **आर्थिक सहयोग:** यूरोपीय यूनियन के सबसे धनी देशों में से एक ऑस्ट्रिया, यूरोप, विशेषकर मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।
  - वर्ष 1983 में स्थापित **भारत-ऑस्ट्रियाई संयुक्त आर्थिक आयोग (Joint Economic Commission- JEC)** सरकारी मंत्रालयों और वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - वर्ष 2021 में, ऑस्ट्रिया को **भारतीय निर्यात कुल 1.29 बिलियन अमरीकी डॉलर** था, जबकि ऑस्ट्रिया से आयात 1.18 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसके परिणामस्वरूप 2.47 बिलियन अमेरीकी डॉलर का संतुलित द्विपक्षीय व्यापार हुआ।
    - **वर्ष 2022 तक द्विपक्षीय व्यापार 2.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.97% की वृद्धि दर्शाता है।**
  - **प्रमुख भारतीय निर्यात:** इलेक्ट्रॉनिक सामान, परिधान, वस्त्र, जूते, रबर के सामान, वाहन और रेलवे पार्ट्स।
  - **भारत को ऑस्ट्रिया से प्रमुख निर्यात:** मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, रेलवे पार्ट्स, लोहा और इस्पात।
- **अंतरिक्ष:** ऑस्ट्रिया के पहले दो उपग्रह, टगसैट-1/ब्राइट और यूनीब्राइट, वर्ष 2013 में भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किये गए थे।
- **संस्कृति: भारत-ऑस्ट्रियाई सांस्कृतिक संबंध** 16वीं शताब्दी से चले आ रहे हैं, जब बाल्थासार स्प्रिंगर ने वर्ष **1505 में टायरॉल से भारत की यात्रा** की थी। वियना विश्वविद्यालय में **संस्कृत** का शिक्षण वर्ष 1845 में शुरू हुआ और वर्ष 1880 में इंडोलॉजी के लिये एक स्वतंत्र पीठ की स्थापना के साथ यह अपने चरम पर पहुँच गया।
  - **नोबेल पुरस्कार विजेता** रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 और 1926 में वियना का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने **"वन का धर्म"** जैसे विषयों पर अपने व्याख्यानों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक तथा बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया था, जिसमें उन्होंने प्रकृति, एकता एवं करुणा पर ज़ोर दिया था।
  - **आयुर्वेद और योग ने ऑस्ट्रिया में लोकप्रियता हासिल** कर ली है तथा वियना में कई योग विद्यालय हैं।

ऑस्ट्रिया:

- ऑस्ट्रिया दक्षिणी मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी **सीमा आठ देशों** से लगती है, जैसे जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विटज़रलैंड और लिचेंस्टीन।
  - **आल्प्स पर्वत शृंखला** के भीतर स्थित होने के कारण ऑस्ट्रिया एक **अत्यधिक पहाड़ी देश** है। ऑस्ट्रियाई आल्प्स, जिसे सेंट्रल आल्प्स के नाम से भी जाना जाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है।
- **राजधानी: वियना**
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता:** ऑस्ट्रिया 1995 से **यूरोपीय यूनियन (EU)** का सदस्य रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया निम्नलिखित संगठनों- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन **(Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD)**, विश्व व्यापार संगठन **(World Trade Organization- WTO)**, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष **(International Monetary Funds- IMF)** और विश्व स्वास्थ्य संगठन **(World Health Organisation- WHO)** का भी सदस्य है।

■■■

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

नई दिल्ली के भारत मंडपम में **ग्लोबल इंडियाAI शिखर सम्मेलन (Global INDIAai Summit)** सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत और विश्व स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के भविष्य पर चर्चा करने के लिये **विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उत्साही लोग इसमें शामिल हुए।**

- एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटना यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेयर्डनेस सूचकांक (AIPI) डैशबोर्ड** लॉन्च किया है, जो वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं की AI तत्परता की निगरानी करेगा।

शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रमुख बिंदु और निष्कर्ष क्या हैं ?

- **ग्लोबल AI डिस्कोर्स:** भारत ने AI उपलब्ध करने और इसे सभी के लिये सुलभ बनाने की सरकार की मंशा पर बल देकर वैश्विक चर्चा की शुरुआत की।
  - चर्चाओं में भारत की AI विषय को आकार देने में अनूठी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें **वैश्विक AI नेतृत्व प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी घरेलू मांग को पूरा करने** पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - शिखर सम्मेलन ने **ग्लोबल साउथ देशों** को अपनी AI-संबंधी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिये एक मंच प्रदान किया, जिसमें कई देशों ने ग्लोबल नॉर्थ के साथ इन देशों के अंतराल को पाटने में भारत की भूमिका को स्वीकार किया।
- **INDIAai मिशन:** शिखर सम्मेलन ने **INDIAai मिशन के माध्यम से** देश में एक **समावेशी** और मज़बूत **AI इकोसिस्टम** बनाने तथा वैश्विक AI नवाचार का नेतृत्व करने के लिये भारत की योजनाबद्ध कार्रवाई एवं प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
  - शिखर सम्मेलन **में कंप्यूट क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटासेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और** सुरक्षित AI जैसे क्षेत्रों में AI विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया जो INDIAai मिशन के प्रमुख स्तंभ हैं।
  - चर्चा में विभिन्न कार्यान्वयन पहलुओं को शामिल किया गया, जैसे कि भारत की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मल्टी-लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) मॉडल विकसित करना, AI-तैयार डेटा का प्लेटफॉर्मीकरण और मानकीकरण तथा बहु-हितधारक दृष्टिकोण के साथ एक साझेदार इकोसिस्टम तैयार करना।
- **वैश्विक साझेदारी:**
  - **CAIGP: वैश्विक भागीदारी पर सहयोगात्मक AI (CAIGP)** के आयोजन ने वैश्विक AI विभाजन को दूर करने के लिये तंत्र की पहचान करने हेतु **कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI)** के सदस्यों, AI विशेषज्ञों को एकजुट किया।
    - **GPAI भारत सहित 29 सदस्य देशों** के साथ एक बहु-हितधारक पहल है, जिसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और एप्लाइड गतिविधियों का समर्थन करके AI पर सिद्धांत तथा व्यवहार के बीच के अंतराल को पाटना है।
    - **भारत वर्ष 2024 में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है।** GPAI के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में, भारत प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने और भरोसेमंद AI को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक AI विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रहा है।
  - **GPAI सर्वसम्मति:** सदस्यों ने GPAI के भविष्य के दृष्टिकोण पर आम सहमति बनाई, जिसमें AI की परिवर्तनकारी क्षमता पर ज़ोर दिया गया, जोखिमों को स्वीकार किया गया और मानव-केंद्रित AI विकास के लिये प्रतिबद्धता जताई गई।
  - **OECD-GPAI साझेदारी:** नई दिल्ली में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) और **GPAI** के बीच AI पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मज़बूत होगा। इसका खास तौर पर भारत और अन्य गैर-OECD सदस्य देशों के लिये महत्त्वपूर्ण प्रभाव है।
    - भारत ने रणनीतिक रूप से OECD सदस्यों के साथ GPAI की स्वतंत्र पहचान सुनिश्चित की, जिससे वैश्विक AI शासन चर्चाओं में इसकी प्रासंगिकता बनी रही।
    - **हालाँकि इसके विपरीत, भारत द्वारा स्वतंत्रता के लिये प्रयास किये जाने के बावजूद सचिवालय OECD के पास ही रहा और गैर-OECD GPAI सदस्य समान रूप से भाग ले रहे थे, लेकिन OECD की प्रशासनिक निगरानी में।**

नोट :

- **स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन (Startup Ecosystem Support):** भारतीय AI मिशन के 10,372 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 2,000 करोड़ रुपए स्वदेशी AI-आधारित समाधान विकसित करने वाले भारतीय स्टार्टअप को समर्थन देने के लिये निर्धारित किये गए।
  - AI विकास में कंप्यूटिंग शक्ति की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए, **स्टार्टअप के लिये GPU अवसंरचना** तक सब्सिडी वाली पहुँच प्रदान करने की योजनाओं पर चर्चा की गई।
  - शिखर सम्मेलन में AI स्टार्टअप के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों को हल करने की रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें डेटासेट तक पहुँच, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है।
- **AI शिक्षा:** व्यापक AI साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये आयु-उपयुक्त AI शिक्षण वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **सेक्टर-विशिष्ट अंतर्दृष्टि:** शिखर सम्मेलन में **भारत के एग्रीस्टैक में AI अनुप्रयोगों**, किसानों को डेटा-संचालित ऋण वितरण और समय पर कृषि सूचना संग्रह तथा निर्णय लेने के लिये AI के उपयोग पर चर्चा की गई।
  - चर्चा में भारत में कानूनी ढाँचे और डेटासेट प्लेटफॉर्म पर चर्चा की गई, **जिसमें शासन में डेटा प्रबंधन के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।** सरकारी सेवाओं में AI के एकीकरण पर भी चर्चा की गई, जिसमें दक्षता और नागरिक सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **नैतिक और मानव-केंद्रित AI:** शिखर सम्मेलन में भरोसेमंद और **मानव-केंद्रित AI** विकास को बढ़ावा देने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
  - प्रतिभागियों ने AI प्रणालियों द्वारा उत्पन्न उभरते जोखिमों और चुनौतियों को पहचाना तथा ज़िम्मेदार विकास की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। **शिखर सम्मेलन में AI पर OCD अनुशंसा और AI की नैतिकता पर UNESCO अनुशंसा के प्रति प्रतिबद्धताओं को याद किया गया।**
    - UNESCO ने मानव अधिकारों और सम्मान की रक्षा पर ध्यान **केंद्रित करते हुए AI की नैतिकता** पर सिफारिश को अपनाया।
  - इस सिफारिश में AI सिस्टम की पारदर्शिता, निष्पक्षता और मानवीय निगरानी पर ज़ोर दिया गया है। इसमें नीति-निर्माताओं के लिये डेटा गवर्नेंस, पर्यावरण, लिंग, शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में मूल मूल्यों और सिद्धांतों को लागू करने के लिये नीति कार्रवाई क्षेत्र भी शामिल हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक (AIPI) क्या है?

- AIPI देशों का उनके डिजिटल बुनियादी ढाँचे, **मानव पूंजी, श्रम नीतियों, नवाचार, एकीकरण** और विनियमन के आधार पर मूल्यांकन करता है।
  - उन्नत डिजिटल बुनियादी ढाँचे वाले देश सूचकांक पर उच्च स्कोर करते हैं। कुशल कार्यबल की उपलब्धता और AI कौशल का समर्थन करने वाली शैक्षिक प्रणाली महत्त्वपूर्ण कारक हैं।
- **AIPI डैशबोर्ड** देशों को **उन्नत अर्थव्यवस्था (AE), उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था (EM) तथा निम्न आय वाले देश (LIC)** में वर्गीकृत करता है।
  - **सिंगापुर (0.80), डेनमार्क (0.78) और संयुक्त राज्य अमेरिका (0.77)** उच्चतम रेटिंग वाले AI में से हैं। **EM के रूप में वर्गीकृत 0.49 रेटिंग** के साथ **भारत 72वें स्थान पर** है।
  - उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मज़बूत है, लेकिन **चीन (0.63)** जैसे अपने कुछ क्षेत्रीय साथियों से पीछे **31वें स्थान पर** है।

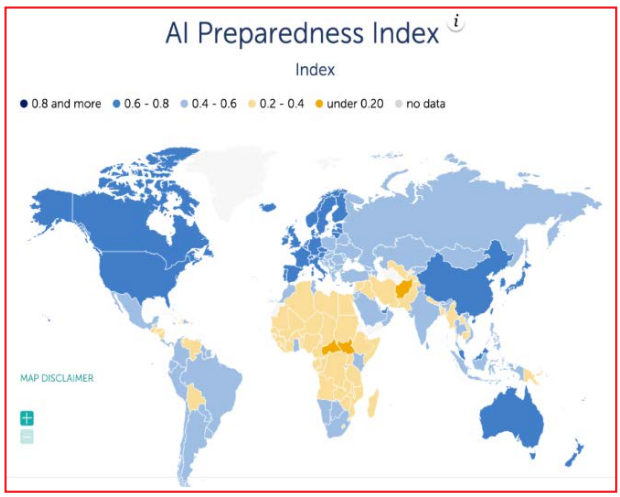

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- IMF, 190 सदस्य देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय **वाशिंगटन DC में है, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक** है तथा इसका **प्रतिनिधित्व वित्तीय महत्त्व के आधार** पर होता है।
- इसके उद्देश्यों में **वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और** गरीबी को कम करना शामिल है।
- IMF का इतिहास **वर्ष 1944 के** ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से शुरू होता है, जहाँ आर्थिक संकटों से बचने के लिये इसकी स्थापना की गई थी।
- **रिपोर्टें: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक AI विभाजन को दूर करने में वैश्विक साझेदारी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। भारत इन साझेदारियों में क्या भूमिका निभाता है?

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

जैव विविधता

पौधों और जानवरों की नई प्रजातियों की खोज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वर्ष 2023 में, भारत ने अपने प्राणिजात और वनस्पतियों के डेटाबेस में कई जानवरों तथा पौधों की प्रजातियों को जोड़ने के साथ जैवविविधता ज्ञान में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी।

- **निष्कर्षों को दो प्रकाशनों में संकलित किया गया:** भारतीय प्राणी सर्वेक्षण **(Zoological Survey of India-ZSI)** द्वारा **"एनिमल डिस्कवरीज 2023"** और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण **(Botanical Survey of India-BSI)** द्वारा **"प्लांट डिस्कवरीज 2023"**।

नोट:

- भारत एक महाविविधता वाला राष्ट्र है, जहाँ विश्व की लगभग **7-8% प्रलेखित प्रजातियाँ पाई** जाती हैं तथा विश्व स्तर पर **मान्यता प्राप्त 34** जैवविविधता हॉटस्पॉट में से **4 यहाँ** पाए जाते हैं।

भारत के प्राणिजात और पुष्प डेटाबेस में प्रमुख जोड़ क्या हैं ?

- **प्राणिजात संबंधी खोजें:**
  - भारत ने वर्ष 2023 में प्राणिजात के डेटाबेस में **641 नई प्रजातियाँ** शामिल की, जिनमें 442 पूरी तरह से **नई प्रजातियाँ और 199 प्रजातियाँ** शामिल हैं जिन्हें **देश में हाल ही में दर्ज किया** गया है।

- **महत्त्वपूर्ण एनिमल खोजों में शामिल हैं:**
  - **कैप्रा हिमालयेंसिस (Capra Himalayensis)**, जो यह साबित करता है कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश की ट्रांस-हिमालयी श्रेणियों में वितरित **हिमालयन Ibex**, **साइबेरियाई Ibex** से एक अलग प्रजाति है।
  - कर्नाटक के कोडागु ज़िले में मुड़े हुए पंख वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति **मिनिओप्टेरस श्रीनी (Miniopterus Srinii)** भी पाई गई।
  - सबसे अधिक संख्या में **जंतुओं की खोज केरल** में हुई, जिसमें **74 नई प्रजातियाँ** और **27 नए रिकॉर्ड** शामिल हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल (72 नई प्रजातियाँ) और तमिलनाडु (64) का स्थान रहा।
  - 564 नई प्रजातियों के साथ, नए जीवों/प्राणिजात की खोज में **अधिकांश** प्रजातियाँ अकशेरुकी **(Invertebrates)** थीं, जबकि 77 प्रजातियाँ कशेरुकी (Vertebrates) थीं।
    - **अकशेरुकी** जीवों में सबसे बड़ा समूह कीटों (369 प्रजातियाँ) का था और कशेरुकियों में मछली (47 प्रजातियाँ) का रहा।
    - इसके बाद **सरीसृप, उभयचर, स्तनी वर्ग** और सबसे कम **एवीज़** पाए गए।

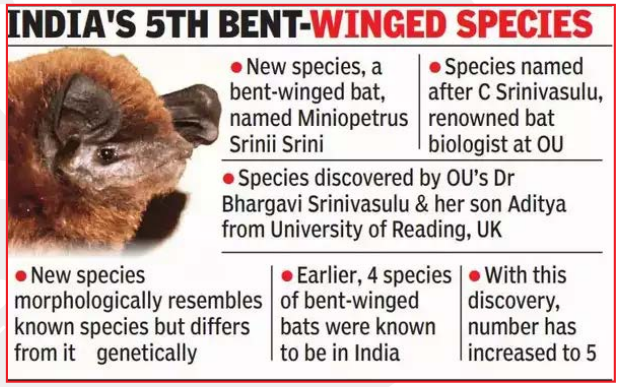

नोट:

- **कशेरुकी:** इस श्रेणी में **रीढ़ की अस्थि, अच्छी तरह से विकसित आंतरिक अस्थियों** का ढाँचा, मस्तिष्क के साथ सिर, द्विपक्षीय समरूपता तथा जटिल आंतरिक अंगों वाले जीव-जंतु शामिल हैं। उदाहरण: **स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप।**
- **अकशेरुकी:** इस श्रेणी में रीढ़ की अस्थि के बिना जीव-जंतुओं में सामान्यत: एक **बाह्य कंकाल** (Exoskeleton) या **नरम शरीर** होता है जिसमें भिन्न-भिन्न शारीरिक संरचना तथा सरल आंतरिक अंग प्रणालियाँ होती हैं। उदाहरण: **कीड़े, कृमि, जेलीफिश।**

- **वनस्पतिजात खोजें:** वर्ष 2023 में भारत ने अपने वनस्पतिजात/पादप (Floral) डेटाबेस में **339 टैक्सा** शामिल किये, जिनमें **326 प्रजातियाँ** और **13 इन्फ्रास्पेसिफिक टैक्सा** शामिल हैं। इनमें से **171 नए टैक्सा** और देश के अंदर नए वितरण रिकॉर्ड के रूप में **168 टैक्सा** शामिल हैं।

नोट :

- टैक्सा (Taxa) का अभिप्राय **पादप की उप-प्रजाति या किस्म** से है।
- **पश्चिम बंगाल** (52 नए टैक्सा) में सबसे ज़्यादा नए पादप की खोज दर्ज की गई, उसके बाद **केरल** और **उत्तराखंड** का स्थान है।
- खोज में **106 एंजियोस्पर्म, 2 टेरिडोफाइट्स, 16 ब्रायोफाइट्स, 44 लाइकेन, 111 कवक, 50 शैवाल** और **10 सूक्ष्मजीव** शामिल हैं।
- नई खोजों में कई संभावित **बागवानी, कृषि, औषधीय और सजावटी पौधों** की **वन्य प्रजातियाँ** जैसे **बेगोनिया, इंपैटेंस, फलियाँ, ज़िंजीबर** तथा **ऑर्किड** शामिल हैं।

- **कुल खोजों में पश्चिमी घाट** और **उत्तर पूर्वी क्षेत्र** का योगदान **14% रहा।**

Curcuma kakchingense

Context:
Three researchers in **Manipur** recently **discovered a new flowering plant species** and have named the new species **Curcuma kakchingense.**

About Curcuma kakchingense:
- It is a new **flowering plant species discovered** in **Manipur**.
- It is a **member of the angiospermic family Zingiberaceae**, which **includes** well-known plants like **Curcuma (turmeric), gingers, and cardamom**.
- It is a robust plant, as **tall as eight feet**, having **large terminal inflorescence**.
- **It was found** thriving along the **banks of the Sekmai River** in the Kakching District of Manipur.
- It bears a striking **resemblance to Curcuma longa**, **known** locally **as "Yaingung,"** and Curcuma phrayawan, a species from Thailand, but is **distinguished by** having **lemon-yellow rhizomes** with a **very bitter taste.**
- It has been **classified as "Data Deficient" (DD) under the IUCN** Red List category.

Importance of Curcuma plants:
- Several Curcuma species, including the turmeric (Curcuma longa are important for their **use in cuisines, traditional medicines, spices**, dyes, **perfumes**, **cosmetics**, and as ornamental plants.
- **Curcumin and** several **curcuminoids found** in curcuma species **are nontoxic polyphenolic compounds** that **have biological activities.**
- **The essential oil of curcuma species** possesses a wide variety of **pharmacological properties,** including anti-**inflammatory, anti-cancerous, anti-diabetic,** anti-hepatotoxic, anti-diarrheal, carminative, diuretic, anti-rheumatic, hypotensive, anti-oxidant, anti-microbial, anti-viral, insecticidal, etc.

- **नए पौधों की खोज:**
  - ***करकुमा काकचिंगेंस,*** **हल्दी** की एक **नई प्रजाति** है जो **मणिपुर** के काकचिंग में पाई जाती है।
  - ***एसिस्टेसिया वेनुई,*** पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में खोजा गया एक ***पुष्पीय पौधा*** है।

नोट :

पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन-2024

- **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)** ने संस्थान की 109वीं **वर्षगांठ** के अवसर पर **30 जून से 3 जुलाई 2024** तक **कोलकाता में पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन, 2024** का आयोजन किया गया।
- इस शिखर सम्मेलन में **चार देशों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया,** जिनमें लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के प्रतिष्ठित प्रतिभागी भी शामिल थे।
- तीन दिवसीय कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने तीन व्यापक विषयों पर गहन चर्चा की:
  - **वर्गीकरण, प्रणाली विज्ञान एवं विकास**
  - **पारिस्थितिकी एवं पशु व्यवहार**
  - **जैवविविधता एवं संरक्षण**
- शिखर सम्मेलन के विचार-विमर्श का **उद्देश्य इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की समझ और अनुप्रयोग को आगे बढ़ाना** था।
- **"फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल" का शुभारंभ:**
  - इस शिखर सम्मेलन में इसे **भारत में सभी पशु प्रजातियों का दस्तावेज़ीकरण करने वाले अपनी तरह के पहले वैश्विक पोर्टल** के रूप में लॉन्च किया गया।
  - **'फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल'** अपनी तरह का पहली संपूर्ण जाँच सूची है जिसमें पूरे भारत में पाए जाने वाले 36 फ़ाइला एवं **1,04,561 पशु प्रजातियों को कवर करने वाली 121** जानकारियाँ शामिल हैं।
  - इसमें **स्थानिक, संकटग्रस्त और अनुसूचित प्रजातियों** की जानकारी शामिल है जो **वैश्विक जैवविविधता का 6.6%** हिस्सा हैं।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI)

- **ZSI भी MoEFCC का एक अधीनस्थ संगठन है** और इसकी स्थापना **वर्ष 1916** में देश की असाधारण समृद्ध जैवविविधता पर ज्ञान के विकास के लिये अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी।
- **ZSI का मुख्यालय कोलकाता** में है तथा देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर **16 क्षेत्रीय स्टेशन** स्थित हैं।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

- यह देश के जंगली पादप संसाधनों का वर्गीकरण एवं पुष्प संबंधी अध्ययन करने के लिये पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत शीर्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी **स्थापना वर्ष 1890** में की गई थी।
- इसके **नौ क्षेत्रीय मंडल** देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। हालाँकि इसका मुख्यालय **पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है।**

नेट-ज़ीरो लक्ष्य के लिये नीति आयोग पैनल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग **ने वर्ष 2070 तक** शुद्ध-शून्य **(Net-Zero) अर्थव्यवस्था** बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये **नीतियों को तैयार करने** और **रोडमैप बनाने** के लिये समर्पित **बहु-क्षेत्रीय समितियों का गठन** किया है।

- भारत द्वारा **वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य अर्थव्यवस्था** बनने के अपने लक्ष्य की घोषणा के 3 वर्ष बाद यह शुरू किया गया है।

नीति आयोग द्वारा गठित कार्यसमूहों के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - **नीति आयोग** ने 6 कार्य समूह बनाए हैं। ये समूह मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक, जलवायु वित्त, महत्त्वपूर्ण खनिजों और **ऊर्जा संक्रमण के सामाजिक पहलुओं** जैसे मुख्य क्षेत्रों के लिये **नीति प्रारूप, कार्य मॉडल विकसित करने** पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - यह परिवहन, उद्योग, भवन, विद्युत एवं कृषि पर क्षेत्रीय समितियाँ भी बनाएगा।
- **6 शुद्ध-शून्य कार्य समूह:**
  - **मैक्रोइकोनॉमिक संकेतक:** यह मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों पर शुद्ध-शून्य मार्गों के निहितार्थों की जाँच करेगा और संरेखित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का सुझाव देगा।
  - **जलवायु वित्त:** शमन और अनुकूलन के लिये भारत की जलवायु वित्त आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और वित्त के संभावित स्रोतों की पहचान करना।
  - **महत्त्वपूर्ण खनिज:** महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये अनुसंधान एवं विकास, घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति शृंखला का निर्माण करना।
  - **ऊर्जा संक्रमण के सामाजिक पहलू:** ऊर्जा संक्रमण के सामाजिक प्रभावों का आकलन करना और शमन रणनीतियों को प्रस्तावित करना।
  - **नीतियों का समन्वयन:** क्षेत्रीय समितियों की रिपोर्टों को एकत्रित करना और एक समेकित नीति पुस्तिका तैयार करना।
  - **क्षेत्रीय समितियाँ:** विद्युत, उद्योग, भवन, परिवहन एवं कृषि क्षेत्रों के लिये संक्रमण मार्ग तैयार करना।
- **अपेक्षित परिणाम:**
  - सभी कार्य समूहों के लिये **अपनी कार्ययोजनाएँ प्रस्तुत करने की समय-सीमा अक्तूबर, 2024** है। नीति आयोग की

नोट :

रिपोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि यह **सभी केंद्रीय मंत्रालयों** के लिये जलवायु-लचीली और अनुकूली नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिये **एक नीति पुस्तिका (Policy Handbook)** बनेगी, ताकि वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

शुद्ध-शून्य लक्ष्य क्या है ?

- **शुद्ध-शून्य** से तात्पर्य **उत्पादित कार्बन उत्सर्जन** और **वायुमंडल** से निष्काषित कार्बन के बीच एक **समग्र संतुलन हासिल करना** है।
  - इसे **कार्बन तटस्थता** कहा जाता है, जिसका अर्थ **यह नहीं है** कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर ले आएगा।
  - इसके अतिरिक्त वनों जैसे **अधिक कार्बन सिंक का निर्माण** कर **उत्सर्ज़न के अवशोषण** को बढ़ाया जा सकता है।
    - वायुमंडल से गैसों को निष्काषित करने के लिये **कार्बन कैप्चर और स्टोरेज** जैसी भविष्य की तकनीकों की आवश्यकता है।
- 70 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक **शुद्ध शून्य** लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।

भारत की जलवायु परिच्छेदिका/प्रोफाइल

क्षेत्रवार योगदान

- **प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र:** ऊर्जा, परिवहन, निर्माण

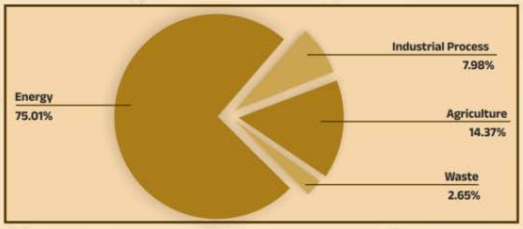

- **प्रमुख जलवायु जोखिम:** बाढ़, सूखा, हीटवेव, कोल्डवेव और चक्रवात
- **कमज़ोर क्षेत्र:** कृषि और खाद्य, जल, तटीय, स्वास्थ्य, वन और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रमुख पहल

- **राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा**
  - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
  - जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)
- **भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (वर्ष 2022)**
  - 'जीवन' के लिये जन आंदोलन - 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली'
  - आर्थिक विकास हेतु जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना
  - वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता
  - 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक
  - विशिष्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना
  - घरेलू और नई एवं अतिरिक्त निधियाँ एकत्रित करना
  - क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढाँचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना
- **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता - UNFCCC (1994) कन्वेंशन और समझौते**
  - पेरिस समझौता (2015)
  - क्योटो प्रोटोकॉल (2005)

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग

द्विपक्षीय परियोजनाएँ

- **ड्यूश गेसेलशाफ्टफ्यूर इंटरनेशनेल ज़ुसामेनरबीट (GIZ) GmbH (जर्मनी)**
  - ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त (CAFRI) (वर्ष 2020-2023)
  - राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (NAMAs) (वर्ष 2007)
  - ग्लोबल कार्बन मार्केट (GCM) (वर्ष 1997)
  - जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई पर क्षमताओं का संस्थागतकरण (ICCC)
- **यूरोपीय संघ (EU)**
  - पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये रणनीतिक साझेदारी (SPIPA) (वर्ष 2018-2022)
  - इको-सिटीज़ के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और ऊर्जा दक्षता

बहुपक्षीय परियोजनाएँ

- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (वर्ष 2019)**
- **अनुकूलन पर वैश्विक आयोग (GCA) (2018)**
- **UNDP:** राज्य-स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाज़ार परिवर्तन और बाधाओं को दूर करना

Drishti IAS

नोट :

शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना:** इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सरकारी अभिकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे निपटने के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।
- भारत ने **कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज-26 (COP) ग्लासगो शिखर सम्मेलन** में **वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य तक कम करने** की प्रतिबद्धता जताई है।
- इसके लिये भारत ने **5-आयामी 'पंचमित्र' जलवायु कार्रवाई** लक्ष्य की रूपरेखा तैयार की:
  - वर्ष 2030 तक **500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा** क्षमता तक पहुँच।
  - वर्ष 2030 तक **अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा** से आपूर्ति करना।
  - अभी से वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित **कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन** की **कमी।**
  - वर्ष 2005 के स्तर से **वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45%** की कमी।
  - **वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन** के लक्ष्य को प्राप्त करना।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- **क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - **अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- **हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- **अल्प विकसित देश कोष (LDCF)** और **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)**
- **दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - **कानकुन समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - **पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- **लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमज़ोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	कमज़ोर भारतीय राज्यों के लिये
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को ख़त्म करना
अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।

Drishti IAS

नोट :

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिये भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं ?

- **कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना:** भारत अपने वन एवं वृक्ष आवरण का विस्तार करके, बंज़र भूमि को बहाल करके, कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर और **न्यून कार्बन वाली कृषि पद्धतियों** को अपनाकर अपनी कार्बन पृथक्करण क्षमता को बढ़ा सकता है।
  - **कार्बन पृथक्करण** न केवल उत्सर्जन को कम कर **सकता** है, बल्कि जैवविविधता **संरक्षण**, **मृदा उर्वरता में सुधार**, जल सुरक्षा, आजीविका सहायता और आपदा जोखिम में कमी जैसे कई सह-लाभ भी प्रदान कर सकता है।
- **जलवायु अनुकूल बनाना:** भारत अपनी **आपदा प्रबंधन प्रणालियों** को मज़बूत करके, प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार कर सकता है साथ ही जलवायु-सह्य बुनियादी ढाँचे में निवेश करके, जलवायु-स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में वृद्धि कर स्थानीय समुदायों एवं संस्थानों को सशक्त बनाकर जलवायु के अनुकूल बना सकता है।
- **भारत की हरित परिवहन क्रांति को आगे बढ़ाना:** एक बेहतरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क स्थापित करके और EV अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - इलेक्ट्रिक बसों, साझा गतिशीलता सेवाओं और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों जैसे **अभिनव सार्वजनिक परिवहन समाधानों** को पेश करके भीड़भाड़ और उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- **जलवायु स्मार्ट कृषि: जैविक खेती, कृषि वानिकी और परिशुद्ध कृषि** को बढ़ावा देकर **सतत् कृषि की विधियों** को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
  - **रिमोट सेंसिंग,** IoT डिवाइस **और AI-आधारित एनालिटिक्स** जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को एकीकृत करने से संसाधन उपयोग को अनुकूलित किया जा सकता है, जल की खपत को कम किया जा सकता है और फसल उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत विकसित देशों के साथ **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों** के माध्यम से **उन्नत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों** को प्राप्त करके, **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त को सुरक्षित करके** और अन्य विकासशील देशों के साथ **सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठा सकता है।

यूनेस्को ने घोषित किये 11 नए बायोस्फीयर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में UNESCO ने 11 देशों में **11 नए** स्थलों को **बायोस्फीयर रिज़र्व (BR)** के रूप में नामनिर्दिष्ट करने की मंज़ूरी दी।

- इस प्रकार **विश्व में बायोस्फीयर रिज़र्व के नेटवर्क** में अब **136 देशों के 759 स्थल** शामिल हैं।

यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व सूची में शामिल नए स्थल कौन-से हैं ?

- केंपेन-ब्रोक ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिज़र्व (बेल्जियम, किंगडम ऑफ नीदरलैंड)
- डेरेन नॉर्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिज़र्व (कोलंबिया)
- मैड्रे डी लास अगुआस बायोस्फीयर रिज़र्व (डोमिनिकन गणराज्य)
- न्यूमी बायोस्फीयर रिज़र्व (गाम्बिया)
- कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिज़र्व (इटली)
- जूलियन आल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिज़र्व (इटली, स्लोवेनिया)
- खार उस लेक बायोस्फीयर रिज़र्व (मंगोलिया)
- अपायाओस बायोस्फीयर रिज़र्व (फिलीपींस)
- चांग्योंग बायोस्फीयर रिज़र्व (कोरिया गणराज्य)
- वैल डी'अरन बायोस्फीयर रिज़र्व (स्पेन)
- इराती बायोस्फीयर रिज़र्व (स्पेन)

बायोस्फीयर रिज़र्व क्या है ?

- **परिचय:**
  - **बायोस्फीयर रिज़र्व (BR),** संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन **(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO)** द्वारा **प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों** के महत्त्वपूर्ण स्थलों के लिये दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जिसमें स्थलीय या तटीय/समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के वृहद् क्षेत्र अथवा दोनों का संयोजन शामिल होता है।
  - बायोस्फीयर रिज़र्व **प्रकृति के संरक्षण** के साथ **आर्थिक और सामाजिक विकास** तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है।

नोट :

- इस प्रकार बायोस्फीयर रिज़र्व मनुष्यों और प्रकृति दोनों के लिये विशेष वातावरण हैं तथा इस मत का सर्वोत्तम उदाहरण हैं कि किस प्रकार **मनुष्य एवं प्रकृति का एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सह-अस्तित्त्व संभव है।**

- **बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किये जाने हेतु मानदंड:**
  - संबंधित स्थल में प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से **संरक्षित और न्यूनतम विक्षुब्ध क्षेत्र** होना चाहिये।
  - संपूर्ण क्षेत्र एक **जैव-भौगोलिक इकाई** के समान होना चाहिये और उसका क्षेत्र इतना विस्तृत होना चाहिये कि वह पारिस्थितिकी तंत्र के **सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व** कर रहे जीवों की संख्या को बनाए रखे।
  - **स्थानीय समुदायों की भागीदारी** और जैवविविधता संरक्षण में उनके ज्ञान का उपयोग।
  - ऐसा क्षेत्र जिसमे परंपरागत जनजातीय या ग्रामीण स्तरीय जीवनयापन के तरीको को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि पर्यावरण का सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया जा सके।
- **बायोस्फीयर रिज़र्व के कार्य:**
  - **संरक्षण:** बायोस्फीयर रिज़र्व के आनुवंशिक संसाधनों, स्थानिक प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और परिदृश्य का प्रबंधन।
    - वन्यजीवों के साथ आदिवासियों की संस्कृति और रीति-रिवाज़ों का भी संरक्षण।
  - **विकास:** आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देना जो समाजशास्त्रीय तथा पारिस्थितिकी स्तर पर स्थायी हों।
    - यह सतत् विकास के तीन स्तंभों को सुदृढ़ करता है: **सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण**।
  - **लॉजिस्टिक:**
    - बायोस्फीयर रिज़र्व स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं सतत् विकास के संदर्भ में **शोध कार्यों, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण तथा निगरानी** को बढ़ावा देते हैं।

बायोस्फीयर रिज़र्व परियोजना क्या है ?

- भारत सरकार ने **वर्ष 1986** में बायोस्फीयर रिज़र्व योजना शुरू की थी।
  - यह **UNESCO, MAB कार्यक्रम** द्वारा निर्देशित है, क्योंकि भारत MAB द्वारा समर्थित भूदृश्य दृष्टिकोण का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- इस योजना के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और **तीन हिमालयी राज्यों को 90:10 के अनुपात** में तथा अन्य राज्यों को रखरखाव, **कुछ वस्तुओं का सुधार एवं विकास के लिये 60:40 के अनुपात** में **वित्तीय सहायता दी** जाती है।
- **राज्य सरकार प्रबंधन कार्य योजना** तैयार करती है जिसका **अनुमोदन और निगरानी** का कार्य केंद्रीय MAB समिति द्वारा किया जाता है।
- यह योजना **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

बायोस्फीयर रिज़र्व के 3 ज़ोन कौन-से हैं ?

- **कोर ज़ोन (Core Areas):**
  - यह बायोस्फीयर रिज़र्व का **सबसे संरक्षित क्षेत्र** है। इसमें **स्थानिक पौधे और जानवर** हो सकते हैं।
  - इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएँ, जो प्राकृतिक क्रियाओं एवं वन्यजीवों को प्रभावित न करें, की जा सकती हैं।
  - एक कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें ज्यादातर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित/विनियमित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं।
  - इसे **मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा** गया है।
- **बफर ज़ोन (Buffer Zone):**
  - **कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र** है तथा इसकी गतिविधियों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाता है कि यह कोर ज़ोन को उसकी **प्राकृतिक स्थिति में संरक्षित रखने** में मदद करता है।
  - इसमें **सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि** शामिल हैं। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक एवं संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है।
  - **अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों** को प्रोत्साहित किया जाता है।

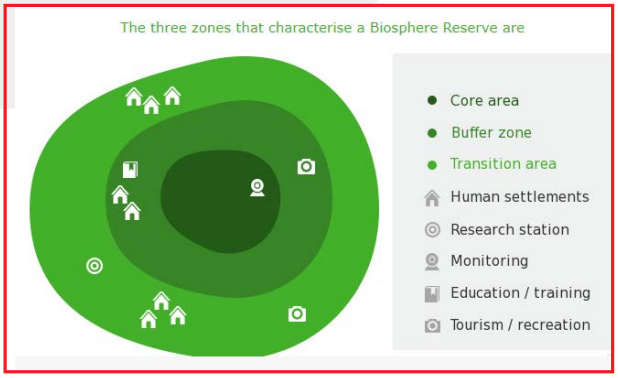

- **संक्रमण क्षेत्र (Transition Area):**
  - यह **बायोस्फीयर रिज़र्व का सबसे बाहरी हिस्सा** होता है। यह सहयोग का क्षेत्र है जहाँ मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किये जाते हैं।
  - इसमें **बस्तियाँ, फसलें, प्रबंधित जंगल और मनोरंजन** के लिये क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र शामिल हैं।

नोट :

भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व क्या हैं ?

- वर्ष 2024 तक, **भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिज़र्व हैं** (12 यूनेस्को के MAB द्वारा मान्यता प्राप्त)।

क्रमांक	अधिसूचना का वर्ष	नाम	राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)	क्या MAB मान्यता प्राप्त है ?
1	1986	नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व	तमिलनाडु (2537), केरल (1455), Karnataka (1527)	5520	हाँ
2	1988	नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व	उत्तराखंड	5860	हाँ
3	1988	नोकरेक बायोस्फीयर रिज़र्व	मेघालय	820	हाँ
4	1989	मन्नार की खाड़ी बायोस्फियर रिज़र्व	तमिलनाडु	10500	हाँ
5	1989	सुंदरबन बायोस्फीयर रिज़र्व	पश्चिम बंगाल	9630	हाँ
6	1989	मानस बायोस्फीयर रिज़र्व	असम	2837	नहीं
7	1989	ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	885	हाँ
8	1994	सिमिलिपल बायोस्फीयर रिज़र्व	ओडिशा	4374	हाँ
9	1997	डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिज़र्व	असम	765	नहीं
10	1998	दिहांग-दिबांग बायोस्फीयर रिज़र्व	अरुणाचल प्रदेश	5112	नहीं
11	1999	पचमढ़ी बायोस्फियर रिज़र्व	मध्य प्रदेश	4982	हाँ
12	2000	कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व	सिक्किम	2620	हाँ
13	2001	अगस्त्यमलाई बायोस्फियर रिज़र्व	केरल, तमिलनाडु	3500	हाँ
14	2005	अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिज़र्व	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	3835	हाँ
15	2008	कच्छ का रण बायोस्फियर रिज़र्व (सबसे बड़ा क्षेत्र)	गुजरात	12454	नहीं
16	2009	कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व	हिमाचल प्रदेश	7770	नहीं
17	2010	शेषचलम हिल्स बायोस्फीयर रिज़र्व	आंध्र प्रदेश	4755	नहीं
18	2011	पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व	मध्य प्रदेश	543	हाँ

नोट :

बायोस्फीयर रिज़र्व की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है ?

- यूनेस्को ने विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के लिये प्राकृतिक क्षेत्रों को '**बायोस्फीयर रिज़र्व**' नाम दिया है।
- बायोस्फीयर रिज़र्व को राष्ट्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है, जो यूनेस्को के **मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम** के तहत न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता है।
- **बायोस्फीयर रिज़र्व के विश्व नेटवर्क की कुल संख्या 759** है जो **136 देशों में स्थित** है तथा **कुल 7,442,000 वर्ग किलोमीटर** को कवर करता है।
- विश्व भर में लगभग **275 मिलियन लोग** बायोस्फीयर रिज़र्वों में रहते हैं।
- **MAB रिज़र्व कार्यक्रम** के अंतर्गत **भारत के कुल 12 बायोस्फियर रिज़र्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त** हैं।

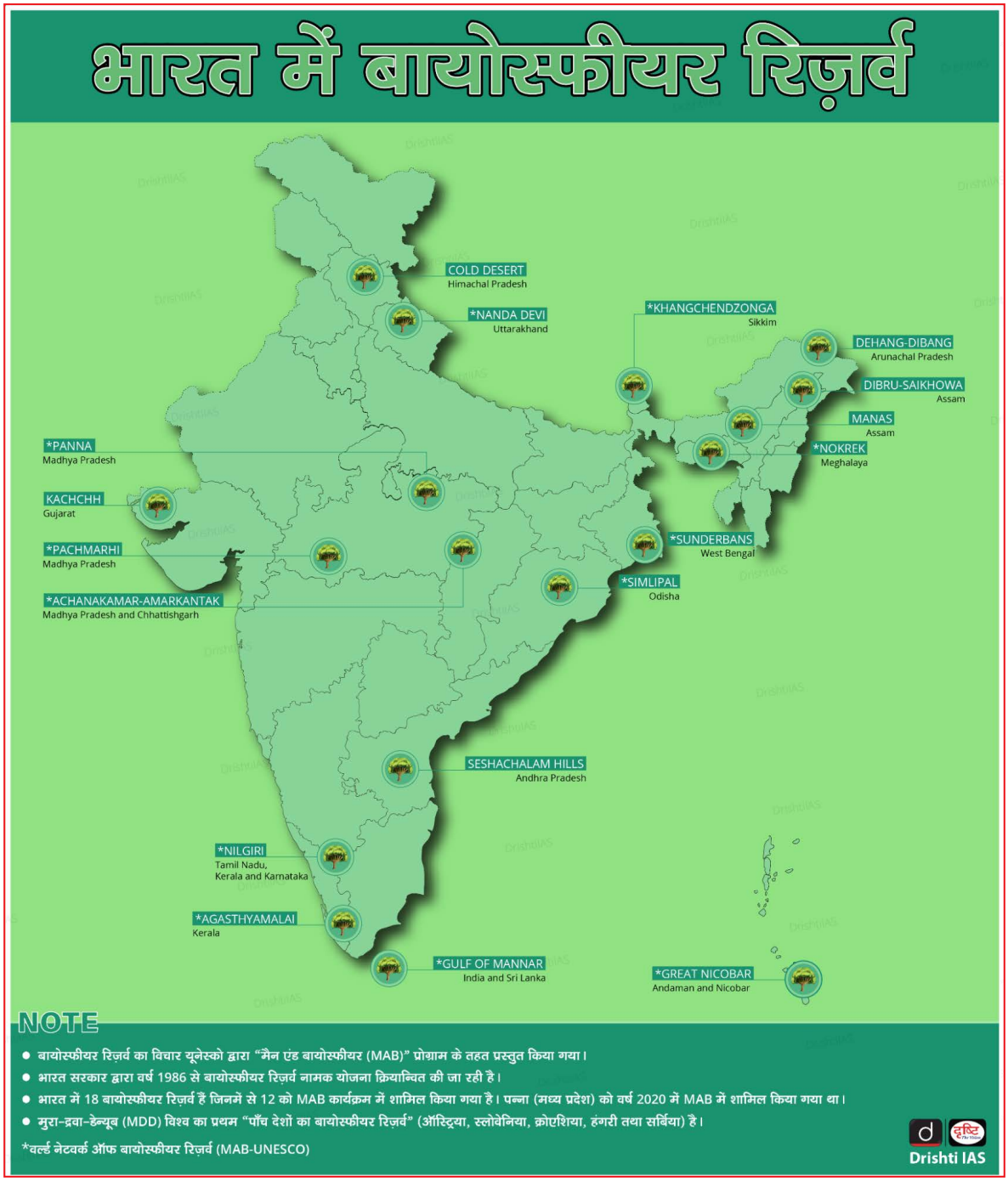

नोट :

मैन एंड द बायोस्फीयर (MAB)

- इसकी **पहल वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा** की गई थी।
- यह एक **अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम** है जिसका **उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिये वैज्ञानिक आधार** स्थापित करना है।
- **MAB कार्यक्रम** का उद्देश्य **लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार** करना तथा **प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के एकीकरण** को बढ़ावा देना है।
- इससे **आर्थिक विकास के पर्यावरण अनुकूल, नवीन एवं सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीकों** को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

हाई सी ट्रीटी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैवविविधता (Biodiversity Beyond National Jurisdiction- BBNJ) समझौते, जिसे **हाई सी ट्रीटी** भी कहा जाता है, का समर्थन और अनुमोदन करने का निर्णय लिया है।

- यह **वैश्विक समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के माध्यम से उच्च सागरीय समुद्री जैवविविधता** की सुरक्षा के लिये बनाया गया है और यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय **(United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS)** के ढाँचे के भीतर संचालित होगा।

हाई सी क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - उच्च सागरों पर 1958 के जेनेवा अभिसमय के अनुसार, समुद्र के वे हिस्से जो किसी देश के प्रादेशिक जल या आंतरिक जल में शामिल नहीं हैं, हाई सी कहलाते हैं।
  - यह किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (जो समुद्र तट से **200 समुद्री मील तक** फैला हुआ है) से **परे का क्षेत्र** है तथा जहाँ तक किसी राष्ट्र का जीवित और निर्जीव संसाधनों पर अधिकार क्षेत्र होता है।
  - **कोई भी देश समुद्र** में संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- **महत्त्व:**
  - उच्च समुद्र **विश्व के 64%** महासागरों और पृथ्वी की सतह के **50% भाग** को कवर करते हैं, जिससे वे समुद्री जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं।
  - वे लगभग **270,000 ज्ञात प्रजातियों** का आवास हैं।
  - उच्च समुद्र जलवायु को नियंत्रित करते हैं, **कार्बन को अवशोषित करते हैं, सौर विकिरण को संग्रहित करते हैं तथा ऊष्मा वितरित करते हैं,** जो ग्रहीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - वे मानव अस्तित्व के लिये आवश्यक हैं तथा **समुद्री भोजन, कच्चा माल, आनुवंशिक और औषधीय संसाधन जैसे संसाधन** प्रदान करते हैं।
- **संकट:**
  - वे वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषित करते हैं और अल नीनो तथा महासागरीय अम्लीकरण जैसी घटनाओं से प्रभावित होते हैं, जिससे समुद्री वनस्पतियों एवं जीवों को खतरा हो रहा है।
    - यदि वर्तमान तापमान वृद्धि और अम्लीकरण की प्रवृत्ति जारी रही तो वर्ष 2100 तक कई हजार समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा होगा।
  - **खुले समुद्र में मानवजनित दबावों** में समुद्र तल पर खनन, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक और तेल रिसाव तथा आग, अनुपचारित अपशिष्ट (एंटीबायोटिक सहित) का निपटान, अत्यधिक मछली पकड़ना, आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश एवं तटीय प्रदूषण शामिल हैं।
  - इन **खतरों के बावजूद, वर्तमान में केवल 1% उच्च समुद्र** ही संरक्षित है।

हाई सी ट्रीटी क्या है ?

- **परिचय:**
  - औपचारिक रूप से इसे **राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर समझौता** कहा जाता है। संक्षेप में इसे BBJN या हाई सी ट्रीटी के रूप में जाना जाता है।
  - यह **महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य** को बनाए रखने के लिये UNCLOS के अंतर्गत एक नया अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचा है।
  - इस ट्रीटी पर वर्ष **2023 में बातचीत की गई** थी और इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना तथा किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर समुद्री जल में जैवविविधता एवं अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग को बढ़ावा देना है।
- **प्रमुख उद्देश्य:**
  - **समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण एवं सुरक्षा:** इसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (Marine Protected Areas- MPA) की स्थापना शामिल है, जहाँ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा।

नोट :

- **समुद्री संसाधनों के लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बँटवारा:** संधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान समुद्री जीवों से प्राप्त लाभ, चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हो या वाणिज्यिक दोहन के माध्यम से, सभी देशों के बीच समान रूप से साझा किये जाएँ।
- **अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessments - EIA):** संधि किसी भी ऐसी गतिविधि के लिये पूर्व **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessments)** करना अनिवार्य बनाती है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित रूप से प्रदूषित या नुकसान पहुँचा सकती है, भले ही वह गतिविधि किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में हो, लेकिन उसका प्रभाव उच्च समुद्र में होने की संभावना है।
- **क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण:** इससे विकासशील देशों को महासागरों के लाभों का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगी, साथ ही उनके संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

- **हस्ताक्षर और अनुसमर्थन:**
  - जून 2024 तक, 91 देशों ने इस **संधि पर हस्ताक्षर किये** हैं, जिनमें से 8 ने इसकी पुष्टि की है। 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के **120 दिन बाद** यह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगी।
    - **अनुसमर्थन** वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश किसी **अंतर्राष्ट्रीय कानून** के प्रावधानों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिये सहमत होता है, जबकि हस्ताक्षर करना अनुसमर्थन होने तक कानूनी दायित्व के बिना समझौते को दर्शाता है। अनुसमर्थन की प्रक्रिया अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है।

हाई सी ट्रीटी का महत्त्व क्या है?

- **"वैश्विक साझा" चुनौती का समाधान:**
  - महासागर के **64%** भाग को कवर करने वाला हाई सी वैश्विक साझी संपदा है, जिसके कारण **संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैवविविधता की हानि और पर्यावरणीय चुनौतियाँ** उत्पन्न हो रही हैं।
    - संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि **वर्ष 2021** में लगभग **17 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों** में फेंका गया और आने वाले वर्षों में इस मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है।
  - इस संधि की तुलना जलवायु परिवर्तन पर **2015 के पेरिस समझौते** से की जा रही है। इससे विशाल महासागर की सुरक्षा और समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **UNCLOS का पूरक:**
  - BBJN, **UNCLOS** के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो महासागरों के लिये व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार करता है।
    - UNCLOS महासागरों में समतापूर्ण पहुँच, संसाधन उपयोग और जैवविविधता संरक्षण के लिये सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है, लेकिन **इसमें विशिष्ट कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों का अभाव** है।
    - **हाई सी ट्रीटी इस अंतर को दूर करेगी** तथा एक बार लागू हो जाने पर यह UNCLOS के तहत **कार्यान्वयन समझौते** के रूप में कार्य करेगी।
    - यह हाई सी में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण और प्रबंधन के लिये एक **कानूनी तंत्र** प्रदान करेगा।
    - यह **विकसित और विकासशील देशों के हितों में संतुलन स्थापित** करते हुए समुद्री संसाधनों के न्यायसंगत तथा सतत् उपयोग को सुनिश्चित करेगा।
- **उभरते खतरों का मुकाबला:**
  - यह ट्रीटी गहरे समुद्र में खनन, महासागरीय अम्लीकरण और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी उभरती चुनौतियों से निपटती है, जो उच्च समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य तथा लचीलेपन के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना:**
  - एक **मज़बूत संस्थागत ढाँचे और निर्णय लेने की प्रक्रिया** की स्थापना करके, हाई सी ट्रीटी महासागर शासन में अधिक **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वय की सुविधा** प्रदान करती है।
- **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) में योगदान:**
  - इस ट्रीटी के सफल कार्यान्वयन से SDG 14 (जल के नीचे जीवन) की **प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान** मिलेगा।
- **भारत के लिये महत्त्व:**
  - **वैश्विक नेतृत्व:** समुद्री प्रशासन एवं समुद्री संसाधन स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, जैसे **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA)** की स्थापना, इसके वैश्विक नेतृत्व को रेखांकित करती है और इसे पर्यावरण चैंपियन बनाती है।
  - **घरेलू नीति:** संधि के **EIA** में भारत को अपनी समुद्री नीतियों को संरेखित करने तथा उत्तरदायित्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
  - **आर्थिक लाभ:** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ-साझाकरण के प्रावधान भारत की **ब्लू इकोनॉमी लक्ष्यों के अनुरूप** हैं, जिससे संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।
  - **सामरिक विचार:** इस संधि का अनुसमर्थन भारत की हिंद-प्रशांत स्थिति को मज़बूत करेगा तथा **SAGAR पहल** के माध्यम से सतत् समुद्री पर्यावरण को समर्थन प्रदान करेगा।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)

- **अप्रैल 1958 में, प्रादेशिक समुद्रों, समीपवर्ती क्षेत्रों, महाद्वीपीय शेल्फ़ों, उच्च समुद्रों(हाई सी), मत्स्य पालन और जीवित समुद्री संसाधनों के संरक्षण** पर **4 जिनेवा अभिसमय** को अपनाया गया था। इन अभिसमय को **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे **वर्ष 1982 में पुष्ट और अनुमोदित** किया गया था।

- **यह महासागरों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है:**

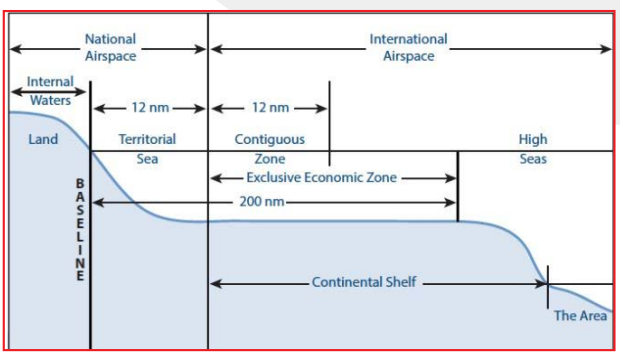

समुद्र संबंधी अन्य अभिसमय कौन-से हैं ?

- **महाद्वीपीय मग्नतट (शेल्फ) पर अभिसमय 1964:** यह महाद्वीपीय शेल्फ के **प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने** वाले राज्यों के अधिकारों को परिभाषित एवं सीमांकित करता है।
- मत्स्यन और हाई सी के जीवित संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय, 1966: यह हाई सी के जीवित संसाधनों के संरक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अभिकल्पित किया गया था क्योंकि इनमें से कुछ संसाधनों पर आधुनिक तकनीकी प्रगति के कारण अतिदोहन का खतरा है।
- लंदन अभिसमय 1972: इसका लक्ष्य सभी समुद्री प्रदूषण स्रोतों के प्रभावी नियंत्रण को प्रोत्साहित करना और अपशिष्ट एवं अन्य वस्तुओं का सुरक्षित निपटान कर समुद्र को प्रदूषित होने से बचाने के लिये सभी व्यावहारिक कदम उठाना है।
- MARPOL अभिसमय 1973: इसमें परिचालन या आकस्मिक कारणों से जहाज़ों द्वारा समुद्री पर्यावरण प्रदूषण को शामिल किया गया है।
  - यह **तेल, हानिकारक तरल पदार्थ, पैकेज्ड फॉर्म में हानिकारक पदार्थ, सीवेज़ और जहाज़ों से उत्पन्न अपशिष्ट** आदि के कारण होने वाले समुद्री प्रदूषण के विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करता है।

आगे की राह

- **राष्ट्र की सरकारों को इस संधि का अंगीकार कर इसका अनुसमर्थन करते हुए** हाई सी संधि को प्रभावशील बनाना चाहिये। जलीय जीवन और मानव कल्याण के लिये **संधि के सफल कार्यान्वयन** तथा निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- हाई सी संधि का अंगीकार कर भारत और अन्य देश नौवहन तथा मत्स्यन के प्रभाव को कम कर सकते हैं एवं एक **सतत् ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा** दे सकते हैं जो **अर्थव्यवस्था तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ** पहुँचाती है।
- यह संधि भारत को महासागर संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने और विश्व में हाई सी संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है।

निष्कर्ष

हाई सी संधि **विश्व के महासागर अभिशासन के संबंध में एक ऐतिहासिक समझौता** है। इस संधि का अनुसमर्थन करने का भारत का निर्णय एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके समग्र विश्व में समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिये दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

वर्ष 2050 तक 90% मृदा क्षरण की चेतावनी-UNESCO

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मोरक्को के अगादीर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन

नोट :

(यूनेस्को) के महानिदेशक ने अपने 194 सदस्य देशों से मृदा संरक्षण और पुनर्वास में सुधार करने का आग्रह किया, संगठन ने चेतावनी दी है कि **वर्ष 2050 तक ग्रह की 90% तक मृदा क्षरण हो सकता** है।

- यह चिंताजनक भविष्यवाणी वैश्विक जैवविविधता और मानव जीवन के लिये एक बड़े संकट को उजागर करती है।

वैश्विक मृदा क्षरण पर यूनेस्को की अंतर्दृष्टि क्या है?

- **मृदा क्षरण की वर्तमान स्थिति:** यूनेस्को ने कहा है कि **मरुस्थलीकरण के विश्व एटलस के अनुसार, 75% मृदा क्षरण पहले ही हो चुका है, जिसका सीधा असर 3.2 बिलियन लोगों पर पड़ रहा है।** मौजूदा रुझान के अनुसार वर्ष 2050 तक इसका असर 90% तक बढ़ सकता है।
- **विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक:** यूनेस्को मृदा की गुणवत्ता माप और तुलना को मानकीकृत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ एक **'विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक'** स्थापित करेगा।
  - इससे क्षरण या सुधार और संवेदनशील क्षेत्रों में रुझानों की पहचान करने में सहायता मिलेगी, जिसका उद्देश्य मृदा प्रबंधन प्रथाओं के मूल्यांकन में सुधार करना है।
- **स्थायी मृदा प्रबंधन हेतु पायलट कार्यक्रम:** यूनेस्को अपने बायोस्फीयर रिज़र्व कार्यक्रम द्वारा समर्थित दस प्राकृतिक स्थलों में स्थायी मृदा और भूदृश्य प्रबंधन के लिये एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा।
  - कार्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधन विधियों का मूल्यांकन और सुधार करना तथा विश्व भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** यूनेस्को सदस्य सरकारी एजेंसियों, स्वदेशी समुदायों और संरक्षण संगठनों को मृदा-संरक्षण उपकरणों तक पहुँच के लिये प्रशिक्षित करेगा।

मृदा क्षरण क्या है?

- **परिभाषा:** मृदा क्षरण को **मृदा स्वास्थ्य स्थिति में परिवर्तन** के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र की अपने लाभार्थियों को वस्तुओं और सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें **मृदा की गुणवत्ता में जैविक, रासायनिक और भौतिक क्षरण शामिल है।**
  - मृदा क्षरण में कई तरह की प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जो मृदा स्वास्थ्य और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ठीक से काम करने की क्षमता को कम करती हैं।
  - **यह भूमि क्षरण की LADA (शुष्क भूमि में भूमि क्षरण आकलन) परिभाषा का अनुसरण** करता है, जो क्षरण प्रक्रियाओं की जटिलता और विभिन्न हितधारकों द्वारा उनके व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर प्रकाश डालता है।
  - यह क्षरण **कार्बनिक पदार्थों की हानि, मृदा की उर्वरता में गिरावट, संरचनात्मक क्षति, अपरदन और लवणता,** अम्लता या क्षारीयता में प्रतिकूल परिवर्तनों के माध्यम से प्रकट हो सकता है। इसमें विषैले रसायनों, प्रदूषकों या अत्यधिक बाढ़ से होने वाला संदूषण भी शामिल है।
- **मृदा निम्नीकरण की वर्तमान स्थिति:** विश्व की **लगभग 33% मृदा मध्यम से अधिक निम्नीकृत** हैं। यह निम्नीकरण निर्धनता एवं खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिसमें **40% निम्नीकृत मृदा अफ्रीका में** है।
  - वैश्विक स्तर पर **प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर** कृषि मृदा निम्नीकरण के कारण नष्ट हो जाती है।
  - राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग योजना के अनुसार, भारत में 146.8 मिलियन हेक्टेयर अर्थात् **लगभग 30% मृदा निम्नीकृत** हो चुकी है।
    - इसमें से लगभग 29% समद्र में नष्ट हो जाती है, 61% एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तथा 10% जलाशयों में जमा हो जाती है।
- **कारण:** मृदा का निम्नीकरण विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है जैसे **भौतिक कारक**, वर्षा, सतही अपवाह, बाढ़, हवा का कटाव और जुताई।
  - **जैविक कारकों** में पौधें एवं मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं जो मृदा की गुणवत्ता को कम करती हैं, जबकि **रासायनिक कारकों** में क्षारीयता, अम्लीयता या जलभराव के कारण पोषक तत्त्वों में कमी शामिल है।
    - हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया, लेकिन मृदा का अत्यधिक निम्नीकरण भी हुआ।
  - तीव्र शहरीकरण और विकास परियोजनाओं के कारण भूमि का रूपांतरण हुआ।
  - जब वनों और फसलों को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये हटा दिया जाता है, तो वनों की कटाई मृदा के खनिजों को समाप्त करके मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। नदियों में **औद्योगिक अपशिष्ट तथा अनुपचारित सीवेज के निर्वहन से भारी धातु युक्त, विषाक्त जल निर्मित होता है जिससे मृदा गुणवत्ता में कमी** हो जाती है।
    - खनन गतिविधियाँ, जैसे कि ओपनकास्ट खनन, भूजल स्तर को बिगाड़ती हैं, **मृदा एवं जल को दूषित करती हैं और साथ ही स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवों को नष्ट करती** हैं। कई राज्यों ने प्रदूषण कानूनों को लागू नहीं किया, जिससे उद्योगों को कृषि भूमि पर विषाक्त अपशिष्ट को डंप करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है।

नोट :

- **प्रभाव:** निम्नीकृत होती मृदा के कारण खाद्य उत्पादन में कमी आती है, खाद्य असुरक्षा बढ़ती है तथा पारिस्थितिकी तंत्र में कमी भी होती हैं।
  - मृदा निम्नीकरण भी एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जो कार्बन भंडार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन को प्रभावित करता है।

नोट:
- भूमि निम्नीकरण का **दायरा मृदा अपरदन और मृदा निम्नीकरण दोनों की तुलना में अधिक व्यापक** है। इसमें जैविक, जल-संबंधी, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं सहित वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करने हेतु पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता में सभी नकारात्मक परिवर्तन शामिल हैं।
- मरुस्थलीकरण से तात्पर्य शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण या भूमि की ऐसी अपरिवर्तनीय स्थिति में परिवर्तन से है, जहाँ उसे उसके मूल उपयोग के लिये पुन: प्राप्त नहीं किया जा सकता।

मृदा प्रबंधन से संबंधित पहल क्या हैं?

- **वैश्विक:**
  - **वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP):** वर्ष 2012 में स्थापित GSP का उद्देश्य वैश्विक एजेंडे में मृदा को प्राथमिकता देना और टिकाऊ मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
    - संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) द्वारा आयोजित इस साझेदारी का उद्देश्य उत्पादक मृदाओं के लिये मृदा प्रशासन को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन तथा सभी के लिये सतत् विकास सुनिश्चित करना है।
  - **विश्व मृदा दिवस:** स्वस्थ मृदा के महत्त्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये यह प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर **68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा 2013** द्वारा अपनाया गया था, जिसने **5 दिसंबर, 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस** घोषित किया।
  - बॉन चैलेंज: इसका वैश्विक लक्ष्य **वर्ष 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर क्षरित एवं वनविहीन भू-क्षेत्र को पुन:स्थापित करना तथा वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भू-क्षेत्र** को पुन:स्थापित करना है।
    - इसे जर्मनी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) द्वारा वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था, इस **चैलेंज ने वर्ष 2017 में प्रतिज्ञाओं के लिये 150 मिलियन हेक्टेयर** की सीमा को पार कर लिया।
  - **भूमि क्षरण तटस्थता (LDN):** मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD) का **लक्ष्य वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण को रोकना और उसकी स्थिति को उलटना** है।
    - LDN को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, **जहाँ भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता विशिष्ट समय तथा स्थान के भीतर स्थिर या बढ़ती** रहती है तथा पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य सुरक्षा एवं मानव कल्याण को समर्थन प्रदान करती है:
  - **सतत् विकास लक्ष्य 15:** 2030 एजेंडा के लक्ष्य 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के **सतत् उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्द्धन करना, वनों का स्थायी प्रबंधन** करना, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि क्षरण को रोकना और उलटना तथा जैवविविधता की हानि को रोकना है।
  - **कृषि मृदाओं का पुन: कार्बनीकरण (RECSOIL):** इसका नेतृत्व FAO द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य टिकाऊ मृदा प्रबंधन (SSM) प्रथाओं के माध्यम से मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC) को बढ़ाकर वैश्विक कृषि मृदाओं को कार्बन मुक्त करना है।
- **भारत:**
  - राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
  - परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
  - कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF) योजना

आगे की राह

- **पुनर्योजी कृषि:** यह फसल चक्र, कवर क्रॉपिंग और कम जुताई जैसी प्रथाओं के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने पर केंद्रित है। ये विधियाँ मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती हैं, जल प्रतिधारण में सुधार करती हैं और जैवविविधता को बढ़ाती हैं।
- **मृदा संरचना** और उर्वरता में सुधार के लिये बायोचार, **खाद** तथा अन्य **जैविक संशोधनों का विकास तथा उपयोग करना।**

नोट :

- **कृषि वानिकी को बढ़ावा देना:** कृषि परिदृश्य में पेड़ों और झाड़ियों को एकीकृत करना। कृषि वानिकी न केवल मिट्टी के कटाव को रोकती है बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है।
- **मूल्यांकन और मानचित्रण:** मृदा स्वास्थ्य निगरानी के मानकीकरण पर एक वैश्विक डेटाबेस बनाएँ, इससे प्रगति पर बेहतर नज़र रखने और लक्षित हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
- **हरित अवसंरचना:** शहरी नियोजन में हरित छतों, बायोस्वाल और शहरी पार्कों को एकीकृत करना। इससे वर्षा जल का रिसाव कम होगा, अपवाह कम होगा और स्वस्थ मिट्टी के क्षेत्र बनेंगे।
- शहरी कृषि या हरित स्थानों के लिये परित्यक्त औद्योगिक स्थलों को पुन: प्राप्त करना और सुधारना, जिससे मृदा पुनर्जनन को बढ़ावा मिले।
- **जैविक उपचार:** प्रदूषित मिट्टी में प्रदूषकों को तोड़ने या बेअसर करने के लिये सूक्ष्मजीवों और पौधों का उपयोग करें, जिससे प्राकृतिक मिट्टी उपचार को बढ़ावा मिले।
- **फाइटोमाइनिंग:** उन विशिष्ट पौधों के उपयोग का पता लगाएँ जो दूषित मिट्टी से धातुओं को अवशोषित और संचित कर सकते हैं, जिससे प्राकृतिक उपचार का दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

भारतीय विरासत

संगीत प्रणाली का विकास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन में चिंपांजी (Chimps') की लयबद्ध संगीत के साथ नृत्य करने की क्षमता का पता चला है, जो हमारी लय की समझ में विकासवादी संबंध का संकेत देता है। पुरातात्त्विक साक्ष्य, **जिसमें पशु की हड्डी से बनी 40,000 वर्ष पुरानी बाँसुरी भी शामिल है,** मानव संगीत अभिव्यक्ति की उत्पत्ति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

हालिया अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

- **मनुष्यों में संगीत की उत्पत्ति:** इस अध्ययन के अनुसार, **मनुष्यों ने संभवत: पुरापाषाण युग के दौरान, लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व,** वाणी के विकास के बाद गाना शुरू किया।
  - साक्ष्य बताते हैं कि **संगीत वाद्ययंत्र बजाने की क्षमता लगभग 40,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, जिसका उदाहरण सात छेदों वाली पशु की हड्डी से बनी बाँसुरी** की खोज है।
- **संगीत स्वर/संकेतन:** ऐसा माना जाता है कि भारत में संगीत स्वर (**'सा, रे, गा, मा, पा, दा, नि'**) की उत्पत्ति वैदिक काल **(1500-600 ईसा पूर्व)** के दौरान हुई थी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपराओं का आधार बना।
  - संगीत स्वर प्रणालियाँ यूरोप और **मध्य पूर्व** में लगभग **9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्वतंत्र रूप से** स्थापित की गईं, जिनमें स्थानबद्ध स्वर (**'डू, रे, मी, फा, सोल, ला, टी'**) का प्रयोग किया गया।
- **भारतीय संगीत प्रणाली का विकास:** भारतीय संगीत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विकसित हुआ।

प्राचीन काल में भारतीय संगीत का विकास कैसे हुआ ?

- **सामवेद में उद्भव: सामवेद** का महत्त्व संगीत की दृष्टि से बहुत अधिक है। इससे भारतीय संगीत का उद्भव हुआ। सामवेद के रागों का विकास धार्मिक तथा सांस्कृतिक दोनों प्रकार के गीतों से हुआ।
  - **नारद मुनि ने** मानवता को संगीत कला से परिचित कराया तथा **नाद ब्रह्म** का ज्ञान दिया, जो ब्रह्मांड में व्याप्त ध्वनि है।
- **वैदिक संगीत का विकास:** प्रारंभ में एकल स्वरों पर केंद्रित वैदिक संगीत में क्रमश: दो और फिर तीन स्वरों को शामिल किया गया।
  - इस विकास के **परिणामस्वरूप सात मूल स्वरों (सप्त स्वरों) की स्थापना** हुई, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार बने।
  - **वैदिक भजन याग और यज्ञ** जैसे **धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग** थे, जहाँ उन्हें तार तथा ताल वाद्यों की संगत के साथ गाया एवं नृत्य किया जाता था।
- **प्रारंभिक तमिल योगदान: इलांगो अडिगल और महेंद्र वर्मा** जैसे विद्वानों ने प्राचीन तमिल संस्कृति में संगीत संबंधी विचारों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका उल्लेख **सिलप्पाडी काराम और कुडुमियामलाई** शिलालेखों जैसे ग्रंथों में मिलता है।
  - **करुणामृत सागर** जैसे प्राचीन तमिल ग्रंथों में विभिन्न **'पण' द्वारा प्रदर्शित रागों तथा स्थाई (अष्टक),** श्रुतियों और स्वर स्थानों की समझ प्रदान की गई है।

मध्यकाल में भारतीय संगीत का विकास कैसे हुआ ?

- **एकीकृत संगीत प्रणाली: 13वीं शताब्दी** तक, भारत ने **सप्तस्वर** (सात स्वर), सप्तक और श्रुति (सूक्ष्म स्वर) जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित एक **सुसंगत संगीत प्रणाली** कायम रखी।
- **शब्दों का परिचय:** हरिपाल ने **हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत** शब्दों का निर्माण किया, जो उत्तरी और दक्षिणी संगीत परंपराओं के बीच अंतर को दर्शाते हैं।
- **मुस्लिम शासन का प्रभाव: उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों** के आगमन के साथ ही भारतीय संगीत ने **अरब और फारसी संगीत प्रणालियों** के प्रभावों को आत्मसात कर लिया। इस अंतर्क्रिया ने **भारतीय संगीत अभिव्यक्ति** के दायरे को व्यापक बना दिया।
- **क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि:** जबकि उत्तर भारत में **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** हुआ, दक्षिण भारत अपेक्षाकृत अलग-थलग रहा, **जहाँ मंदिरों और हिंदू राजाओं** द्वारा समर्थित **शास्त्रीय संगीत** के निर्बाध विकास को बढ़ावा मिला।
- **विशिष्ट प्रणालियों का उदय: हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत** अलग-अलग प्रणालियों के रूप में विकसित हुए, जिनमें से प्रत्येक वैदिक सिद्धांतों पर आधारित थी, फिर भी उनमें अद्वितीय क्षेत्रीय रस (Flavours) तथा शैलीगत बारीकियाँ प्रदर्शित होती थी।
- **भक्ति आंदोलन का प्रभाव: 7वीं शताब्दी** के बाद से भारत में अनेक संत गायकों और धार्मिक कवियों का उदय हुआ, जिनमें **कर्नाटक के पुरंदर दास** भी शामिल थे, जिन्होंने **ताल (लयबद्ध चक्र)** को व्यवस्थित किया तथा भक्ति गीत रचनाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

नोट :

- इस युग के दौरान **रागों का वर्गीकरण स्पष्ट** हो गया, जिससे **भारतीय शास्त्रीय संगीत** को परिभाषित करने वाली **संगीत संरचना** की नींव रखी गई।
- **विस्तार और परिष्कार:** इस युग में **रागों, तालों (लयबद्ध चक्रों) और संगीत वाद्ययंत्रों सहित संगीत रूपों** की गुणवत्ता तथा मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- **संगीत शैलियों का उदय:** इस अवधि के दौरान **ख्याल, ठुमरी** और **तराना जैसी रचना शैलियों** को प्रमुखता मिली, जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विविध प्रदर्शनों की सूची में योगदान दिया।
- **घराने:** इस अवधि के दौरान **आगरा, ग्वालियर, जयपुर, किराना और लखनऊ** जैसे घरानों के रूप में जानी जाने वाली विशिष्ट संगीत परंपराएँ समृद्ध हुई, जिनमें से प्रत्येक ने हिंदुस्तानी संगीत में अद्वितीय शैलीगत तत्त्वों का योगदान दिया।

आधुनिक काल में भारतीय संगीत का विकास कैसे हुआ ?

- **महान संगीतकार: उस्ताद अल्लादिया खाँ, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ** जैसे प्रख्यात संगीतकार 20वीं सदी के हिंदुस्तानी संगीत के प्रतीक के रूप में उभरे तथा अपनी निपुणता और नवीनता से इस परंपरा को समृद्ध किया।
- **संकेतन के माध्यम से संरक्षण:** संकेतन प्रणालियों के आगमन ने विभिन्न पीढ़ियों के लिये संगीत रचनाओं के संरक्षण और पहुँच को सुनिश्चित किया, जिससे अमूल्य संगीत विरासत की रक्षा हुई।.
- **हिंदुस्तानी रागों का समेकन: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे** ने हिंदुस्तानी रागों को **'थाट'** प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही संगीत शिक्षा एवं प्रदर्शन के लिये एक संरचित आधार तैयार किया।
- **विद्वत्तापूर्ण रचनाएँ:** अनेक विद्वत्तापूर्ण संगीत शैलियों जैसे कि **कृति, स्वराजति, वर्ण, पद, तिल्लाना, जावली एवं रागमालिका** की रचना की गई।
  - संगीत एवं गीतात्मक परिष्कार में विकसित होते हुए इन रचनाओं को प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा मिली।
- हिंदुस्तानी संगीत
- कर्नाटक संगीत

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय संगीत प्रणाली विभिन्न युगों में किस प्रकार विकसित हुई तथा उन तत्त्वों पर चर्चा करें जिन्होंने इसके आधुनिक स्वरूप के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत में इसकी पारंपरिक आधारशिला को विकसित किया। वर्णन कीजिये।

धर्म में अभय मुद्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **विपक्ष के नेता/नेता प्रतिपक्ष** ने **संसद** में अपने भाषण के दौरान भगवान शिव की प्रतीकात्मक छवि और **'अभय मुद्रा'** का उपयोग करते हुए संविधान, भारत की कल्पना पर सरकार के हमलों तथा इन हमलों का विरोध करने वालों के लिये सरकार की आलोचना की।

लोकसभा में विपक्ष का नेता (LoP)

- LoP एक **संसद सदस्य (Member of Parliament-MP)** होता है जो **सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता** होता है और साथ ही **लोकसभा (LS) की कुल सीटों के कम-से-कम दसवें हिस्से पर विजय प्राप्त** की होती है।
- वह **लोक लेखा** (अध्यक्ष), **सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन** जैसी महत्त्वपूर्ण समितियों और कई **संयुक्त संसदीय समितियों** का भी सदस्य होता है।
- वह **केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** (Central Bureau of Investigation- CBI), **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (National Human Rights Commission-NHRC) और **लोकपाल** जैसे सांविधिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिये ज़िम्मेदार विभिन्न चयन समितियों का सदस्य होने का हकदार होता है।
- वह **रचनात्मक रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना** करता है और एक वैकल्पिक सरकार की भूमिका निभाता है।
- दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को **संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977** के तहत **सांविधिक मान्यता** प्रदान की गई है तथा वे वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के हकदार हैं।
- विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख **संविधान में नहीं** है।

अभय मुद्रा क्या है ?

- **मुद्रा:** मुद्रा का आशय **हस्त मुद्राओं** से है जिनका प्रयोग **भारतीय नृत्य, योग** और **साधना** में **विशिष्ट अर्थों तथा भावनाओं को व्यक्त करने** के लिये किया जाता है।
  - ऐसी मान्यता है इनके अभ्यास से **शरीर में प्राण या आवश्यक ऊर्जा का प्रवाह सुगम** होता है और इनके **उपचारात्मक लाभ** भी होते हैं।
  - भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में, मुद्राओं का उपयोग **भावनाओं, विषयों और कहानियों को व्यक्त करने** के लिये किया जाता है।

नोट :

- योग और **साधना अभ्यासों** में, यह **एकाग्रता, तनाव मुक्ति** तथा **विशिष्ट गुणों के अर्जन** में मदद करता है।
- हालाँकि कई गूढ़ मुद्राएँ मौजूद हैं किंतु समय के साथ बौद्ध कला में बुद्ध के प्रतिनिधित्व के लिये उनमें से केवल 5 ही प्रचलित हैं जिनमें **धर्मचक्र मुद्रा, भूमिस्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा** शामिल है।

- **अभय मुद्रा:** यह एक **हस्त मुद्रा** है जो सामान्यत: बौद्ध और हिंदू धर्म की प्रतिमा में देखने को मिलता है तथा यह **"निर्भयता की मुद्रा"** का प्रतिनिधित्व करती है।
  - यह प्राय: **दाहिने हाथ की हथेली** को कंधे की ऊँचाई पर **बाहर की ओर** करके बनाया जाता है, जिसमें **उंगलियाँ ऊपर की ओर** होती हैं।
  - **उत्पत्ति:** इसकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है जो ज्ञान प्राप्ति से प्राप्त **सुरक्षा, शांति और करुणा की भावना** को दर्शाता है।
    - यह मुद्रा उस घटना का बोध कराती है जब **बुद्ध ने** एक **क्रुद्ध हाथी को वश में किया** था जो उनके अनुयायियों को निडरता प्रदान करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।
  - **अन्य धर्मों से संबद्धता:** अभय मुद्रा **ईसाई** और **जैन धर्म** सहित अन्य धार्मिक परंपराओं की प्रतिमाओं में भी पाई जाती है।

बौद्ध धर्म में अन्य प्रकार की मुद्राएँ क्या हैं?

- **धर्मचक्र मुद्रा:** इसमें हाथों को हृदय के सामने रखा जाता है और प्रत्येक हाथ के अँगूठे तथा तर्जनी से एक वृत्त का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक हाथ की शेष तीन उँगलियाँ ऊपर की ओर होती हैं, **जो बौद्ध धर्म के त्रि-रत्नों- बुद्ध, धर्म (उनकी शिक्षाएँ) और संघ (अनुयायियों का समुदाय) का प्रतिनिधित्व करती हैं।** अँगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है।
  - यह उस महत्त्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है जब **बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश** दिया था, जो धर्म की शिक्षा की शुरुआत को दर्शाता है।
  - यह मुद्रा **जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र तथा बुद्ध की शिक्षाओं** को इस **चक्र से मुक्त होने के साधन के रूप** में दर्शाती है
- **भूमिस्पर्श मुद्रा:** इस मुद्रा में दाहिने हाथ की उँगलियों से ज़मीन को छूना शामिल है, जबकि बायाँ हाथ गोद में रहता है
  - यह **बुद्ध** के **ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व** करता है तथा यह संकेत पृथ्वी द्वारा उनके ज्ञान प्राप्ति की साक्षी बनने का प्रतीक है।
  - इसी मुद्रा में **शाक्यमुनि सत्य का ध्यान करते हुए मार की बाधाओं पर विजय प्राप्त** करते हैं।
- **वरद मुद्रा:** इस मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे की ओर फैला होता है, जिसमें हथेली बाहर की ओर होती है।
  - इस मुद्रा में 5 फैली हुई उंगलियाँ पाँच सिद्धियों का प्रतीक हैं: **उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान एकाग्रता।**
- **ध्यान मुद्रा:** इस मुद्रा में हाथों को गोद में रखा जाता है, दाहिना हाथ बाएँ हाथ के ऊपर रखा जाता है तथा अँगूठे पेट या जाँघों से ऊपर के स्तर पर रखे जाते हैं।
  - यह मुद्रा **ध्यान, एकाग्रता और आंतरिक शांति** का प्रतीक है।
- **अंजलि मुद्रा:** यह बौद्ध धर्म में उपयोग की जाने वाली सबसे आम मुद्रा है और इसमें हथेलियों को छाती के सामने एक साथ दबाया जाता है, जिसमें उँगलियाँ ऊपर की ओर संकेत करती हैं
  - यह **सम्मान, अभिवादन और कृतज्ञता का प्रतीक** है
  - यह एक **हाथ का इशारा है, जो नमस्कार या के समान है।**
- **वितर्क मुद्रा:** इस मुद्रा को **"शिक्षण मुद्रा" या "चर्चा मुद्रा"** के रूप में भी जाना जाता है और इसमें दाहिने हाथ को ऊपर उठाने तथा अँगूठे एवं तर्जनी के माध्यम से वृत्त बनाना शामिल है।
  - यह **ज्ञान के संचरण और बुद्ध की शिक्षाओं** के संचार का प्रतीक है।
- **उत्तरबोधि मुद्रा:** इस मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ कर हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उँगलियाँ एक-दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती हैं तथा अन्य उँगलियाँ अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, जिससे त्रिभुज के आकार का निर्माण होता है।
- यह मुद्रा ज्ञान और करुणा के **मिलन, पुरुष तथा स्त्री ऊर्जा के संतुलन, तथा स्वयं के सभी पहलुओं** के एकीकरण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती है।
- **करण मुद्रा:** इसमें बायाँ हाथ हृदय तक ऊपर लाया जाता है और हथेली आगे की ओर होती है। तर्जनी तथा छोटी उँगलियाँ सीधी ऊपर की ओर संकेत करती हैं, जबकि अन्य तीन उँगलियाँ हथेली की ओर मुड़ी हुई होती हैं।
  - यह मुद्रा अक्सर **बुद्ध या बोधिसत्व के चित्रण में देखी जाती है, जिसे सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप** में देखा जाता है। कहा जाता है कि तर्जनी ज्ञान की ऊर्जा और बाधाओं को दूर करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है।
- **ज्ञान मुद्रा:** इसमें तर्जनी और अंगूठे को एक साथ लाकर वृत्त बनाया जाता है, जबकि अन्य तीन अंगुलियों को बाहर की ओर बढ़ाया जाता है।

नोट :

- यह मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ **व्यक्तिगत चेतना की एकता एवं साधक और बुद्ध की शिक्षाओं** के बीच संबंध को दर्शाती है।

- **तर्जनी मुद्रा:** इसमें तर्जनी उंगली को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य उंगलियाँ हथेली की ओर मुड़ी होती हैं। तर्जनी मुद्रा को **"धमकी देने वाला इशारा"** भी कहा जाता है।
  - इसका प्रयोग **बुरी शक्तियों या हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध चेतावनी या सुरक्षा के प्रतीक** के रूप में किया जाता है।

Bhumisparsa Mudra
Touching the earth as Gautama did, to invoke the earth as witness to the truth of his words.

Varada Mudra
Fulfilment of all wishes; the gesture of charity.

Dhyana Mudra
The gesture of absolute balance, of meditation. The hands are relaxed in the lap, and the tips of the thumbs and fingers touch each other. When depicted with a begging bowl this is a sign of the head of an order.

Abhaya Mudra
Gesture of reassurance, blessing, and protection. "Do not fear."

Dharmachakra Mudra
The gesture of teaching usually interpreted as turning the Wheel of Law. The hands are held level with the heart, the thumbs and index fingers form circles.

Vitarka Mudra
Intellectual argument, discussion. The circle formed by the thumb and index finger is the sign of the Wheel of Law.

Tarjani Mudra
Threat, warning. The extended index finger is pointed at the opponent.

Namaskara Mudra
Gesture of greeting, prayer, and adoration. Buddhas no longer make this gesture because they do not have to show devotion to anything.

Jnana Mudra
Teaching. The hand is held at chest level and the thumb and index finger again form the Wheel of Law.

Karana Mudra
Gesture with which demons are expelled.

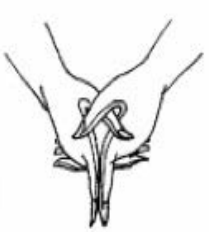

Ksepana Mudra
Two hands together in the gesture of 'sprinkling' the nectar of immortality.

Uttarabodhi Mudra
Two hands placed together above the head with the index fingers together and the other fingers intertwined. The gesture of supreme enlightenment.

नोट :

गौतम बुद्ध

Drishti IAS

इन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों (दशावतार) में से 8वाँ अवतार माना जाता है

जन्म

- सिद्धार्थ के रूप में जन्म (563 ईसा पूर्व)
- जन्मस्थान- लुम्बिनी (नेपाल) कपिलवस्तु के निकट

माता-पिता

- पिता- कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक; शाक्य गणसंघ के मुखिया
- माता - कोशल वंश की राजकुमारी

महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- बुद्ध का जन्म
- गृह त्याग/महान प्रस्थान (महाभिनिष्क्रमण)
- ज्ञान की प्राप्ति (निर्वाण)
- प्रथम उपदेश (धम्मचक्रपरिवर्तन)
- मृत्यु (महापरिनिर्वाण)

बुद्ध ने स्वयं को तथागत (वह जो जैसा आया था, वैसा ही चला गया) के रूप में संदर्भित किया और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें भागवत के रूप में संबोधित किया गया है।

समकालीन व्यक्ति

- वर्धमान महावीर
- बिम्बिसार
- अजातशत्रु

बुद्ध से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण स्थल

- बोधगया (ज्ञान प्राप्ति) (ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए)
- सारनाथ (प्रथम उपदेश)
- वैशाली (अंतिम उपदेश)
- कुशीनगर (मृत्यु (487 ई.पू.) का स्थान)

नोट :

बौद्ध धर्म

Drishti IAS

उत्पत्ति

- छठी शताब्दी ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित

मुख्य विशेषताएँ

- सार - आत्मज्ञान की प्राप्ति (निर्वाण)
- सर्वोच्च देवता - कोई नहीं

सिद्धांत

- अति से बचें; मध्यम मार्ग (मध्य मार्ग) का पालन करें
- व्यक्तिवादी घटक (हर कोई अपनी खुशी के लिये स्वयं ज़िम्मेदार है)
- चार महान सत्य:
  - दुख (दुःख)- संसार दुखों से भरा हुआ है
  - समुदय- प्रत्येक दुख का एक कारण है
  - निरोध- दुखों का निवारण किया जा सकता है
  - यह अथांग मग्गा (आष्टांगिक मार्ग) का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है।
- आष्टांगिक मार्ग:
  - सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि

बौद्ध धर्म अस्वीकार करता है

- वेदों की प्रामाणिकता
- आत्मा की अवधारणा (जैन धर्म के विपरीत)

प्रमुख बौद्ध ग्रंथ

- सुत्त पिटक (बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएँ - धम्म)
- विनयपिटक (भिक्षुओं/ननियों के लिये आचरण के नियम)
- अभिधम्म पिटक (दार्शनिक विश्लेषण)
- अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ- दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो

पहली बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था

इन शिक्षाओं को 25वीं शताब्दी ई.पू में पाली भाषा में लिखा गया था।

बौद्ध परिषद

बौद्ध परिषद	संरक्षक	स्थान	अध्यक्ष	वर्ष
पहली	अजातशत्रु	राजगृह	महाकस्यप	483 ई.पू.
दूसरी	कालाशोक	वैशाली	सुबुकामि	383 ई.पू.
तीसरी	अशोक	पाटलिपुत्र	मोगालिपुत्र	250 ई.पू.
चौथी	कनिष्क	कुण्डलवन (कश्मीर)	वसुमित्र	72 ई.

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बौद्ध धर्म का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म की सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं तथा भारतीय सभ्यता के विकास में उनके योगदान पर चर्चा कीजिये

■■■

नोट :

सामाजिक न्याय

पोलियो के टीके का विकास

चर्चा में क्यों ?

टीके के प्रति **झिझक, गलत सूचना, संघर्ष, गरीबी और साथ ही इन अलग-थलग क्षेत्रों तक सीमित पहुँच** के कारण **वाइल्ड पोलियोवायरस, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बड़े शहरों में पुनः प्रकट** होने लगा है।

- चूँकि **वर्ष 2024 के अंत तक पोलियो का उन्मूलन नहीं** किया जा सकता, इसलिये **विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के अपने लक्ष्य में असफल होने** की आशंका है।
- इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV) और ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) नामक दो टीकों ने दुनिया से पोलियो को लगभग खत्म करने में मदद की है।

पोलियो टीकों के विकास का इतिहास क्या है ?

- दो पोलियो टीकों का विकास- **जोनास साल्क** द्वारा **निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV)** तथा **अल्बर्ट सबिन** द्वारा **ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV)** कई प्रमुख सफलताओं का परिणाम था:
  - **गैर-तंत्रिका कोशिकाओं में पोलियोवायरस का संवर्धन:**
    - वर्ष 1948 में सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने पोलियो वायरस को केवल तंत्रिका कोशिकाओं में विकसित करने के बजाय, मानव मांसपेशियों तथा त्वचा कोशिकाओं में विकसित करने की विधि की खोज की, जैसा कि पहले माना जाता था।
    - इससे पोलियो वायरस के **बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति** प्राप्त की, जो वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था।
  - **निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV) का विकास:**
    - पोलियो वायरस को विकसित करके एवं उसे निष्क्रिय करके तथा परीक्षण प्रतिभागियों को इंजेक्शन देकर, जोनास साल्क ने पहला प्रभावी पोलियो टीका निर्मित किया गया।
    - जैसे ही IPV को मांसपेशियों में प्रविष्ट कराया गया, इसने सिस्टेमिक/प्रणालीगत प्रतिरक्षा उत्पन्न की।
  - **ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV):**
    - अल्बर्ट सबिन ने OPV विकसित किया, जिसमें जीवित, कमज़ोर पोलियोवायरस स्ट्रेन शामिल थे जिन्हें मौखिक रूप से दिया जाता था।
    - OPV ने **आँत में एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक म्यूकोसल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया** उत्पन्न की, जहाँ वायरस अपना संक्रमण शुरू करता है।

नोट:

- प्रतिरक्षा प्रणाली के 2 मुख्य भाग होते हैं: **सिस्टेमिक/प्रणालीगत** (रक्त, मस्तिष्क और अन्य अंग प्रणालियों सहित) तथा **म्यूकोसल/श्लैष्मिक** (पाचन और श्वसन प्रणाली, मूत्रजननांगी पथ और आँखों की आंतरिक परत सहित)।
  - बाह्य वातावरण के साथ बार-बार संपर्क के कारण अतिरिक्त सुरक्षा के लिये **म्यूकोसल घटकों** को श्लेष्म झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है।

IPV और OPV के लाभ तथा हानियाँ क्या हैं ?

इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV)	ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV)
लाभ: • IPV को **मृत या निष्क्रिय पोलियोवायरस** से बनाया जाता है जिसका तात्पर्य यह है कि इसके कारण बीमारी का कारण नहीं बन सकता है। • **IPV प्रतिरक्षाविहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिये सुरक्षित है**, क्योंकि इसमें जीवित वायरस नहीं होता है। • IPV एक **दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है** और सुरक्षा बनाए रखने के लिये इसके अत्यधिक सेवन की आवश्यकता नहीं होती है।	**लाभ:** • IPV की अपेक्षा OPV के **उत्पादन और नियंत्रण की लागत कम** है। • प्रभावी प्रतिरक्षा के लिये OPV का केवल एक या सीमित संख्या में उपयोग ही पर्याप्त है। • OPV **बेहतर म्यूकोसल प्रतिरक्षा** प्रदान कर सकता है, जो वायरस के संचरण को बाधित करने में मदद करता है।

नोट :

हानियाँ:

- OPV की अपेक्षा IPV का उत्पादन और नियंत्रण अधिक महँगा है। पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिये IPV को कई बार (प्राय: एक बार में 2-4 शॉट्स) उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
- IPV द्वारा प्राप्त म्यूकोसल प्रतिरक्षा OPV की अपेक्षा कम है, जो वायरस के संचरण को बाधित करने की इसकी क्षमता को सीमित कर सकता है।

हानियाँ:

- OPV में जीवित, कमज़ोर पोलियोवायरस होता है, जो कई मामलों में उत्परिवर्तित हो सकता है और **वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV) प्रकोप का कारण** बन सकता है।
- OPV को प्रतिरक्षाविहीन व्यक्तियों में उपयोग के लिये अनुशंसित नहीं किया जाता है क्योंकि जीवित वायरस जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
- OPV-व्युत्पन्न **प्रतिरक्षा, IPV-व्युत्पन्न प्रतिरक्षा जितनी दीर्घकालिक नहीं हो सकती** है।

नोट: विश्व ने पोलियो के उन्मूलन हेतु दोनों टीकों का इस्तेमाल किया है।

- नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे कुछ देश पूर्ण रूप से IPV पर निर्भर थे।
- हालाँकि **अधिकतर देशों** ने **दोनों टीकों के संयोजन** का इस्तेमाल किया।
  - इन देशों ने बेहतर सुरक्षा और प्रशासन में आसानी के लिये **OPV को प्राथमिकता** दी तथा फिर जब नेचुरल पोलियो के मामलों की संख्या शून्य होने के साथ **IPV** का उपयोग शुरू किया।

पोलियो से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **पोलियो** (***poliomyelitis***) एक अत्यधिक संक्रामक **वायरल बीमारी** है जो मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और आँत में अपना संचरण बढ़ाते हुए तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करती है।
- यह मुख्य रूप से **5 वर्ष से कम आयु** के बच्चों को प्रभावित करता है।
  - पोलियोवायरस की ऊष्मायन (Incubation) अवधि आमतौर पर 7-10 दिन होती है, लेकिन यह 4-35 दिनों तक हो सकती है।
- पोलियोवायरस संक्रमण के आरंभिक लक्षणों में **बुखार, थकान, सिरदर्द, उल्टी,** गर्दन में **अकड़न** और अंगों में **दर्द** शामिल हैं।
  - पोलियोवायरस से संक्रमित **90%** लोगों में **कोई लक्षण नहीं** या **न्यून लक्षण** होते हैं, जिनकी अक्सर पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है।
- 200 में से एक संक्रमण के मामले में पैरों का स्थायी **पक्षाघात (Paralysis)** हो जाता है जो संक्रमण के कुछ घंटों के भीतर हो सकता है।
  - **पोलियो वायरस से लकवाग्रस्त 5-10% लोगों की** श्वसन की माँसपेशियों के स्थिर होने से **मृत्यु हो जाती है।**
- यह वायरस संक्रमित लोगों, **आमतौर पर बच्चों, के मल के ज़रिए फैलता है** और खराब स्वच्छता तथा सफाई व्यवस्था वाले क्षेत्रों में तेज़ी से फैल सकता है।
- जंगली पोलियोवायरस के कारण होने वाले मामलों में **1988 से 99% से ज़्यादा** की कमी आई है। अनुमान है कि 125 से ज़्यादा स्थानिक देशों में **350 000** मामले थे, जो अब घटकर सिर्फ़ दो स्थानिक देश **अफगानिस्तान** और **पाकिस्तान** रह गए हैं (अक्टूबर 2023 तक)।
- तीन साल तक पोलियो के कोई मामले न आने के बाद, **भारत** को वर्ष **2014 में WHO** द्वारा पोलियो-मुक्त प्रमाण-पत्र मिला।

पोलियो उन्मूलन के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

- **वैश्विक:**
  - **वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल:** इसे वर्ष **1988** में राष्ट्रीय सरकारों द्वारा शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व **विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोटरी इंटरनेशनल,** संयुक्त राज्य अमेरिका **रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention - CDC)** तथा **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund - UNICEF) ने किया था।**
  - **विश्व पोलियो दिवस:** यह दिवस प्रत्येक वर्ष **24 अक्टूबर** को मनाया जाता है ताकि देशों से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सतर्क रहने का आह्वान किया जा सके।
- **भारत:**
  - पल्स पोलियो कार्यक्रम:
  - गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0
  - सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme - UIP): इसे वर्ष 1985 में 'प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम' (Expanded Programme of Immunization) में संशोधन के साथ शुरू किया गया था।

नोट :

- इस कार्यक्रम के उद्देश्य:
  - टीकाकरण कवरेज में तेज़ी से वृद्धि
  - सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
  - स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना
  - ज़िलेवार प्रदर्शन की निगरानी के लिये तंत्र बनाना
  - वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश का मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से महिला कर्मचारियों के लिये **मासिक धर्म अवकाश पर एक आदर्श नीति तैयार करने को कहा** है।

- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि यह मामला नीति-निर्माण के क्षेत्र में आता है, **न कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में।**

भारत में मासिक धर्म के अवकाश की स्थिति क्या है ?

- **मासिक धर्म (पीरियड) अवकाश:** यह एक प्रकार का अवकाश है, **जिसमें कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपने रोज़गार संस्थान से सवेतन या अवैतनिक अवकाश लेने का विकल्प होता है,** क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी कार्य करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **नीति का कार्यान्वयन:** बिहार और केरल ही ऐसे भारतीय राज्य हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ लागू की हैं।
  - **बिहार की नीति, वर्ष 1992** में शुरू की गई थी, जिसके तहत महिला कर्मचारियों को हर महीने **दो दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश** दिया जाता है।
  - केरल ने वर्ष 2023 में सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की महिला छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला छात्राओं को 60 दिनों तक मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है।
- भारत में कुछ कंपनियों ने मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ शुरू की हैं, जिनमें **ज़ोमैटो** भी शामिल है जिसने वर्ष **2020 में प्रतिवर्ष 10-दिवसीय भुगतान वाली मासिक छुट्टी की घोषणा की है।**
  - **स्विगी** और **बायजूस** जैसी अन्य कंपनियों ने भी इसका अनुसरण किया है।
- **किये गये वैधानिक उपाय:**
  - भारत में **मासिक धर्म अवकाश** को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है और साथ ही भारत में ***'भुगतानयुक्त मासिक धर्म अवकाश'*** के लिये कोई केंद्रीकृत दिशा-निर्देश भी नहीं है।
  - **किये गए प्रयास:** संसद में मासिक धर्म अवकाश और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों से संबंधित विधेयक पेश करने के प्रयास किये गए, लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हुए हैं।
    - उदाहरण: **मासिक धर्म लाभ विधेयक, 2017, महिला यौन, प्रजनन और मासिक धर्म अधिकार विधेयक, 2018।**
  - **महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक निशुल्क पहुँच विधेयक, 2022:**
    - प्रस्तावित विधेयक मासिक धर्म की अवधि के दौरान **महिलाओं** और ट्रांस महिलाओं **के लिये तीन दिनों के सवैतनिक अवकाश** का प्रावधान करता है।
    - विधेयक में एक शोध का हवाला देते हुए इंगित किया गया कि लगभग 40% लड़कियाँ पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जाती हैं तथा लगभग 65% ने कहा कि इसका स्कूल में उनकी दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है।

मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाले देश:

- स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, ज़ाम्बिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम।
- **स्पेन पहला यूरोपीय देश है जो** महिला कर्मचारियों को **मासिक धर्म में सवेतन अवकाश प्रदान करता है,** जिसमें प्रतिमाह तीन दिन का अवकाश अधिकार शामिल है, जिसे बढ़ाकर पाँच दिन किया जा सकता है।

महिलाओं के लिये सवेतन मासिक धर्म अवकाश की आवश्यकता क्यों है ?

- **स्वास्थ्य और कल्याण:** मासिक धर्म के कारण **शारीरिक असुविधा (ऐंठन, ब्लोटिंग)** और भावनात्मक कष्ट होता है। ऐसे में महिलाओं को सवेतन अवकाश प्रदान करना, उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और अवकाश लेने हेतु वेतन में कटौती किये जाने से चिंतामुक्त होकर उक्त लक्षणों का प्रबंधन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- **कार्यस्थल पर समावेशिता और लैंगिक अंतराल:** यह अवकाश मासिक धर्म से संबंधित लोगों की रूढ़धारणा में सुधार करते हुए और मासिक धर्म स्वास्थ्य के संबंध में अधिक सहज होकर वार्ता

नोट :

करने में प्रोत्साहन प्रदान के साथ मासिक धर्म के मुद्दे को सामान्य बनाएगा। कार्य प्रदर्शन पर इसका प्रभाव महिला कर्मचारियों को सवेतन अवकाश के साथ कार्यबल में पूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाकर लैंगिक वेतन अंतराल को कम करने में मदद करता है।

- **कार्य उत्पादकता और कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी:** किये गए अध्ययनों के अनुसार मासिक धर्म अवकाश महिलाओं को उनके मासिक धर्म को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और असुविधा का अनुभव करने की दशा में कार्य न करने की सुविधा प्रदान कर उनके कार्य की उत्पादकता में सुधार कर सकता है। यह कार्यालय में अधिक संख्या में **महिला कर्मचारियों का नियोजन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है।**
  - IMF के अनुसार, कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 27% की वृद्धि होगी और **वर्ष 2025 तक** इसकी GDP **में 700 बिलियन अमेरीकी डालर की वृद्धि** होगी। इस प्रकार **आर्थिक विकास और लैंगिक समता में अंतर्संबंध** होता है।
- **विधिक परिप्रेक्ष्य:**
  - **अनुच्छेद 15(3):** यह महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान करता है तथा महिलाओं को यह अवकाश प्रदान किये जाने को लैंगिक भेदभाव की संज्ञा देने वाले मतों का खंडन करता है।
  - **अनुच्छेद 42:** इसके अनुसार राज्य **काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं** का तथा **मातृत्व सहायता** के लिये उपबंध करेगा। मासिक धर्म अवकाश को इस ज़िम्मेदारी के विस्तार के रूप में देखा जाता है जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिये एक मानवोचित कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है।

गुजरात में जनजातीय जनसंख्या के लिये मातृ स्वास्थ्य देखभाल पहुँच पर केस स्टडी

- **अध्ययन के बारे में:**
  - यह अध्ययन **गुजरात में आदिवासी जनसंख्या पर केंद्रित है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 14.8%** है। यह **14 जनजातीय-केंद्रित ज़िलों में मातृ देखभाल** के लिये स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहुँच की जाँच करता है।
- **देखभाल पहुँच असमानताओं का मानचित्रण:**
  - गुजरात के आदिवासी ज़िलों में **गर्भावस्था देखभाल का औसत कवरेज 88%** है, जिसमें से **80% को प्रसवपूर्व देखभाल (ANC)** प्राप्त होती है, 90% स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जन्म देती हैं और **92% को प्रसवोत्तर देखभाल (PNC)** प्राप्त होती है।
  - हालाँकि बनासकांठा, महिसागर, साबरकांठा, दाहोद एवं भरूच जैसे ज़िलों में **ANC कवरेज उल्लेखनीय रूप से कम** है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन **द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे** है।
- **परिवहन संबंधी बाधाएँ:**
  - **50% से अधिक परिवार तृतीयक देखभाल सुविधाओं से 25 किलोमीटर से अधिक दूर निवास करते** हैं और **लगभग 30% सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से दूर** रहते हैं। इसके अतिरिक्त, सीमित संसाधन एवं सामाजिक कलंक प्राय: महिलाओं को, विशेष रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से प्रतिबंधित** करते हैं।

मातृ मृत्यु पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2020 में वैश्विक मातृ मृत्यु में भारत की हिस्सेदारी 17% से अधिक** थी, जो मातृ, मृत जन्म (स्टिलबर्थ) और नवजात मृत्यु के लिये ज़िम्मेदार 10 देशों में सबसे अधिक हिस्सेदारी है।
- इसमें बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों के साथ ही स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के लिये सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये मातृ स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के महत्त्व पर बल दिया गया।

मासिक धर्म की अवकाश के विरुद्ध तर्क क्या हैं ?

- **महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने में हतोत्साहन:** मासिक धर्म अवकाश के लिये भुगतान किये जाने से कंपनियाँ **महिलाओं की अनुपस्थिति के कारण उन्हें नियुक्त करने से हतोत्साहित** हो सकती हैं।
  - प्रत्येक महीने सवैतनिक अवकाश के अतिरिक्त बोझ के कारण नियोक्ता **महिला कर्मचारियों को एक दायित्व के रूप में** समझ सकते हैं।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव:** मासिक धर्म अवकाश की सुविधा देने से कार्यप्रवाह बाधित हो सकता है, अन्य टीम सदस्यों पर कार्यभार बढ़ सकता है, अथवा उन कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है जिन्हें समान लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- **प्रवर्तन संबंधी मुद्दे:** मासिक धर्म के लिये **सवैतनिक अवकाश लागू करने से वैध उपयोग** का निर्धारण, दुरुपयोग को रोकना तथा **नियोक्ताओं के लिये स्वीकार्य प्रवर्तन विधियों को परिभाषित** करने जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - यह बात **भुज वर्ष 2020 में हुई घटनाओं से** उजागर हुई है, जहाँ **66 लड़कियों के मासिक धर्म की स्थिति की जाँच करने के लिये कपड़े उतारने पर विवश** किया गया था और **मुज़फ्फरनगर में भी** ऐसी ही घटनाएँ हुई थीं।

नोट :

- **मासिक धर्म से संबंधित नीतियाँ विकसित करने में संवेदनशीलता एवं सम्मान अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।**

- **कलंक/लाँछन (Stigma) को बढ़ावा देना:** विशेष अवकाश नीतियाँ मासिक धर्म को एक नकारात्मक पहलू के रूप में उजागर कर सकती हैं, जिससे मासिक धर्म के प्रति शर्मिंदगी और भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये सरकारी योजनाएँ

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मासिक धर्म स्वच्छता योजना
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सबला कार्यक्रम
- स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय (SB:SV)
- स्वच्छता में लैंगिक मुद्दों के लिये दिशा-निर्देश, 2017
- मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश
- 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की **किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा** देने की योजना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समर्थित)

आगे की राह

- **मासिक धर्म स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देना:** सुनिश्चित कीजिये कि नियोक्ताओं, कर्मचारियों और चिकित्सा पेशेवरों को मासिक धर्म स्वास्थ्य तथा प्रभावी उपचार विकल्पों के संबंध में **उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी तक पहुँच** हो।
- **पर्याप्त विश्राम अवकाश शामिल करना:** श्रमिकों, विशेष रूप से मासिक धर्म वाले श्रमिकों को विश्राम लेने और स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना। इससे **सभी श्रमिकों को लाभ होता है और कार्यस्थल पर चोट लगने तथा बीमार होने का जोखिम** कम होता है।
- **मासिक धर्म अवकाश नीतियों को प्रोत्साहित करना:** सरकार मासिक धर्म अवकाश देने वाली कंपनियों को कर छूट प्रदान करके और **सभी कर्मचारियों के लिये लिंग-तटस्थ अवकाश नीतियाँ** शुरू करके इसे प्रोत्साहित कर सकती है।
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से छुट्टी की लागत को कवर करने के लिये सरकारी सहायता पर भी विचार किया जा सकता है।
- **प्रभावी उपचार तक पहुँच:** कार्यस्थलों पर कर्मचारियों को **निशुल्क आपातकालीन मासिक धर्म उत्पाद,** दर्द निवारक दवाएँ तथा गंभीर मासिक धर्म संबंधी लक्षणों के लिये गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सलाह और **उपचार तक पहुँच हेतु सहायता उपलब्ध** कराई जानी चाहिये।
- **अनुकूल कार्य स्थितियाँ:** अनुकूल कार्य व्यवस्था की अनुमति दें, जैसे कि पूरे दिन की **छुट्टी की अपेक्षा घर से काम करने या कम समय के अवकाश** लेने की क्षमता।
- **कार्य स्थितियों और श्रम अधिकारों के लिये पर्याप्त मानक:** कार्य के घंटे, मज़दूरी, स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा समान अवसरों के संबंध में वैश्विक न्यूनतम श्रम मानकों में सुधार करना, **जिससे अलग मासिक धर्म अवकाश नीतियों की आवश्यकता समाप्त** हो जाएगी।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश पर नीतिगत उपाय की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। लैंगिक समानता और कार्यबल गतिशीलता पर इसके क्या निहितार्थ हैं? कौन-से उपाय इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकते हैं?

■■■

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

मादक पदार्थों पर UNODC की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (**United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC**) ने विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ परिदृश्य में बढ़ती चिंताओं की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया गया।

रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु क्या हैं ?

- **मादक पदार्थों का बढ़ता उपयोग:**
  - वर्ष 2022 में दुनिया भर में मादक पदार्थों के उपयोगकर्त्ताओं की **संख्या 292 मिलियन** तक पहुँच गई, जो पिछले दशक की तुलना में **20% की वृद्धि** दर्शाती है।
- **मादक पदार्थ वरीयता:**
  - 228 मिलियन उपयोगकर्त्ताओं के साथ कैनबिस सबसे लोकप्रिय मादक पदार्थ है, इसके बाद **ओपिओइड्स, एम्फेटामाइन्स, कोकेन और एक्स्टसी** का स्थान है।
- **उभरते संकट:** रिपोर्ट में **नाइटाजेन** के बारे में चेतावनी दी गई है, जो **सिंथेटिक ओपिओइड** का एक नया वर्ग है जो **फेंटेनाइल** से भी अधिक प्रभावशाली है।
  - ये पदार्थ, विशेष रूप से उच्च आय वाले देशों में, ओवरडोज से होने वाली मौतों में वृद्धि से जुड़े हैं।
- **उपचार अंतराल:**
  - मादक पदार्थों के उपयोग से संबंधित विकारों से पीड़ित **64 मिलियन लोगों** में से केवल 11 में से एक को ही उपचार मिल पाता है।
- **उपचार में लिंग असमानता:**
  - रिपोर्ट में उपचार की उपलब्धता में लैंगिक अंतर का उल्लेख किया गया है। मादक पदार्थों के उपयोग से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित **18 में से केवल एक महिला** को ही उपचार मिल पाता है, जबकि **सात में से एक पुरुष को ही उपचार** मिल पाता है।
- **भारत में ड्रग का उपयोग:**
  - नशे की लत में फँसे लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** के आँकड़ों के अनुसार, **देश में इस समय करीब 10 करोड़ लोग विभिन्न नशीले पदार्थों के आदी हैं।**
  - गृह मंत्रालय के अनुसार, **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब** वर्ष 2019 और 2021 के बीच तीन वर्षों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS एक्ट) के तहत दर्ज सबसे अधिक FIR वाले शीर्ष तीन राज्य हैं।

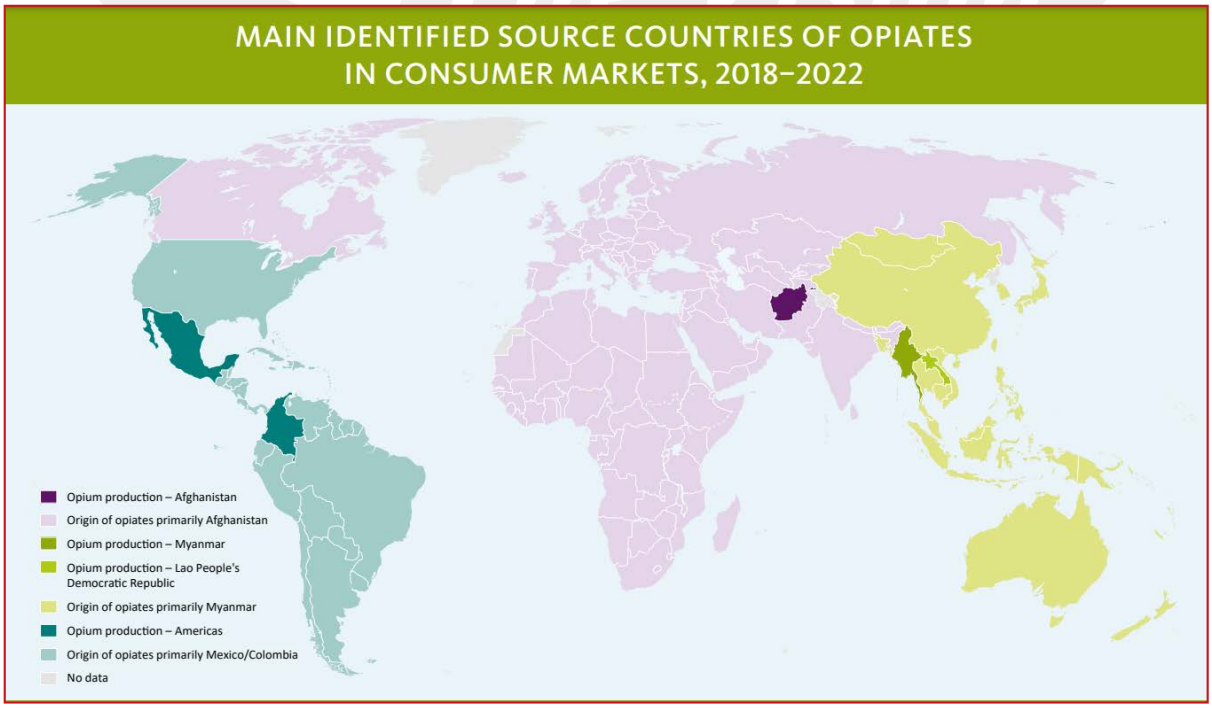

नोट :

विश्व में प्रमुख मादक पदार्थ उत्पादक क्षेत्र कौन-से हैं?

- **गोल्डन क्रीसेंट:** इसमें **अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान** शामिल हैं, जो अफीम उत्पादन तथा वितरण का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है।
  - इसका प्रभाव **जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात** जैसे भारतीय राज्यों पर प्रदर्शित होता है।
- **गोल्डन ट्राइंगल:** यह **लाओस, म्याँमार तथा थाईलैंड के मध्य** स्थित है जो हेरोइन उत्पादन के लिये कुख्यात है (**म्याँमार वैश्विक हेरोइन का 80% उत्पादन** करता है)।
  - तस्करी के मार्ग **लाओस, वियतनाम, थाईलैंड** और **भारत** से होकर गुज़रते हैं।

भारत में मादक पदार्थों के सेवन में योगदान देने वाले कारक क्या हैं?

- **गरीबी, बेरोज़गारी एवं पलायनवाद:** निम्न आय वर्ग के लोग गरीबी, बेरोज़गारी तथा निकृष्ट जीवन स्थितियों जैसी कठोर वास्तविकताओं से अस्थायी रूप से बचने के लिये **सस्ती, आसानी से उपलब्ध मादक पदार्थों** का उपयोग करते हैं।
  - **चेन्नई में आयोजित एक झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम में बताया गया** कि 70% वयस्क मादक पदार्थों का उपयोग करने वालों में गरीबी से संबंधित तनाव एक प्रमुख कारण है।
- **साथियों का दबाव और सामाजिक प्रभाव:** वयस्क पार्टियों में कूल दिखने के लिये मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। युवा उन मशहूर हस्तियों या सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों की नकल करते हैं जो मादक पदार्थों के उपयोग को फैशन के रूप में पेश करते हैं।
  - वर्ष 2023 साइबर अपराध इकाई की जाँच में पता चला कि एक नेटवर्क गोवा में फार्मा पार्टियों का विज्ञापन करने के लिये इंस्टाग्राम का उपयोग कर रहा था, जिसमें 100,000 से अधिक संभावित उपस्थित लोग शामिल थे।
- **कानूनी व्यवस्था की खामियाँ:** संगठित अपराध गिरोह कानूनी व्यवस्था की खामियों का लाभ उठाते हैं, जैसे कि **कमज़ोर सीमा नियंत्रण, ताकि वे ड्रग्स की तस्करी** कर सकें। वे प्राय: अफ्रीका और दक्षिण एशिया से व्यापार मार्गों का दुरुपयोग करके मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं।
  - वर्ष 2023 में, **सीमा सुरक्षा बल** ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर 35% मादक पदार्थ की जब्त किये है, जो इन मार्गों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करने में चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में भारत के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ:

- **सीमा की संवेदनशीलता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम:** इससे **भारत-म्याँमार सीमा** (जो दुर्गम इलाकों और घने जंगलों से घिरी हुई है) पर सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - भारत से होकर अवैध नशीली दवाओं का प्रवाह, **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये जोखिम** है।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गरीबी, बेरोज़गारी तथा निरक्षरता के कारण मादक पदार्थों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में स्थानीय लोग संलिप्त रहते हैं।
  - कुछ स्थानीय जनजातियाँ एवं निवासी आर्थिक आवश्यकता या गलत सहानुभूति के कारण इस प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं।
- **वैश्विक मादक पदार्थों आपूर्ति के केंद्र:** गोल्डन क्रिसेंट एवं गोल्डन ट्राइंगल क्षेत्र, सामूहिक रूप से **विश्व की लगभग 90% मादक पदार्थों की आपूर्ति** करते हैं।
  - भारत की इन क्षेत्रों से निकटता नशीली दवाओं की तस्करी के जोखिम को बढ़ाती है।
- **तस्करी की विकसित होती तकनीकें:** इससे कानून प्रवर्तन हेतु नवीन चुनौतियाँ प्रस्तुत होती हैं। पंजाब में हाल की घटनाओं में **सीमा-पार मादक पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी के लिये ड्रोन के इस्तेमाल** को देखा गया।
- **उभरता हुआ कोकीन बाज़ार:** भारत कोकीन का लोकप्रिय गंतव्य बन गया है, जो दक्षिण अमेरिकी कार्टेल द्वारा नियंत्रित है। इन कार्टेलों ने जटिल नेटवर्क स्थापित किये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग तथा विभिन्न यूरोपीय देशों के अनिवासी भारतीय (NRIs)।
  - भारत के स्थानीय ड्रग डीलर एवं गैंगस्टर।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

- यह अधिनियम मादक **औषधि और मनोदैहिक पदार्थों के विनिर्माण, परिवहन और उपभोग** को नियंत्रित करता है।
- इस अधिनियम के तहत कुछ अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण जैसे कि भांग की खेती एवं मादक औषधि का विनिर्माण के साथ उनसे संबंधित व्यक्तियों को शरण देना एक प्रकार का अपराध है।
- इस अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को **10 से 20 वर्ष के कठोर कारावास** के साथ कम-से-कम **1 लाख रुपए के जुर्माने** से दंडित किया जाएगा।

नोट :

- यह मादक पदार्थों तथा मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित या उपयोग की गई **संपत्ति को ज़ब्त करने का भी प्रावधान** करता है।
- यह कुछ मामलों (जब कोई व्यक्ति बार-बार अपराधी पाया जाता है) में मृत्युदंड का भी प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम के तहत वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया गया था।

मादक पदार्थों के खतरे से निपटने हेतु पहल:

- **प्रोजेक्ट सनराइज़:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में **बढ़ते HIV के प्रसार** से निपटने हेतु विशेष रूप से **मादक पदार्थों के इंजेक्शन का प्रयोग** करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु **'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise)** को शुरू किया गया था।
- **नशा मुक्त भारत:** सरकार द्वारा **'नशा मुक्त भारत अभियान' (Nasha Mukt Bharat Abhiyan)** की घोषणा की गई है जो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।
- **नार्को-समन्वय केंद्र:** नवंबर 2016 में **नार्को-समन्वय केंद्र (Narco-Coordination Centre-NCORD)** का गठन किया गया और राज्य में **'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' की मदद के लिये** 'वित्तीय सहायता योजना' का पुनरुद्धार किया गया।
- **ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है अर्थात् **ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (Seizure Information Management System-SIMS)**, जिससे ड्रग अपराधों एवं अपराधियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार हो सकेगा।
- **राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग सर्वेक्षण:** सरकार AIIMS के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (National Drug Dependence Treatment Centre) की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के आकलन हेतु एक **राष्ट्रीय ड्रग सर्वेक्षण (National Drug Abuse Survey)** भी कर रही है।

आगे की राह

- **व्यापक रणनीति:** जागरूकता बढ़ाने हेतु समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के लिये UNODC द्वारा अनुशंसित रोकथाम, उपचार और कानूनी प्रवर्तन शामिल हैं।
  - **रोकथाम:**
    - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) **तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा एवं परामर्श में **'मादक पदार्थों और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के साथ ही अवैध तस्करी से निपटने के लिये संयुक्त कार्य योजना'** पर ध्यान केंद्रित किया गया।
    - मीडिया अभियान कमज़ोर आबादी को लक्षित कर रहे हैं।
    - स्कूलों एवं कार्यस्थलों में शीघ्र हस्तक्षेप की रणनीतियाँ।
  - **उपचार:**
    - लोगों को मादक पदार्थों के उपयोग से बचने में सहायता प्रदान करने के लिये जानकारी एवं क्षमताएँ विकसित करना। ये पहल, जो सीधे-सादे **"जस्ट से नो** (Just Say No)" **अभियान** से परे हैं, में शामिल हैं:
    - मादक पदार्थों के प्रभावों और जोखिमों के बारे में सटीक जानकारी।
    - सहकर्मी दबाव एवं तनाव से निपटने की रणनीतियाँ।
    - निर्णय लेने के कौशल तथा आत्म-सम्मान का निर्माण।
    - व्यापक पुनर्प्राप्ति सहायता सेवाएँ प्रदान करना।
    - मादक पदार्थों के दुरुपयोग के उपचार से जुड़े कलंक को मनोचिकित्सा सहायता द्वारा कम करना।
  - **कानूनी प्रवर्तन:**
    - मादक पदार्थों के शिपमेंट को रोकने के लिये सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना।
    - एजेंसियों (इंटरपोल) तथा देशों **(गोल्डन क्रीसेंट तथा गोल्डन ट्राइंगल)** के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार करना।
    - उच्च स्तरीय मादक पदार्थ तस्करों और उनके वित्तीय नेटवर्क को लक्ष्य बनाना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - स्कूलों में **मादक पदार्थों तथा मादक द्रव्यों के सेवन** के बारे में **जागरूकता के लिये त्रैमासिक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु** नया पोर्टल **'प्रहरी' लॉन्च** किया जाएगा।
    - एक **ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित** करना जहाँ मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी गतिविधियों की रिपोर्ट की जा सके। मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के लिये **बिग डेटा, एनालिटिक्स एवं AI का उपयोग** करना।
- **मानवीय दृष्टिकोण:**3
  - **मादक पदार्थों से संबंधित मामलों** से निपटने में दंडात्मक उपायों की सीमाओं को देखते हुए, अधिक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिये कानून में संशोधन की आवश्यकता है।

नोट :

- जब मादक पदार्थों के उपयोग को **मानवाधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नज़रिये** से देखा जाता है, तब व्यसन से प्रभावित लोगों के प्रति समझ तथा करुणा को बढ़ावा मिलता है।
- संसाधनों को **कारावास से पुनर्वास की ओर पुनर्निर्देशित करने से** व्यक्तियों तथा समुदायों में बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौतियाँ, विशेष रूप से भारत जैसे क्षेत्रों में, सीमा प्रबंधन के मुद्दों के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं और इन जटिलताओं को दूर करने के लिये क्या रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं?

वीरता पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित **रक्षा अलंकरण समारोह-2024** में वीरता पुरस्कार प्रदान किये।

वीरता पुरस्कार क्या हैं?

- **परिचय:**
  - सशस्त्र बलों, अन्य विधिपूर्वक गठित **बलों तथा सिविल अधिकारियों/कार्मिकों की बहादुरी और बलिदान** को सम्मान प्रदान करने के लिये **वीरता पुरस्कारों की स्थापना** की गई है।
  - इन **वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार** की जाती है, पहले गणतंत्र दिवस के अवसर **तथा** स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।
- **प्रकार:**
  - **सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:**
    - **परम वीर चक्र (PVC):** इसके अग्रभाग पर **"इन्द्र के वज्र"** की चार प्रतिकृतियाँ उभरी होंगी तथा **मध्य में राज्य चिह्न अंकित** होगा।
    - **महावीर चक्र (MVC):** इसके अग्रभाग पर एक **पाँच-नुकीले हेराल्डिक उभरा हुआ सितारा** होता है, जिसके सिरे किनारे को छूते हुए होते है। सितारे के **बीच में एक गुंबददार सोने का पानी चढ़ा हुआ राज्य चिह्न** होता है।
    - वीर चक्र: इस तारे के केंद्र में एक चक्र होता है, तथा चक्र के अंदर एक गुम्बदाकार केंद्रबिंदु होता है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ राज्य चिह्न अंकित होता है।
  - **सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार:**
    - अशोक चक्र, कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र में पदक के अग्रभाग पर केंद्र में संबंधित चक्र की प्रतिकृति उभरी हुई होती है, जो कमल पुष्पमाला से भी घिरी होती है। रिम के साथ, भीतरी तरफ, कमल के पत्तों, फूलों और कलियों का एक पैटर्न होता है।
    - इसके पृष्ठ भाग पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में संबंधित शब्द उकेरे गए होते है, तथा दोनों संस्करणों को दो कमल के फूलों से अलग किया गया होता है।

- **पुरस्कार का वरीयता क्रम:**
  - परमवीर चक्र
  - अशोक चक्र
  - महावीर चक्र
  - कीर्ति चक्र
  - वीर चक्र
  - शौर्य चक्र

वीरता पुरस्कारों हेतु पात्रता और चयन मानदंड क्या हैं?

- **परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र:**
  - नौसेना, सेना और वायु सेना, रिज़र्व बल, प्रादेशिक सेना, मिलिशिया तथा किसी भी अन्य विधिपूर्वक गठित सशस्त्र बलों के **सभी रैंकों** के अधिकारी वीरता पुरस्कारों हेतु पात्र होते हैं।
  - मैट्रन, सिस्टर, नर्स और नर्सिंग सेवाओं तथा अस्पतालों एवं नर्सिंग से संबंधित अन्य सेवाओं के कर्मचारी तथा उपर्युक्त बलों में से किसी के निर्देशों के तहत सेवारत कर्मचारी इसके लिये पात्र हैं।
  - **पात्रता की शर्तें:** ये पुरस्कार थल, समुद्र और वायु सभी तीन परिस्थितियों में दुश्मन के विरुद्ध की गई साहसिक कार्रवाई के लिये प्रदान किये जाते हैं।
    - **परमवीर चक्र: अत्यंत विशिष्ट वीरता** या आत्म-बलिदान के साहसिक या उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है।
    - **महावीर चक्र:** वीरता के विशिष्ट कार्यों के लिये प्रदान किया जाता है।
    - **वीर चक्र:** वीरता के कार्यों के लिये प्रदान किया जाता है।

नोट :

- **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र:**
  - सेना, नौसेना और वायु सेना, रिज़र्व बल, प्रादेशिक सेना, मिलिशिया और किसी भी अन्य विधिपूर्वक गठित बलों के सभी रैंकों के अधिकारी और पुरुष और महिलाएँ इनके लिओये पात्र हैं।
  - सशस्त्र बलों की नर्सिंग सेवाओं के कर्मी।
  - नागरिक नागरिक और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों तथा रेलवे सुरक्षा बल सहित पुलिस बलों के कर्मी।
  - **पात्रता की शर्तें:** ये पुरस्कार दुश्मन के समक्ष की गई कार्यवाई के लिये प्रदान किये जाते हैं।
    - **अशोक चक्र:** सबसे विशिष्ट बहादुरी या साहसिक कार्य या वीरता या आत्म-बलिदान के उत्कृष्ट कार्य हेतु

नोट :

- **कीर्ति चक्र:** विशिष्ट वीरता हेतु
- **शौर्य चक्र:** वीरता हेतु

- **चयन प्रक्रिया:**
  - **रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय** से वीरता पुरस्कारों के लिये **प्रत्येक वर्ष में दो बार** संस्तुतियाँ आमंत्रित करता है
  - **सशस्त्र बलों के संदर्भ में** वीरता पुरस्कार के मामले को कमांडरों द्वारा अनुशंसित इकाई द्वारा शुरू किया जाता है।
  - सिविलियन नागरिकों (रक्षा कर्मियों के अलावा) के संबंध में सिफारिशें **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)** से प्राप्त की जाती हैं।
  - **VIP संदर्भों को** शामिल करते हुए निजी व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सिफारिशों को **स्वीकार नहीं किया जाता है ।**
  - किसी भी मामले में वीरता पुरस्कारों पर विचार करने की **समय-सीमा वीरता का कार्य** किये जाने की तारीख से **दो कैलेंडर वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिये।
  - सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर **केंद्रीय सम्मान एवं पुरस्कार समिति (Central Honours & Awards Committee - CH&AC)** द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल होते हैं।

- **रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में पुरस्कार विजेता:**
  - राष्ट्रपति ने 10 कीर्ति चक्र (7 मरणोपरांत) और 26 शौर्य चक्र (7 मरणोपरांत) प्रदान किये।
  - 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के हमले के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के लिये CRPF की 210 कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल राज कुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा और शंभू रॉय को **मरणोपरांत कीर्ति चक्र** प्रदान किया गया।
  - **मेजर विकास भांभू** और **मेजर मुस्तफा बोहरा** को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
    - **दोनों अधिकारी अपने हेलिकॉप्टर को मानव बस्तियों से दूर ले जा रहे थे,** तभी अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग ज़िले में दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरने के बाद उनकी मौत हो गई।

■■■

The Vision

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

भारत द्वारा रियायती शुल्क पर आयात

हाल ही में भारत ने **टैरिफ-रेट कोटा (TRQ)** के तहत **मक्का, कच्चे सूरजमुखी तेल, रिफाइंड रेपसीड तेल एवं मिल्क पाउडर** के **सीमित आयात की अनुमति** प्रदान की है।

- बढ़ती **खाद्य मुद्रास्फीति** को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत यह कदम उठाया गया है।

टैरिफ-रेट कोटा (TRQ)

- यह एक व्यापार नीति उपकरण है जो किसी **विशिष्ट वस्तु की एक निश्चित मात्रा को कम टैरिफ रेट पर आयात करने की अनुमति** देता है, जबकि इस सीमा से ऊपर की मात्रा उच्च टैरिफ के अधीन होती है।
- इसका **उपयोग आयात के माध्यम से मांग को पूरा करने की आवश्यकता के साथ घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को संतुलित करने के लिये** भी किया जाता है।

वनस्पति तेल एवं दुग्ध बाज़ार में भारत की स्थिति क्या है ?

- **वनस्पति तेल में भारत की स्थिति:**
  - भारत **पाम ऑयल, सोया ऑयल एवं सूरजमुखी तेल** जैसे वनस्पति तेलों का **विश्व का सबसे बड़ा आयातक** है, जो अपनी लगभग **दो-तिहाई आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से** पूरा करता है।
    - भारत के वनस्पति तेल की खपत में पाम ऑयल की हिस्सेदारी **40%** है, इसका **दो-तिहाई से अधिक हिस्सा इंडोनेशिया** एवं **मलेशिया** से आयात किया जाता है।
  - वर्ष 2021 में, भारत द्वारा घरेलू पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये **खाद्य तेल-ऑयल पाम** पर राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया।
    - **सूरजमुखी का तेल एवं सोया ऑयल रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना और ब्राज़ील** से आयात किया जाता है।
    - **खाद्य तेल के शीर्ष 5 उत्पादक:** चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया तथा ब्राज़ील।
- **दुग्ध उत्पादन:**
  - **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)** ने **वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक दूध उत्पादन में 58% की उल्लेखनीय वृद्धि** दर्ज की है, जिससे कुल उत्पादन **230.58 मिलियन टन** तक पहुँच गया है।
    - **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** के आँकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जो वर्ष 2021-2022 में **वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग 24.64%** है।
- **मक्का:**
  - भारत **विश्व के मक्का उत्पादन में लगभग 2%** का योगदान देता है तथा **उत्पादन क्षेत्र के संदर्भ में सातवें** स्थान पर है और साथ ही **कृषि योग्य क्षेत्र के संदर्भ में चौथे** स्थान पर है।
  - **वर्ष 2023-24** के लिये मक्का उत्पादन अनुमान लगभग **33.5 मिलियन मीट्रिक टन की उपज का अनुमान** हैं।
  - **मक्के के शीर्ष 3 उत्पादक:** अमेरिका, चीन और ब्राज़ील।

रियायती शुल्क क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह एक **टैरिफ या कर** है, जो **आयातित वस्तुओं पर मानक शुल्क की तुलना में कम दर** पर लगाया जाता है।
- **अधिरोपण के कारण:**
  - **आयात लागत में कमी:** शुल्क कम करके सरकार का **लक्ष्य कुछ वस्तुओं के आयात को सस्ता** बनाना है। इससे घरेलू स्तर पर उन वस्तुओं को अधिक किफायती बनाकर उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सकता है।
  - **कीमतें नियंत्रित करना:** इससे घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मामले में।
  - **विशिष्ट उद्योगों को प्रोत्साहन देना:** कच्चे माल या उपकरणों पर शुल्क में कमी से कुछ उद्योगों में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है।
  - **व्यापार संबंधों को मज़बूत करना:** रियायती शुल्क अन्य देशों के साथ मज़बूत व्यापारिक साझेदारी बनाने का एक तरीका हो सकता है।
- **अस्थायी उपाय:** इन्हें प्राय: विशिष्ट स्थितियों, जैसे उच्च घरेलू कीमतों को कम करने के लिये अस्थायी उपायों के रूप में लागू किया जाता है। एक बार जब स्थिति में सुधार हो जाता है, तब शुल्क को मानक दर पर पुन: बढ़ाया जा सकता है।

ISA की 30वीं वर्षगाँठ

हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS)** के अंतर्गत आने वाली एजेंसी, **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (International Seabed Authority- ISA)** ने अपनी 30वीं वर्षगाँठ मनाई।

नोट :

- इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय जल में निर्जीव समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग की देख-रेख के लिये की गई थी।

ISA के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना **वर्ष 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) और UNCLOS के भाग XI के कार्यान्वयन से संबंधित 1994** के समझौते के तहत की गई थी।
  - **मुख्यालय: किंग्स्टन, जमैका।**
  - **सदस्य: 168 सदस्य राज्य (भारत सहित)** और यूरोपियन यूनियन।
    - इसके **अधिकार क्षेत्र में विश्व के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 54% हिस्सा** शामिल है।
  - ISA गहरे समुद्र में होने वाली गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **जनादेश:**
  - **सभी अन्वेषण गतिविधियों** और गहरे **समुद्र में खनिजों के दोहन के संचालन** को विनियमित करना।
  - **गहरे समुद्र तल से संबंधित गतिविधियों** के हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा।
  - **समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन।**
- **भारत एवं ISA:**
  - 18 जनवरी 2024 को भारत ने हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अन्वेषण के लिये दो आवेदन प्रस्तुत किये।
    - हिंद महासागर कटक (**कार्ल्सबर्ग रिज**) में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड।
    - मध्य हिंद महासागर में **अफानसी-निकितिन सीमाउंट** की **कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनीज़ परतें**।
  - वर्तमान में भारत के पास हिंद महासागर में अन्वेषण के लिये दो अनुबंध हैं।
    - मध्य हिंद महासागर बेसिन और रिज में **पॉलीमेटेलिक नोड्यूल तथा सल्फाइड।**

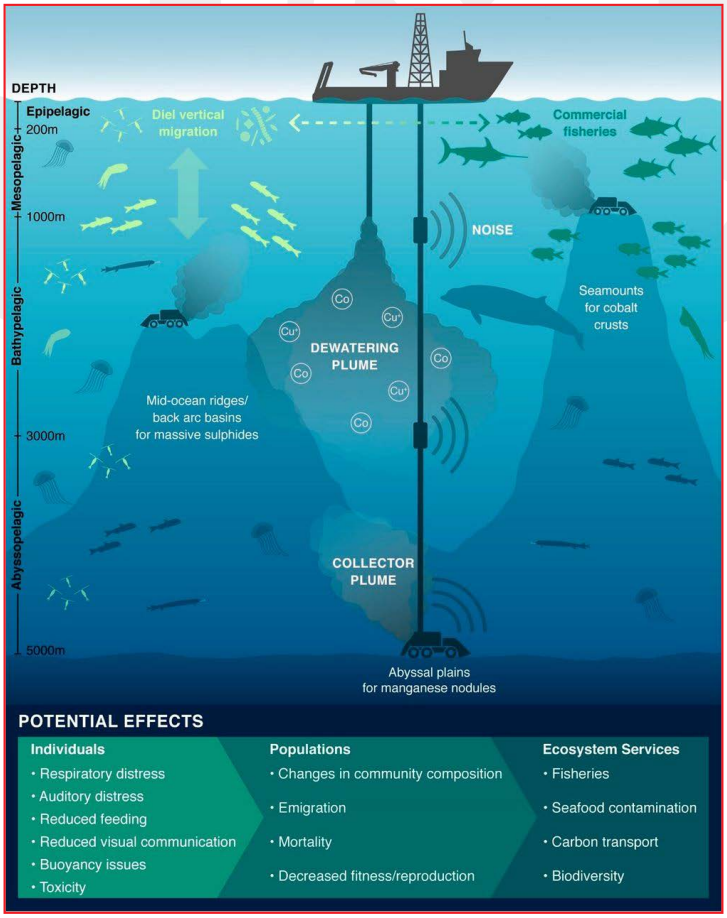

नोट :

सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)

- 'समुद्री कानून संधि', जिसे औपचारिक रूप से समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के रूप में जाना जाता है, को वर्ष 1982 में महासागरीय क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ स्थापित करने के लिये अपनाया गया था।
  - इस अभिसमय में **आधार रेखा से 12 समुद्री मील** की दूरी को **प्रादेशिक समुद्री सीमा** तथा **200 समुद्री मील की दूरी को** अनन्य आर्थिक क्षेत्र **सीमा** के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - इसमें विकसित देशों से अविकसित देशों को प्रौद्योगिकी तथा धन हस्तांतरण का प्रावधान है और साथ ही इसमें शामिल पक्षों से समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये नियमों एवं कानूनों को लागू करने की अपेक्षा भी की गई है।
  - भारत ने **वर्ष 1982 में UNCLOS पर हस्ताक्षर** किये।
- **UNCLOS के तहत तीन नए संस्थान:**
  - **समुद्री कानून पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण:** यह एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना UNCLOS के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले **विवादों को सुलझाने** के लिये की गई है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण:** यह महासागरों के **निर्जीव संसाधनों की खोज एवं दोहन को विनियमित** करने हेतु स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है।
  - **महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं से संबंधित आयोग:** यह 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं की स्थापना के संबंध में **समुद्री कानून (अभिसमय) पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित है।**

SAARC हेतु संशोधित मुद्रा विनिमय ढाँचा

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **वर्ष 2024 से 2027** की अवधि के लिये SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों के संदर्भ में मुद्रा विनिमय हेतु एक संशोधित ढाँचा लागू करने का निर्णय लिया है।

मुद्रा विनिमय ढाँचा:

- **परिचय:**
  - करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय तरलता बनाए रखने के क्रम में दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान हेतु किया गया समझौता या अनुबंध है।
  - केंद्रीय बैंक और सरकारों द्वारा **अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिये अथवा **भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिये** पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने के क्रम में विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय किया जाता है।
    - इन विनिमय समझौतों में **विनिमय दर** या अन्य बाज़ार संबंधी जोखिमों का कोई खतरा नहीं रहता है क्योंकि लेन-देन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित होती हैं।
- **SAARC के लिये स्वैप सुविधाओं हेतु RBI की रूपरेखा:**
  - SAARC मुद्रा विनिमय सुविधा पहली बार 15 नवंबर, 2012 को लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य SAARC देशों की **अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता** आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिये दीर्घकालिक व्यवस्था होने तक वित्तपोषण की बैकस्टॉप लाइन प्रदान करना था।
  - RBI **2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की समग्र निधि के भीतर स्वैप व्यवस्था की पेशकश कर सकता है।
  - स्वैप **अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में किया** जा सकता है। इस ढाँचे में **भारतीय रुपए** में स्वैप के लिये कुछ रियायतें दी गई हैं।
  - यह सुविधा **सभी SAARC सदस्य देशों को उपलब्ध होगी**, बशर्ते वे द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर करें।
- **नए ढाँचे में परिवर्तन:**
  - वर्ष 2024-27 की रूपरेखा के अंतर्गत, भारतीय रुपए में स्वैप समर्थन के लिये विभिन्न रियायतों के साथ एक **अलग INR (भारतीय रुपया) स्वैप विंडो शुरू की** गई है।
    - रुपया समर्थन की कुल **राशि 250 अरब** रुपए है।
  - RBI **2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की समग्र निधि के साथ एक अलग अमेरिकी **डॉलर/यूरो स्वैप** विंडो के तहत **अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था** की पेशकश जारी रखेगा।
- **अन्य द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते:**
  - भारत-जापान
  - भारत-श्रीलंका

नोट :

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)

- **स्थापना:** सार्क की स्थापना **8 दिसंबर 1985** को **ढाका (बांग्लादेश)** में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- **सदस्य देश:** अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका हैं।
- **सचिवालय:** काठमांडू, (नेपाल)
- **उद्देश्य: दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण** को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, तथा अन्य बातों के अतिरिक्त आर्थिक विकास में तीव्रता लाना।

नोट :

नए आपराधिक कानून लागू

हाल ही में औपनिवेशिक युग के **भारतीय दंड संहिता (IPC)**, **दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure- CrPC)** और **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के स्थान पर अधिनियमित किये गए तीन नवीन आपराधिक कानून **भारतीय न्याय संहिता (BNS)**, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)** तथा **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)** 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए।

नए आपराधिक कानून से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **उद्देश्य:** इन नए कानूनों का उद्देश्य **औपनिवेशिक युग के दंडों को** न्याय-केंद्रित दृष्टिकोण से **बदलना** है, जिसमें पुलिस जाँच और अदालती प्रक्रियाओं में **तकनीकी प्रगति** को एकीकृत किया जाएगा।
- **नए अपराध:** इसके नए अपराधों में **आतंकवाद**, **मॉब लिंचिंग (असंयत भीड़ द्वारा हत्या)**, **संगठित अपराध** और महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिये वर्द्धित दंड शामिल हैं।
- **कानूनों के सहज क्रियान्वन के लिये उठाए गए कदम:**
  - राज्यों को **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)** के कुछ प्रावधानों में स्वयं के संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
  - **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** में भी जल्द ही संशोधन किया जाएगा जिसका उद्देश्य पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले **लैंगिक अपराधों** को संबोधित करने के लिये एक धारा शामिल करना है।
    - जब तक इस विसंगति का समाधान करने के लिये संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता, तब तक पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि उन्हें ऐसी ही शिकायतें प्राप्त होती हैं जैसे शारीरिक क्षति और गलत तरीके से बंधक बनाना तो वे BNS के अंतर्गत **अन्य संबद्ध धाराओं** का उपयोग कर सकते हैं।
  - IPC और CrPC **नए कानूनों के साथ ही क्रियान्वित रहेंगे** क्योंकि **कई मामले** अभी भी न्यायालयों में **लंबित हैं** तथा 1 जुलाई 2024 से पहले हुए कुछ अपराध जिनकी रिपोर्ट बाद में की गई है, उन्हें IPC के तहत दर्ज करना होगा।
  - अब **अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS)** के माध्यम से ऑनलाइन **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज की जा सकती है, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता के बिना कई भाषाओं में **ई-FIR** और **ज़ीरो FIR** दर्ज की जा सकती है।
  - सभी राज्यों को नई प्रणाली के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिये **प्रशिक्षण और सहायता** का प्रबंधन किया गया है।
  - गृह मंत्रालय पुलिस द्वारा अपराध स्थल के साक्ष्य रिकॉर्ड करने और उन्हें अपलोड करने के लिये मोबाइल एप **ई-साक्ष्य** का परीक्षण कर रहा है, वहीं विभिन्न राज्यों ने अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी स्वयं की प्रणालियाँ विकसित की हैं।
    - उदाहरण के लिये, **दिल्ली पुलिस** ने **ई-प्रमाण एप्लिकेशन** विकसित की है।
- **नए कानूनों से संबंधित प्रमुख बिंदु:**
  - इन नए कानूनों में छोटे अपराधों के दंड के रूप में **सामुदायिक सेवा** का प्रावधान किया गया है।
  - नवीन कानूनों में **आतंकवादी कृत्य** को भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आशय से या संभावित रूप से किया जाने वाला कृत्य या लोगों को आतंकित करने के आशय से किया जाने वाले कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - नवीन कानूनों में नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक मान्यता पर आधारित **पाँच अथवा उससे अधिक लोगों** द्वारा की गई **मॉब लिंचिंग** के लिये मृत्युदंड या आजीवन कारावास की **सज़ा** का प्रावधान किया गया है।
  - भगोड़े/प्रपलायी अपराधियों की **अनुपस्थिति में मुकदमा** चलाया जा सकेगा।
  - **3 वर्ष तक की सज़ा** संबंधी मामलों में **संक्षिप्त सुनवाई** की जाएगी, जिसका लक्ष्य सत्र न्यायालयों में 40% से अधिक मामलों का समाधान करना है।
  - इन कानूनों में तलाशी और ज़ब्ती के दौरान **वीडियोग्राफी** करना **अनिवार्य** किया गया है। ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई आरोप-पत्र मान्य नहीं होगा।
  - **पहली बार अपराध** करने वाला व्यक्ति, जिसने कारावास की सज़ा का एक तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है, उसे न्यायालय द्वारा **ज़मानत पर रिहा** कर दिया जाएगा।
  - सात या उससे अधिक अवधि के कारावास वाले प्रत्येक मामले में **फोरेंसिक विशेषज्ञों** की सहायता लेना अनिवार्य किया गया है।

नोट :

भारतीय न्याय संहिता, 2023:

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

अन्य संशोधन

- **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरुप जुर्माना)
- **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

विलोपन

- **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरुप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रुप से हटा दी गई
- **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

प्रमुख मुद्दे

- **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरुप नहीं है।
- **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रुप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रुप में शामिल करना।

Drishti IAS

नोट :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में 170 धाराएँ हैं, जिसमें 24 को संशोधित किया गया है, दो को जोड़ा गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की 167 धाराओं में से छह को निरस्त किया गया है।

बरकरार प्रावधान

- कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षकार केवल स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यदि साक्ष्य, दी गई परिस्थितियों में उचित कार्रवाई का समर्थन करता है तो न्यायालय द्वारा साबित तथ्यों को स्वीकार किया जाए।
- पुलिस की स्वीकारोक्ति आम तौर पर तब तक अस्वीकार्य होती है, जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किया जाए।

प्रमुख बदलाव

- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेज़ों के समान कानूनी दर्जा
  - मेमोरी और संचार उपकरणों में संग्रहीत डेटा को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
- मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति
  - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है
- संयुक्त मुकदमे का अर्थ है, एक ही अपराध के लिये एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना
  - कई व्यक्तियों का मुकदमा, जहाँ एक आरोपी ने गिरफ्तारी वॉरंट का जवाब नहीं दिया है, उसे संयुक्त मुकदमा माना जाएगा

प्रमुख मुद्दे

- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड:**
  - तलाशी, ज़ब्ती और जाँच प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के संबंध में चिंताएँ
  - सामान्यतः दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार्य होने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया जाए
    - अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेज़ों (जिन्हें प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती) के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है
- **SC और विधि आयोग के सुझाव का बहिष्कार:**
  - दबाव और यातना के बारे में चिंताएँ क्योंकि अधिनियम में एक नियम दिया गया है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग किया जा सकता है यदि यह सीधे किसी खोजे गए तथ्य से संबंधित है
  - हिरासत में किसी को चोट लगने पर पुलिस की ज़िम्मेदारी की धारणा का बहिष्कार

Drishti IAS

नोट :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023

BNSS ने CrPC 1973 को प्रतिस्थापित किया है और इसमें 531 धाराएँ हैं जिनमें 177 धाराएँ संशोधित की गईं, 9 नई धाराएँ जोड़ी गई और 14 धाराएँ निरस्त की गई हैं।

मुख्य प्रावधान

- **न्यायालयों का पदानुक्रम:** मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया
- **इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग:** जाँच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में
- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिये व्यक्तिगत ज़मानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **गिरफ्तारी का विकल्प:** किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है; इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है।
- **सामुदायिक सेवा की परिभाषा:** 'वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिये वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।'
- **शब्दावली का प्रतिस्थापन:** अधिकांश प्रावधानों में "मानसिक बीमारी" का स्थान "विकृत चित्त" ने ले लिया है
- **दस्तावेज़ीकरण प्रोटोकॉल:** वारंट के साथ/बिना तलाशी के लिये अनिवार्य ऑडियो-वीडियो दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है
- **प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा:** विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा निर्धारित करता है
  - जैसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना
- **चिकित्सा परीक्षण:** कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है
- **नमूना संग्रह:** मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट (specimen signatures) आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **फोरेंसिक जांच:** ≥ 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिये अनिवार्य
- **FIR पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएँ:**
  - ज़ीरो FIR दर्ज करने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन को इसे आगे की जाँच के लिये क्षेत्राधिकार के अनुसार उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा
  - FIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी
- **पीड़ित/सूचनाकर्त्ता के अधिकार**
  - पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।
  - राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी

प्रमुख मुद्दे

- शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है
- यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जाँच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती है
- उच्चतम न्यायालय के फैसलों और NHRC दिशानिर्देशों के विपरीत, गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है
- एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है
- भारत में प्ली बार्गेनिंग को सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है
- संपत्ति जब्त करने की शक्ति का विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी किया गया है
- कई प्रावधान मौजूदा कानूनों से मेल खाते हैं
- BNSS2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित CrPC प्रावधानों को बरकरार रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिये या अलग से संबोधित किया जाना चाहिये।

Drishti IAS

नोट :

सरकार द्वारा की गई संबंधित पहल

- न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिये राष्ट्रीय मिशन
- AI पोर्टल SUPACE
- पुलिस योजना का आधुनिकीकरण
- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023
- भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस **(International Asteroid Day) 30 जून को वर्ष 1908 में हुई तुंगुस्का घटना (Tunguska Event) की स्मृति में मनाया** जाता है और इसका उद्देश्य क्षुद्रग्रहों के प्रभाव के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

तुंगुस्का घटना क्या है ?

- **परिचय:**
  - तुंगुस्का घटना **साइबेरिया में एक क्षुद्रग्रह विस्फोट के कारण** हुई थी, जिसके कारण **830 वर्ग मील** क्षेत्र में 80 मिलियन वृक्ष नष्ट हो गए थे।
  - दूरस्थ स्थान होने के कारण विस्फोट में न्यूनतम जनहानि हुई लेकिन इसकी लहर सैकड़ों मील दूर तक महसूस की गई।
- **संयुक्त राष्ट्र मान्यता:**
  - ग्रहों की सुरक्षा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया गया था।
  - राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) ने कहा कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट **(Near-Earth Objects- NEO)** का पृथ्वी से टकराव एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवीय तौर पर रोका जा सकता है।
- **नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की निगरानी से संबंधित पहल क्या हैं:**
  - दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण (DART) मिशन
  - ESA का हेरा मिशन
  - नेत्रा परियोजना और अंतरिक्ष मलबा

नोट:

- इस ग्रह पर अतीत में हुए उन प्रभावों के साक्ष्य मौजूद हैं जिनके परिणाम भयावह रहे।
  - मेक्सिको में **65 मिलियन वर्ष पहले एक क्षुद्रग्रह के प्रभाव से निर्मित चिक्सुलब क्रेटर, डायनासोर और पृथ्वी की 75% प्रजातियों के विलुप्त** होने से जुड़ा हुआ है।
  - वर्ष 2013 में एरिजोना में उल्का क्रेटर और रूस में चेल्याबिंस्क घटना।

क्षुद्रग्रह क्या है ?

- **परिचय:**
  - क्षुद्रग्रह, जिन्हें **लघु ग्रह** भी कहा जाता है, लगभग **4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल** के निर्माण के प्रारंभिक चरण के अवशेष हैं।
  - वे मुख्यत: **अनियमित आकार प्रदर्शित** करते हैं, हालाँकि कुछ लगभग **गोलाकार आकार** भी प्रदर्शित करते हैं।
  - कई क्षुद्रग्रहों के साथ **छोटे चंद्रमा** भी होते हैं, कुछ के तो दो चंद्रमा भी होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **द्वि-क्षुद्रग्रहों में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले दो समान आकार** के चट्टानी पिंड शामिल होते हैं तथा त्रि-क्षुद्रग्रह प्रणालियाँ भी होती हैं।
- **क्षुद्रग्रहों का वर्गीकरण:**
  - **मुख्य क्षुद्रग्रह पेटी:** अधिकांश क्षुद्रग्रह **मंगल और बृहस्पति** के बीच स्थित क्षुद्रग्रह पेटी में पाए जाते हैं।
  - **ट्रोजंस (Trojans):** ये क्षुद्रग्रह एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं, लेकिन इसके साथ टकराते नहीं हैं क्योंकि वे कक्षा में लगभग दो विशेष स्थानों **(L4 और L5 लैग्रैन्जियन पॉइंट्स)** के आस-पास एकत्रित होते हैं, जहाँ सूर्य और ग्रहों के बीच संतुलित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है।
    - यह विन्यास बड़े ग्रह के साथ टकराव को रोकता है।
  - **नियर अर्थ ऑब्जेक्ट:** इन ऑब्जेक्ट्स की कक्षाएँ पृथ्वी के करीब होती हैं। क्षुद्रग्रह जो वास्तव में पृथ्वी के कक्षीय पथ को पार करते हैं, **उन्हें 'अर्थ-क्रॉसर्स' (Earth-crossers) के रूप** में जाना जाता है।

नोट :

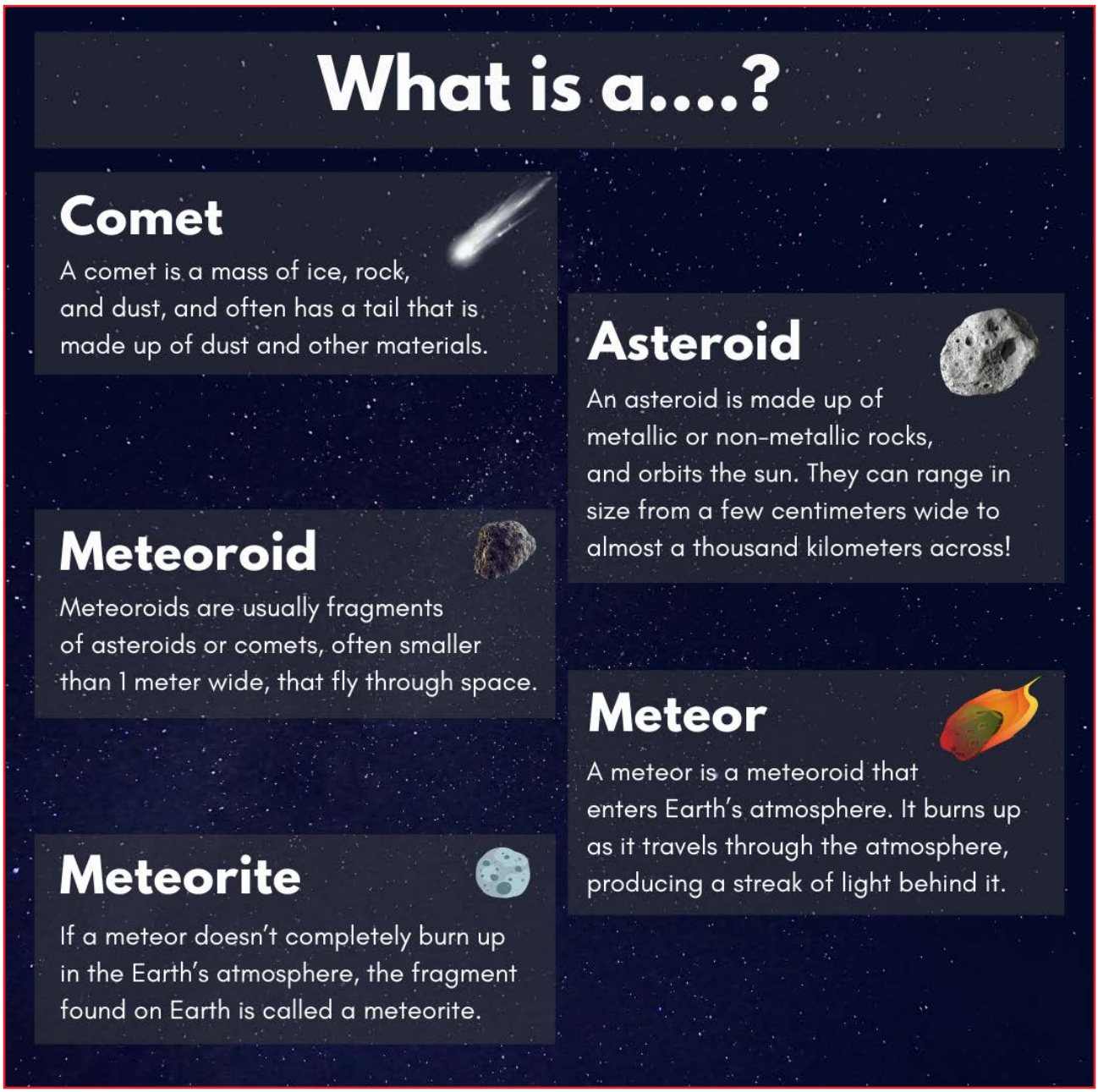

BIS का प्रोजेक्ट नेक्सस

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) **प्रोजेक्ट नेक्सस (Project Nexus)** में शामिल हो गया है, जो **घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (Fast Payments Systems- FPS) को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा** पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिये एक **बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल** है।

प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है ?

- **परिचय:**
  - **प्रोजेक्ट नेक्सस** की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (Bank for International Settlements- BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है।

नोट :

- इसका उद्देश्य विभिन्न वैश्विक घरेलू **त्वरित भुगतान प्रणालियों** (Instant Payment Systems- IPS) को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ाना है।
- यह भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाली **पहली BIS इनोवेशन हब परियोजना** है।

- **सदस्य:**
  - प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य **दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN)** के चार देशों अर्थात् **मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत** के FPS को जोड़ना है, जो इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य तथा प्रथम प्रस्तावक देश होंगे।
    - भविष्य में **इंडोनेशिया** भी इस मंच से जुड़ जाएगा।
  - इस संबंध में एक समझौते पर **स्विट्ज़रलैंड के बासेल में BIS और संस्थापक देशों** के केंद्रीय बैंकों द्वारा हस्ताक्षर किये गए।
- **लाभ:**
  - प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य IPS को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के तरीके को सुव्यवस्थित करना है, तथा एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्शनों को केंद्रीकृत करके प्रत्येक **नए देश के साथ कस्टम कनेक्शन की आवश्यकता** को समाप्त करना है।
  - यह **एकल कनेक्शन तीव्र भुगतान प्रणाली को नेटवर्क पर अन्य सभी देशों तक पहुँचने** की अनुमति देता है।
    - BIS के अनुसार, IPS को जोड़ने से प्रेषक से प्राप्तकर्त्ता तक **60 सेकंड के भीतर (अधिकांश मामलों में)** सीमा पार भुगतान संभव हो सकता है।
  - जबकि भारत तथा उसके साझेदार **देश FPS की द्विपक्षीय संचार माध्यम से लाभान्वित** होते रहेंगे, बहुपक्षीय दृष्टिकोण भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुँच का विस्तार करने में RBI के प्रयासों को और अधिक गति प्रदान करेगा।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) UPI को क्रॉस-बॉर्डर **पर्सन टू पर्सन (P2P) और पर्सन टू मर्चेंट (P2M) भुगतानों के लिये उनके संबंधित FPS से जोड़ने हेतु विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग** प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिये भूटान, UAE, फ्राँस, श्रीलंका, मॉरीशस।

- **वर्ष 1930 में स्थापित BIS का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है, जो दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 95% योगदान है।**
- इसका मुख्य कार्यालय **बेसल, स्विट्ज़रलैंड** में है और इसके दो प्रतिनिधि कार्यालय (हांगकांग SAR तथा मैक्सिको सिटी) हैं, साथ ही दुनिया भर में इनोवेशन हब सेंटर भी हैं।
- **इनोवेशन BIS 2025,** इसकी **मध्यम अवधि की रणनीति** है जो तेज़ी से बदलती दुनिया में केंद्रीय बैंकिंग समुदाय की सेवा करने के लिये प्रौद्योगिकी और नए सहयोग माध्यमों का लाभ उठाती है।
- बेसल बैंकिंग समझौते, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) द्वारा निर्धारित वैश्विक नियम हैं, जो स्विट्ज़रलैंड के बेसल में **अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)** के अंतर्गत कार्य करते हैं, और बैंकिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
- यह केंद्रीय बैंकों को उपलब्ध कराता है:
  - संवाद एवं व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक मंच
  - उत्तरदायित्वपूर्ण नवाचार एवं ज्ञान-साझाकरण के लिये एक मंच
  - मुख्य नीतिगत मुद्दों पर गहन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि
  - मज़बूत एवं प्रतिस्पर्द्धी वित्तीय सेवाएँ

नोट :

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली

डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का अर्थ है डिजिटल डिवाइस या चैनल (बैंक ट्रांसफर, मोबाइल मनी, क्यूआर कोड आदि) का उपयोग करके एक भुगतान खाते से दूसरे भुगतान खाते में धन स्थानांतरित करना।

NPCI द्वारा भुगतान प्रणाली

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) खुदरा भुगतान हेतु एक व्यापक इकाई है (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007)।

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)

- खुदरा ग्राहकों के लिये
- **सीमा-** ₹1-5 लाख (शुल्क+जीएसटी)
- 24/7(तत्काल निपटान)
- **प्रदाता:** बैंक, पीपीआई, मोबाइल वॉलेट कंपनियाँ

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

- IMPS आधारित डिजिटल भुगतान ऐप के लिये प्रौद्योगिकी
- पुश एवं पुल हस्तांतरण
- फ्राँस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया
- **UPI-Lite+NFC:** ऑफलाइन भुगतान के लिये
- **BHIM-UPI:** धन हस्तांतरण ऐप

रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे (RuPay)

- **3 चैनलों में काम करता है: -** एटीएम, प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस, ऑनलाइन पोर्टल
- PMJDY के साथ निशुल्क दिया जाता है
- विदेशों में भी अपनाया गया (जैसे मॉरीशस)

विभिन्न पहलें

- भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) और यूनिफाइड प्रेज़ेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम (UPMS)
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC)
- PAI चैटबॉट (एआई आधारित क्वेरी रिज़ॉल्यूशन)
- भारत QR
- ई-रूपी (e-RUPI)
- आधार पेमेंट ब्रिज (APB) प्रणाली
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)

RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS)

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS)

- उच्च मूल्य के हस्तांतरण हेतु
- **निम्न सीमा:** ₹2 लाख (कोई ऊपरी सीमा नहीं) (कोई शुल्क नहीं)
- 24/7 (तत्काल निपटान)
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (LPSS)

- NEFT/RTGS के लिये RBI का आपातकालीन विकल्प
- अस्थायी, पोर्टेबल समाधान

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)

- मध्यम-श्रेणी के हस्तांतरण हेतु
- RBI द्वारा कोई सीमा नहीं (कोई शुल्क नहीं)
- 24/7 (30 मिनट के अंतराल पर बैंकों के बीच सकल राशि का निपटान)
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

डिजिटल भुगतान नियामक निकाय/सूचकांक

- डिजिटल हस्तांतरण लोकपाल
- भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)

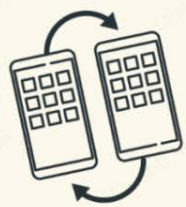

Drishti IAS

नोट :

भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना के संबंध में अनिश्चितता

हाल ही में जनगणना के लिये **प्रशासनिक सीमाएँ तय करने की समय-सीमा समाप्त हो गई**, लेकिन नई तिथि की घोषणा नहीं की गई। इस प्रकार जनगणना की प्रक्रिया के समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

DECENNIAL POPULATION CENSUS

A process of collecting, compiling, analysing and disseminating demographic, economic and social data (at a specific time) of all persons in a country.

BRIEF HISTORY

- Earliest mentions: ***Rigveda*** (800-600 BC), ***Arthashastra*** (300 BC) & ***Ain-i-Akbari (16th century)***
- 1st Non-synchronous Census (held in a few places): ***1872*** under **Gov. Gen. Lord Mayo**
- 1st Synchronous Census (held all over British India): **1881** by **W.C. Plowden** (Census Commissioner of India) under **Lord Ripon**

RESPONSIBLE BODY

- Until 1951, Census Organisation was set up on an ad-hoc basis for each Census
- Since 1951, Office of the ***Registrar General and Census Commissioner*** (MHA)

LEGAL BACKING

- A Union list subject under **Article 246**
- Conducted under **Census Act (CA), 1948**

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION COLLECTED

- Guaranteed under CA 1948
- Information not even accessible to the courts of law

SIGNIFICANCE

- Largest single source of statistical information about people of India
- Used for good governance purposes
- Demarcation of constituencies & representation in Legislature

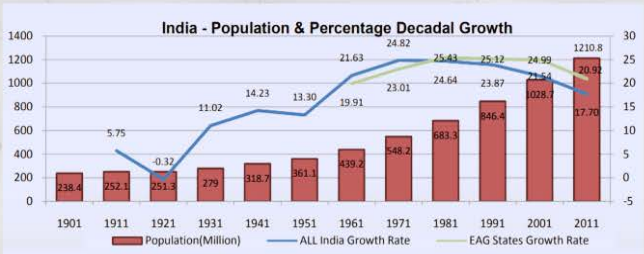

Census	Major Event
5th (1921)	Only census to witness a decadal population decline (0.31%) Hence, called the year of **"The Great Divide"**
11th (1971)	Added information on fertility for currently married women
13th (1991)	**Concept of literacy changed** to children aged 7+ (previously 4+)
14th (2001)	Leap in tech front; usage of **Intelligent Character Reading (ICR)**
15th (2011)	Notable fall in case of **Empowered Action Group (EAG) States** noticed first time

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

ABOUT

- Conducted in **2011** for the **first time since 1931**

COMPONENTS

- **Economic status** (to define a poor/deprived person)
- **Specific caste** (to evaluate caste groups that are economically worse/better off)

CONSTITUTIONAL BACKING

- **Article 340** mandates the **appointment of a commission** to investigate the conditions of socially/educationally backward classes

Census v/s SECC

- SECC **identifies beneficiaries** of state support (Census - national population data)
- SECC **data open for use** by govt depts (Census data - confidential)

SIGNIFICANCE

- Better inequality mapping
- Quantifiable data to support existing reservation levels

SOME KEY FINDINGS OF SECC 2011

- Total Households - 24.49 crore
  - Rural - 17.97 crore
  - SC/ST Households - 3.87 crore (21.56%)
- Households with no literate adult (age >25) - 23.5%

Drishti IAS

नोट :

भारत में जनगणना कार्य के संबंध में नवीनतम अपडेट क्या हैं?

- **समय-सीमा विस्तार:** जनगणना के लिये आवश्यक प्रशासनिक सीमाओं को निर्धारित करने की समय **सीमा दिसंबर 2020 से नौ बार बढ़ाई जा चुकी** है।
- **हाल के विस्तार का प्रभाव:**
  - **जनगणना समयरेखा पर:**
    - इस विस्तार से जनगणना की शुरुआत कम-से-कम **1 अक्तूबर, 2024** तक स्थगित हो गई है, क्योंकि इस कार्य के लिये गणनाकर्त्ताओं को तैयार करने में आमतौर पर तीन महीने लगते हैं। स्पष्टता की यह कमी जनगणना कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता को बढ़ाती है।
  - **महिला आरक्षण अधिनियम पर:**
    - महिला आरक्षण का कार्यान्वयन, **जिसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित हैं,** जनगणना तथा उसके बाद होने वाले परिसीमन **कार्य** के पूरा होने पर निर्भर करता है।
    - **आरक्षण लागू करने से पहले नई जनगणना के आँकड़ों** के आधार पर परिसीमन आवश्यक है।
- **अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करना:**
  - कुछ **राजनीतिक दलों** ने **आगामी जनगणना प्रक्रिया** में जाति जनगणना को शामिल करने की मांग की है। यह मांग भारतीय समाज में सामाजिक वर्गीकरण और प्रतिनिधित्व पर व्यापक चर्चा को रेखांकित करती है।

जनगणना क्या है?

- **ऐतिहासिक संदर्भ और आवृत्ति:**
  - भारत की पहली समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में **भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त डब्ल्यू. सी. प्लोडेन के नेतृत्व** में हुई थी। तब से यह बिना किसी रुकावट के हर दशक में आयोजित की जाती रही है।
  - यद्यपि भारत की **जनगणना अधिनियम, 1948 कानूनी ढाँचा** प्रदान करता है, लेकिन यह अनिवार्य आवृत्ति निर्दिष्ट नहीं करता।
    - दशकीय पैटर्न एक संवैधानिक आवश्यकता के बजाय एक परंपरा है।
    - **गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त** का कार्यालय, इस दशकीय गणना कार्य के संचालन की ज़िम्मेदारी देखता है।
- **उद्देश्य:**
  - जनगणना देश की **जनसंख्या का एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध** कराती है, जो प्रगति की समीक्षा, सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन तथा भावी पहलों की योजना बनाने के लिये आधार का काम करती है।
- **प्रविधि:** गणना **दो मुख्य चरणों** में की जाती है:
  - **मकान सूचीकरण तथा मकान गणना (Houselisting/Housing Census):** इस प्रारंभिक चरण में देश की सभी अवसंरचनाओं का विवरण दर्ज किया जाता है, जिसमें उनके प्रकार, उपलब्ध सुविधाएँ और मौजूदा परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।
  - **जनसंख्या गणना:** यह अधिक व्यापक चरण देश में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी राष्ट्रीयता भारतीय से भिन्न हो, के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करता है।
- **वैश्विक परिप्रेक्ष्य:**
  - भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के गणना के लिये एक ही प्रकार के 10-वर्षीय चक्र का पालन किया जाता है जबकि **ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान** जैसे कुछ देश **प्रत्येक पाँच वर्ष में गणना करते हैं।**

जनगणना डेटा 2011

- **जनसंख्या:** वर्ष 2011 में **17.7%** की वृद्धि के साथ जनसंख्या **1.21 बिलियन** हो गई, जिसमें महिलाओं की वृद्धि पुरुषों की वृद्धि से अधिक रही।
- **साक्षरता:** साक्षरता दर बढ़कर **73%** हुई, जिसमें महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की तुलना में अधिक रही।
- **जनसंख्या घनत्व:** जनसंख्या घनत्व बढ़कर **382 व्यक्ति प्रति वर्ग** किलोमीटर हुआ।
- **लिंग अनुपात:** सुधार के साथ यह 940 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हुआ।
- **धार्मिक जनसांख्यिकी:** 79.8% जनसंख्या हिंदू तथा मुस्लिम जनसंख्या **14.23%**।
- **नई श्रेणी:** इसमें एक "कोई धर्म नहीं" नामक विकल्प पेश किया गया, जिसका चयन 0.24% लोगों ने किया।

नोट :

CCPA और लंबित मामले

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority- CCPA) ने एक **एडटेक प्लेटफॉर्म (Edtech Platform)** के विज्ञापन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत **"झूठा और भ्रामक"** पाया गया।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) क्या है ?

- **परिचय:**
  - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 की **धारा 10** के तहत स्थापित **नियामक निकाय** है, यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।
    - यह **अधिनियम CCPA को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने तथा उपभोक्ता अधिकारों** की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।
  - यह उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य** करता है।
- **CPA अधिनियम की धारा 21:**
  - CPA, 2019 की **धारा 21 CPA को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ निर्देश और दंड** जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। यह भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा, CPA की शक्तियाँ और दंड **(2 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना)** प्रदान करता है।
- **उपभोक्ताओं को लाभ:**
  - **सूचित उपभोक्ता:** CCPA भ्रामक विपणन को रोककर सूचित उपभोक्ता निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
  - **पारदर्शी विज्ञापन:** CCPA हस्तक्षेप सत्य विज्ञापन प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं
  - **विश्वसनीय दावे:** CCPA भ्रामक दावों को हतोत्साहित करता है, जिससे उपभोक्ता का विश्वास बढ़ता है।
  - **निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा:** यह भ्रामक दावों के बजाय उत्पाद की योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करता है।

केस स्टडी

छुट्टियों के निलंबन के माध्यम से उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करना:

- **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission)** और **राज्य उपभोक्ता आयोगों** ने पारंपरिक ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रथाओं (Practices) को निलंबित करके लंबित मामलों के निपटान के लिये काम किया है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - **CCPA की स्थापना (जुलाई 2020)** के बाद से 415,104 मामले दर्ज किये गए हैं और 440,971 मामलों का निपटारा किया गया है, जो सकारात्मक रुझान दर्शाता है।
    - हालाँकि दिसंबर 2022 तक उपभोक्ता आयोगों के समक्ष **555,000 मामले लंबित** हैं।
- **बैकलॉग के बारे में:**
  - **वर्ष 2022 में** NCDRC ने राज्य उपभोक्ता आयोगों के लिये **गर्मियों की छुट्टियों को स्थगित करना शुरू कर दिया।**
  - NCDRC ने **CCPA** के प्रावधानों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि **सभी आयोगों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश अनुसूची का पालन करना चाहिये** और किसी भी राज्य कार्यालय में **गर्मियों की छुट्टी** का कोई प्रावधान नहीं है।
- **प्रभाव और परिणाम:**
  - वर्ष 2022 में, NCDRC को **3,420 मामले प्राप्त हुए** और **4,138 मामलों का समाधान** किया गया, जबकि **2021 में 2,449 मामले** प्राप्त हुए तथा 2,011 मामलों का समाधान किया गया।
  - वर्ष 2023 में, NCDRC को **5,276 मामले** प्राप्त हुए और **6,422 मामलों का समाधान** किया गया, जिससे लंबित मामलों में और कमी आई।
  - मई 2024 तक उपभोक्ता आयोगों ने **70,576 मामलों का समाधान** किया है, जबकि **69,615 मामले दायर किये** गए हैं, जो लंबित **मामलों के निपटान** में सकारात्मक रुझान दर्शाता है।

नोट :

केस स्टडी

- **ई-कोर्ट** की शुरुआत ने उपभोक्ता विवाद निवारण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने में भी योगदान दिया है।

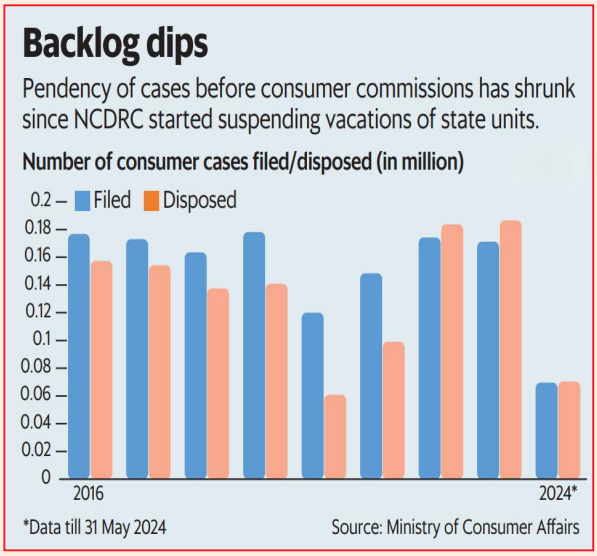

नोट:

- उपभोक्ता फोरम को ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, दावे के मूल्य के आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  - **50 लाख रुपए तक के दावों के लिये** ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (**DCDRC**)।
  - **50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच के दावों के लिये** राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (**SCDRC**)।
  - **2 करोड़ रुपए से अधिक के दावों के लिये** राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (**NCDRC**)।

उपभोक्ता संरक्षण हेतु पहल क्या हैं ?

- उपभोक्ता कल्याण कोष
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद
- उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसंबर)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (**National Security Adviser- NSA**) राजिंदर खन्ना को **अतिरिक्त NSA** नियुक्त किया गया है। यह प्रथमत: है जब अतिरिक्त NSA के पद पर नियुक्ति की गई है। यह ऐसा पद है जो हमेशा से मौजूद था किंतु अभी तक इस पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी।

- इसके अतिरिक्त आसूचना ब्यूरो (**Intelligence Bureau**) के विशेष निदेशक टी.वी.रविचंद्रन को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संगठनात्मक संरचना क्या है ?

- **गठन:** NSC का गठन वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किये जाने के बाद किया गया था। यह भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिये सर्वोच्च निकाय है।
  - NSC के गठन से पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्य **प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव** द्वारा किये जाते थे।
  - यह त्रीस्तरीय संरचना यानी **सामरिक नीति समूह (Strategic Policy Group- SPG)**, **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board- NSAB)** और **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat- NSCS)** के तहत कार्य करता है।
- **NSC की त्रिस्तरीय संरचना:**
  - **सामरिक नीति समूह (SPG):** SPG की अध्यक्षता **मंत्रिमंडल सचिव** करते हैं, जिसमें नीति-निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिये उत्तरदायी वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं
    - इसमें सशस्त्र बलों, आसूचना ब्यूरो और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) के प्रमुख शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य NSC को नीतिगत सिफारिशें करना है।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB):** इसमें वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षाविद् और नागरिक समाज के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

नोट :

- यह राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर NSC को **दीर्घकालिक विश्लेषण और नीति सिफारिशें** प्रदान करता है, जिसमें आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा, विदेशी मामले, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक मामले जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS):** इसकी देख-रेख प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इसका संचालन **NSA के सचिव द्वारा** किया जाता है तथा यह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिये सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।

- **प्रमुख:** NSC का नेतृत्व **भारत के प्रधानमंत्री** करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, NSC के सचिव और प्रधानमंत्री के प्राथमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। **NSC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।**
  - **अजीत डोभाल** वर्तमान NSA हैं, जो तीसरी बार सेवा दे रहे हैं। वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक रहा है। **ब्रजेश मिश्रा देश के पहले NSA थे।**
  - भारत में **मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet- ACC)** शीर्ष सरकारी पदों पर नियुक्ति करती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं।
    - समिति वरिष्ठ सरकारी नियुक्तियों के प्रस्तावों पर विचार करती है तथा **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार** जैसे पदों पर निर्णय लेती है।
- **NSC सदस्य:** NSC के अतिरिक्त इसमें **उप NSA** और **अतिरिक्त NSA**, भारत सरकार के रक्षा, विदेश, गृह एवं वित्तमंत्री तथा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था **(National Institution for Transforming India- नीति आयोग)** के उपाध्यक्ष शामिल हैं। इसमें आवश्यकतानुसार मासिक बैठकों में अतिरिक्त अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

एपिलेप्सी (मिर्गी) के उपचार के लिये DBS ब्रेन इम्प्लांट सर्जरी

हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाला एक किशोर दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है, जिसे **मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने** में सहायता के लिये **मस्तिष्क प्रत्यारोपण** उपकरण लगाया गया है।

- **डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS)** डिवाइस को उसकी मस्तिष्क में स्थापित किया गया, जिससे दिन में होने वाले दौरे में 80% की कमी आई।

मिर्गी विकार क्या है?

- **मिर्गी के बारे में:**
  - एपिलेप्सी (मिर्गी) एक **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, इसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य** हो जाती है, जिससे **दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएँ और कभी-कभी अभिज्ञता संबंधी हानि** होती है
- **कारण:**
  - यह मस्तिष्क में **असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण** होता है।
  - लगभग 50% मामलों में इस बीमारी का कोई पहचान योग्य कारण नहीं होता है। हालाँकि **सिर में चोट, मस्तिष्क में ट्यूमर, मेनिन्जाइटिस जैसे कुछ संक्रमण या यहाँ तक कि आनुवंशिक भी** मिर्गी का कारण बन सकती है
  - यह **छोटे बच्चों और वृद्धों में अधिक** सामान्य है। यह **महिलाओं की तुलना में पुरुषों में थोड़ा अधिक** होता है।
- **मिर्गी का उपलब्ध उपचार:**
  - **दौरा-रोधी दवाएँ:** ये उपचार की पहली पंक्ति हैं, जिनका उद्देश्य दौरे की आवृत्ति एवं गंभीरता को नियंत्रित करना है।
  - **कीटोजेनिक आहार: उच्च वसा, कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार उल्लेखनीय रूप से प्रभावी** हो सकता है, विशेष रूप से दवा-प्रतिरोधी मिर्गी वाले बच्चों में।
  - **मिर्गी उपचार हेतु सर्जरी:** डॉक्टर **मस्तिष्क की सर्जरी करके मस्तिष्क के उस हिस्से को हटा सकते हैं जहाँ से दौरे शुरू** होते हैं।
  - **कॉर्पस कैलोसोटॉमी:** इस **शल्य प्रक्रिया में डॉक्टर कॉर्पस कैलोसम (मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला भाग) को हटा देते** हैं, जो असामान्य विद्युत संकेतों को मस्तिष्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने की अनुमति नहीं देता है, जिससे असामान्य विद्युत निर्वहन फैलने से रुक जाता है और दौरे पड़ने से रोकता है।

नोट:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन **(World Health Organisation- WHO)** ने **मिर्गी को एक तंत्रिका संबंधी विकार** के रूप में मान्यता दी है।
- **वर्ष 2022 के लैंसेट अध्ययन** के अनुसार, भारत में मिर्गी की व्यापकता **प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 3 से 11.9 मामलों** तक है।
- अनेक एंटी-सीजर दवाओं की उपलब्धता के बावजूद, लगभग **30% रोगी उपचार के प्रति प्रतिरोधी बने** रहते हैं।

मिर्गी के इलाज के लिये DBS ब्रेन इम्प्लांट तकनीक क्या है?

- **परिचय:**
  - **डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (Deep Brain Stimulation- DBS)** में इलेक्ट्रोड युक्त एक **चिकित्सा उपकरण प्रत्यारोपित किया** जाता है, जो दौरे से जुड़े विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों में हल्की विद्युत धारा पहुँचाता है।
  - DBS को **दवा-प्रतिरोधी मिर्गी के रोगियों के लिये** माना जाता है, जहाँ पारंपरिक दवाओं से दौरों पर नियंत्रण नहीं हो पाता।
  - **मस्तिष्क के ऊतकों को हटाने वाली सर्जरी** के विपरीत, **DBS अधिक लक्षित दृष्टिकोण प्रदान** करता है जिसके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं।

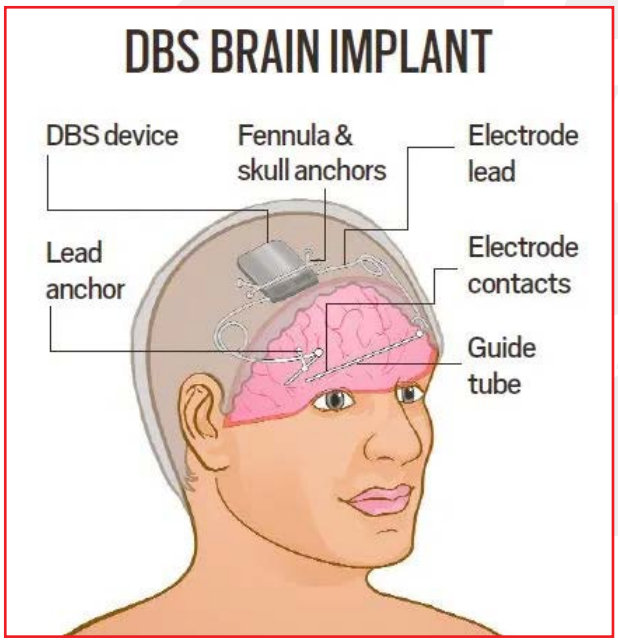

- **प्रक्रिया:**
  - यह उपकरण एक **न्यूरोस्टिम्यूलेटर** है जो **मस्तिष्क में असामान्य दौरा पैदा करने वाले संकेतों** को बाधित या अवरुद्ध करने के लिये **मस्तिष्क को लगातार विद्युत आवेग प्रदान** करता है।
  - इसके अंतर्गत मस्तिष्क में **दो इलेक्ट्रोड** अंतर्स्थापित किये गए, जो **थैलेमस** तक पहुँचते हैं। थैलेमस पेशीय और संवेदी सूचना के लिये एक प्रसारण स्टेशन की भूमिका निभाता है। इसमें इलेक्ट्रोड न्यूरोस्टिम्यूलेटर डिवाइस से जुड़े होते हैं।
  - इस डिवाइस को हेडफोन का उपयोग करके **बेतार** तरीके से **रिचार्ज किया जा सकता है।**
- **लाभ:**
  - **दौरे का प्रभावी नियंत्रण:** यह कुछ रोगियों में **दौरे की आवृत्ति को** लगभग **40% तक कम करने** में मदद करता है।
  - **काम्प्लेक्स मिर्गी के लिये विकल्प:** यह उन रोगियों जिनमें मिर्गी **मस्तिष्क के विभिन्न भागों** से उत्पन्न होती है, के लिये एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में **सर्जरी मुश्किल अथवा अव्यावहारिक** होती है।
  - **उपचार-प्रतिरोधी मामले:** यह उन मामलों जिनमें औषधि और आहार में बदलाव जैसे परंपरागत विधियाँ दौरे को नियंत्रित करने में विफल रहती हैं, के लिये एक प्रभावी विकल्प हो सकता है।
- **सीमाएँ:**
  - DBS, मिर्गी का **स्थाई उपचार नहीं** है।
  - इसकी कुल लागत लगभग 17 लाख रुपए हो सकती है जो इसे महँगा बनाता है
  - DBS की **प्रभावकारिता दर** सुव्यवस्थित सर्जिकल विकल्पों की अपेक्षा **कम** है। **मस्तिष्क की सर्जरी** से लगभग 90% उपयुक्त मामलों में दौरे से मुक्ति मिल सकती है।

न्यूरालिंक (न्यूरोटेक्नोलॉजी संबंधी अमेरिकी कंपनी): न्यूरालिंक के मस्तिष्क प्रत्यारोपण का उद्देश्य **अभिघातक चोट वाले रोगियों** को अपने विचारों की सहायता से ही कंप्यूटर को नियंत्रित करने में मदद करना है।

- इसका उद्देश्य पार्किंसंस रोग जैसी स्थितियों को संबोधित करके **मानव की क्षमताओं** में महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि करना है।

ब्रेनोवेयर: यह **मस्तिष्क के ऑर्गेनोइड्स** को **माइक्रोइलेक्ट्रोड** के साथ एकीकृत करता है और इसका उपयोग **मानव मस्तिष्क के विकास** और **मस्तिष्क से संबंधित व्याधियों** का अध्ययन करने के लिये किया जा सकता है।

भारत ने 2024 का T-20 वर्ल्ड कप जीता

हाल ही में भारत ने बारबाडोस में आईसीसी T-20 विश्व कप जीतकर वर्ष 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपना **ICC खिताब हासिल किया।**

- इस जीत को प्रमुख **आईसीसी टूर्नामेंटों में सूखे के अंत के रूप** में देखा गया।

नोट :

पिछले कुछ वर्षों में T-20 विश्व कप का सफर कैसा रहा है?

- **परिचय:**
  - T-20 विश्व कप पहली बार वर्ष 2007 में खेला गया था, यह एक **अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप** है, जो आमतौर पर **प्रत्येक दो वर्ष में एक बार** आयोजित की जाती है।
  - T-20 विश्व कप वर्ष 2007 में 12 टीमों की प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ था, इसे वर्ष 2014 के संस्करण से **16 टीमों तक बढ़ा** दिया गया था।
  - वर्ष 2024 के संस्करण में चार समूहों में **20 टीमों** ने भाग लिया।
- **भारत का प्रदर्शन:**
  - भारत ने **महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में फाइनल में पाकिस्तान** को हराकर दक्षिण अफ्रीका में **पहला पुरुष T-20 विश्व कप** जीता।
  - भारत वर्ष **2014 में फाइनल में श्रीलंका से हारकर उपविजेता** रहा था।
- **विजेता:**
  - **दो T-20 विश्व कप जीतने वाली टीमें:**
    - भारत (2007 और 2024)
    - वेस्टइंडीज़ (2012 और 2016)
    - इंग्लैंड (2010 और 2022)
  - वर्ष 2022 की जीत के साथ, **इंग्लैंड एक साथ दोनों पुरुष विश्व कप: वनडे विश्व कप 2019 और T-20 विश्व कप 2022** जीतने वाली पहली टीम बन गई।

नोट :

T20 World Cup winners list

Year	Winner	Runners-Up	Hosts
2007	India	Pakistan	South Africa
2009	Pakistan	Sri Lanka	England
2010	England	Australia	West Indies
2012	West Indies	Sri Lanka	Sri Lanka
2014	Sri Lanka	India	Bangladesh
2016	West Indies	England	India
2021	Australia	New Zealand	UAE and Oman
2022	England	Pakistan	Australia
2024	India	South Africa	USA and West Indies

- **विश्व कप 2024 की व्यक्तिगत उपलब्धियाँ:**
  - भारत के **विराट कोहली,** वर्ष 2012 में अपने पदार्पण के बाद से 35 मैचों में 1292 रन बनाकर **T-20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी** हैं।
  - **बांग्लादेश** के ऑलराउंडर **शाकिब अल हसन** T-20 विश्व कप में **सर्वाधिक विकेट** लेने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वर्ष 2007 से वर्ष 2024 के बीच 43 मैचों में 50 विकेट लिये हैं।
- वर्ष **2024, T-20 फाइनल की मुख्य झलकियाँ:**
  - **प्लेयर ऑफ द मैच:** विराट कोहली
  - **प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट:** जसप्रीत बुमराह
  - **T-20 विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक विकेट:**
    - 17 - अर्शदीप सिंह (भारत, 2024)
    - 17 - फजलहक फारूकी (अफगानिस्तान, 2024)
  - **T-20 विश्व कप संस्करण में सबसे कम इकॉनमी रेट:**
    - 4.17 - जसप्रीत बुमराह (2024)
  - यह **तीसरी बार** है जब किसी टीम ने लक्ष्य का बचाव करते हुए T-20 विश्व कप फाइनल जीता है, इससे पहले वर्ष 2007 में भारत और वर्ष 2012 में वेस्टइंडीज़ ने लक्ष्य का बचाव करते हुए जीत हासिल की थी।
  - भारत पूरे टूर्नामेंट में **अपराजित रहकर T-20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम** बन गई।
  - विश्व कप जीत के बाद, **तीन भारतीय खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा** तथा **रवींद्र जडेजा** ने **T-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास** की घोषणा कर दी है।
    - **भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)** ने T-20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को **125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा** की है।

नोट :

कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन

हाल ही में **भारत ने** कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन **(Codex Alimentarius Commission- CAC)** की **कार्यकारी समिति** के **86वें सत्र** में भाग लिया।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) क्या है ?

- **परिचय**
  - **CAC** एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है जिसे **उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करने एवं खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से** मई 1963 में **संयुक्त राष्ट्र के** खाद्य और कृषि संगठन **(Food and Agriculture Organisation - FAO) तथा** विश्व स्वास्थ्य संगठन **(World Health Organisation-WHO)** द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- **मान्यता**
  - विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों (Sanitary and Phytosanitary Measures- SPS) के अनुप्रयोग पर समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार विवाद निपटान के लिये संदर्भ मानकों के रूप में कोडेक्स मानकों, दिशा-निर्देशों तथा सिफारिशों को मान्यता देता है।
- **सदस्य**
  - वर्तमान में इस कमीशन में कुल 189 (188 देश और यूरोपीय संघ) सदस्य हैं।
  - **भारत वर्ष 1964 में कोडेक्स एलेमेंट्रिस का सदस्य बना।**
- **कोडेक्स मानक:**
  - **सामान्य मानक, दिशा-निर्देश और अभ्यास संहिता:** ये मुख्य कोडेक्स विषय आमतौर पर **स्वच्छता अभ्यास, लेबलिंग, संदूषक, योजक, निरीक्षण और प्रमाणन, पोषण तथा पशु चिकित्सा दवाओं एवं कीटनाशकों के अवशेषों** से निपटते हैं व उत्पादों और उत्पाद श्रेणियों पर क्षैतिज रूप से लागू होते हैं।
  - **कमोडिटी मानक:** कोडेक्स कमोडिटी मानक एक **विशिष्ट उत्पाद** को संदर्भित करते हैं, हालाँकि कोडेक्स अब तेज़ी से खाद्य समूहों के लिये मानक विकसित कर रहा है।
  - **क्षेत्रीय मानक:** संबंधित **क्षेत्रीय समन्वय समितियों द्वारा विकसित मानक,** संबंधित क्षेत्रों पर लागू होते हैं।
- **CAC की कार्यकारी समिति (CCEXEC) का 86वाँ सत्र:**
  - **भारत, जिसका प्रतिनिधित्व** भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण **(FSSAI) के CEO कर रहे हैं, रोम स्थित FAO मुख्यालय में कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति (CCEXEC) के 86वें सत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।**
    - **CCEXEC नए कार्य के प्रस्तावों की समीक्षा करने** तथा मानक विकास की प्रगति की निगरानी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - सत्र के दौरान भारत ने छोटी इलायची, हल्दी और वेनिला सहित **विभिन्न मसालों के लिये मानक विकास को आगे बढ़ाने का पुरज़ोर** समर्थन किया।
    - यह पहल भारत के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, **क्योंकि भारत इन मसालों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक** है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता आएगी
    - भारत ने वनस्पति तेलों के लिये **मानकों की प्रगति, शिगा टॉक्सिन उत्पादन करने वाले एस्चेरिचिया कोलाई (Shiga Toxin-Producing Escherichia Coli) के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देशों** तथा खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुन: उपयोग का समर्थन किया।
    - भारत ने खाद्य पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों के उपयोग से संबंधित खाद्य सुरक्षा संबंधी विचारों पर **कोडेक्स मार्गदर्शन विकसित करने के प्रस्ताव का भी समर्थन** किया।
  - यह पहल जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत ने खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिये पोस्ट उपभोक्ता PET (पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट) के पुनर्चक्रण पर FSSAI द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों के साथ अपने अनुभव साझा किये।

नोट :

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

- FSSAI **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
- FSSAI भारत में **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित तथा पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य** की रक्षा व संवर्द्धन के लिये ज़िम्मेदार है, जो **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

संबंधित कार्यक्रम और अभियान

- ईट राइट इंडिया
- ईट राइट स्टेशन
- ईट राइट मेला
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
- RUCO (प्रयुक्त खाद्य तेल का पुनः उपयोग)
- **खाद्य सुरक्षा मित्र**
- 100 फूड

प्राइड मंथ

प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाने वाला ***गौरव माह या प्राइड मंथ*** LGBTQ+ समुदाय के लिये चिंतन, उत्सव और वकालत का समय है। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 के स्टोनवॉल विद्रोह से हुई थी।

- पिछले कुछ दशकों में प्राइड मंथ एक स्मरण दिवस से विकसित होकर एक माह तक चलने वाले उत्सव में बदल गया है, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

जून में प्राइड मंथ क्यों मनाया जाता है ?

- प्राइड मंथ वर्ष 1969 (न्यूयॉर्क) के स्टोनवॉल विद्रोह की याद दिलाता है, जो LGBTQ+ अधिकार आंदोलन में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। वर्ष 1999 में **राष्ट्रपति बिल क्लिंटन** ने जून को **"गे और लेस्बियन प्राइड मंथ"** घोषित किया।
- बराक ओबामा और जो बिडेन सहित बाद के राष्ट्रपतियों ने इस परंपरा को जारी रखा है, जून को LGBTQ प्राइड मंथ के रूप में मान्यता दी है।

स्टोनवॉल दंगे क्या थे ?

- **दंगे: अमेरिका में 1960 के दशक में समलैंगिकता अवैध थी** और **प्रलोभन एक दंडनीय अपराध** था। न्यूयॉर्क शहर के ग्रीनविच विलेज सेक्शन में स्थित एक बार विशेष रूप से LGBTQ समुदाय के लिये बनाया गया था जिसका नाम स्टोनवॉल इन था।
  - 28 जून 1969 को, न्यूयॉर्क पुलिस ने बिना लाइसेंस के शराब बेचने के आरोप में स्टोनवॉल इन पर छापा मारा जिससे LGBTQ समुदाय में रोष उत्पन्न हुआ और दंगे हुए जो छह दिनों तक जारी रहे।
  - इन दंगों को LGBTQ समुदाय के अधिकारों और मान्यता के संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है।
  - **मार्शा पी.जॉनसन**, एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर, ने इन दंगों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब उन्हें LGBTQ समुदाय में एक अहम व्यक्ति माना जाता है।
- **दंगों के बाद:** स्टोनवॉल दंगों के बाद, कार्यकर्त्ताओं ने **समुदाय की** लैंगिक और जेंडर आइडेंटिटी में **गर्व** तथा एकता **की भावना** का उत्सव मनाने के लिये **"गे प्राइड"** थीम के साथ इसकी वर्षगाँठ मनाने के लिये एक मार्च का आयोजन किया।
  - प्राइड को **आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई** और यह **एक माह तक जारी रहने वाला उत्सव बना** जिसने LGBTQ समुदाय के भीतर विज़िबिलिटी तथा एकजुटता के आह्वान की भूमिका निभाई।
  - इस आंदोलन को और अधिक समावेशी बनाने के लिये क्षेत्रीय बदलावों के साथ अमेरिका का प्राइड आयोजन समग्र विश्व में प्रचलित हुआ।
- **दंगों का प्रभाव:** स्टोनवॉल में दंगे दशकों से समलैंगिक लोगों द्वारा सामना की जाने वाली पुलिस क्रूरता और भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन था। दंगों ने गैर-पारंपरिक लिंग पहचान और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को सार्वजनिक दृश्यता प्रदान की तथा वर्तमान में प्राइड मंथ निर्भीक पहचान एवं गर्वित एकता का प्रतीक है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में LGBTQIA+ अधिकार

- अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि सभी राज्य **समलैंगिक विवाह** की अनुमति देते हैं और **राज्य के बाहर किये गए विवाहों को मान्यता** देते हैं।
- **सेक्सुअल ओरिएंटेशन** या लिंग पहचान **के आधार पर भेदभाव को विशेष रूप से प्रतिबंधित करने वाला कोई संघीय कानून नहीं** है।
  - हालाँकि अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का तात्पर्य है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव एक प्रकार का लैंगिक भेदभाव है, जो वर्ष 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत निषिद्ध है।

नोट :

भारत में LGBTQIA+ के अधिकार

- वर्ष 1994 में थर्ड जेंडर के रूप में पहचान रखने वाले व्यक्तियों को **कानूनी रूप से मताधिकार प्रदान** किया गया।
- वर्ष 2014 में भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **थर्ड जेंडर श्रेणी के रूप में मान्यता** प्रदान की जानी चाहिये।
- वर्ष 2017 में, भारत में LGBTQIA+ समुदाय को अपनी **यौन अभिविन्यास को व्यक्त करने की स्वतंत्रता** दी गई, जिसे निजता के अधिकार **द्वारा संरक्षित** किया गया।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिये प्रावधान करता है।
- भारतीय संविधान के अंतर्गत **समान-लिंग विवाह को मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं** प्रदान की गई है, लेकिन यह **समान-लिंग वाले जोड़ों को एक साथ रहने के लिये कुछ सीमित मान्यता** प्रदान करता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि **अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग** है और साथ ही LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को कानून के तहत समान सुरक्षा सहित संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

स्पाइरल गैलेक्सी पर नया अध्ययन

हाल ही में, एक नए अध्ययन से पता चला है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में खगोलविदों द्वारा **पूर्व में लगाए गए अनुमान से अधिक बड़ी** स्पाइरल गैलेक्सी (सर्पिल आकाशगंगाएँ) थीं

स्पाइरल गैलेक्सी पर शोध की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **विद्यमान सिद्धांत:** खगोल विज्ञान में यह माना जाता है कि जैसे-जैसे **ब्रह्मांड गर्म एवं सघन अवस्था से ठंडा** होता गया, इसमें **अत्यधिक मात्रा में गर्म गैसें** शामिल हो गईं। इस **गैस ने गुच्छों का निर्माण किया जो अंततः गैलेक्सी का निर्माण** करने में सहायक सिद्ध हुए।
  - ये प्रारंभिक **गैलेक्सीयाँ अनियमित आकार** की थीं और इनमें चपटी डिस्क नहीं थीं, जैसी कि हम आज स्पाइरल गैलेक्सी में देखते हैं।
  - अरबों वर्षों में जब ये **गैलेक्सीयाँ ठंडी होती गईं, तब इनमें मोटी, गर्म डिस्क विकसित** हुई, जो बाद में चपटी होकर स्पाइरल आर्म (सर्पिल भुजाओं) में परिवर्तित हो गईं, जिन्हें मनुष्य वर्तमान रूप में पहचानता है।
- **अप्रत्याशित प्रारंभिक गठन:** उपरोक्त सिद्धांत के विपरीत, नए अध्ययन से पता चलता है कि स्पाइरल **गैलेक्सी बहुत पहले निर्मित** हुई होंगी, लगभग उसी समय जब अन्य प्रकार की गैलेक्सीयाँ विकसित हो रही थीं।
  - अध्ययन में 873 गैलेक्सीयों का विश्लेषण करने के लिये नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया, जिसमें कम से कम 216 की पहचान स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में की गई।
  - शोध में पाया गया कि बिग-बैंग के बाद 3 अरब से 7 अरब वर्षों के बीच **स्पाइरल आकार वाली गैलेक्सीयों का अनुपात** अत्यधिक बढ़ गया, जो लगभग 8% से बढ़कर 48% हो गया।
- **तारों के निर्माण हेतु निहितार्थ:** अध्ययन के परिणाम तारों के निर्माण की दर **तथा स्पाइरल गैलेक्सीयों में** पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण के लिये आवश्यक परिस्थितियों की वर्तमान समझ को प्रभावित कर सकते हैं।
  - सुपरनोवा से उत्पन्न स्पाइरल आर्म में भारी तत्त्वों की उपस्थिति ग्रह निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)

- JWST, हबल स्पेस टेलीस्कोप का अनुवर्ती टेलीस्कोप है। यह एक बड़ा, इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है जिसे ब्रह्मांड की दूरस्थ वस्तुओं का अवलोकन करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह NASA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।

गैलेक्सी कितने प्रकार की होती हैं?

प्रकार	विवरण	उदाहरण
स्पाइरल गैलेक्सी	स्पाइरल भुजाओं वाली चपटी डिस्क (तारा निर्माण के सक्रिय क्षेत्र) युक्त, केंद्र में उभार। वर्जित अथवा अबर्द्धित हो सकता है।	मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी
एलिप्टिकल गैलेक्सी	निर्बाध, अंडाकार या गोलाकार, गैस और धूल युक्त, अधिकतर पुराने तारे विद्यमान होते हैं।	मेसियर 87

नोट :

लेंटिक्युलर गैलेक्सी	स्पाइरल और एलिप्टिकल के बीच की श्रेणी, डिस्क युक्त किंतु भुजा का अभाव।	सोम्ब्रेरो गैलेक्सी
इर्रेगुलर गैलेक्सी	कोई नियमित आकार नहीं, वामन या बृहद हो सकता है।	बृहद मैगेलैनिक मेघ
एक्टिव गैलेक्सी	सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित, तारों की तुलना में केंद्र से 100 गुना अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है।	विभिन्न उपप्रकार
सीफर्ट गैलेक्सी	सबसे सामान्य सक्रिय आकाशगंगा, इन्फ्रारेड और एक्स-रे का उत्सर्जित करती है।	टाइप I और II सीफर्ट आकाशगंगाएँ
क्वासर	सर्वाधिक चमकदार सक्रिय आकाशगंगा, स्पेक्ट्रम और विभिन्न प्रबल जेट में प्रकाश उत्सर्जित करती है।	मार्केरियन 231
ब्लेज़ार	पृथ्वी की ओर निर्देशित जेट वाली सक्रिय आकाशगंगाएँ, अत्यधिक दीप्तिमान।	TXS 0506+056

उपग्रह-आधारित संचार

हाल ही में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिये **उपग्रह-आधारित संचार** सर्वव्यापी और परिपक्व हो गया है, हालाँकि इसका विकास उपयोगकर्त्ता-केंद्रित से हटकर किया गया है, जिससे भारत में उपयोगकर्त्ताओं के लिये इसकी व्यवहार्यता पर सवाल उठ रहे हैं।

उपग्रह-आधारित संचार क्या है ?

- **परिचय:**
  - संचार उपग्रह एक **प्रकार का कृत्रिम उपग्रह** है, जिसे स्रोत और गंतव्य के बीच संचार संबंधी आँकड़ें भेजने और प्राप्त करने के लिये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। वर्तमान में कई कक्षाओं में तीन हज़ार से ज़्यादा संचार उपग्रहों के साथ संपूर्ण विश्व में लाखों लोग रेडियो, टेलीविज़न और सैन्य अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करने के लिये उपग्रह संचार पर निर्भर हैं। उपग्रह संचार ने **विश्व भर में उन स्थानों और डेटा संचार सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित** की है जहाँ स्थलीय सेलुलर और **ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी** उपलब्ध नहीं है या नेटवर्क कवरेज़ की सुविधा खराब है।
- **प्रकार:**
  - कक्षा के आधार पर संचार उपग्रहों को **चार श्रेणियों** में विभाजित किया गया हैं:
    - भू-स्थैतिक कक्षा (GEO)
    - मध्यम कक्षा (MEO)
    - निम्न कक्षा (LEO)
    - अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा (HEO)

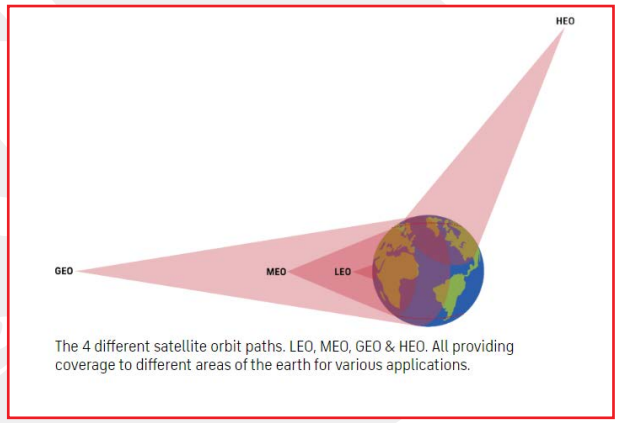

The 4 different satellite orbit paths. LEO, MEO, GEO & HEO. All providing coverage to different areas of the earth for various applications.

- **कार्य:**
  - उपग्रह संचार में पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं के बीच **माइक्रोवेव** के माध्यम से सूचना प्रसारित करने और रिले करने के लिये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों का उपयोग किया जाता है।
  - इस प्रक्रिया में **तीन चरण** होते हैं:
    - अपलिंक
    - ट्रांसपोंडर
    - डाउनलिंक
  - उदाहरण के लिये लाइव टेलीविज़न में,
    - अपलिंक- एक प्रसारणकर्त्ता उपग्रह को संकेत भेजता है,
    - ट्रांसपोंडर- भेजे गए संकेत की आवृत्ति में परिवर्तन और वृद्धि करता है,
    - डाउनलिंक- फिर उसे पृथ्वी के स्टेशनों पर वापस भेजता है।

नोट :

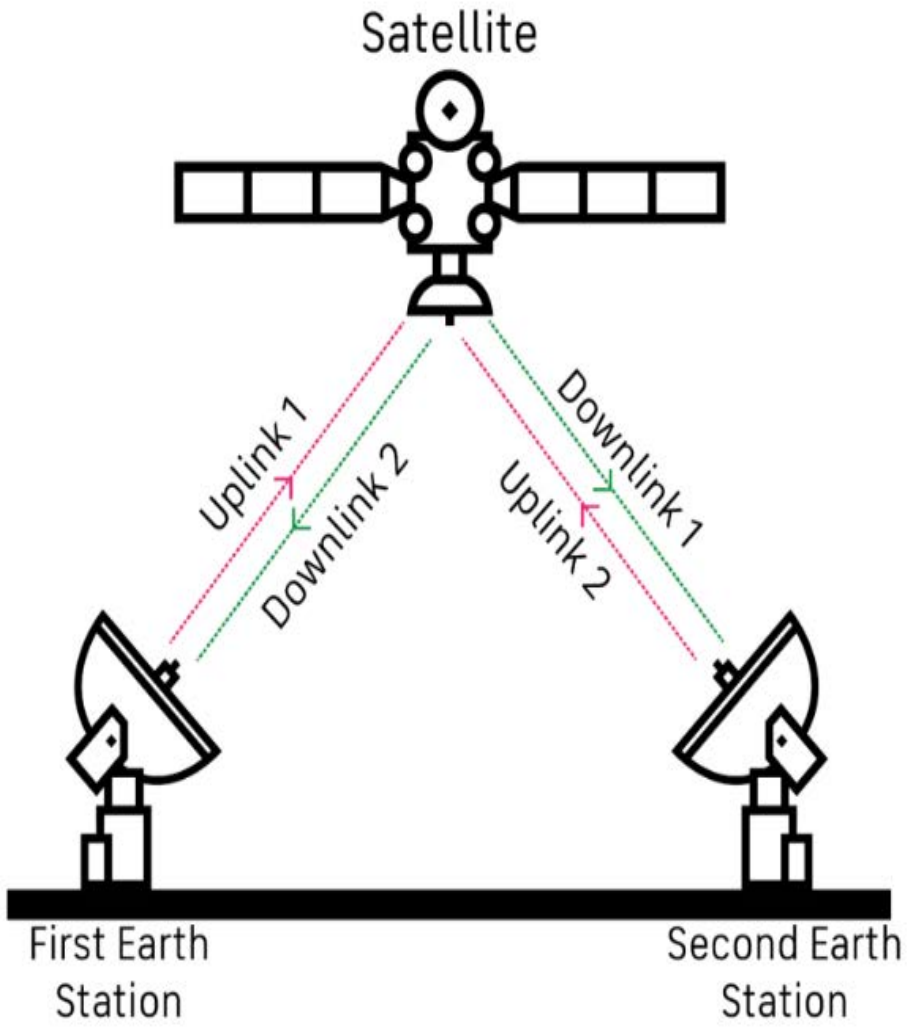

Two way communication satellite network displaying information relayed between the same ground stations via the same satellite.

- **भारत में सैटकॉम सेवाओं की वर्तमान स्थिति:**
  - यद्यपि भारत के लिये संचार संबंधी प्रौद्योगिकियाँ तैयार है, फिर भी भारत में **सैटकॉम सेवाएँ की शुरूआत अभी तक नहीं** हो पाई हैं, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा **उपग्रह बैंडविड्थ का आवंटन** लंबित होना है।
    - हाल ही में **रिलायंस इंडस्ट्रीज़** के **जियो प्लेटफॉर्म्स** को भारत के अंतरिक्ष नियामक, **IN-SPACe से गीगाबिट फाइबर इंटरनेट सेवाओं** के लिये उपग्रहों को स्थापित करने की मंज़ूरी मिल गई है, तथा परिचालन शुरू करने के लिये दूरसंचार विभाग से अतिरिक्त मंज़ूरी मिलनी बाकी है।

नोट :

- **लक्षित सेवाएँ:**
  - सैटकॉम ऑपरेटर व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं और उद्यमों दोनों को लक्षित कर योजना बना रहे हैं।
  - **स्टारलिंक, पोर्टेबल राउटर** के साथ उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण के लिये जाना जाता है, जबकि **एयरटेल और रिलायंस जियो,** उपभोक्ता और उद्यम दोनों बाज़ारों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं।

Modern satellites support a variety of" beam" types to allow the satellite to focus its power at various levels to locations.

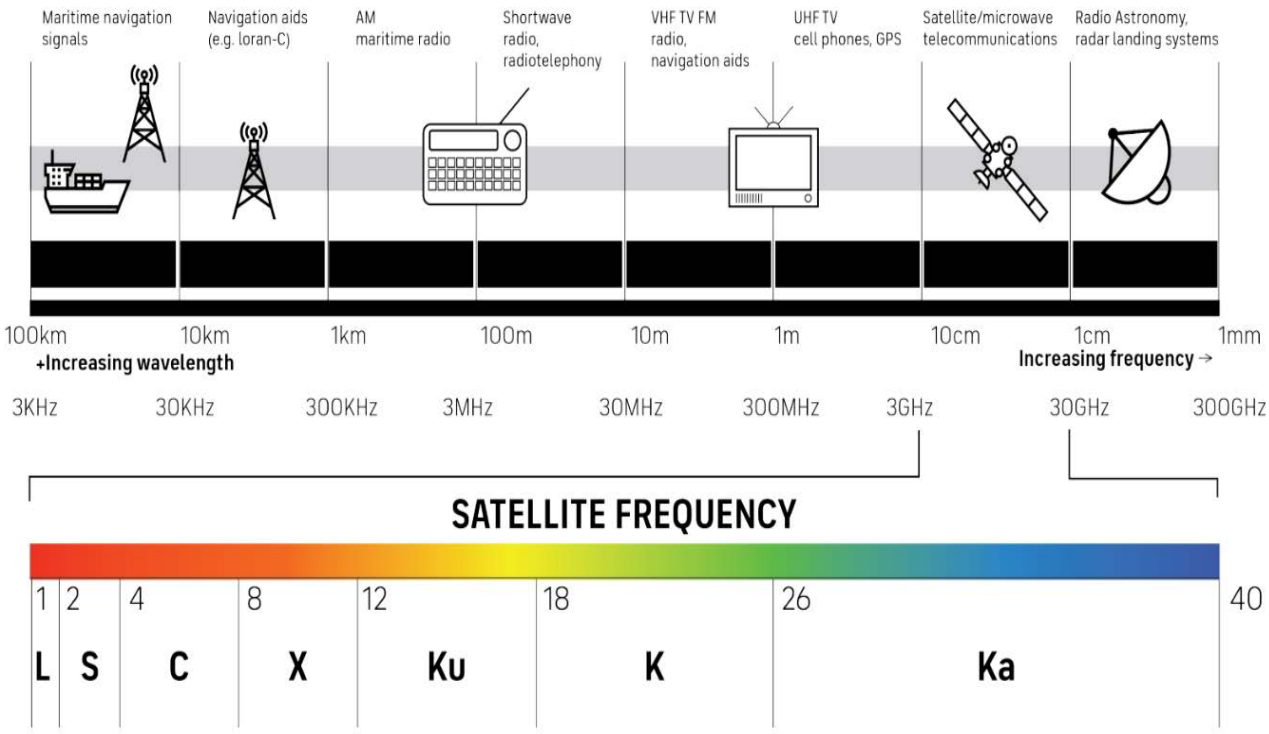

Chart of the Radio Frequency spectrum (RF) displaying the different frequency bands and relevant applications used within satellite communication networks

- **तकनीकी तत्परता:**
  - **डिवाइस संगतता** एक मुद्दा है क्योंकि उपग्रह संकेतों को प्राप्त करने के लिये विशेष एंटेना की आवश्यकता होती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये लागत में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा, **ऐप्पल और क्वालकॉम** जैसी कंपनियों के प्रयासों के बावजूद, उपभोक्ता उपकरणों में उपग्रह रिसीवर का उपयोग अब तक सीमित रहा है।
- **चुनौतियाँ और सीमाएँ:**
  - सैटकॉम सेवाओं को खासकर उपभोक्ता अनुप्रयोगों के लिये **'हाई सेटअप'** लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशिष्ट एंटेना सहित उपकरणों की लागत एक बाधा बनी हुई है साथ ही इनका मूल्य निर्धारण एक और चिंता का विषय है क्योंकि सैटकॉम सेवाएँ **ब्रॉडबैंड की तुलना में अधिक महँगी होती** हैं।
- **भविष्य का दृष्टिकोण:**
  - भारत में **सैटकॉम सेवाएँ विनियामक अनुमोदन, तकनीकी प्रगति और लागत संबंधी चिंताओं** के समाधान पर निर्भर करती है। **प्रोजेक्ट कुइपर** जैसे नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश से बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा एवं नवाचार में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है।

नोट :

जीनोम अनुक्रमण

हाल ही में नेचर पत्रिका (Journal Nature) में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि जर्मनी, मैक्सिको, स्पेन, यू.के. और अमेरिका के पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक **प्राचीन कब्रगाहों से मानव अवशेषों** से प्राप्त **आनुवंशिक सामग्री को अनुक्रमित किया** है।

जीनोम अनुक्रमण क्या है ?

- **परिचय:**
  - जीनोम DNA का एक पूरा सेट है, जिसमें किसी जीव के सभी जीन शामिल होते हैं।
    - जीनोम अनुक्रमण एक जीव के जीनोम के संपूर्ण DNA अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
  - इसमें बेस **(एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन)** के क्रम का पता लगाना शामिल है जो किसी जीव के DNA का निर्माण करते हैं। यह बड़े पैमाने पर अनुक्रमिक डेटा को एकत्रित करने के लिये स्वचालित DNA अनुक्रमण विधियों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित है।

जीन एडिटिंग

- जीन एडिटिंग, जिसे जीनोम एडिटिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी तकनीक है जो किसी जीव के **आनुवंशिक पदार्थ (DNA or RNA)** को **परिशुद्ध रूप से संशोधित करने** की अनुमति देती है।
- इसमें जीनोम के भीतर विशिष्ट DNA अनुक्रमों को जोड़ने, हटाने या परिवर्तित करने के लिये **विशिष्ट उपकरणों का उपयोग** शामिल है।
- **विधि:**
- **CRISPR-Cas9 (क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स):**
  - यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और बहुमुखी जीन एडिटिंग उपकरण है।
  - यह Cas9 एंजाइम को लक्षित DNA अनुक्रम में निर्देशित करने के लिये एक गाइड RNA (gRNA) का उपयोग करता है, जहाँ यह एक डबल-स्ट्रैंड ब्रेक का निर्माण कर सकता है। कोशिकाओं के प्राकृतिक DNA मरम्मत प्रणाली का उपयोग लक्षित जीन को बाधित करने या वाँछित DNA अनुक्रम शामिल करने के लिये किया जाता है।
- **जिंक फिंगर न्यूक्लियेज़ (ZFNs):**
  - ZFNs, DNA-बाइंडिंग डोमेन (जिंक फिंगर प्रोटीन) और DNA-क्लीविंग डोमेन (FokI एंडोन्यूक्लियेज़) से बने होते हैं
  - जिंक फिंगर प्रोटीन को विशिष्ट DNA अनुक्रमों को पहचानने तथा उनसे जुड़ने के लिये डिज़ाइन किया गया है, FokI डोमेन फिर DNA को विखंडित करता है। ZFNs को विशिष्ट जीनोमिक क्षेत्रों को लक्षित करने एवं संपादित करने के लिये इंजीनियर किया जा सकता है।

जीन संपादन (जीन एडिटिंग और जीन अनुक्रमण (जीन सीक्वेंसिंग) के बीच अंतर:

विशेषताएँ	जीन अनुक्रमण	जीन संपादन
परिभाषा	DNA या RNA अणु में न्यूक्लियोटाइड्स (A, T, C, G) के सटीक क्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया।	किसी जीन के DNA अनुक्रम में लक्षित संशोधन करने की प्रक्रिया।
उद्देश्य	किसी जीन, जीन के समूह या सम्पूर्ण जीनोम का पूर्ण या आंशिक रूप से अनुक्रम प्राप्त करना।	वांछित परिवर्तन, जैसे आनुवंशिक दोषों को ठीक करना, जीन में संशोधित करना, या नए आनुवंशिक लक्षण प्रस्तुत करना।

नोट :

तकनीक	सैंगर सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट-जेनरेशन सीक्वेंसिंग (NGS), और अन्य।	CRISPR-Cas9, जिंक फिंगर न्यूक्लिऐसेस, TALENs, तथा अन्य विशेष उपकरण।
परिणाम	किसी जीव की आनुवंशिक संरचना और स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान करता है।	आनुवंशिक कोड में प्रत्यक्ष रूप से संशोधन एवं परिवर्तन किया जाता है।
संशोधन	यह आनुवंशिक सामग्री को प्रत्यक्ष रूप से संशोधित नहीं करता है।	विशिष्ट DNA अनुक्रमों को जोड़ने, हटाने या उनमे परिवतन को सक्षम बनाता है।

- **जीनोम अनुक्रमण (जीनोम सीक्वेंसिंग) के तरीके:**
  - **क्लोन-बाय-क्लोन दृष्टिकोण:**
  - इस प्रक्रिया में जीनोम को सबसे पहले अपेक्षाकृत बड़े अनुभागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें **क्लोन** कहते है, जिनकी लंबाई आमतौर पर लगभग **150,000 बेस पेयर (bp)** होती है। फिर जीनोम मानचित्रण तकनीकों का उपयोग समग्र जीनोम के भीतर प्रत्येक क्लोन के स्थान को निर्धारित करने के लिये किया जाता है।
- इसके बाद, प्रत्येक क्लोन को लगभग 500 bp आकार के छोटे, अतिव्यापी भाग में विभाजित किया जाता है, जो अनुक्रमण के लिये उपयुक्त होते हैं। अंत में, संपूर्ण क्लोन के पूर्ण अनुक्रम को फिर से विकसित करने के लिये अतिव्यापी क्षेत्रों (Overlapping Regions) का उपयोग करके अलग-अलग अनुक्रमित भागो को इकट्ठा किया जाता है।
- **संपूर्ण 'जीनोम शॉटगन' दृष्टिकोण:**
  - इस विधि में **सम्पूर्ण जीनोम को यादृच्छिक रूप से छोटे-छोटे टुकड़ों/भागों में विभाजित** किया जाता है।
  - इन छोटे भागों को फिर से उनके जीनोमिक स्थान के बारे में किसी भी पूर्व जानकारी के बिना **अनुक्रमित** किया जाता है
  - अनुक्रमित **भागों को फिर परिकलित रूप से भागों के मध्य अतिव्यापी** (ओवरलैपिंग) क्षेत्रों की पहचान और संरेखित करके पूर्ण जीनोम अनुक्रम में पुन: संयोजित किया जाता है।
- **क्लोन-बाय-क्लोन दृष्टिकोण** का उपयोग प्राय: **बड़े और जटिल जीनोम के लिये** किया जाता है, जबकि **संपूर्ण-जीनोम शॉटगन विधि छोटे और कम जटिल जीनोम के लिये अधिक उपयुक्त** होती है।
- **अनुप्रयोग:**
  - **महामारी की उत्पत्ति का पता लगाना:** जीनोम अनुक्रमण से शोधकर्ताओं को रोगजनकों की आनुवंशिक संरचना को समझने, SARS-CoV-2 जैसे प्रकोपों के स्रोत एवं उनके प्रसार का पता लगाने में सहायता प्राप्त होती है।
  - **रोग प्रसार को नियंत्रित करना:** जीनोम विश्लेषण से रोगजनक विकास की निगरानी की जा सकती है तथा उत्परिवर्तन पैटर्न, रोगोद्भवन अवधि एवं संचरण दर की पहचान करके रोकथाम रणनीतियों की जानकारी दी जा सकती है।
  - **स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोग:** यह व्यक्तिगत उपचार को सक्षम बनाता है, तथा लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का मार्गदर्शित करता है, कैंसर जैसी बीमारियों के आनुवंशिक आधार को उजागर करने के साथ ही आबादी के लिये औषधि की प्रभावकारिता एवं सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
  - **कृषि उन्नति:** फसल जीनोम अनुक्रमण कीटों और पर्यावरणीय संकट के लिये आनुवंशिक संवेदनशीलता की समझ में वृद्धि कर सकता है।
  - **क्रम-विकास-संबंधी अध्ययन:** जीनोम डेटा प्रजातियों के प्रवास तथा विकास को मानचित्रित करने में योगदान कर सकता है, जिससे मानव उत्पत्ति और जीवन के इतिहास के बारे में हमारा ज्ञान में वृद्धि कर सकता है।

नोट :

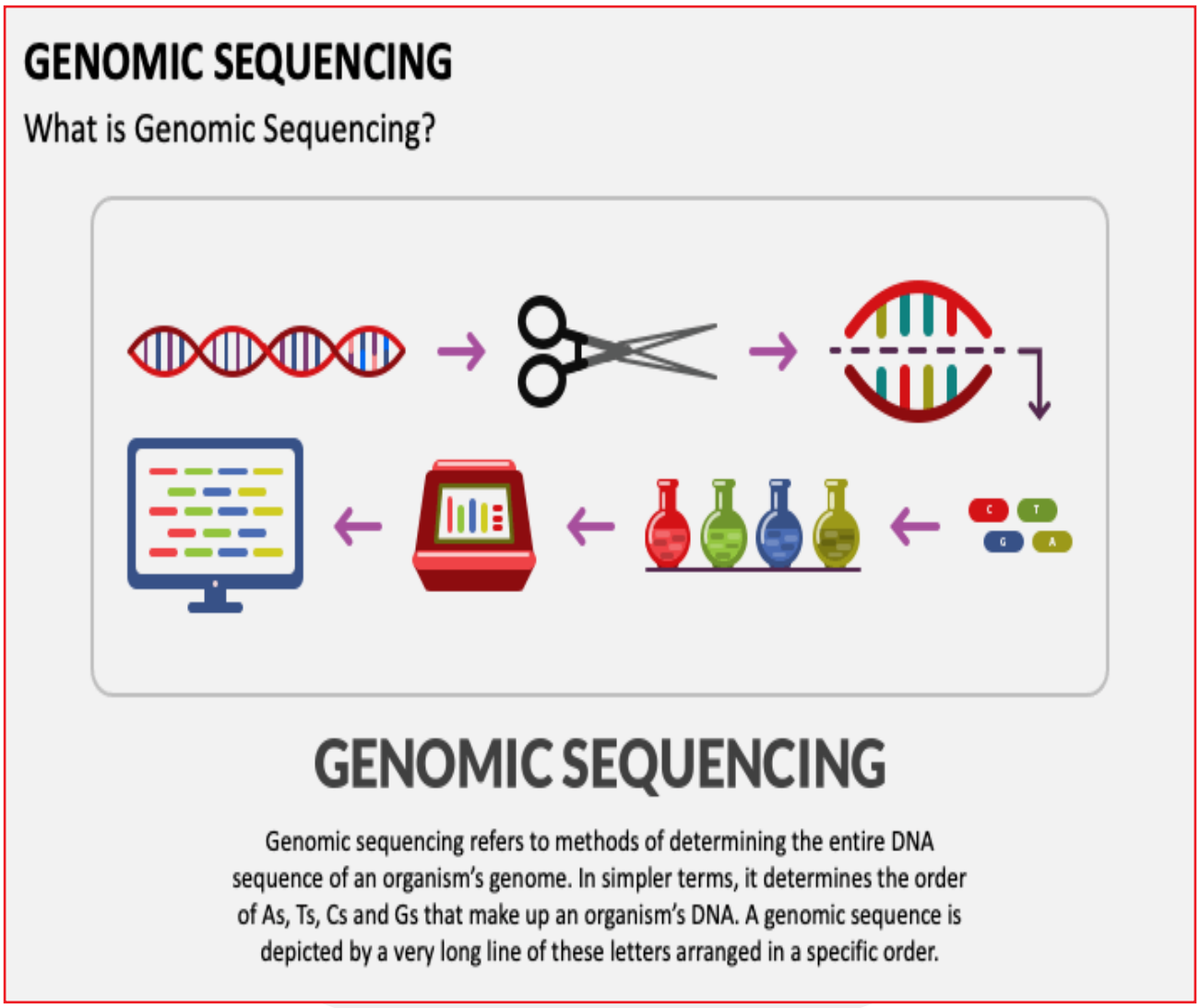

महत्त्वपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पहल:

- **मानव जीनोम परियोजना:**
- वर्ष 1990 से वर्ष 2003 तक मानव जीनोम परियोजना (HGP) **संपूर्ण मानव जीनोम का मानचित्रण और अनुक्रमण** करने का एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था।
- इसे यू.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) और यू.एस. ऊर्जा विभाग द्वारा समन्वित किया गया था।
- इस परियोजना ने चिकित्सा और उन्नत DNA अनुक्रमण तकनीक में क्रांति ला दी।
- स्तन कैंसर के उपचार के लिये Her2/neu और अवसादरोधी प्रतिक्रिया के लिये CYP450 जैसे विकास इस परियोजना के परिणामस्वरूप हुए।
- जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट
- इसे वर्ष 2020 में **भारतीय आबादी की आनुवंशिक संरचना को व्यापक रूप से समझने** के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।

नोट :

- इसमें भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा वित्त पोषित और समन्वित किया जाता है।
- **इंडिजेन (IndiGen) प्रोजेक्ट:**
- इसे अप्रैल 2019 में CSIR द्वारा शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत के विविध जातीय समूहों (Ethnic Groups) का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करना है।
- इसका उद्देश्य जनसँख्या जीनोम डेटा का उपयोग करके **आनुवंशिक महामारी विज्ञान** को सक्षम बनाना और **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को विकसित** करना है।

Axiom-4 मिशन हेतु गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों का चयन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन **(Indian Space Research Organisation- ISRO)** ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन **(National Aeronautics and Space Administration- NASA)** के सहयोग से **Axiom-4 मिशन** के तहत **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** पर भेजने के लिये अपने चार प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से दो का चयन किया है।

Axiom-4 मिशन क्या है?

- NASA और अमेरिका की निजी रूप से वित्तपोषित अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर Axiom स्पेस ने ISS के लिये **चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन** हेतु एक आदेश पर हस्ताक्षर किये जो अगस्त 2024 में फ्लोरिडा में स्थित **कैनेडी स्पेस सेंटर** से लॉन्च किया जाएगा।
- इस मिशन का लक्ष्य चौदह दिनों की अवधि के लिये ISS पर रुकना है।
- भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यान प्रणालियों और आपातकालीन तत्परता पर ध्यान केंद्रित करते हुए **भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को NASA**, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों तथा स्पेसएक्स **द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।**

नोट: वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि **NASA,** आर्टेमिस समझौते के अनुरूप, **भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को** अपने केंद्र में **'उन्नत प्रशिक्षण' प्रदान करेगा।**

भारत के गगनयान कार्यक्रम की स्थिति

- भारत की गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान वर्ष 2025 के बाद संपन्न होने की उम्मीद है जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले **अनमैंड (मानव रहित)** उड़ान की योजना बनाई गई है।
- मानवयुक्त उड़ानों का प्रक्षेपण दो सफल मानव रहित मिशनों के बाद किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) क्या है?

- ISS एक बड़ी, स्थायी रूप से चालक दल वाली प्रयोगशाला है जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों का घर है और एक अद्वितीय विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
  - इसके अनुसंधान से चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और पृथ्वी एवं ब्रह्मांड को समझने सहित कई क्षेत्रों में प्रगति होने की उम्मीद है।
- **यह 15 देशों और पाँच अंतरिक्ष एजेंसियों अर्थात् NASA (संयुक्त राज्य अमेरिका), रोस्कोस्मोस (रूस), ESA (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी), JAXA (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी) तथा CSA (कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी) के बीच सहयोग है।**
- सात लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल **7.66 किलोमीटर प्रति सेकंड** की गति से यात्रा करते हुए रहता है और काम करता है तथा लगभग हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। **24 घंटों में, अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 परिक्रमाएँ करता है** और 16 सूर्योदय तथा सूर्यास्त से होकर गुज़रता है।
  - **पैगी व्हिटसन** ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 665 दिन रहने और काम करने का अमेरिकी रिकार्ड बनाया।
- **ISS** के प्रथम भागों को वर्ष 1998 में कक्षा में भेजा गया और स्थापित किया गया। वर्ष 2000 से ISS पर चालक दल लगातार रह रहे हैं।

नोट :

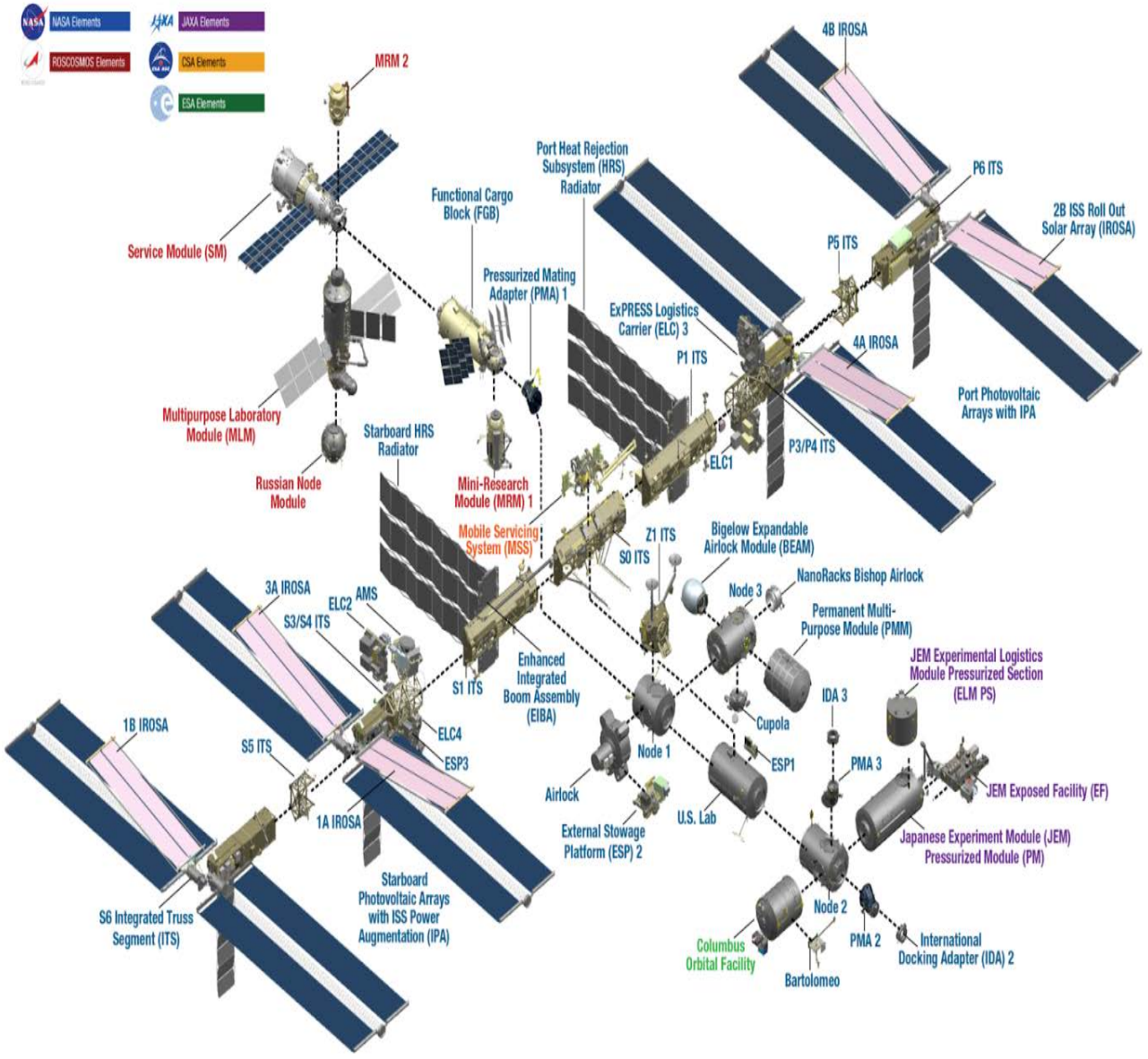

नोट:

- भारत अपनी अंतरिक्ष उपस्थिति को मज़बूत करने के लिये कमर कस रहा है, **इसरो का लक्ष्य 2035 तक देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है।**
- इसरो का लक्ष्य माइक्रोग्रैविटी प्रयोगों का समर्थन करने के लिये **एक दशक के भीतर 20 टन का अंतरिक्ष स्टेशन** बनाना है।

अपसौर

हाल ही में **5 जुलाई 2024** को **पृथ्वी** सूर्य के चारों ओर **अपने परिक्रमा पथ के उस बिंदु पर पहुँची जो सूर्य से सर्वाधिक दूर है**, जिसे **अपसौर (Aphelion)** कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है और इस प्रकार समग्र वर्ष में सूर्य और पृथ्वी की दूरी थोड़ी-बहुत घटती-बढ़ती रहती है।

नोट :

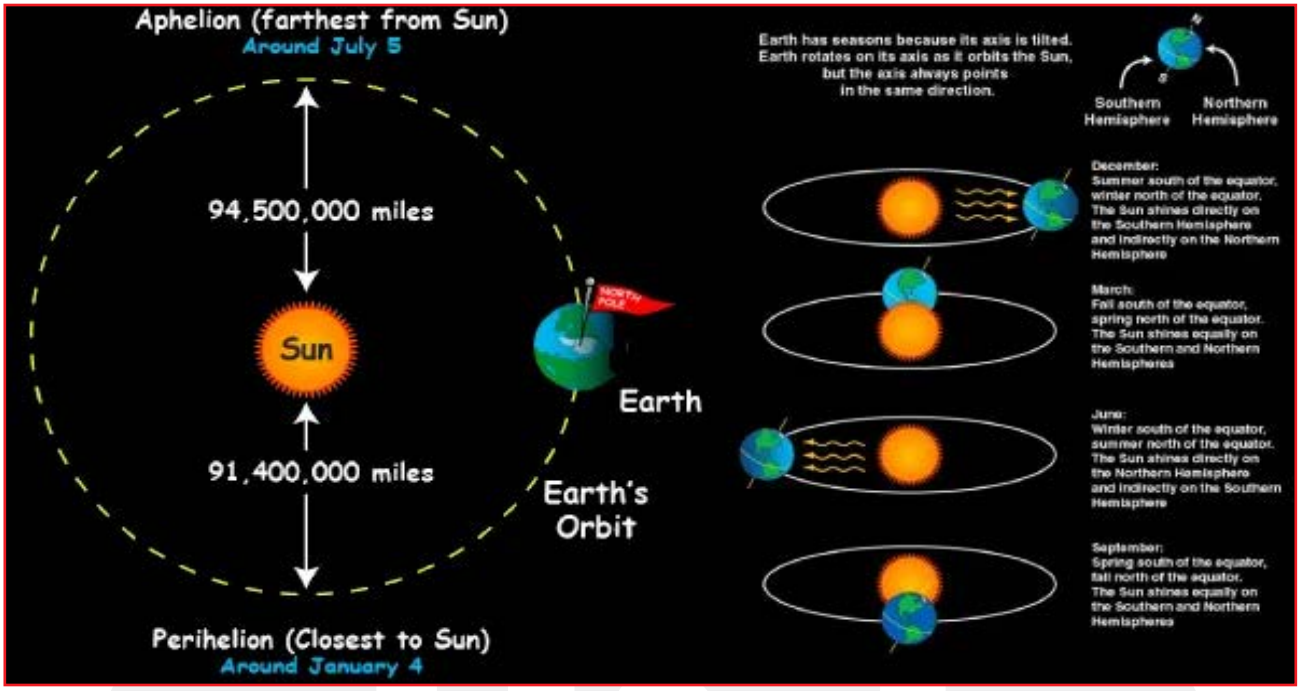

अपसौर क्या है ?

- **अपसौर (Aphelion)** का तात्पर्य पृथ्वी की कक्षा में उस बिंदु से है जहाँ **सूर्य से उसकी दूरी सर्वाधिक** होती है, जो प्रत्येक वर्ष 3 से 6 जुलाई के बीच घटित होता है **(NCERT के अनुसार 4 जुलाई)**।
  - पृथ्वी की **कक्षा की उत्केंद्रता (Eccentricity) में अंतर के कारण** इसकी **उपसौर (Perihelion)** और **अपसौर तिथियाँ निश्चित नहीं** हैं।
  - इस समय, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग **152.5 मिलियन किलोमीटर** होती है।
  - **उपसौर:** उपसौर पर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी निकटम होती है जो प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी के आस-पास घटित होता है और इसकी दूरी लगभग **147.5 मिलियन किलोमीटर** होती है।

Event	Year	Date/Time	Distance(in AU)
Aphelion	2015	Jul 6/1940 UT	1.0166
Perihelion	2016	Jan 2/22:49 UT	0.9833
Aphelion	2016	Jul 4/16:24 UT	1.0168
Perihelion	2017	Jan 4/14:18 UT	0.9833
Aphelion	2017	Jul 3/20:11 UT	1.0167
Perihelion	2018	Jan 3/5:35 UT	0.9832
Aphelion	2018	Jul 6/16:47 UT	1.0167
Perihelion	2019	Jan 3/5:20 UT	0.9833
Aphelion	2019	Jul 4/22:11 UT	1.0168
Perihelion	2020	Jan 5/7:48UT	0.9832
Aphelion	2020	Jul 4/11:35 UT	1.0167

नोट :

- **अपसौर का महत्त्व:**
  - **सौर विकिरण में भिन्नता:** जुलाई माह की शुरुआत में पृथ्वी का अपसौर भारत पर पड़ने वाले सूर्यप्रकाश को कम कर देता है किंतु इसका तापमान पर कोई **व्यापक प्रभाव नहीं** पड़ता है।
    - पृथ्वी के झुकाव के कारण **ऋतु में** होने वाले **परिवर्तन** अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की दीर्घवृत्तीय कक्षा के कारण **सौर विकिरण** में होने वाली **भिन्नता** केवल 3% है जो दर्शाता है कि अपसौर की स्थिति में भी भारत के तापमान पर मुख्य प्रभाव ऋतु अथवा मौसमी कारकों का होता है।
  - **कक्षा की स्थिरता:** ग्रहों के एक दूसरे पर **गुरुत्वाकर्षण बल के कारण**, पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से अपसौर घटित होता है। पृथ्वी की जलवायु और इस पर उत्तरजीविता/निवासस्यता की **दीर्घकालिक स्थिरता के लिये** यह आवश्यक है कि इसकी **दीर्घवृत्ताकार कक्षा** बनी रहे।

नोट:

- पृथ्वी पर **ऋतुएँ मुख्यत: पृथ्वी की धुरी के झुकाव से निर्धारित** होती हैं, न कि सूर्य से दूरी से।
- पृथ्वी के **झुकाव के कारण सौर विकिरण का असमान वितरण** होता है, जिसके कारण **चार ऋतुएँ होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ (शरद) और शीत ऋतु**।

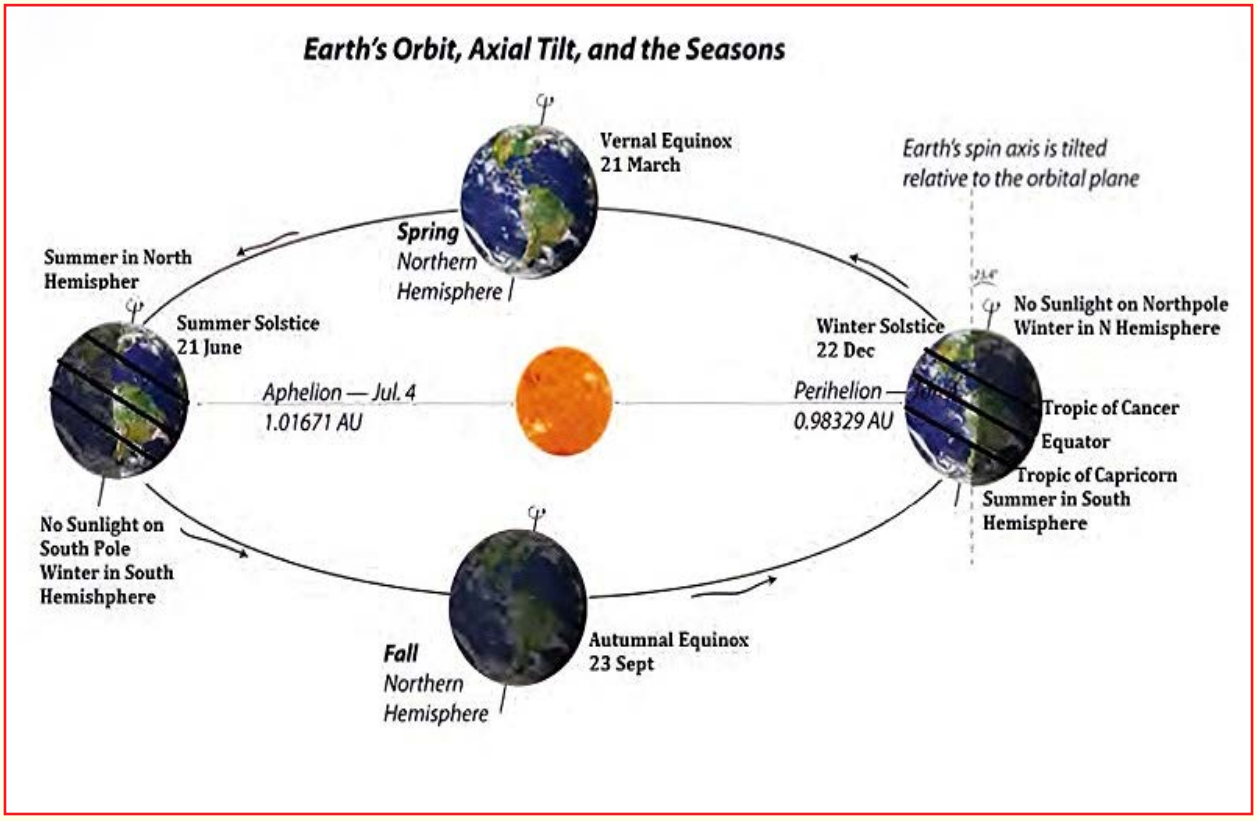

उपभू (Perigee) तथा अपभू (Apogee)

- पेरिगी **चंद्रमा की अंडाकार कक्षा में वह बिंदु है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप** होती है। पेरिगी पर, चंद्रमा अपने सबसे छोटे आकार में होता है और पृथ्वी पर उसका **गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक** होता है।
- अपोजी **चंद्रमा की अण्डाकार कक्षा में वह बिंदु है जो पृथ्वी से सर्वाधिक दूर** होता है। अपोजी पर, चंद्रमा अपने सबसे बड़े आकार में होता है और पृथ्वी पर उसका **गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कमज़ोर** होता है।

नोट :

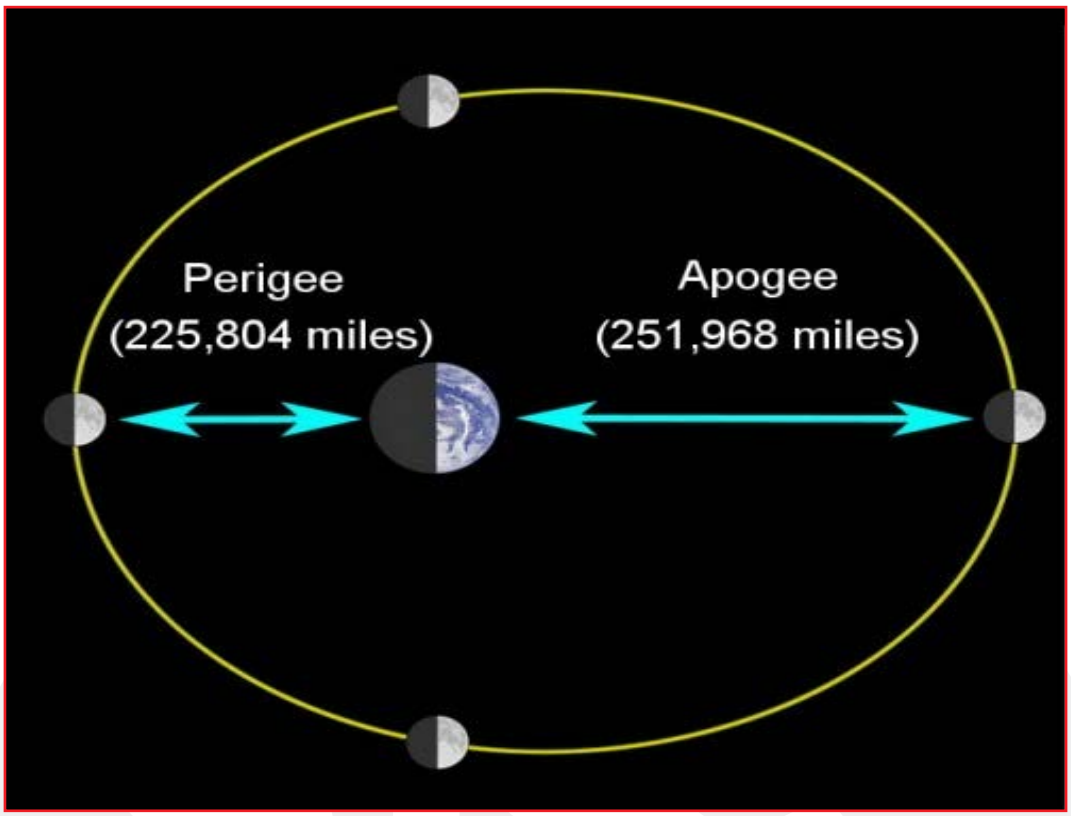

51,200 वर्ष प्राचीन गुफा चित्रकला की खोज

हाल ही में एक शोध किया गया जिसमें **काल निर्धारण की नवीन तकनीक** के उपयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि **विश्व की प्राचीनतम ज्ञात आलंकारिक गुफा चित्रकला** लगभग **51,200 वर्ष पुरानी** है।

- यह चित्रकला **इंडोनेशिया** के **सुलावेसी द्वीप** में एक **चूना पत्थर गुफा** की छत पर पाई गई हैं।

नोट :

चित्रकला से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं ?

- **कलात्मक चित्रण:** चित्र में दर्शाया गया है:
  - एक **सुअर की आकृति** जिसका मुख आंशिक रूप से खुला हुआ है।
  - सुअर के इर्द-गिर्द **तीन मानव जैसी आकृतियाँ**:
    - सबसे बड़ी आकृति **हाथ फैलाए**, एक छड़ पकड़े हुए है।
    - **दूसरी आकृति** सुअर के सामने हाथ में एक छड़ी के साथ है।
    - तीसरी आकृति **उल्टी चित्रित** है, जिसके पैर ऊपर की ओर हैं और एक हाथ सुअर के सिर की ओर है।
- **काल निर्धारण में प्रयुक्त तकनीक:**
  - शोधकर्त्ताओं ने चूना पत्थर गुफाओं में कैल्साइट निक्षेप **के यूरेनियम श्रृंखला (U-सीरीज़) विश्लेषण** का उपयोग कर इस शैल कला का काल निर्धारण किया।
    - शोधकर्त्ताओं ने इन चित्रों का काल निर्धारित करने के लिये लेज़र किरणों का उपयोग कर **यूरेनियम के विशिष्ट समस्थानिक** और **थोरियम के विशिष्ट समस्थानिक** के अनुपात की तुलना की।
  - समस्थानिक **(Isotope) एक ही तत्त्व के परमाणु का एक रूप** होता है, जिनकी परमाणु संख्या और रासायनिक गुण समान होते हैं किंतु इनके परमाणु भार/द्रव्यमान संख्या तथा भौतिक विशेषताओं में भिन्नता होती है।
  - इस पद्धति का उपयोग **'लींग बुलू' सिपोंग 4 में एक अन्य गुफा चित्रकला का काल निर्धारित करने के लिये** भी किया गया था जिसे आरंभ में 43,900 वर्ष प्राचीन माना गया था।
    - इसके निष्कर्षों के अनुसार यह चित्रकला पूर्व में किये गए अनुमान से कम-से-कम 4,000 वर्ष अधिक प्राचीन है।
  - भारत में मध्य प्रदेश जैसे स्थानों में शैल चित्रकारी की एक महत्त्वपूर्ण श्रृंखला देखने को मिलती है किंतु **उक्त प्रकार की कोई काल निर्धारण पद्धति** मौजूद **नहीं** है।
    - मध्य प्रदेश के भीमबेटका की प्राचीनतम चित्रकारी लगभग **30,000 वर्ष पुरानी** है।
- **महत्त्व:**
  - शोधकर्त्ताओं के अनुसार इन चित्रों में मनुष्यों और जंतुओं की आलंकारिक कला का काल पूर्व में किये गए अनुमान की अपेक्षा कहीं अधिक हैं।
    - निएंडरथल मानव ने गुफाओं को उकेरना का अभ्यास लगभग **75,000 वर्ष पहले** ही शुरू किया किंतु उनके द्वारा किये गए ये अंकन **आलंकारिक/प्रतीकात्मक नहीं** होते थे।
  - यह न केवल प्रारंभिक मनुष्यों की सांस्कृतिक प्रथाओं के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है अपितु कथा की एक परिष्कृत परंपरा के उद्भव का भी सुझाव देता है जिसमें **मनुष्यों और जंतुओं के बीच संबंधों को दर्शाने के लिये दृश्य कलाओं का उपयोग** किया गया।

भीमबेटका शैल चित्रकारी (रॉक पेंटिंग)

- **अवस्थित:** यह मध्य प्रदेश के **विंध्यन पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है**, जहाँ 500 से अधिक शैलचित्रों वाले शैलाश्रय हैं।
  - भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष **1957-58 में वी. एस. वाकणकर** ने की थी।
  - इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- **समयावधि:** अनुमान है कि **सबसे पुरानी चित्रकारी 30,000 वर्ष पुरानी हैं** तथा गुफाओं के अंदर स्थित होने के कारण आज भी सुरक्षित हैं।
  - 100,000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक गुफाओं में व्याप्ति में स्पष्ट निरंतरता है तथा **अनेक चित्र (पेंटिंग) एक के ऊपर एक चित्रित किये गए हैं।**
    - कुछ स्थानों पर तो एक के ऊपर एक चित्रों की 20 परतें हैं।
  - भीमबेटका की चित्रकारी **उच्च पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन काल** की है।
    - हालाँकि अधिकांश चित्र मध्यपाषाण युग के हैं।
- **चित्रकारी तकनीक:** इसमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त विभिन्न रंगों जैसे लाल गेरू, बैंगनी, भूरा, सफेद, पीला और हरा आदि का उपयोग किया जाता है।
  - लाल रंग के लिये हेमेटाइट अयस्कों का इस्तेमाल किया गया था और सफ़ेद रंग संभवत: चूना पत्थर से बनाया गया था।
  - हरा रंग चाल्सेडनी नामक हरे रंग की चट्टान से तैयार किया गया था।
  - ब्रश पौधे के रेशे से बनाए गए थे।
- **चित्रों की विषय-वस्तु:** प्रागैतिहासिक पुरुषों के रोज़मर्रा के जीवन को अक्सर छड़ी जैसी मानव आकृतियों में दर्शाया गया है।
  - हाथी, बाइसन, हिरण, मोर और साँप जैसे विभिन्न जानवरों को दर्शाया गया है।
  - शस्त्रधारी पुरुषों के साथ शिकार के दृश्य और युद्ध के दृश्य।
  - सरल ज्यामितीय डिज़ाइन और प्रतीक।

नोट :

भारत का भुगतान संतुलन

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आँकड़ों से पता चला है कि भारत के चालू खाते में **वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में अधिशेष दर्ज** किया है। यह 11 तिमाहियों में पहला अधिशेष था।

- यह उपलब्धि **भारत** के भुगतान संतुलन (BoP) के महत्त्व को रेखांकित करती है तथा मुद्रा विनिमय दरों, सॉवरेन क्रेडिट एवं समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को उजागर करती है।

Understanding India's Balance of Payments

(In $ billion)			Q4 FY24	FY24	FY23	FY21	FY25#
Current account*			6	-23.3 (0.7% of GDP)	-67 (2% of GDP)	24 (0.9% of GDP)	-39 (1% of GDP)
	Trade of Goods		-51	-242	-265	-102	-268
	Trade of Services (Invisibles)		57	218	198	126	229
		Services	43	163	143	89	171
		Transfers	29	106	101	74	106
Capital account*			25	86	59	63	77
	Foreign investment		13	54	23	80	52
		FDI	2	10	28	44	20
		FII	11	44	-5	36	32
	Loans		2	2	8	6	10
	Banking Capital		7	41	21	-21	15
	Other Capital		3	-10	7	-2	0
Balance of Payments*			31	64	-9	87	38
Change in Forex**			-31	-64	9	-87	

*A minus sign is deficit; ** A minus sign shows increase in India's foreign exchange reserves; # Forecast by ICICI Securities
Source: RBI, ICICI Securities, Indian Express Research

भुगतान संतुलन क्या है ?

- **परिचय:** भुगतान संतुलन **एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक** के रूप में कार्य करता है, जो भारत एवं शेष विश्व के बीच सभी वित्तीय लेन-देन का विवरण देता है।
  - यह व्यापक खाता बही धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह पर नज़र रखता है, जहाँ अंतर्वाह को सकारात्मक एवं बहिर्वाह को नकारात्मक के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर देश की आर्थिक अंत:क्रियाओं को दर्शाता है।
  - यह **विदेशी मुद्राओं के तुलना में रुपए की सापेक्ष मांग** को मापता है, जो विनिमय दरों एवं आर्थिक स्थिरता को विशेष रूप से प्रभावित करता है।
- **BoP के घटक:**
  - **चालू खाता:**
    - **वस्तुओं का व्यापार:** भौतिक आयात एवं निर्यात को ट्रैक करता है, जो व्यापार संतुलन को दर्शाता है। घाटा निर्यात की तुलना में अधिक आयात का संकेत देता है।
    - **सेवाओं का व्यापार (अदृश्य):** इसमें IT, पर्यटन तथा धनप्रेषण जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो व्यापार घाटे के बावजूद भारत के चालू खाता अधिशेष में सकारात्मक योगदान देते हैं।
    - इन **दोनों घटकों का शुद्ध योग चालू खाता शेष निर्धारित** करता है। वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में, भारत ने चालू खाते पर अधिशेष दर्ज किया, जिसमें अदृश्य अधिशेष लेकिन व्यापार खाते में घाटा था।

नोट :

- **पूंजी खाता:**
  - इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा विदेशी संस्थागत निवेश (FII) जैसे निवेश शामिल हैं, जो आर्थिक विकास एवं स्थिरता के लिये आवश्यक हैं। पूंजी खाता प्रवाह वाणिज्यिक उधार, बैंकिंग, निवेश, ऋण और पूंजी जैसे कारकों को प्रतिबिंबित करता है।
- वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में, भारत ने पूंजी खाते पर 25 बिलियन अमेरीकी डॉलर का शुद्ध अधिशेष को दर्शाया।

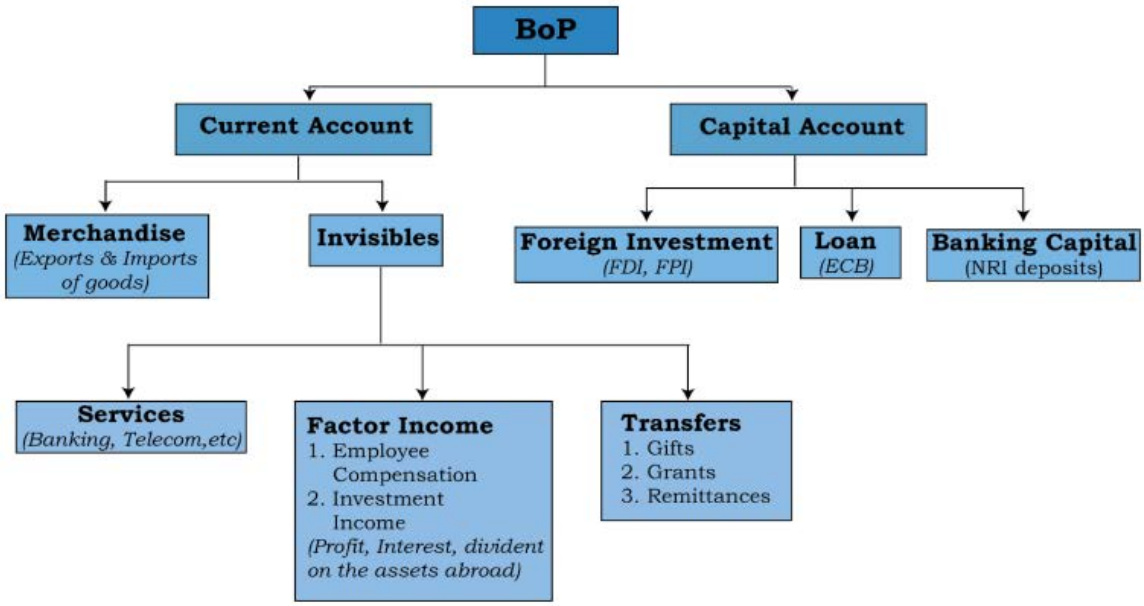

- **असंतुलन:** भुगतान संतुलन में अधिशेष का अर्थ घाटे की स्थिति से है।
  - भुगतान संतुलन अधिशेष उस स्थिति में होता है **जब किसी देश की निर्यात, सेवाओं और निवेश से होने वाली आय, उसके आयात तथा बाह्य दायित्वों पर होने वाले व्यय से अधिक** हो जाती है।
- **चुनौतियाँ:** अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में जटिलताओं के कारण **भुगतान संतुलन गणना में त्रुटियाँ और चूक शामिल** हैं।
  - लगातार घाटा किसी देश की आर्थिक स्थिरता पर तनाव उत्पन्न कर सकता है, जिसके लिये बाह्य उधार या IMF जैसी **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता की आवश्यकता** हो सकती है।
  - आम धारणा के विपरीत, **घाटा स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं होता और न ही अधिशेष स्पष्ट रूप से सकारात्मक होता** है। घाटा रणनीतिक निवेश का संकेत हो सकता है, जबकि अधिशेष मज़बूत आर्थिक स्वास्थ्य के बजाय कम आयात से उपजा हो सकता है।
- **BoP का प्रबंधन:**
  - **विदेशी मुद्रा भंडार:** RBI बाज़ार हस्तक्षेप के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार को और ब्याज दरों को समायोजित करने, खुले बाज़ार परिचालन एवं उधार लेने तथा खर्च को प्रभावित करने जैसे उपकरणों का उपयोग करके भुगतान संतुलन में उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करता है।
  - **नीतिगत हस्तक्षेप:** सरकार भुगतान संतुलन की गतिशीलता को स्थिर करने के लिये व्यापार नीतियों और विनियामक उपायों को क्रियान्वित करती हैं, जिससे सतत् आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है।
    - **अपस्फीति मुद्रा आपूर्ति** या कुल मांग में जानबूझकर की गई कमी है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं, **जिससे निर्यात अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो सकता है और आयात सहित खपत कम हो सकती है।** हालाँकि इससे आर्थिक मंदी और बेरोज़गारी में वृद्धि जैसे जोखिम भी उत्पन्न होते हैं।
  - **विदेशी निवेश संवर्द्धन:** कर प्रोत्साहन देकर, बुनियादी ढाँचे में सुधार, कारोबारी माहौल और विदेशी व्यवसायों के लिये विनियमनों को सुव्यवस्थित करके पूंजी खाते को बढ़ाने हेतु विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।
    - इससे विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी आकर्षित हो सकती है, जिससे निर्यात क्षमता में संभावित सुधार हो सकता है।

नोट :

IIT-M टीम ने जल की बूंदों से बनाए मिनरल नैनोपार्टिकल्स

हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि **जल की सूक्ष्म बूंदों में मिनरल (खनिज)** को नैनोपार्टिकल्स में तोड़ने की क्षमता होती है।

नोट: सूक्ष्म बूंदों (Microdroplets) के गुण:

- जल की सूक्ष्म बूंदें सामान्य वर्षा की बूंदों की तुलना में अत्यधिक छोटी होती हैं, जो **वर्षा की बूंद के आकार का केवल एक हज़ारवाँ भाग** होती हैं।
- ये सूक्ष्म बूंदें अपनी घनीभूत प्रकृति के कारण **बल्क वाटर की तुलना में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने के लिये अधिक उत्सुकता प्रदर्शित** करती हैं।
- सूक्ष्म बूंदें अत्यधिक तीव्रता से रासायनिक अभिक्रिया कर सकती हैं, बल्क वाटर की तुलना में दस लाख गुना अधिक तीव्रता से।
- ये **विद्युत आवेश के उत्कृष्ट वाहक के रूप में** कार्य करते हैं।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **प्रयोगात्मक निष्कर्ष:**
  - अध्ययन से पता चला कि सूक्ष्म बूंदें **सिलिका (SiO_2) तथा एल्यूमिना (Al_2O_3)** जैसे **मिनरल्स को नैनोपार्टिकल्स** में तोड़ सकती हैं।
  - यह जल में निलंबित **मिनरल सूक्ष्म कणों पर उच्च वोल्टेज़ प्रवाहित करके** प्राप्त किया गया, जिससे वे 10 मिलीसेकंड के भीतर नैनोपार्टिकल्स में टूट गए।
  - मिनरल सूक्ष्म कणों का नैनोपार्टिकल्स में टूटना क्रिस्टल परतों में **प्रोटॉन के सिकुड़ने, आवेशित सतहों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों और साथ ही सूक्ष्म बूंदों की पृष्ठ तनाव के कारण** हो सकता है।
- **संभावित अनुप्रयोग:**
  - नैनोपार्टिकल्स निर्माण की इस प्रक्रिया के कृषि पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं, जैसे **सिलिका नैनोपार्टिकल्स की आपूर्ति करके अनुत्पादक मिट्टी को उत्पादक भूमि में परिवर्तित** करना।
    - पौधे अपनी लंबाई बढ़ाने के लिये नैनोपार्टिकल्स के रूप में सिलिका को अवशोषित करते हैं।
  - यह **जीवन की उत्पत्ति से भी संबंधित** है, क्योंकि सूक्ष्म बूंदें प्रोटो-कोशिकाओं की नकल कर सकती हैं, जो संभावित रूप से प्रारंभिक जैव-रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
  - भविष्य में होने वाले अनुसंधान में यह देखा जा सकता है कि क्या जल की सूक्ष्म बूंदें वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में मिनरल्स के साथ स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं तथा संभावित रूप से 'सूक्ष्म बूंदों की बौछार' के माध्यम से नैनोपार्टिकल्स का निर्माण करती हैं।

नैनोपार्टिकल्स क्या हैं ?

- **अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO),** नैनोपार्टिकल्स (NPs) को नैनो-ऑब्जेक्ट्स के रूप में परिभाषित करता है, जिनमें नैनोस्केल में सभी बाह्य आयाम होते हैं, जहाँ नैनो-ऑब्जेक्ट की सबसे लंबी एवं सबसे छोटी अक्षों की लंबाई में महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं होता है।
- यदि आयामों में अत्यधिक अंतर हो (आमतौर पर तीन गुना से अधिक), तो **नैनोफाइबर अथवा नैनोप्लेट्स** जैसे शब्दों को NPs शब्द की तुलना में प्राथमिकता दी जा सकती है।
- NPs विभिन्न आकार, आकार और संरचना के हो सकते हैं। वे **गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, ट्यूबलर, खोखले कोर, सर्पिल आदि या अनियमित** हो सकते हैं।
  - NPs का आकार 1 से 100 nm तक कहीं भी हो सकता है। यदि NPs का आकार 1 nm से कम हो जाता है, तो आमतौर पर परमाणु क्लस्टर शब्द को प्राथमिकता दी जाती है। **NPs एकल या मल्टी-क्रिस्टल ठोस या किसी अन्य किसी अवस्था साथ क्रिस्टलीय** हो सकते हैं। NPs ढीले या कठोर अवस्था में हो सकते हैं।
- NPs एकसमान हो सकते हैं, या कई परतों से बने हो सकते हैं।
- **वर्गीकरण:** उनकी संरचना के आधार पर NPs को आमतौर पर तीन वर्गों में रखा जाता है, अर्थात् कार्बनिक, कार्बन-आधारित और अकार्बनिक।
- **अनुप्रयोग:** चिकित्सा, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य उद्योग आदि में।

नोट :

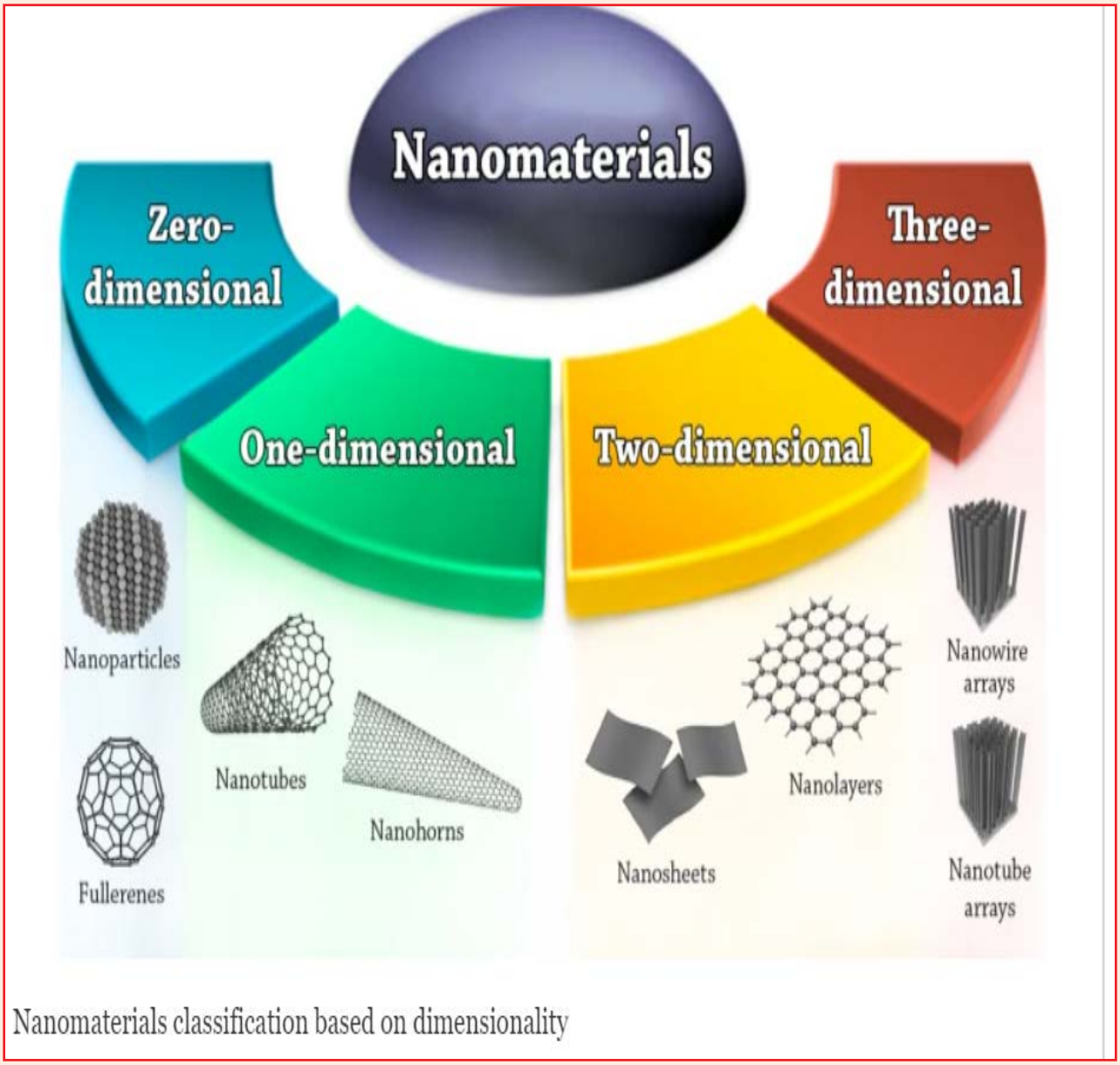

Nanomaterials classification based on dimensionality

जल की बूंदें बनाम जलवाष्प		
विशेषता	**पानी की बूंदें**	**जलवाष्प**
भौतिक अवस्था	तरल	गैस
दृश्यता	दृश्यमान	अदृश्य
निर्माण	जलवाष्प का संघनन	जल का वाष्पीकरण
उदाहरण	बारिश, कोहरा, धुंध, ओस, बादल	आर्द्र दिन पर हवा, भाप

नोट :

गाँवों के पुनर्वास पर NTCA की योजना

हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (**National Tiger Conservation Authority- NTCA**) ने **राज्य वन्यजीव विभागों** से आग्रह किया है कि वे **मुख्य बाघ आवासों** के भीतर स्थित गाँवों के स्थानांतरण के लिये एक व्यापक समय-सीमा और कार्य योजना विकसित करें।

NTCA की गाँव पुनर्वास योजना क्या है ?

- **मुख्य क्षेत्रों के संबंध में:**
  - **वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006** व्यवहार्य बाघ प्रजनन आबादी को समर्थन देने के लिये **अशांत क्षेत्र (Disturbed Areas)** की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
    - **मुख्य या महत्त्वपूर्ण बाघ आवास** से तात्पर्य बाघ रिज़र्व के भीतर के उन क्षेत्रों से है, जिन्हें प्रजनन करने वाली बाघ आबादी के अस्तित्त्व को सुनिश्चित करने के लिये अछूता रखा जाता है।
  - NTCA का ध्यान भारत के **55 अधिसूचित** बाघ अभयारण्यों पर है, जहाँ लगभग 600 गाँव (64,801 परिवार) वर्तमान में **मुख्य बाघ आवासों** में रहते हैं।
- **स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम (VVRP):**
  - **स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम (VVRP)** के दोहरे उद्देश्य हैं- विकास के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना** और बाघों के लिये अछूता स्थान बनाना, ताकि दोनों ही चीज़ें **सामंजस्य के साथ** हो सकें।
    - पुनर्वास स्वैच्छिक होना चाहिये तथा ग्राम सभाओं और संबंधित परिवारों की सूचित सहमति पर आधारित होना चाहिये एवं **अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दी** जानी चाहिये व उनका निपटारा किया जाना चाहिये।
  - **प्रतिपूर्ति:** संबंधित परिवार **वित्तीय प्रतिपूर्ति** (प्रति परिवार 15 लाख रुपए) या **पुनर्वास पैकेज** (भूमि, आवास और बुनियादी सुविधाओं सहित) का चयन कर सकते हैं।
  - **उक्त योजना से संबंधित मुद्दे:** NTCA का पुनर्वास पैकेज भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित विधिक मानकों के अनुरूप नहीं है।
    - NTCA में **भूमि अर्जन अधिनियम, 2013** की विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति समुदायों और वन निवासियों को पुनर्व्यस्थापन (Resettlement) तथा पुनर्वास (Rehabilitation) प्रदान करने के लिये विशेष प्रावधान हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर

- प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष **1973** में शुरू किया गया था।
- प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिज़र्व बनाकर **बाघों का उनके प्राकृतिक आवासों में अस्तित्त्व और रखरखाव सुनिश्चित करना** है।
- केवल **नौ अभयारण्यों** से शुरू होकर, इस परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया। वर्ष 2024 तक **55 रिज़र्व** के साथ इसका विस्तार का दायरा **विभिन्न राज्यों** में है जो भारत के **भू क्षेत्र का कुल 2.38%** है।
- वर्ष 1972 में पहली बाघ गणना में अनूठी पग-मार्क विधि के साथ कैमरा-ट्रैप विधि जैसी अधिक सटीक तकनीकों का उपयोग किया गया।

नोट :

वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:** वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद 48 A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद 51 A (g):** वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्त्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
  - वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
  - एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
  - जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
  - IDHW, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण:**
  - ऑपरेशन सेव कुर्मा
  - ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- विश्व विरासत सम्मेलन
- रामसर कन्वेंशन
- वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

Drishti IAS

नोट :

विकिपीडिया के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा

हाल ही में समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (Asian News International- ANI) ने ANI के विकिपीडिया पेज पर कथित रूप से **अपमानजनक सामग्री की अनुमति देने के लिये विकिपीडिया के विरुद्ध** दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

- याचिकाकर्त्ता ने 2 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि सामग्री **"स्पष्ट रूप से झूठी"** और अपमानजनक है तथा इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं उसकी सद्भावना को ठेस पहुँच रही है।

विकिपीडिया

- यह वर्ष 2001 में **जिमी वेल्स और लैरी सेंगर द्वारा स्थापित एक निशुल्क ऑनलाइन** विश्वकोश है।
- यह ज्ञान की **विभिन्न शाखाओं पर स्वतंत्र रूप से संपादन योग्य सामग्री उपलब्ध कराता** है, जिसका उद्देश्य लिंक किये गए **लेखों के माध्यम से सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करके पाठकों को लाभान्वित** करना है।

विकिपीडिया के विरुद्ध ANI के मामले का कानूनी आधार क्या है?

- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 **की धारा 2(1)(w):**
  - इसमें **"मध्यस्थ" की परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति शामिल है** जो दूसरों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संभालता है। इसमें दूरसंचार, नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब-होस्टिंग सेवाएँ, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान साइट, नीलामी साइट, बाज़ार तथा साइबर कैफे शामिल हैं।
- **IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 (सुरक्षित बंदरगाह खंड):**
  - यह **मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्मों के माध्यम से होस्ट या प्रसारित** किसी भी तीसरे पक्ष की सामग्री या सूचना के लिये उत्तरदायित्व से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
    - **धारा 79(2)(b):** सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण का लाभ उठाने के लिये, **मध्यस्थ को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी** होंगी:
  - उन्हें अपने **कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय पूरी तत्परता बरतनी** चाहिये।
  - इसे **प्रसारण आरंभ नहीं करना चाहिये प्रसारण के प्राप्तकर्त्ता का चयन नहीं** करना चाहिये या **प्रसारण में निहित जानकारी को संशोधित नहीं करना** चाहिये।
  - इसे सरकार के निर्देशों जैसे कि मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021 या अदालती आदेशों का पालन करना चाहिये।
    - **धारा 79(3)** में कहा गया है कि यदि **मध्यस्थ, सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने के बाद, निर्दिष्ट सामग्री को तुरंत हटाने या उस तक पहुँच** अक्षम करने में विफल रहता है, तो यह सुरक्षा लागू नहीं होगी।
- **आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 3:**
  - यह **ग्राहकों के डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग** करके **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रामाणित करने की अनुमति** प्रदान करता है और साथ ही प्रामाणीकरण के लिये **असममित क्रिप्टो प्रणाली तथा हैश फंक्शन के उपयोग की आवश्यकता** होती है।
  - **ग्राहक की सार्वजनिक कुंजी जो उनकी निजी कुंजी के साथ मिलकर एक अद्वितीय कुंजी युग्म का निर्माण** करती है, का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को सत्यापित करने के लिये किया जा सकता है।

नोट:

- **आईटी अधिनियम की धारा 79** की तरह, **अमेरिकी संचार निर्णय अधिनियम की धारा 230** में कहा गया है कि जो पक्ष **इंटरैक्टिव कंप्यूटर सर्विस** प्रदान करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, उन्हें **तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सामग्री का प्रकाशित या वक्ता नहीं** मानी जाएगी।

विकिपीडिया से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णय क्या थे?

- ***आयुर्वेदिक औषधि निर्माता संगठन बनाम विकिपीडिया फाउंडेशन मामला, 2022:***
  - इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने **विकिपीडिया पर एक लेख को अपमानजनक बताने वाली याचिकाओं को खारिज** कर दिया तथा याचिकाकर्त्ताओं को लेख को संपादित करने या अन्य कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी।
- ***हेवलेट पैकार्ड इंडिया सेल्स बनाम सीमा शुल्क आयुक्त मामला, 2023:***
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्णय देने वाले प्राधिकारियों ने अपने निष्कर्षों के समर्थन में विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोतों का व्यापक रूप से हवाला दिया था।
  - "इसने **कानूनी विवाद समाधान के लिये विकिपीडिया जैसे भीड़-स्रोत** तथा **उपयोगकर्त्ता-जनित प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने के विरुद्ध चेतावनी** दी, क्योंकि वे **"भ्रामक जानकारी" को बढ़ावा** दे सकते हैं।

नोट :

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं ?

- सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023,
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021।
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)।

सड़क कार्यों के लिये हरित निधि का उपयोग

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) वायु प्रदूषण से निपटने के लिये निर्धारित धनराशि का उपयोग सड़क मरम्मत और पक्की सड़क निर्माण कार्यों हेतु कर रहा है।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**National Green Tribunal- NGT**) ने धन के इस दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है तथा इसे संभावित रूप से **"घोर दुरुपयोग और गंभीर वित्तीय अनियमितता"** बताया है।

सड़क निर्माण कार्यों हेतु CPCB द्वारा ग्रीन फंड के उपयोग का मुद्दा क्या है ?

- **विचाराधीन फंड:**
  - **पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC):** वर्ष 2016 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर, दिल्ली- NCR में 2000 CC या उससे अधिक इंजन क्षमता वाले डीज़ल वाहनों पर 1% शुल्क के रूप में वसूला जाता है।
  - **पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC):** NGT द्वारा लगाए गए मुआवज़े से एकत्रित और CPCB द्वारा प्रबंधित।
  - ये फंड **वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के विशिष्ट उद्देश्य** से बनाए गए थे। हालाँकि सड़क निर्माण के लिये उनके हालिया उपयोग ने कानूनी जाँच को जन्म दिया है।
- **CPCB का औचित्य:** CPCB का तर्क है कि सड़क की मरम्मत और पक्की सड़क बनाने का कार्य सीधे तौर पर धूल प्रदूषण को कम करने में योगदान देता है, जो शहरी क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता के लिये महत्त्वपूर्ण कारण है।
  - उनका दावा है कि यह वित्तपोषण दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme- NCAP) 2019 के अनुरूप है, जो स्वच्छ वायु नगर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये एक अभिसरण मॉडल को अपनाता है।
  - सीपीसीबी का कहना है कि वह इन निधियों का उपयोग वायु गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं के लिये अंतराल वित्तपोषण के रूप में करता है, जब **उन्हें अन्य योजनाओं द्वारा समर्थन नहीं मिलता** है।
  - CPCB ने आठ सड़क परियोजनाओं के लिये गाज़ियाबाद नगर निगम को आवंटित 98.9 करोड़ रुपए की EPC निधि में से 15.9 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के मामले को उजागर किया है तथा यह सुनिश्चित किया है कि किसी अन्य योजना से इन कार्यों का वित्तपोषण नहीं किया गया।
  - प्रासंगिक समितियों द्वारा अनुमोदित यह आवंटन, वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु सड़क निर्माण कार्यों के लिये CPCB द्वारा धन के उपयोग को दर्शाता है।
- **NGT की चिंताएँ और जाँच:** NGT वायु गुणवत्ता सुधार निधि को **सड़क मरम्मत में लगाने के कारण** संभावित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में चिंतित है।
  - यदि CPCB यह प्रथा जारी रखता है, तो अन्य नगर निकाय भी इसी प्रकार के आवंटन की मांग करेंगे, जिससे निष्पक्षता और निधि उपयोग संबंधी मुद्दे उठेंगे।
  - **NGT को अभी इन निधियों के उपयोग की अनुमति पर निर्णय लेना** है, यह निर्णय CPCB द्वारा निधियों के भविष्य के उपयोग को भी प्रभावित करेगा और पर्यावरण संरक्षण तथा बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं पर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे पर 53 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता के संदर्भ में विचार किया जाएगा तथा संभवत: इसे व्यापक वायु गुणवत्ता प्रबंधन रणनीतियों से जोड़ा जाएगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **स्थापना एवं कानूनी ढाँचा:** CPCB एक **वैधानिक संगठन** है जिसका गठन **वर्ष 1974** में **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था। इसे **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत कार्य सौंपा गया था।
  - यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- **मुख्य कार्य:**
  - **जल प्रदूषण:** जल प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के द्वारा नदियों तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना।

नोट :

- **वायु प्रदूषण:** देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना।

- **वायु गुणवत्ता निगरानी:**
  - **राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम (National Air Monitoring Programme - NAMP):** वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्तियों का निर्धारण करने, विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा औद्योगिक स्थलों एवं नगर नियोजन के लिये आँकड़े उपलब्ध कराने के लिये स्थापित किया गया।
  - **निगरानी केंद्र:** नई दिल्ली में आईटीओ चौराहे पर स्वचालित निगरानी स्टेशन नियमित रूप से निम्नलिखित की निगरानी करता है: श्वसनीय निलंबित कण पदार्थ (RSPM), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओज़ोन (O_3), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) और निलंबित कण पदार्थ (SPM)।

- **जल गुणवत्ता निगरानी: जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** का उद्देश्य जल निकायों की संपूर्णता को बनाए रखना और बहाल करना है। CPCB जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी तथा सांख्यिकीय डेटा एकत्र करता है, उनका मिलान करता है एवं उनका प्रसार करता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- पर्यावरण मामलों के त्वरित समाधान, कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और नुकसान के लिये राहत प्रदान करने के लिये **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010** के तहत NGT की स्थापना **वर्ष 2010** में की गई थी।
  - इसके पास पर्यावरण संबंधी विवादों से निपटने में विशेषज्ञता है और यह **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** से बंधा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।
- न्यायाधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी त्वरित न्याय प्रदान करना तथा उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करना है तथा **इसके अंतर्गत 6 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करना है।**
- न्यायाधिकरण के पास अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। **यदि ऐसा नहीं होता है, तो निर्णय को 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।**
- **न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं।**

पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार

हाल ही में **ओडिशा सरकार** ने पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठित **रत्न भंडार** को 46 वर्षों के बाद खोला है।

जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार क्या है?

- **परिचय:**
  - **रत्न भंडार, खज़ाने का बहुमूल्य संग्रह** है, जो जगमोहन (मंदिर का सभा कक्ष) के उत्तर की ओर स्थित है।
  - इस मंदिर के रत्न भंडार में **भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा** के बहुमूल्य आभूषण संगृहीत हैं जो वर्षों से अनुयायियों एवं पूर्व राजाओं द्वारा उपहार में दिये गए हैं।
  - पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1952 के अनुसार बनाए गए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भगवान जगन्नाथ से संबंधित बहुमूल्य आभूषणों तथा विविध शृंगारों की सूची शामिल है।
  - **इसमें दो कक्ष मौजूद हैं: भीतरी भंडार (आंतरिक कक्ष) व बाह्य भंडार (बाहरी कक्ष)**, जो पिछले 46 वर्षों से बंद है।
  - वर्ष 1978 में अंतिम बार बनाई गई सूची के अनुसार यहाँ के रत्न भंडार में कुल 128.38 किलोग्राम सोना और 221.53 किलोग्राम चाँदी है।
  - **भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)** इस मंदिर का संरक्षक है और इसके द्वारा वर्ष 2008 में यहाँ के रत्न भंडार का संरचनात्मक निरीक्षण किया था, लेकिन इसने आंतरिक कक्ष में प्रवेश नहीं किया था।

जगन्नाथ मंदिर के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- पुरी का जगन्नाथ मंदिर राज्य (भारत) में **सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक** है, यह **भगवान जगन्नाथ, जिन्हें विष्णु का अवतार माना** जाता है, उनके **बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा** के लिये समर्पित है।
- इसे **"व्हाइट पैगोडा"** के रूप में जाना जाता है, यह **चार धाम तीर्थयात्रा** के चार तीर्थ स्थलों में से एक है।
- यह **ओडिशा के स्वर्णिम त्रिभुज का भी हिस्सा है, जिसमें राज्य के तीन प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं जो एक त्रिभुज बनाते हैं** और एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं।
  - अन्य दो स्थलों में **भुवनेश्वर (मंदिरों का शहर) और कोणार्क का सूर्य मंदिर (काला पैगोडा)** शामिल हैं।

नोट :

- इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में **गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव** द्वारा किया गया था।
  - यह **कलिंग वास्तुकला** का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारें, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियाँ हैं।
  - जगन्नाथ मंदिर के **चार द्वार इसकी चारदीवारी के मध्य बिंदुओं** पर स्थित हैं तथा चारों दिशाओं की ओर मुख किये हुए हैं। इनका **नाम अलग-अलग जानवरों के नाम पर रखा** गया है।

द्वार	**दिशा**	**मान्यतामोक्ष** (जन्म-पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति) प्राप्त करना।
सिंहद्वार (सिंह द्वार)	पूर्व	
हस्तिद्वार (हाथी द्वार)	उत्तर	लक्ष्मी (धन) का प्रतीक
अश्वद्वार	दक्षिण	मनुष्य को काम (वासना) से छुटकारा पाने में सहायता करता है।
व्याघ्रद्वार	पश्चिम	व्यक्ति को उसके धर्म (उचित व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाला लौकिक नियम) का स्मरण कराता है।

नोट :

- इसे **'यमनिका तीर्थ'** भी कहा जाता है जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता 'यम' की शक्ति समाप्त हो गई है।
- **संबंधित प्रमुख त्योहार:** स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, सायन एकादशी।

ओडिशा शैली (कलिंग वास्तुकला)

- यह **नागर शैली की उप-शैली** है जिसका विकास **कलिंग साम्राज्य** में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। इसकी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार थीं:
  - इसमें **बाहरी दीवारों** को जटिल नक्काशी से **भव्य रूप से सजाया** जाता था जबकि अंदर की दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं की जाती थी।
  - **द्वारमंडप में स्तंभों का उपयोग नहीं** किया जाता था। छत को सहारा देने के लिये लोहे के गर्डरों का उपयोग किया जाता था।
  - ओडिशा शैली में **शिखर** को **रेखा देउल** के नाम से जाना जाता था। इनकी छतें प्राय: लंबवत् होती थीं जो अंतिम छोर पर अंदर की ओर वक्रित होती थीं।

ग्रीनहाउस गैसें, वर्षा एवं जलवायु परिवर्तन

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि ग्रीनहाउस गैसों में **अभूतपूर्व वृद्धि से भूमध्यरेखीय क्षेत्र** में वर्षा कम हो सकती है।

- इससे पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान के सदाबहार वनों से युक्त भारत के जैवविविधता वाले हॉटस्पॉट की जगह पर्णपाती वन ले सकते हैं।

हालिया अध्ययन से क्या पता चला ?

- **परिचय:**
  - अध्ययन में **भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में वर्षा पैटर्न और वनस्पति पर ग्रीनहाउस गैसों,** विशेष रूप से **वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर में वृद्धि के प्रभावों** की ओर इशारा किया गया।
  - अध्ययन में **जीवाश्म पराग (कच्छ की लिग्नाइट खदान से)** और **इओसीन युग (54 मिलियन वर्ष पूर्व, वैश्विक तापमान वृद्धि का काल)** से प्राप्त **कार्बन समस्थानिक डेटा का उपयोग** किया गया।
  - अध्ययन में **गहन समय की अतितापीय घटनाओं** से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया, जिन्हें भविष्य की जलवायु पूर्वानुमान के लिये संभावित अनुरूप माना जाता है।
    - **गहन-समय (भूवैज्ञानिक समय) के दौरान चरम जलवायु गर्मी (हाइपरथर्मल)** की घटनाएँ इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि पृथ्वी **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** से संबंधित वर्तमान गर्मी के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया कर सकती है।
- **वर्षा एवं वनस्पति पर प्रभाव:**
  - इओसीन युग के दौरान, जब भूमध्य रेखा के पास वायुमंडलीय CO_2 सांद्रता 1000 भाग प्रति मिलियन (ppmv) से अधिक हो गई, तो **वर्षा में उल्लेखनीय कमी आने** के कारण **पर्णपाती वनों** में वृद्धि हुई।
- **वर्तमान जलवायु परिवर्तन से प्रासंगिकता:**
  - अध्ययन में पिछली जलवायु परिस्थितियों (इओसीन युग) एवं **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि** के तहत संभावित भविष्य के परिदृश्यों के बीच समानताओं पर विचार किया गया है। इस अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि द्वारा वर्षावनों एवं अन्य **संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की रणनीतियों** को बनाने में सहायता मिल सकती है।

जलवायु परिवर्तन के पूर्व साक्ष्य क्या हैं ?

- भू-वैज्ञानिक अभिलेखों में **हिमयुग और ऊष्ण अंतर-हिमयुग** चरणों की क्रमिक अवधियों का वर्णन है।
- अतीत में **(लगभग 500-300 मिलियन वर्ष पूर्व-कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन एवं सिलुरियन काल के दौरान)** पृथ्वी की जलवायु उल्लेखनीय रूप से गर्म/ऊष्ण थी।
- **प्लीस्टोसीन युग** के दौरान, पृथ्वी हिमयुग तथा अंतर-हिमयुग काल से गुजरी, जिसमें **अंतिम प्रमुख हिमयुग लगभग 18,000 वर्ष पूर्व** था। वर्तमान **अंतर-हिमयुग काल लगभग 10,000 वर्ष पूर्व शुरू** हुआ था।
- सबसे **हालिया हिमयुग लगभग 120,000 से 11,500 वर्ष पूर्व** तक था।
- **उच्च ऊँचाई और अक्षांश** वाले क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक विशेषताओं, तलछट का जमाव एवं ग्लेशियरों के विस्तार व संकुचन के प्रमाण मिलते हैं जिससे **शीत तथा ऊष्ण अवधियों के बीच उतार-चढ़ाव** के संकेत मिलते हैं।
- हिमयुग को अंतर हिमयुग की तुलना में **अधिक ठंडा, धूल भरा तथा आमतौर पर शुष्क** माना जाता है। हिमयुग और अंतर हिमयुग के इन चरणों के प्रमाण विश्व भर में **समुद्री तथा स्थलीय दोनों ही वातावरणों से संबंधित कई पुराजलवायु अभिलेखों** में देखे जा सकते हैं।
- **अंतर-हिमयुग काल**, आमतौर पर उत्तरी गोलार्द्ध में (गर्मियों के दौरान) चरम सौर विकिरण की अवधि से संबंधित होते हैं।
- **भारत का संदर्भ:**
  - भारत में क्रमिक रूप से **आद्र और शुष्क स्थितियाँ** उत्पन्न हुईं।
  - पुरातात्त्विक खोजों के अनुसार **8,000 ईसा पूर्व** राजस्थान के मरुस्थल की जलवायु **आद्र और ठंडी** थी।
  - **3,000-1,700 ईसा पूर्व** की अवधि में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा हुई जिसके बाद शुष्क परिस्थितियाँ बनी रहीं।

नोट :

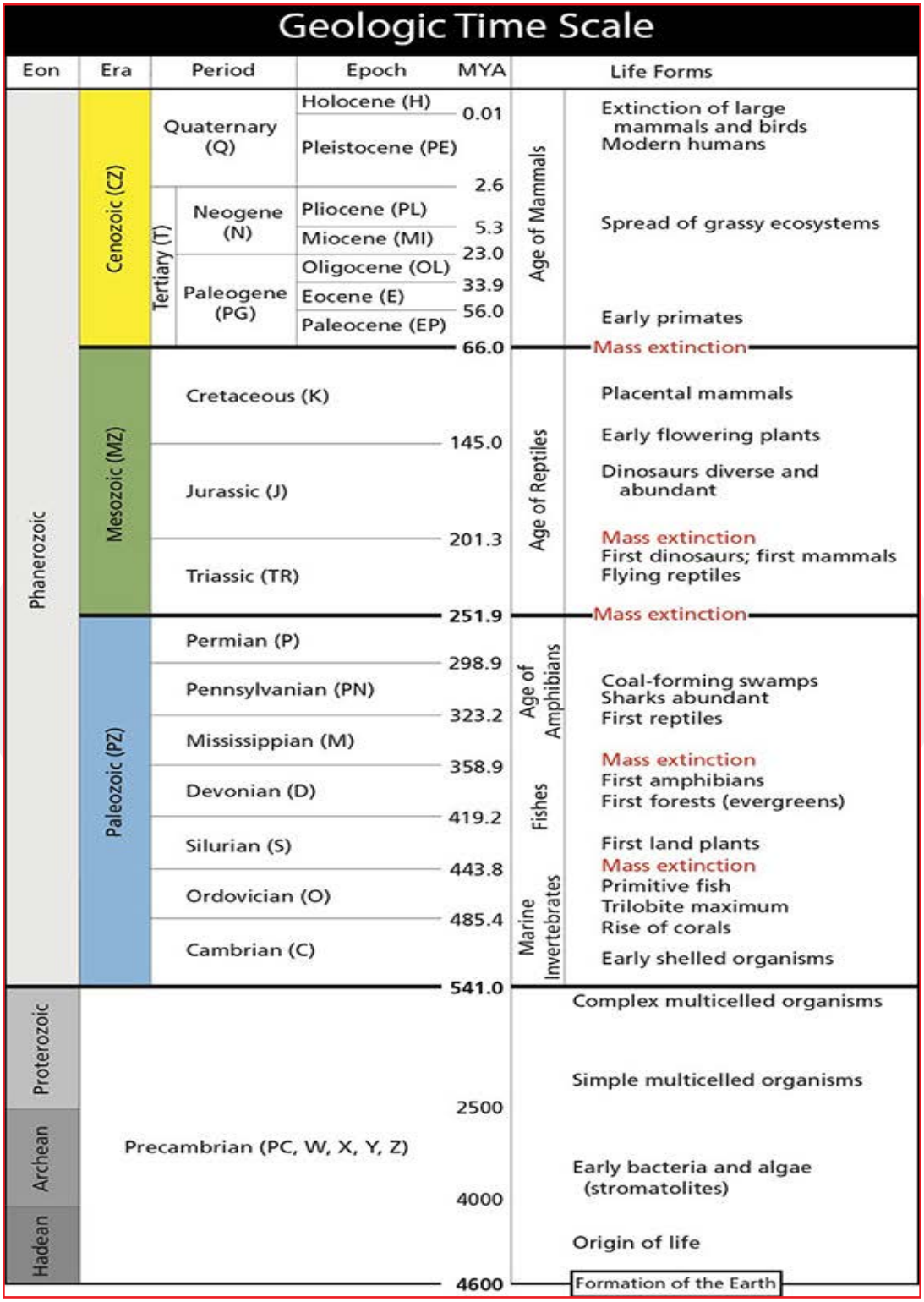
Geologic Time Scale
Eon
Era
Period
Epoch
MYA
Life Forms
Phanerozoic
Cenozoic (CZ)
Quaternary (Q)
Holocene (H)
0.01
Pleistocene (PE)
2.6
Tertiary (T)
Neogene (N)
Pliocene (PL)
5.3
Miocene (MI)
23.0
Paleogene (PG)
Oligocene (OL)
33.9
Eocene (E)
56.0
Paleocene (EP)
66.0
Age of Mammals
Extinction of large mammals and birds
Modern humans
Spread of grassy ecosystems
Early primates
Mass extinction
Mesozoic (MZ)
Cretaceous (K)
145.0
Jurassic (J)
201.3
Triassic (TR)
251.9
Age of Reptiles
Placental mammals
Early flowering plants
Dinosaurs diverse and abundant
Mass extinction
First dinosaurs; first mammals
Flying reptiles
Mass extinction
Paleozoic (PZ)
Permian (P)
298.9
Pennsylvanian (PN)
323.2
Mississippian (M)
358.9
Devonian (D)
419.2
Silurian (S)
443.8
Ordovician (O)
485.4
Cambrian (C)
541.0
Age of Amphibians
Fishes
Marine Invertebrates
Coal-forming swamps
Sharks abundant
First reptiles
Mass extinction
First amphibians
First forests (evergreens)
First land plants
Mass extinction
Primitive fish
Trilobite maximum
Rise of corals
Early shelled organisms
Proterozoic
Archean
Hadean
Precambrian (PC, W, X, Y, Z)
2500
4000
4600
Complex multicelled organisms
Simple multicelled organisms
Early bacteria and algae (stromatolites)
Origin of life
Formation of the Earth

■■■

नोट :

रैपिड फायर

PLI योजना के तहत ग्लूकागॉन का विनिर्माण

हाल ही में सरकार ने वर्ष 2026 से भारत में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत **ग्लूकागॉन जैसे पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट (GLP-1RA)** ड्रग्स (दवा) के विनिर्माण का फैसला किया है।

- **GLP-1RA, मधुमेह रोधी दवाओं** के वर्ग से संबंधित है जिसका उपयोग **वज़न घटाने** के लिये भी किया जाता है।
- **GLP-1RA** के अलावा निवेशक **ओज़ेम्पिक (मधुमेह के लिये)** और **वेगोवी (मोटापे के लिये)** जैसी अन्य दवाएँ बनाने की भी योजना बना रहे हैं तथा इस क्रम में **PLI योजना** के तहत भारत में विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
- घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के क्रम **में PLI योजना एक महत्त्वाकांक्षी योजना** है, जिससे आयात में कमी आने के साथ रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **मार्च 2020** में शुरू की गई इस योजना के तहत **वर्तमान में 14 क्षेत्र** शामिल हैं।
- इस योजना के तहत **घरेलू तथा विदेशी कंपनियों** को भारत में विनिर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो पाँच वर्षों तक के उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होता है।

मेनलैंड सीरो

हाल ही में असम वन विभाग एवं संरक्षणवादियों द्वारा पश्चिमी असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में **मेनलैंड सीरो (कैपरीकोर्निस सुमात्रेंसिस थार)** के **पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य का दस्तावेज़ीकरण** किया है।

मेनलैंड सीरो:

- यह **एक स्तनपायी जीव** है जो **बकरी और मृग के बीच** की संकर प्रजाति जैसा दिखाई देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार, **मेनलैंड सीरो 200-3000 मीटर की ऊँचाई वाले क्षेत्रों** में पाए जाते हैं।
- यह पशु भारत-भूटान सीमा के पार **फिबसू वन्यजीव अभयारण्य** और भूटान के **रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान** में भी पाए जाते हैं।
- इस पशु की **तीन अन्य प्रजातियाँ जापानी सीरो, रेड सीरो** (पूर्वी भारत, बांग्लादेश और म्याँमार में पाई जाती हैं) तथा **ताइवानी या फॉर्मोसन सीरो** हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
  - CITES: परिशिष्ट I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) ने **बिग-5 फर्मों** की **ऑडिट शाखाओं** का निरीक्षण शुरू किया है।

- **बिग-5 फर्मों** में **BSR & Co, डेलोइट हैस्किन्स एंड सेल्स, SRBC & Co, प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वॉकर चंडियोक एंड कंपनी** शामिल हैं।
  - **"ऑडिट शाखाएँ",** कंपनी के **वित्तीय विवरणों का ऑडिट करने हेतु उत्तरदायी** होती हैं।
- इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश फर्मों ने अपनी **ऑडिट एवं गैर-ऑडिट सेवाओं** को पृथक करने हेतु पहले से ही पहल शुरू कर दी है।
- इस रिपोर्ट में कमज़ोरी वाले क्षेत्रों को सुधार के संभावित क्षेत्रों के रूप में संदर्भित किये जाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

नोट :

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA):

NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY

IN NEWS

The National Financial Reporting Authority (NFRA) has started inspections of five audit firms.

सत्यमेव जयते

The Conference on "Financial Reporting & Governance Framework – Building Trust" was organised by the Confederation of Indian Industry(CII)

There is a need to revisit the existing short-term and vague 'Going Concern' accounting concept and replace it with long-term viability or Resilience Statements by the Management and Board.

ABOUT NFRA

1. It is the country's sole independent audit regulator.
2. It was constituted in 2018 by the Government of India.
3. It was established under the Companies Act, 2013.
4. It comes under Ministry of Corporate Affairs.

AIM

To continuously improve the quality of all corporate financial reporting in India.

COMPOSITION

Chairperson is a Chartered Accountant and a person of eminence having expertise in accountancy, auditing, finance or law (appointed by the Central Government) and a maximum of 15 members.

FUNCTIONS AND DUTIES

1. Recommend accounting and auditing policies and standards to be adopted by companies for approval by the Central Government;
2. Monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards;
3. Oversee the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures for improvement in the quality of service

POWERS

- The NFRA has the same powers as the Civil Court.
- Debarring the member/firm from practice as a member of ICAI between 6 months to 10 years as may be decided.
- To investigate the matters of professional or other misconduct.

SCOPE

COMPANIES LISTED IN INDIA

UNLISTED COMPANIES

- Net worth ≥ Rs. 500 crore
- Paid up Capital ≥ Rs. 500 crore
- Annual turnover ≥ Rs. 1000 crore (As on 31st March of the preceding financial year)

COMPANIES WHOSE SECURITIES ARE LISTED OUTSIDE INDIA

नोट :

बोर्नियो हाथी

हाल ही में बोर्नियो हाथियों (एलिफस मैक्सिमस बोर्नेंसिस) को IUCN रेड लिस्ट में **'संकटग्रस्त'** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- अब केवल लगभग 1,000 बोर्नियो हाथी ही बचे हैं, जिनमें से 400 वयस्क प्रजननशील हैं।
- उनके लिये मुख्य खतरा **मानव-हाथी संघर्ष, अवैध शिकार** तथा लकड़ी काटने और तेल ताड़ के बागानों के कारण उनके **आवास का नुकसान** है, जिसके कारण पिछले **4 दशकों में उनके वन आवास का लगभग 60% हिस्सा नष्ट** हो गया है।

बोर्नियो हाथी:

- यह **एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस)** की एक उप-प्रजाति है जो बोर्नियो द्वीप की स्थानिक प्रजाति है।
  - वे मुख्य रूप से **सबा, मलेशिया और कालीमंतन, इंडोनेशिया** में पाए जाते हैं।
- वे अन्य **एशियाई हाथी** आबादियों से **आनुवंशिक रूप से भिन्न** हैं तथा इनका **छोटा आकार और सिर की विशिष्ट आकृति** (Unique Skull Shape) इसकी विशेषता है।
- वे **शाकाहारी** होते हैं और **परिवार समूहों** में रहते हैं, जिनका **नेतृत्व एक मादा हाथी करती** है तथा आमतौर पर **नदियों जैसे जल स्रोतों के पास** पाए जाते हैं।
- **एशियाई हाथियों की संरक्षण स्थिति:**
- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: संकटग्रस्त
- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- **बोर्नियो** विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा द्वीप** है, जिसके उत्तर में **मलेशिया** और **ब्रुनेई** तथा दक्षिण में **इंडोनेशिया** स्थित हैं।

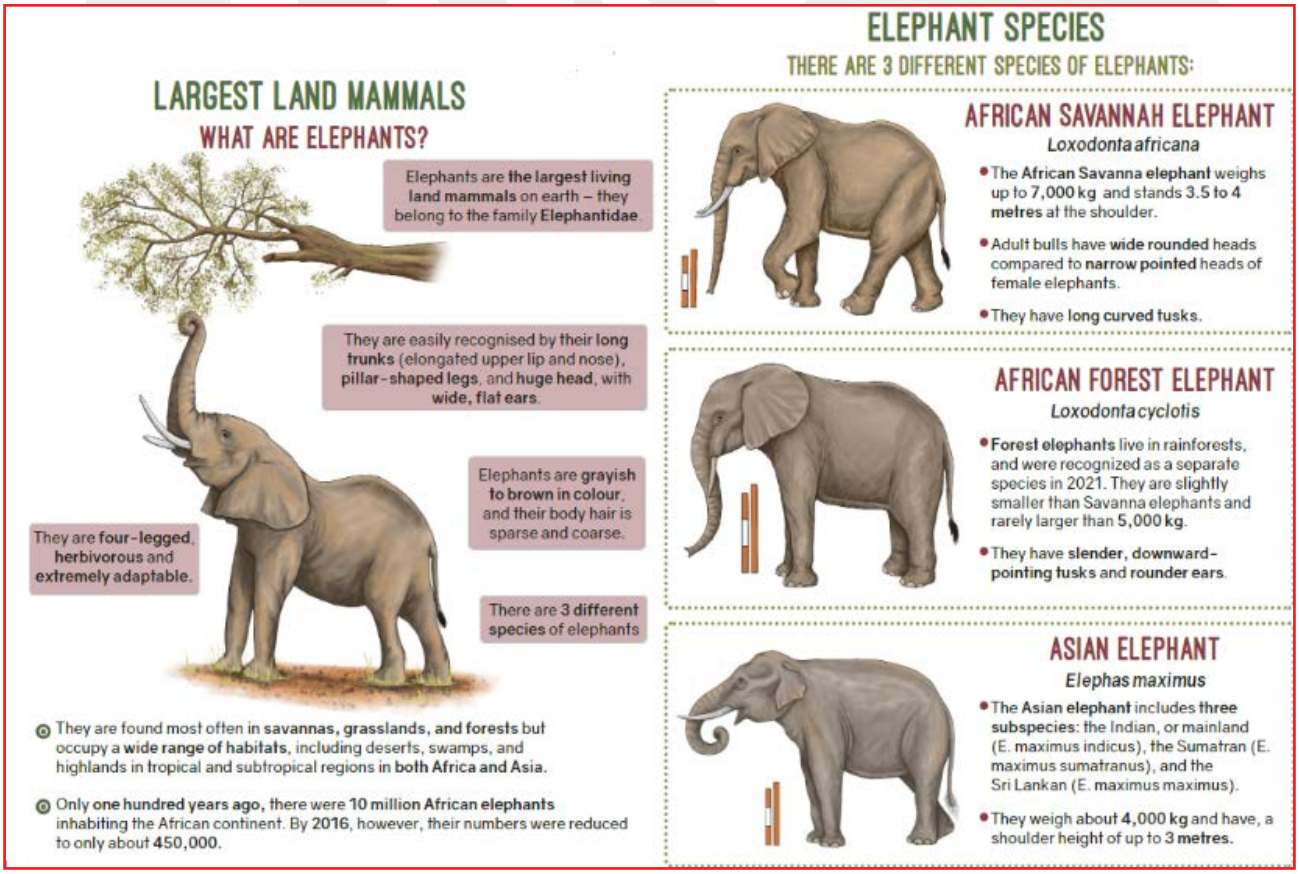

नोट :

अराकू कॉफी

हाल ही में **प्रधानमंत्री** ने '**मन की बात**' रेडियो कार्यक्रम के दौरान **आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफी** (Araku Coffee) के अद्वितीय स्वाद और महत्त्व की प्रशंसा की।

- **अराकू कॉफी** आंध्र प्रदेश के **अल्लूरी सीताराम राजू ज़िले में अराकू घाटी में उगाई** जाती है, जो **पूर्वी घाट** में स्थित है।
  - इस कॉफी में **चॉकलेट, कारमेल और सूक्ष्म फलयुक्त अम्लता का विशिष्ट स्वाद** है।

नोट :

- इसे विविध **कृषि वानिकी प्रणाली** में उगाया जाता है, मुख्य रूप से जैविक कृषि विधियों का उपयोग करके इसकी खेती की जाती है।
- इसे **आदिवासी किसानों** और सहकारी समितियों द्वारा उगाया जाता है तथा यह स्थायी आजीविका एवं सामुदायिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- अराकू कॉफी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें **कैफे डी कोलंबिया प्रतियोगिता (Café de Colombia Competition) में "सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा" पुरस्कार** भी शामिल है।
- अद्वितीय गुणों के लिये इसे वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेत **(Geographical Indication- GI) टैग** प्राप्त हुआ।
  - **GI टैग प्राप्त** करने वाली अन्य भारतीय कॉफी में कर्नाटक से **कूर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा, चिकमगलूर अरेबिका, बाबाबुदनगिरीस अरेबिका** और केरल से मॉनसून **मालाबार रोबस्टा** शामिल हैं।

- **कॉफी के शीर्ष 3 उत्पादक: ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया।**
  - **भारत विश्व में कॉफी का** छठा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **भारत में कॉफी के शीर्ष 3 उत्पादक: कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।**

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस

हाल ही में **29 जून 2024** को **राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस** मनाया गया, जो कि प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद् और अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक **प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस** की जयंती है।

- सांख्यिकी दिवस 2024 का **विषय *"निर्णय लेने हेतु डेटा का उपयोग या यूज़ ऑफ डेटा डिसीजन-मेकिंग "*** है।

नोट :

- यह दिवस देश के विकास के लिये **सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति-निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका तथा महत्त्व** के बारे में **जन जागरूकता** पैदा करने के लिये वर्ष **2007** से मनाया जा रहा है।
- इस दिन **ई-सांख्यिकी** डेटा पोर्टल और **सेंट्रल डेटा रिपॉज़िटरी** का शुभारंभ किया गया।
- **प्रशांता चंद्र महालनोबिस** को **महालनोबिस दूरी और सांख्यिकीय माप** के अग्रणी के रूप में जाना जाता है।
  - वह भारत के पहले **योजना आयोग** के **सदस्य** थे और वर्ष 1931 में **भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute)** की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - विज्ञान में उनके योगदान के लिये उन्हें **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।
- **विश्व सांख्यिकी दिवस संयुक्त राष्ट्र** द्वारा हर पाँच साल में **20 अक्तूबर** को मनाया जाता है।

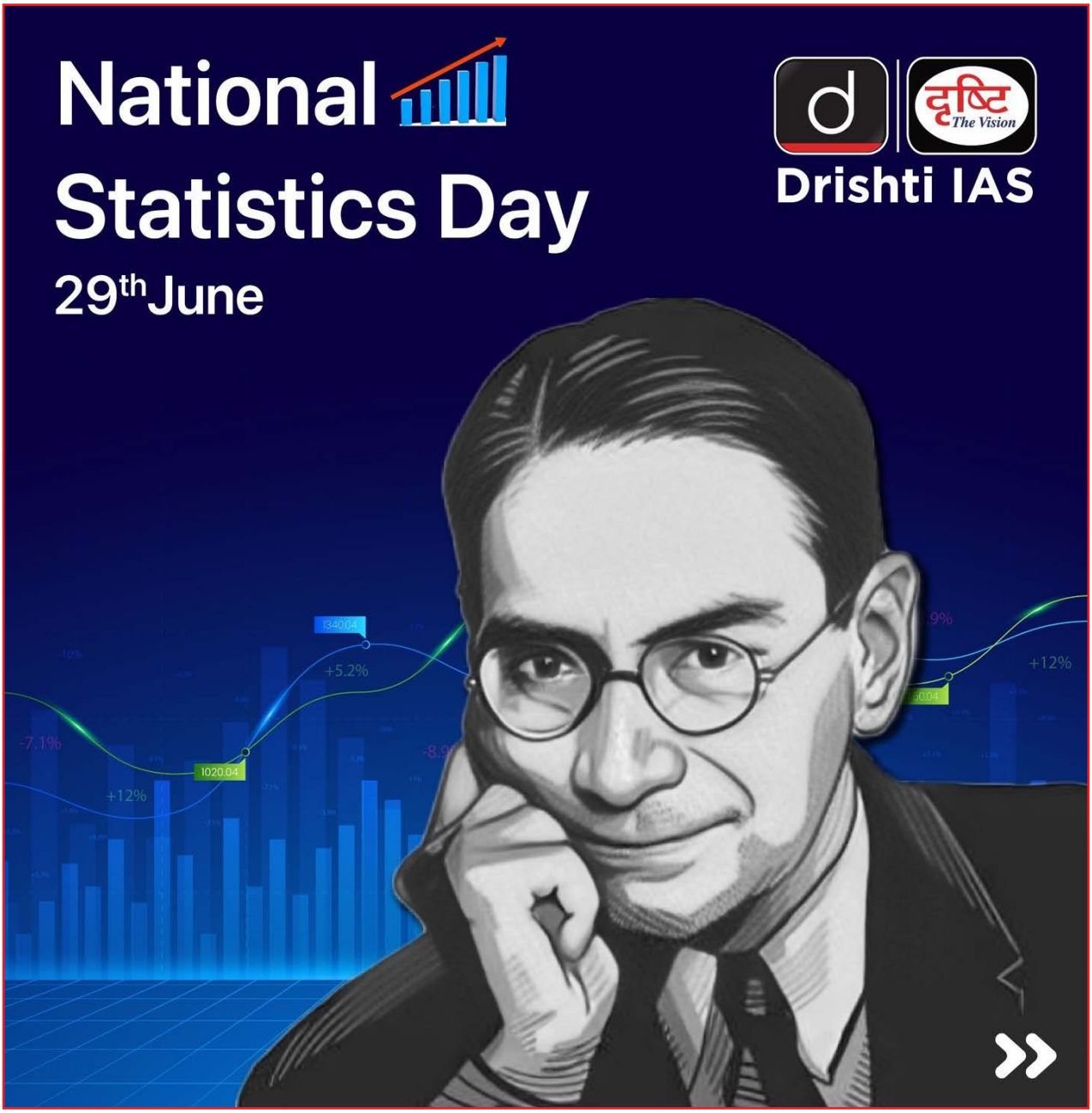

नोट :

फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग

हाल ही में भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(Securities and Exchange Board of India- SEBI)** द्वारा एक म्यूचुअल फंड की संदिग्ध फ्रंट-रनिंग के लिये जाँच की जा रही है।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 **के तहत फ्रंट-रनिंग या टेलगेटिंग** एक **अवैध गतिविधि** है, जिसमें फंड मैनेजर मूल्य में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों से लाभ अर्जित करने के लिये बड़े आगामी व्यापार के स्टॉक का पहले से ही क्रय कर लेता है।
  - ऐसा तब होता है जब **कोई व्यक्ति (भेदिया अथवा दलाल) अग्रिम जानकारी** की सहायता से दूसरों से पहले स्टॉक का क्रय कर लेता है।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग** तब होती है जब किसी कंपनी में निहित स्वार्थ वाला कोई व्यक्ति व्यापार (स्टॉक का क्रय) करने के लिये **गैर-सार्वजनिक जानकारी** का उपयोग करता है।
  - **इनसाइडर ट्रेडिंग** में प्राय: **कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी** शेयर बाज़ार में लाभ प्राप्त करने के लिये कंपनी की गोपनीय जानकारी का अनुचित उपयोग करते हैं।
  - वहीं **फ्रंट-रनिंग** में प्राय: फंड **मैनेजर या ब्रोकर** अपने ग्राहकों द्वारा किये जाने वाले आगामी ट्रेडों के बारे में अपनी जानकारी का लाभ उठाते हैं।
- भारत में, SEBI अधिनियम, 1992 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंधित है। SEBI ने SEBI (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 की स्थापना की है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम करने और प्रतिबंधित करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है।
- ये प्रथाएँ **निवेशकों** की **वित्तीय बाज़ारों की निष्पक्षता और पारदर्शिता** में **विश्वास** को कम करती हैं।

आधार वर्ष में संशोधन हेतु समिति

हाल ही में **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के लिये आधार वर्ष **(Base Year)** के संशोधन की समीक्षा करने के लिये एक समिति गठित की गई।

- इस **26 सदस्यीय समिति** की अध्यक्षता **बिस्वंताह गोलदार** करेंगे और यह समिति राष्ट्रीय खातों के लिये एक नए आधार वर्ष की सिफारिश करेगी, जो संभवत: थोक मूल्य सूचकांक, **उत्पादक मूल्य सूचकांक तथा** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे सूचकांकों के साथ संरेखित होगी।
- वर्तमान में आधार वर्ष **2011-12** है लेकिन इसमें संशोधन कर इसे वर्ष 2020-21 बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य मौजूदा डेटाबेस की समीक्षा करके और नए डेटा स्रोतों को शामिल करके **आर्थिक विश्लेषण तथा नीति-निर्माण को** और अधिक **सटीक बनाना** है।
- भारत में **वर्ष 2015** में **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली राष्ट्रीय लेखा (United Nations System of National Accounts- SNA), 2008** के अनुरूप स्रोतों और विधियों के अनुकूलन के बाद जीडीपी शृंखला का आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 में संशोधित किया गया था।
- SNA आर्थिक गतिविधि के उपायों को संकलित करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अनुशंसाओं का मानक समुच्चय है।

जमा प्रमाण-पत्र

हाल ही में **क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया** ने आँकड़े जारी किये, जिनसे स्पष्ट हुआ कि वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को मज़बूत करने के लिये **जमा प्रमाण-पत्र (Certificates of Deposit - CDs)** के माध्यम से 1.45 ट्रिलियन रुपए जुटाए हैं।

जमा प्रमाण-पत्र (Certificates of Deposit - CDs):

- **जमा प्रमाण-पत्र बैंकों और क्रेडिट यूनियनों** द्वारा प्रस्तुत एक **परक्राम्य (negotiable)**, असुरक्षित मुद्रा बाज़ार साधन है, जो ग्राहक को एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिये एकमुश्त जमा को अपरिवर्तित छोड़ने के लिये सहमत होने के बदले में **ब्याज दर प्रीमियम** प्रदान करता है।
  - दूसरे शब्दों में, यह **एक निश्चित अवधि** के लिये बैंकों में रखे धन पर एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करता है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों **(All-India Financial Institutions - FIs)** द्वारा व्यक्तियों **(NRI सहित)**, निगमों, कंपनियों, ट्रस्टों, फंडों, संघों आदि को **जमा प्रमाण-पत्र** जारी की जा सकती हैं।
  - CD की न्यूनतम राशि **1 लाख रुपए** होनी चाहिये तथा इसके बाद इसके गुणकों की अनुमति दी जाती है।
- **बैंकों** द्वारा जारी **जमा प्रमाण-पत्रों** की परिपक्वता अवधि 7 दिन से एक वर्ष तक होती है, जबकि वित्तीय संस्थाओं के लिये यह सीमा जारी होने की तिथि से 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है।

नोट :

भारतीय समाशोधन निगम (Clearing Corporation of India - CCIL):

- **वर्ष 2001** में स्थापित यह बैंक मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों में **विश्वसनीय समाशोधन** तथा **निपटान** सेवाएँ प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन

हाल ही में CSIR द्वारा नई दिल्ली में **स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** का आयोजन किया गया।

- नीति आयोग ने **सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिये दिशा-निर्देश** जारी किये।

स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी:

- इस प्रौद्योगिकी में मज़बूत और अधिक टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिये स्टील उत्पादन के दौरान प्राप्त **स्टील स्लैग (धातु अपशिष्ट)** का उपयोग किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में प्राप्त स्लैग में से **अशुद्धियाँ और धातु को हटाना** तथा सड़क निर्माण के लिये इसे एक एग्रीगेट के रूप में उपयोग करना शामिल है।
- इस प्रसंस्कृत स्टील स्लैग में **उच्च स्तर की मज़बूती, कठोरता, घर्षण प्रतिरोध, स्किड प्रतिरोध और जल निकासी क्षमता** होती है, जो इसे सड़क निर्माण के लिये उपयुक्त बनाती है। यह **पर्यावरण के अनुकूल** है और साथ ही **लागत प्रभावी** तथा **टिकाऊ** भी है।
- भारत में **निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं** के लिये प्रत्येक वर्ष लगभग **1.8 बिलियन टन** नेचुरल एग्रीगेट्स की आवश्यकता होती है। इस मांग को आंशिक रूप से संसाधित स्टील स्लैग एग्रीगेट का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।
- भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण **सूरत** में किया गया था।

जैविक अपशिष्ट की सफाई के लिये नया नैनोकंपोजिट

हाल ही में **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (Institute of Advanced Study in Science and Technology- IASST)** के शोधकर्त्ताओं द्वारा एक नया धातु/मेटल ऑक्साइड नैनोकंपोजिट विकसित किया गया है, जिसका उपयोग पर्यावरण की स्वच्छता के लिये सतत् प्रौद्योगिकियों के रूप में किया जा सकता है।

नोट :

- ये नए मिश्रण प्रदूषकों के अपघटन के लिये **फोटोकैटेलिसिस (Photocatalysis)** का उपयोग करते हैं।
- फोटोकैटेलिस्ट (Photocatalysts) वे पदार्थ हैं जो **प्रकाश के संपर्क में आने** पर रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदल देते हैं।
  - प्रकाश की उपस्थिति में, वे इलेक्ट्रॉन-छिद्र युग्म उत्पन्न करते हैं जो प्रदूषकों को हानिरहित उप-उत्पादों में बदल देते हैं।
- **मेटल ऑक्साइड फोटोकैटलिसिस** (जैसे- टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टंगस्टन ट्राइऑक्साइड), अपने उच्च सतह क्षेत्र तथा स्थिरता के कारण, जल निकायों से **कार्बनिक प्रदूषकों** को हटाने के लिये एक स्थायी समाधान प्रदान करता है।
- इन नए **फोटोकैटेलिटिक** मेटल ऑक्साइड का उपयोग रंग और दवा क्षेत्र में कार्बनिक प्रदूषकों के विघटन के लिये किया जा सकता है।
- **नैनोकंपोजिट** (दो या अधिक सामग्रियों का संयोजन, जिनमें से कम-से-कम एक नैनो सामग्री है) का उपयोग **उत्प्रेरण, ऊर्जा भंडारण, सेंसर, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, जैव चिकित्सा क्षेत्र, कोटिंग्स** और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है।
- गुवाहाटी में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (Institute of Advanced Study in Science and Technology- IASST) **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** (Department of Science and Technology- DST) का एक स्वायत्त संस्थान है।

हवलदार अब्दुल हामिद

हाल ही में **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)** प्रमुख ने उत्तर प्रदेश के **गाज़ीपुर स्थित धामूपुर गाँव** का दौरा किया, जो वर्ष **1965 के युद्ध के नायक अब्दुल हमीद** का पैतृक गाँव है।

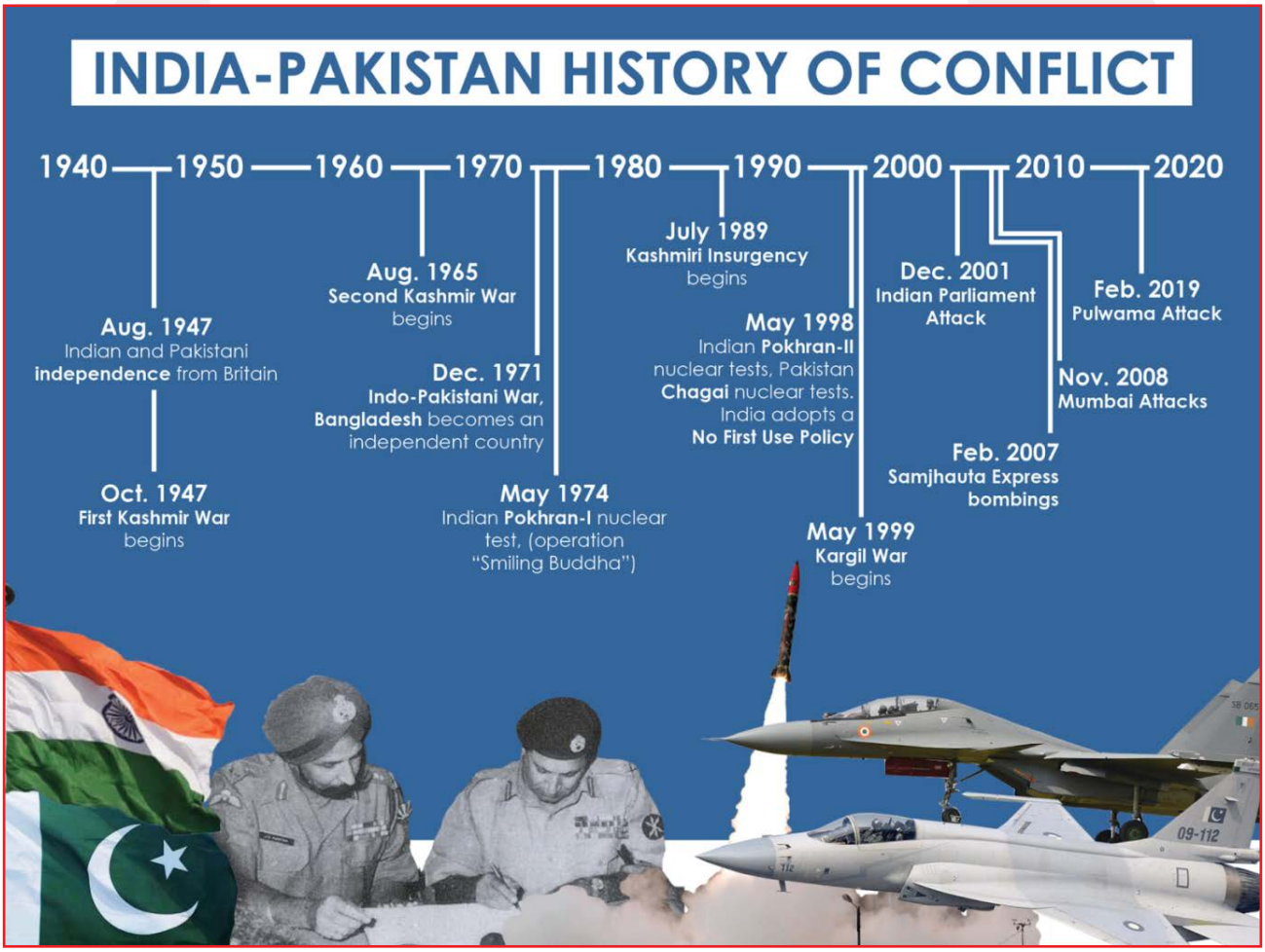

नोट :

- उन्होंने हामिद पर दो पुस्तकें- **'मेरे पापा परमवीर'** और **'भारत का मुसलमान'** लिखीं।
- **अब्दुल हामिद भारतीय सेना में 4 ग्रेनेडियर्स के एक सैनिक थे**, जिन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में **असल उत्तर की लड़ाई** के दौरान लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए।
  - **असल उत्तर (Asal Uttar)** भारत-पाकिस्तान सीमा के पास **पंजाब** में स्थित है।
  - **असल उत्तर की लड़ाई** वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान लड़ी गई सबसे **बड़ी टैंक लड़ाइयों** में से एक थी, जहाँ भारतीय सेना ने **पाकिस्तानी 1 बख्तरबंद डिवीज़न के आक्रमण को ध्वस्त** कर दिया था।
  - इस लड़ाई के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना के **97 पैटन टैंक नष्ट** हो गए और एक पूरी पाकिस्तानी बख्तरबंद रेजिमेंट ने आत्मसमर्पण कर दिया।
- **हामिद को चीमा गाँव** के पास तैनात किया गया था। **10 सितंबर 1965** को उन्होंने **3 पाकिस्तानी टैंक** नष्ट कर दिये और चौथे टैंक को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वे मारे गए।
- हामिद को उनकी बहादुरी के लिये **मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र** से सम्मानित किया गया।
- उनकी मृत्यु का स्थान अब एक **युद्ध स्मारक का हिस्सा है**, जहाँ एक कब्ज़ा किया हुआ पाकिस्तानी पैटन टैंक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है।

रूस से भारत का कच्चा तेल आयात बढ़ा

भारत ने **जून 2024 में रूस** से कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो 1.97 मिलियन बैरल प्रतिदिन (million barrels per day- mbpd) तक पहुँच गई, जो जुलाई 2023 के बाद से सबसे अधिक है।

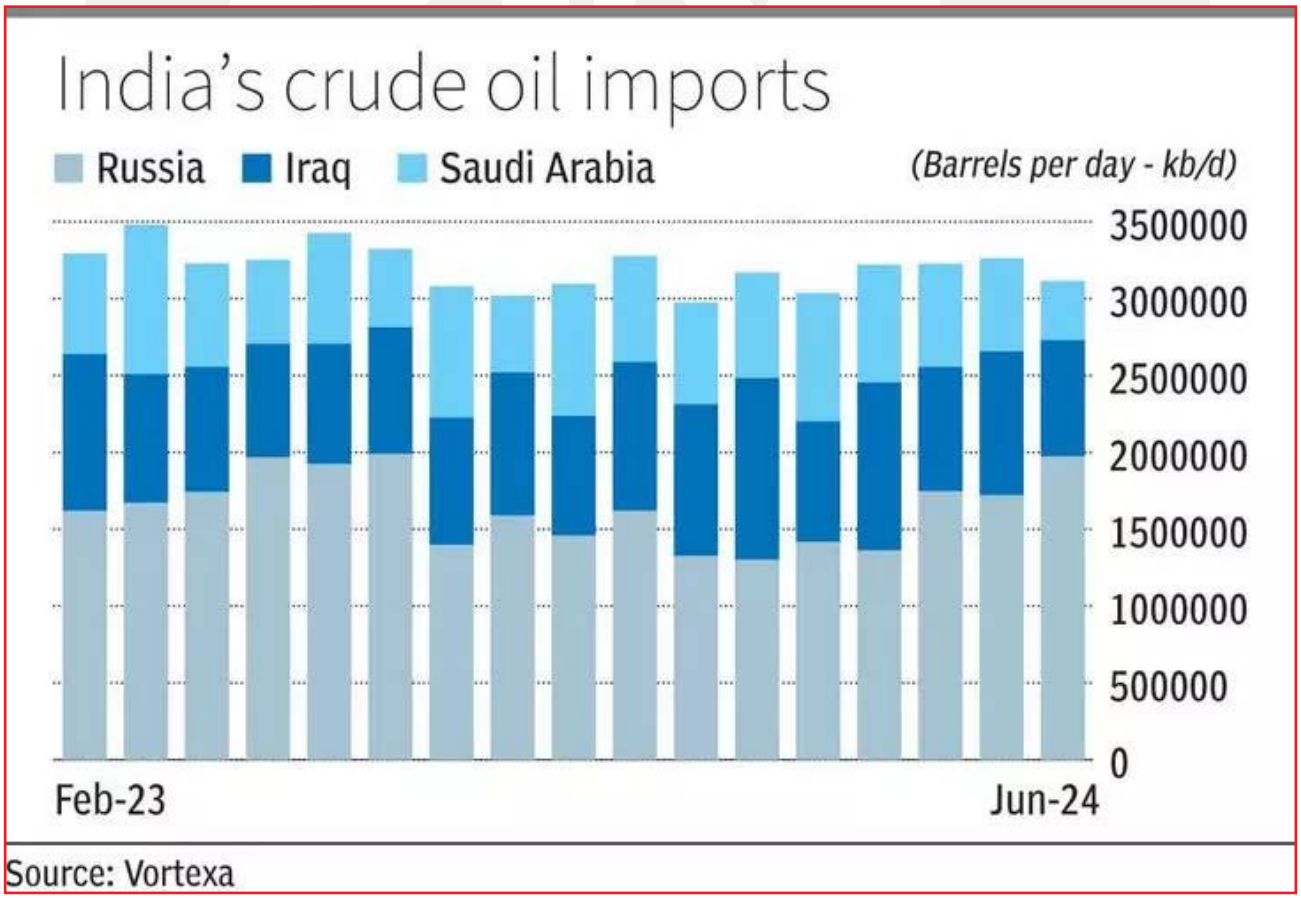

नोट :

- यह वृद्धि, जो महीने-दर-महीने लगभग **15% और वार्षिक आधार पर 2% थी**, चीन को **रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आने** के कारण हुई, जिससे अधिक बैरल भारत की ओर आ गए।
- सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Ltd.- IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Ltd.- BPCL),** हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Ltd.- HPCL) और निजी रिफाइनरियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (Reliance Industries Ltd.- RIL) ने भारी मात्रा में आयात किया, जिसमें निजी रिफाइनरियों ने प्रतिदिन रिकॉर्ड 871,200 बैरल का आयात किया।
- इसी समय, **पश्चिम एशिया के पारंपरिक आपूर्तिकर्त्ताओं, खासकर इराक (भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता)** और सऊदी अरब से आयात में काफी गिरावट आई। इराक के शिपमेंट में महीने-दर-महीने 20% की गिरावट आई, जबकि सऊदी अरब के शिपमेंट में 36% की गिरावट आई, जो उच्च आधिकारिक बिक्री मूल्यों से प्रभावित था।
- इसके विपरीत अमेरिका से भारत में कच्चे तेल के आयात में वृद्धि जारी रही, जो यूरोप में रिफाइनरी व्यवधानों के बीच वैश्विक आपूर्ति गतिशीलता में बदलाव का संकेत है।

फलीदार फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बढ़ाने में जिंक की भूमिका

फ्राँस और डेनमार्क के शोधकर्त्ताओं ने फलीदार फसलों में जिंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक अध्ययन किया है। **अध्ययन से पता चलता है कि जिंक फलीदार फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन को आसान बनाता है, जो अमोनिया उत्पादन और पौधों के पोषण के लिये आवश्यक है।**

- यह सूक्ष्मपोषक एक द्वितीयक संकेत के रूप में भी कार्य करता है, जिसे **ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिक्सेशन अंडर नाइट्रेट (transcription factor Fixation Under Nitrate- FUN)** द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन दक्षता को नियंत्रित करता है।
- निष्कर्ष मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को अनुकूलित करने, **संभावित रूप से फसल की पैदावार को बढ़ाने और सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने की जिंक की क्षमता पर प्रकाश** डालते हैं।
- यह अंतर्दृष्टि जलवायु चुनौतियों के बीच कृषि स्थिरता को बढ़ाने के लिये रास्ते खोलती है।

विंडफॉल टैक्स

हाल ही में भारत सरकार ने **घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल** पर विंडफॉल टैक्स को 3,250 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर **6,000 रुपए प्रति टन** कर दिया है।

- विंडफॉल टैक्स **एक प्रकार का कर है जो उन कंपनियों अथवा व्यक्तियों पर** लगाया जाता है जिन्होंने **अप्रत्याशित रूप से अथवा नाटकीय रूप से अत्यधिक लाभ अर्जित** किया है, जो **प्रायः उनके नियंत्रण से परे बाह्य कारकों के कारण** होता है।
  - यह सामान्यत: **तेल, गैस एवं खनन** जैसे उद्योगों पर लगाया जाता है।
  - इसका **उद्देश्य कम्पनियों द्वारा अर्जित असाधारण लाभ** का एक हिस्सा प्राप्त करना **तथा उसे सार्वजनिक हित के लिये पुनर्वितरित** करना है।
  - यह ऊर्जा उद्योग में **पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण आर्थिक प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु** एक रणनीतिक उपाय है।
- इस बढ़ोतरी से **भारत में कार्यरत तेल कंपनियों के लाभ प्रभावित** होगा और साथ ही **उनकी आय भी कम** हो जाएगी।
- भारत ने **पहली बार 1 जुलाई 2022 को विंडफॉल लाभ पर कर लागू** किया, जो अन्य देशों के साथ संरेखित है जो ऊर्जा कंपनियों के अत्यधिक लाभ पर कर लगाते हैं।
- कर दरों का **प्रति दो सप्ताह में पुनर्मूल्यांकन** किया जाता है, जिसमें पिछले पखवाड़े की अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है।

नोट :

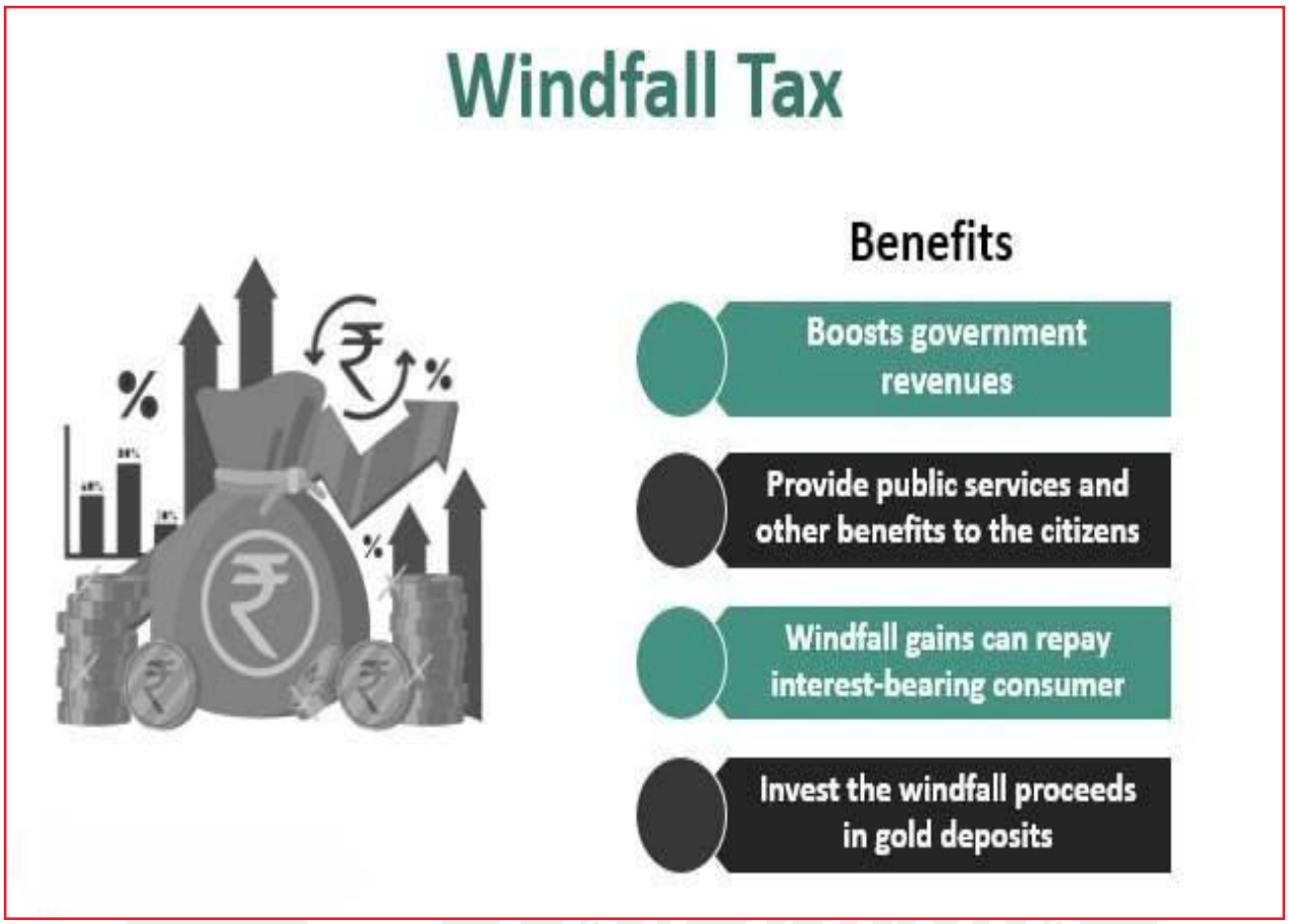

भारत तथा ADB महामारी संबंधी तैयारियों को मज़बूत करेंगे

हाल ही में भारत सरकार तथा एशियाई विकास बैंक (ADB) ने **भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्षमता को एकीकृत तथा मज़बूत करने के लिये 170 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर** किये।

- इस ऋण से भारत की महामारी संबंधी तैयारियों के साथ-साथ प्रतिक्रिया क्षमताओं को मज़बूत करने में सहायता प्राप्त होगी।
  - सुदृढ़ **रोग निगरानी** एवं बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया
  - स्वास्थ्य के लिये मज़बूत **मानव संसाधन**
  - विस्तारित जलवायु-अनुकूल सार्वजनिक **स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा और नवीन सेवा वितरण।**
- ADB का कार्यक्रम भारत की **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017,** प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM),वन नेशनल वन हेल्थ मिशन तथा स्वास्थ्य के लिये मानव संसाधन को मज़बूत करने के प्रयासों के साथ संरेखित होगा।
  - यह राज्य, संघ एवं महानगरीय स्तर पर संक्रामक रोग निगरानी हेतु **प्रयोगशाला नेटवर्क** स्थापित करेगा।
  - यह **गरीबों, महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर समूहों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी एवं समन्वय** हेतु मज़बूत डेटा प्रणाली का निर्माण करेगा।
  - यह **नर्सों, दाइयों, संबद्ध कर्मचारियों के साथ ही डॉक्टरों की शिक्षा, सेवाओं एवं पेशेवर आचरण** के मानकों को विनियमित और बनाए रखेगा।

नोट :

Asian Development Bank (ADB)

what is ADB?

- The Asian Development Bank (ADB) is a multilateral institution that aims to reduce poverty in Asia and the Pacific through environmentally sustainable growth.

When was it founded?

- The ADB was founded in 1966 and is headquartered in Mandaluyong, Philippines.

What is the spread of ADB?

- The ADB has 31 field offices around the world and 68 members, including 48 regional members and 19 non-regional members.

The ADB's work includes:

- Supporting projects in developing member countries that create economic and development impact
- Providing loans and technical assistance for various development activities
- Advisory services and knowledge support
- A Climate Change Action Plan that promotes a just transition to a low-carbon and climate-resilient future

India is a founding member.

संपूर्णता अभियान

नीति आयोग ने 4 से 30 सितंबर 2024 तक **3 महीने का 'संपूर्णता अभियान'** शुरू किया है।

- इसका उद्देश्य **आकांक्षी ज़िलों में 6 चिन्हित संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 संकेतकों में संतृप्ति** प्राप्त करना है।
- आकांक्षी जिले/ब्लॉक भारत के वे जिले/ब्लॉक हैं, **जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित** हैं।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP)

कार्यक्रम	आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP)
प्रारंभ	2018	2023
उद्देश्य	देश भर के **112 ज़िलों** में शीघ्रतापूर्वक एवं प्रभावी परिवर्तन लाना	देश भर के **500 ब्लॉकों (329 ज़िलों)** में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिये
विषय-वस्तु (Themes)	• स्वास्थ्य एवं पोषण • शिक्षा • कृषि एवं जल संसाधन • वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास • बुनियादी ढाँचा	• स्वास्थ्य एवं पोषण • शिक्षा • कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ • बुनियादी अवसंरचना • सामाजिक विकास
संकेतकों की संख्या	81	40

नोट :

महिलाओं के लिये व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम

फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसायटीज़ ऑफ इंडिया (FOGSI) ने **महिलाओं के लिये** एक व्यापक **टीकाकरण कार्यक्रम** शुरू किया है जिसका उद्देश्य समग्र भारत में वयस्क नागरिकों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करना है। चूँकि **पुरुषों की अपेक्षा, महिलाएँ 25% अधिक समय अस्वस्थता में जीवन निर्वाह करती हैं** इसलिये इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- यह पहल महिलाओं की वैक्सीन-निवार्य रोगों **(Vaccine-Preventable Diseases- VPD)** से रक्षा करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।
  - VPD **जीवाणु या विषाणु** के कारण होते हैं और टीकों से इनकी रोकथाम की जा सकती है। इनके कारण दीर्घकालिक व्याधि और मृत्यु भी हो सकती है। **चिकनपॉक्स**, डिप्थीरिया और पोलियोवायरस संक्रमण VPD के प्रमुख उदाहरण हैं।
- भारत सरकार ने **देश में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिये** दो व्यापक पहल की हैं।
  - **यूनिवर्सल इम्यूनाइज़े शन प्रोग्राम (UIP)** में 12 वैक्सीन-निवार्य रोगों के निदान के लिये नि:शुल्क टीकाकरण किया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया, **पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो,** खसरा, रूबेला, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी और ***हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी*** के कारण होने वाले मेनिन्जाइटिस तथा निमोनिया जैसी **9 राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित बीमारियाँ** शामिल हैं।
  - इसके अतिरिक्त, UIP के तहत टीकाकरण से छूटे बच्चों के टीकाकरण के लिये वर्ष 2014 में **मिशन इंद्रधनुष** की शुरुआत की गई थी। इसके **चार चरणों** के माध्यम से **2.53 करोड़** से **अधिक बच्चों** और **68 लाख गर्भवती महिलाओं** को जीवन रक्षक टीके लगाए गए।
- FOGSI स्वास्थ्य सेवाओं, प्रजनन संबंधी अधिकारों को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के माध्यम से भारत में प्रसूति तथा स्त्री रोग चिकित्सकों का समर्थन करता है।

अमेरिका का 248वाँ स्वतंत्रता दिवस

हाल ही में **अमेरिका** ने **4 जुलाई 2024** को अपने **स्वतंत्रता दिवस की 248वीं** वर्षगाँठ मनाई है।

- **4 जुलाई 1776** को **द्वितीय महाद्वीपीय कॉन्ग्रेस** द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने के बाद **अमेरिका** को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया।
  - इस दिन **ब्रिटिश उपनिवेशों का ग्रेट ब्रिटेन** से पृथक्करण हुआ था।
- स्वतंत्रता के लिये संघर्ष वर्ष 1775 में शुरू हुआ जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने **किंग जॉर्ज तृतीय** के अधीन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग की।
  - इस संघर्ष ने **अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध (1775-1783)** को जन्म दिया, जो उपनिवेशों की स्वशासन और दमनकारी ब्रिटिश नीतियों से मुक्ति की इच्छा से प्रेरित था।
- अमेरिकी उपनिवेशों ने घोषणा-पत्र स्वीकृत होने के दो दिन पहले **2 जुलाई 1776** को स्वतंत्रता की घोषणा के लिये मतदान किया और 13 में से 12 उपनिवेशों ने आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने का फैसला किया।
- अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के कारणों में आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले **ब्रिटिश व्यापार प्रतिबंध**, पश्चिम की ओर विस्तार पर प्रतिबंध, **ज्ञानोदय विचारकों का प्रभाव**, **उपनिवेशों पर कर लगाने के ब्रिटिश प्रयास**, **ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की कमी** और **औपनिवेशिक असंतोष को बढ़ाने वाले कोएर्सिव एक्ट** जैसे कठोर उपाय शामिल थे।

घड़ियाल

असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व में एकल मादा घड़ियाल की उपस्थिति से ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली (BRS) में इस प्रजाति के पुनरुद्धार की आशा है।

- घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) अपनी **लंबी थूथन के कारण अन्य मगरमच्छों से भिन्न** होते है। ऐसा माना जाता है कि यह 1950 के दशक में BRS से विलुप्त हो गए थे, और साथ ही 1990 के दशक में इनकों यहाँ देखा गया था।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, घड़ियाल **भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान** की ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु एवं **महानदी-ब्राह्मणी-बैतरणी नदी प्रणालियों** में व्यापक रूप से पाए जाते हैं।
  - वर्तमान में, उनकी प्रमुख आबादी गंगा की तीन सहायक नदियों (भारत में चंबल और गिरवा, तथा नेपाल में राप्ती-नारायणी नदी) में पाई जाती है।
- IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार निर्माण परियोजनाओं एवं जल निकासी के कारण इसके नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ने के कारण घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।

नोट :

भारत में मगरमच्छ की प्रजातियाँ

भारत में मगरमच्छ की तीन विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं - मगर, खारे पानी का मगरमच्छ, और घड़ियाल- देश भर में अलग-अलग आवासों में पाए जाते हैं।

दृष्टिकोण	घड़ियाल	मगर /भारतीय मगरमच्छ	खारे पानी का मगरमच्छ
वैज्ञानिक नाम	गेवियलिस गैंगेटिकस	क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस	क्रोकोडायलस पोरोसस
वितरण: भारत	**बहुल आबादी:** राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश) **आबादी:** सोन, गंडक, हुगली, घाघरा और सतकोसिया वन्य जीव अभयारण्य (ओडिशा)	संपूर्ण भारत में	पूर्वी तट (ओडिशा का भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तट और सुंदरवन)
वितरण: पड़ोस	भूटान और बांग्लादेश की ब्रह्मपुत्र और इरावदी नदी	भूटान और म्यांमार में विलुप्त	पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में
विशेष सुविधा	सभी मगरमच्छों में सबसे लंबा, लंबा और पतले मुँह वाला	अंडे देने वाले, घोंसला बनाने वाले, चौड़े और यू-आकार का मुँह	सबसे अधिक जीवित सरीसृप, नुकीला और V-आकार का मुँह
प्राकृतिक वास	ताज़े जल	ताज़े जल	खारा पानी, खारा और आर्द्रभूमि
IUCN स्थिति	CR	VU	LC
CITES स्थिति	परिशिष्ट।	परिशिष्ट।	परिशिष्ट।
CMS स्थिति	परिशिष्ट।	-	परिशिष्ट II
WPA,1972 स्थिति	अनुसूची।	अनुसूची।	अनुसूची।
संकट	बाँध, प्रदूषण, रेत खनन	आवास नष्ट हो गए हैं	इसका खाल और पर्यावास हानि के लिये शिकार हुआ
सरकारी पहल	ओडिशा: महानदी नदी बेसिन में घड़ियाल के संरक्षण के लिये 1000 रुपए का पुरस्कार भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975	भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975 मगर संरक्षण कार्यक्रम मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट	भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975

विविध तथ्य

- **17 जून:** विश्व मगरमच्छ दिवस
- **वार्षिक सरीसृप जनगणना, 2023:** खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में मामूली वृद्धि **(भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और इसके आस-पास के क्षेत्र)**
- **ओडिशा का केंद्रपाड़ा ज़िला:** भारत का एकमात्र ज़िला जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

Drishti IAS

नोट :

CJI ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण बेंचों का समर्थन किया

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मुंबई में नवीन प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) परिसर के उद्घाटन के दौरान **भारत के बढ़ते बाज़ारों और वित्तीय लेनदेन** के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये अतिरिक्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) बेंचों की आवश्यकता पर बल दिया है।
- मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण को प्रभावी ढंग से और पूरी क्षमता से काम करने देने के लिये SAT में रिक्तियों को बिना विलंब आपूर्ति पर बल दिया।
- मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **पर्याप्त सुरक्षा उपायों और प्रभावी विवाद समाधान वाली कानूनी प्रणाली** भारत के बाज़ारों और कारोबारी परिदृश्य में निवेशकों का विश्वास बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिससे बेहतर आर्थिक परिणाम सामने आएँगे।
- SAT एक **वैधानिक निकाय** है जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान के लिये की गई थी।
- SAT में **एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य** होते हैं। SAT के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा CJI या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से की जाती है।
  - इसके पास पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) तथा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा उनके संबंधित अधिनियमों, नियमों और विनियमों के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार भी है।

सेंसेक्स 80000 के पार

4 जुलाई, 2024 को **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स** ने पहली बार 80,000 का आँकड़ा पार किया, जो इंट्रा-डे ट्रेड (Intraday Trades) के दौरान 80,074 के नए शिखर पर पहुँचा।

- पिछले **5 वर्षों में सेंसेक्स दोगुना** हो गया है, जबकि 20,000 से 40,000 के आँकड़े तक पहुँचने में इसे 12 वर्ष लगे थे।
  - इसने वर्ष 2006 में इसने पहली बार 10,000 का आँकड़ा, वर्ष 2007 में 20,000 का आँकड़ा तथा वर्ष 2019 में 40,000 का आँकड़ा पार किया।
- **सेंसेक्स (स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स- Sensex):**
  - यह एक **शेयर बाज़ार सूचकांक** है जो भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध 30 **सबसे बड़ी और सर्वाधिक सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों** के प्रदर्शन पर नज़र रखता है।
    - स्टॉक एक्सचेंज एक केंद्रीकृत स्थान है जहाँ **सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज** है जिसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
  - सेंसेक्स की **शुरुआत वर्ष 1982 में BSE द्वारा** की गई थी।
  - इसका उपयोग **विश्लेषकों (Analysts) और निवेशकों (Investors)** द्वारा **भारत के आर्थिक चक्रों** के साथ-साथ **विशिष्ट क्षेत्रों की वृद्धि और गिरावट पर नज़र** रखने के लिये किया जाता है।
  - सेंसेक्स का **वर्ष में दो बार पुनर्मूल्यांकन** किया जाता है, पहली बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में।
- **निफ्टी 50** (Nifty 50) नामक एक अन्य शेयर बाज़ार सूचकांक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सूचीबद्ध 50 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इसे **वर्ष 1996 में शुरू** किया गया था।

अमेरिका बैरर्ड उल्लुओं को मारेगा

हाल ही में अमेरिकी वन्यजीव अधिकारियों ने अमेरिका में घट रही **चित्तीदार उल्लू** ***(स्ट्रिक्स ऑक्सीडेंटलिस)*** की आबादी को बचाने के लिये बैरर्ड उल्लू या Barred Owls ***(स्ट्रिक्स वेरिया)*** को मारने का फैसला किया है।

- इस कार्ययोजना के तहत **प्रशिक्षित पेशेवरों और ज़मीन मालिकों को बैरर्ड उल्लुओं को मारने की अनुमति** दी जाएगी।
- हालाँकि **बैरर्ड उल्लुओं के सार्वजनिक शिकार की अनुमति नहीं होगी।**
- बैरर्ड उल्लू **उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी** हैं।
- वे **चित्तीदार उल्लुओं** के समान दिखते हैं। **बैरर्ड उल्लू बड़े, अधिक आक्रामक होते हैं** और अपने व्यापक आहार के साथ आसानी से तालमेल बैठा सकते हैं।
  - अमेरिका के पश्चिमी भाग में उनके आक्रमण ने चित्तीदार उल्लू पर भारी दबाव डाला है, जिससे वर्ष 1995 से 2017 के बीच कुछ क्षेत्रों में उनकी आबादी **65 से 85%** तक कम हो गई है।
  - उन्हें मारने से **सैलामैंडर** और **क्रेफिश** जैसी अन्य प्रजातियों को भी मदद मिलेगी, जिनका वे शिकार करते रहे हैं।

नोट :

	बैरर्ड उल्लू	चित्तीदार उल्लू
IUCN स्थिति	कम संकटग्रस्त	निकट संकटग्रस्त
पर्यावास	उत्तरी अमेरिका में वुडलैंड्स, वनाच्छादित नदी तल, वनाच्छादित दलदल	ब्रिटिश कोलंबिया और वाशिंगटन के परिपक्व वन।

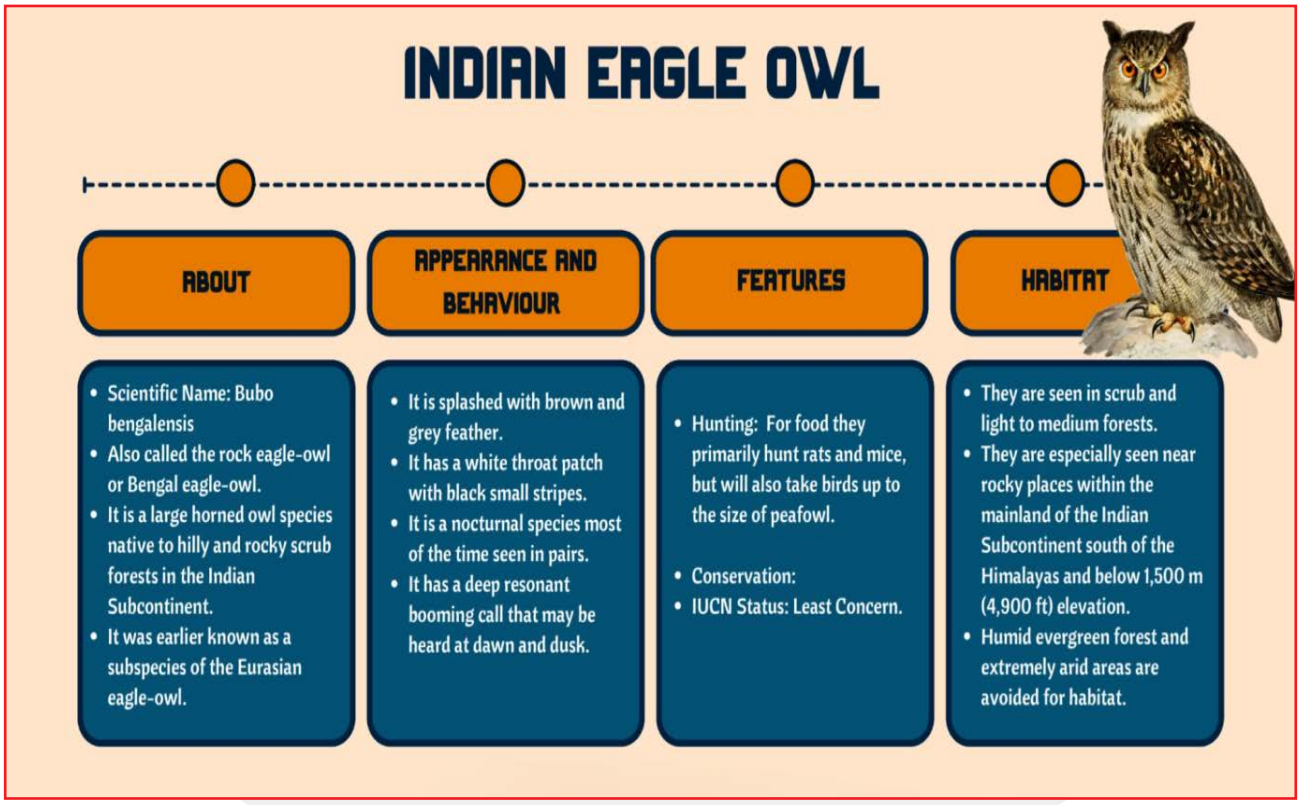

भारत का स्वदेशी लाइट टैंक ज़ोरावर

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (**Defence Research and Development Organisation- DRDO**) ने **भारत के देशज रूप से विकसित लाइट टैंक ज़ोरावर** के आदिप्रारूप (Prototype) का अनावरण किया जिसका अभी व्यापक परीक्षण किया जाएगा।

- इसे DRDO और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जिसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का भी योगदान था।
- पूर्वी लद्दाख में वर्ष 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध के दौरान एक लाइट टैंक (अधिकतम 25 टन वज़न) की आवश्यकता पड़ी, जिसने हल्के, सरलता से तैनात किये जा सकने वाले टैंकों की आवश्यकता को रेखांकित किया।
  - अप्रैल 2021 में भारतीय सेना ने 25 टन से कम वज़न वाले 350 हल्के टैंकों के लिये सूचना के लिये अनुरोध (**Request for Information- RFI**) जारी किया।
- इस हल्के टैंक का डिज़ाइन सुनियोजन और परिचालन गतिशीलता में सुधार करता है क्योंकि यह **उच्च कोणों पर फायर करने, वायु** द्वारा परिवहित करने तथा सीमित संख्या में **तोपों का वहन करने** में सक्षम है।

नोट :

समयपुरम मंदिर

हिंदू प्रकाशन समूह ने **वृंदा रामानन** द्वारा लिखित '**समयपुरम- द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति**' नामक कॉफी-टेबल बुक जारी की है, जिसमें **देवी मरियम्मन को समर्पित समयपुरम मंदिर के इतिहास और सांस्कृतिक महत्त्व** का वर्णन किया गया है।

- तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित यह मंदिर 1,200 वर्ष से अधिक पुराना है, यह देवी मरियम्मन की किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें देवी दुर्गा, महाकाली, आदि शक्ति या निशुंभ सुधिनी का अवतार माना जाता है।
- मरियम्मन मंदिर के निर्माण की तिथि का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह चोल काल के दौरान अस्तित्त्व में था।

नोट :

- वर्तमान मंदिर परिसर का निर्माण **विजयनगर** के **राजा विजयराय चक्रवर्ती** ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। यह तमिलनाडु के सबसे धनी मंदिरों में से एक है।
- **चिथिरई थेर थिरुविझा (चिथिरई माह में रथ महोत्सव- अप्रैल)** इस मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो तमिल माह चिथिरई के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ होकर 13 दिनों तक चलता है।

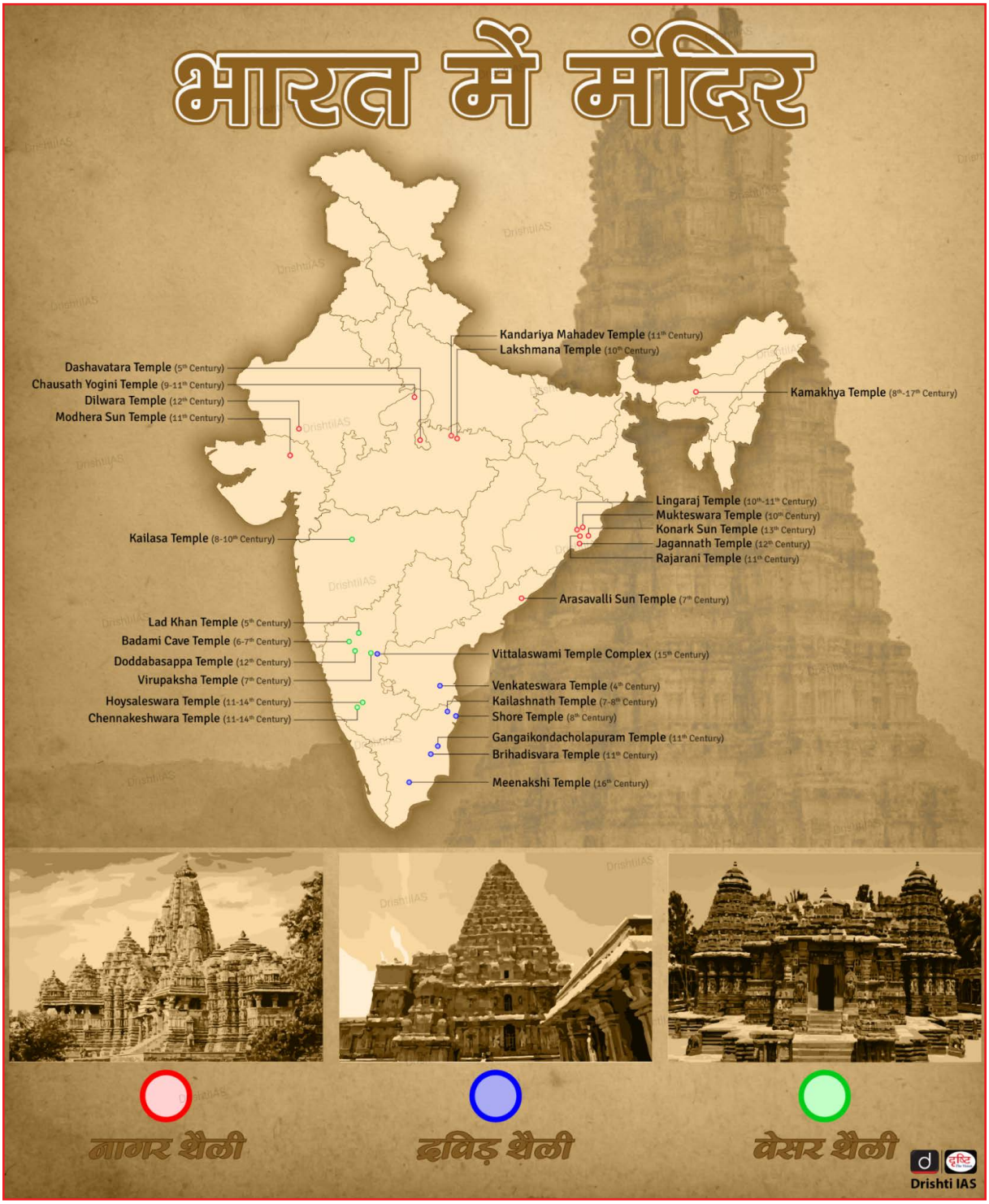

नोट :

पेरू में 4,000 वर्ष पुराना मंदिर

पुरातत्त्वविदों के एक दल ने प्रशांत महासागर के पास उत्तरी पेरू के **लाम्बायेक क्षेत्र** के जाना नामक स्थान पर रेत के टीले में दबे **4,000 वर्ष पुराने एक अनुष्ठानिक मंदिर** का पता लगाया है, जिसमें कंकाल के अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यह प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों के लिये चढ़ावा चढ़ाया जाता था।

- **बहुमंज़िला इमारत के भीतर तीन वयस्कों के कंकाल मिले**। अवशेषों में से एक के साथ प्रसाद भी रखा हुआ था और संभवत: उसे लिनन या कपड़े में लपेटा गया था।
- एक मंदिर की दीवार पर एक उच्च-उभरा चित्र एक पौराणिक आकृति को दर्शाता है, जिसमें मानव शरीर और पक्षी का सिर है, जो कि **पूर्व-हिस्पैनिक चाविन संस्कृति** से पहले का है।
  - **चाविन सभ्यता** 900-250 ईसा पूर्व के बीच पेरू के उत्तरी **एंडियन हाइलैंड्स** में विकसित हुई थी। यह **मोस्ना घाटी** में स्थित थी, जहाँ मोस्ना और हुआचेसा नदियाँ मिलती हैं। यह अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल (चाविन डी हुआंतार) है।
- **निकटवर्ती उत्खनन से मोचे संस्कृति** से संबंधित एक अन्य मंदिर का पता चला, जो लगभग 1,400 वर्ष पुराना है।
  - **मोचे संस्कृति,** जिसे **मोचिका संस्कृति** के नाम से भी जाना जाता है, पेरू के उत्तरी तट पर लगभग **100 ई. से 800 ई. के बीच** फली-फूली। पेरू के शुष्क उत्तरी तट के साथ नदी घाटियों में फली-फूली।
- **उत्तरी पेरू पवित्र शहर कैरल (5,000 वर्ष पुराना)** जैसे प्राचीन समारोह परिसरों के लिये जाना जाता है।
  - पेरू का सबसे प्रमुख पुरातात्त्विक स्थल **इंका सिटाडेल माचू पिच्चू (Incan citadel Machu Picchu)** है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था।

विश्व की प्रमुख सभ्यताएँ

मेसोपोटामिया, 4000-3500 ईसा पूर्व

- इसका उद्गम आधुनिक इराक और **ईरान, सीरिया, कुवैत** और **तुर्की** के कुछ भाग, **टाइग्रिस** और **यूफ्रेट्स नदियों** के बीच हुआ
- इसे **सभ्यता के उद्गम** स्थल के रूप में जाना जाता है
- अपनी लिपि, देवताओं और महिलाओं पर विचारों वाली संस्कृतियों का विविध संग्रह
- समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को दर्शाते हुए, धर्म, कानून, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाली **अत्यधिक सम्मानित शिक्षा प्रणाली**
- **पुरुष तथा महिला दोनों विविध व्यवसायों में शामिल** थे, जिनमें कृषि के साथ-साथ मुंशी, चिकित्सक, कारीगर, बुनकर, कुम्हार आदि जैसी भूमिकाएँ भी शामिल थीं।
- महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे और वे जमीन की मालिक भी हो सकती थीं, तलाक के लिये याचिका लगा सकती थीं, आदि
- **मीनारें,** सीढ़ीदार पिरामिड मंदिरों के **आसपास बसे हुए शहर** के निवासी अपने संरक्षक देवता का सम्मान करते थे
- **धूप में सुखाई गई ईंटों** से निर्मित शहर, विश्व के पहले शहर थे।

प्राचीन मिस्र, 3100 ईसा पूर्व

- **नील नदी** के तट पर स्थित
- **पिरामिडों, कब्रों और मकबरों** के लिये सबसे अधिक जाना जाता है, जिसमें शवों को मृत्यु के पश्चात् के जीवन हेतु तैयार करने के लिये ममीकरण किया जाता है।
- इसने स्मारकीय लेखन और गणित प्रणालियों की विरासत छोड़ी
- सभ्यता **332 ईसा पूर्व में** सिकंदर महान की विजय के साथ **समाप्त** हो गई

सिंधु घाटी सभ्यता, 3300 ईसा पूर्व

- यह आधुनिक **भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान** में स्थित है
- अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण, व्यापक युद्ध के बहुत कम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं
- **संगठित शहर की योजना, एकसमान पकी-ईंट वाले घरों,** एक ग्रिड संरचना और जल निकासी, सीवेज और जल आपूर्ति प्रणालियों से परिपूर्ण
- **1800 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन** हुआ, मृत्यु के पीछे के वास्तविक कारणों पर अभी भी परिचर्चाएँ होती हैं (ये सिद्धांत पतन के लिये आर्य आक्रमण या जलवायु एवं प्राकृतिक कारकों को प्रस्तावित करते हैं)

प्राचीन चीन, 2000 ईसा पूर्व

- हिमालय पर्वत, प्रशांत महासागर और गोबी रेगिस्तान द्वारा संरक्षित, **यलो और यांग्त्ज़ी नदियों के बीच स्थित**
- सदियों तक आक्रमणकारियों और अन्य विदेशियों से संघर्ष में फला-फूला
- सामान्यतः चार राजवंशों में विभाजित - **ज़िया, शांग, झोउ और किन** - प्राचीन चीन पर एक के बाद एक सम्राटों का शासन था।
- **दशमलव प्रणाली, अबेकस और धूपघड़ी** के साथ-साथ **प्रिंटिंग प्रेस** को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निर्माण के लिये आबादी को संगठित किया (मिस्रवासियों के समान)

Drishti IAS

नोट :

दलाई लामा

हाल ही में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का **89वाँ जन्मदिन** मनाया गया।

- **दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित** हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है।
- तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल **14 दलाई लामा** हुए हैं और **पहले तथा दूसरे दलाई लामाओं** को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी।
  - **14वें और वर्तमान दलाई लामा 'तेनजिन ग्यात्सो'** हैं।
- माना जाता है कि **दलाई लामा अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग,** करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के प्रतीक हैं।
  - **बोधिसत्व** सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिये बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित प्राणी हैं, जिन्होंने मानवता की मदद के लिये दुनिया में पुनर्जन्म लेने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- **दलाई लामा (14वें)** वर्ष 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान हज़ारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भारत भाग आए थे, तब से वे भारत में रह रहे हैं।

माउंट एटना और स्ट्रोमबोली विस्फोट

हाल ही में इटली में माउंट एटना (Mount Etna) और स्ट्रोमबोली (Stromboli) में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गर्म राख तथा लावा निकला है।

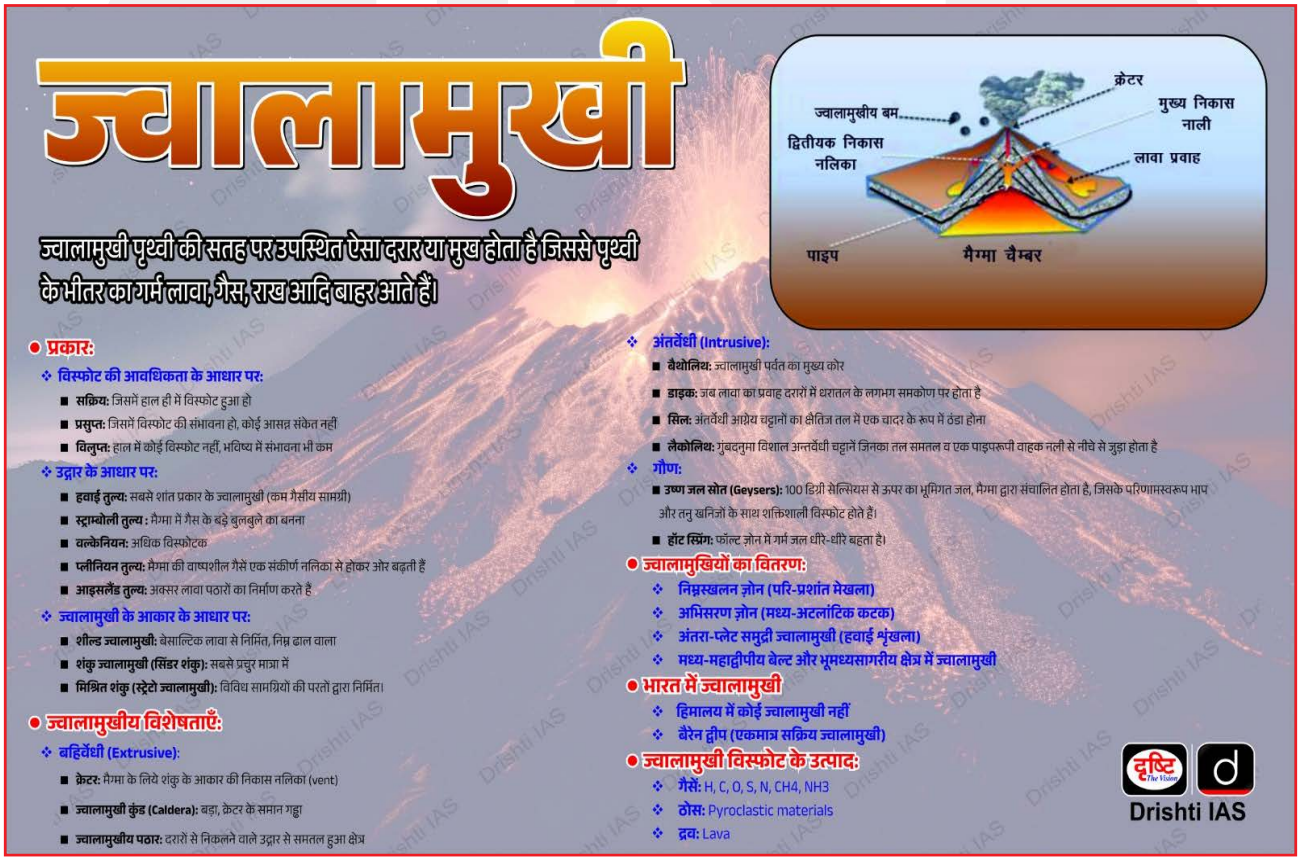

- **माउंट एटना** इटली के दक्षिणी भाग में **सिसिली** द्वीप पर स्थित है।
  - यह आल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊँची चोटी है।

नोट :

- यूरोप का **सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक** है। इसके अलावा यह भूमध्यसागरीय द्वीप पर सबसे ऊँचा पर्वत है और **विश्व भर में सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोलकैनो** है।
  - स्ट्रैटोवोलकानो ऊँचे, शंक्वाकार ज्वालामुखी हैं जो **कठोर लावा, राख और चट्टान के टुकड़ों की परतों से निर्मित** होते हैं।
  - वे आमतौर पर **सबडक्शन ज़ोन (Subduction Zone)** के ऊपर पाए जाते हैं और वे अक्सर बड़े ज्वालामुखीय सक्रिय क्षेत्रों का हिस्सा होते हैं, जैसे कि रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के अधिकांश भाग को घेरे हुए है।
- स्ट्रोमबोली (यह एक स्ट्रेटोवोलकैनो भी है) इटली के **सिसिली** के उत्तरी तट पर **टायरीनियन सागर (Tyrrhenian Sea)** में स्थित एक छोटा सा द्वीप है।
  - जैसे: माउंट स्ट्रोमबोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इतने सारे गैस के बादल उत्सर्जित करता है कि इसे **"भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ (Lighthouse of the Mediterranean)"** कहा जाता है।

विश्व ज़ूनोसिस दिवस

विश्व ज़ूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में, **पशुपालन और डेयरी विभाग** द्वारा विश्व ज़ूनोसिस दिवस की पूर्व संध्या पर **पशुपालन तथा डेयरी सचिव (AHD) की अध्यक्षता में एक बातचीत सत्र का आयोजन** किया गया।

- यह दिवस लुई पाश्चर **के सम्मान में** मनाया जाता है, जिन्होंने **6 जुलाई 1885** को एक ज़ूनोसिस रोग, **रेबीज़** का पहला सफल टीका लगाया था।
- **ज़ूनोसिस संक्रामक रोग हैं जो जानवरों एवं मनुष्यों के बीच स्थानांतरित** हो सकते हैं, जैसे रेबीज़, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा (H1N1 और H5N1), निपाह, कोविड-19, ब्रूसेलोसिस **तथा** तपेदिक **आदि।**
  - ये **रोग विभिन्न रोगाणुओं के कारण** होते हैं, जिनमें जीवाणु, विषाणु, परजीवी **और** कवक शामिल हैं।
- कई **गैर-ज़ूनोटिक रोग मानव स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न किये बिना पशुधन को प्रभावित** करते हैं।
  - उदाहरणों में फुट एंड माउथ डिजीज़, **पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनैंट्स (PPR)**, लम्पी स्किन डिज़ीज़, क्लासिकल स्वाइन फीवर तथा रानीखेत डिज़ीज़ शामिल हैं।
- सभी रोगों में से **लगभग 60% ज़ूनोटिक** हैं और **70% उभरते संक्रमण जानवरों से उत्पन्न** होते हैं।
- ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण करने हेतु टीकाकरण, स्वच्छता, पशुपालन प्रथाओं के साथ-साथ वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से वेक्टर नियंत्रण पर भी निर्भर करता है।
- जोखिम को कम करने हेतु, DAHD ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के तहत **गोजातीय बछड़ों के ब्रुसेल्ला टीकाकरण के लिये एक राष्ट्रव्यापी अभियान** शुरू किया है और साथ ही पशु रोगों के नियंत्रण के लिये राज्यों को सहायता (ASCAD) के तहत रेबीज़ का टीकाकरण शुरू किया है।
- भारत में **वैश्विक पशुधन तथा मुर्गीपालन की संख्या क्रमशः 11% और 18%** है। इसके अतिरिक्त, भारत विश्व स्तर पर **दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और अंडे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर

हाल ही में भारत का **स्वदेशी रक्षा उत्पादन वर्ष 2023-24** में **1.27 लाख करोड़ रुपए** के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में **16.7% की वृद्धि** है।

- वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का **मूल्य 1.08 लाख करोड़ रुपए** था।
- भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन लक्ष्य **वर्ष 2028-29 तक 3 लाख करोड़ रुपए** तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन के कुल मूल्य में, **रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (Defence Public Sector Undertakings- DPSU) और अन्य PSU** द्वारा लगभग **79.2 प्रतिशत** तथा निजी क्षेत्र द्वारा **20.8 प्रतिशत** का योगदान किया गया है।
- वर्ष 2019-20 से **रक्षा उत्पादन मूल्य में वृद्धि 60%** से अधिक रही है।
- रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपए से **32.5% बढ़कर 2023-24** में **21,083 करोड़ रुपए** पर पहुँच गया। वर्ष 2028-29 तक इसके 50,000 करोड़ रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है।
- वर्ष 2024-25 के लिये रक्षा बजट **6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया** गया है। वर्ष 2023-24 में 4,35,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।
  - पूंजी अधिग्रहण बजट का 75% स्थानीय कंपनियों से खरीद के लिये निर्धारित किया गया है।
- भारतीय रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय नीतिगत सुधारों, **व्यापार में सुगमता** की पहल और व्यापक डिजिटल समाधानों को दिया जाता है, जो भारतीय रक्षा उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाता है।

नोट :

DEFENCE MANUFACTURING

MARKET SIZE

Defence Production in India (US$ billion)

SECTOR COMPOSITION

Defence Production in India by Sector in FY23 (%)

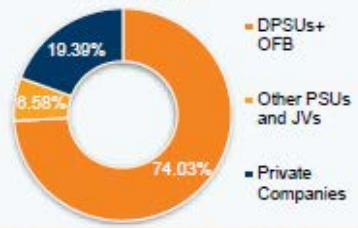

Value of Production by Defence PSUs (US$ billion)

Note: *Until November 17, 2023

KEY TRENDS

MoD's Resource Projection and Allocation under Defence Services Estimates

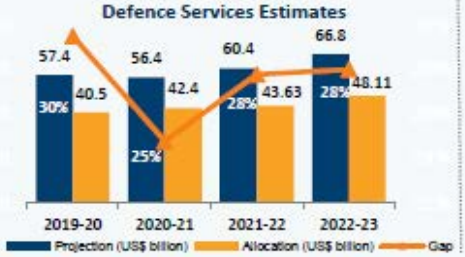

Breakdown of fund allocation in Defence Industry as per the Budget 2024-25

GOVERNMENT INITIATIVES

Increased Cooperation with Vietnam on Surveillance and Shipbuilding Technology

रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE

Defence Production and Export Promotion Policy 2020

Defence Park in Kerala to Promote MSMEs and Boost 'Make in India' Initiative

ADVANTAGE INDIA

- **Growing demand:** Till April 2023, a total of 606 industrial licences were issued to 369 companies operating in the defence sector. Defence exports rose 240% over five years in FY23, to US$ 1.9 billion (Rs. 15,918.16 crore); India now exports to over 85 countries due to collaborative efforts. Defence exports US$ 2.63 billion in FY24, up by 32.5% from last year
- **Competitive advantage:** India has the world's fourth-largest defence expenditure, as of 2022, and has set a target of US$ 6.02 billion (Rs. 50,000 crore) worth of annual defence exports by 2028-29. India's defence budget of US$ 74.7 billion ranked fourth highest globally in 2023.
- **Government support:** Under the Atmanirbhar Bharat Initiative, five positive indigenization lists of 509 products have been promulgated by the Department of Military Affairs and Ministry of Defence to be manufactured domestically for the defence sector, instead of being sourced via imports.
- **Opportunities:** The government has established 2 Defence Industrial Corridors in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. India has around 194 defence tech startups building innovative tech solutions to empower and support the

नोट :

प्रागैतिहासिक शुतुरमुर्ग घोंसले की खोज

हाल ही में पुरातत्त्वविदों द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में शुतुरमुर्ग के **41,000 वर्ष पुराने घोसले की खोज की** गई।

- इससे **भारत में महाप्राणी या मेगाफौना (50 किलोग्राम से अधिक वज़न** वाले जानवर) की विलुप्ति के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
- **भारत में शुतुरमुर्गों के प्रारंभिक साक्ष्य:**
  - शुतुरमुर्ग के जीवाश्म पहली बार **वर्ष 1884** में पाकिस्तान के **ऊपरी शिवालिक पहाड़ियों** में स्थित **ढोक पठान निक्षेपों** में पाए गए थे।
    - हिमालय में शुतुरमुर्ग के जीवाश्मों की खोज से पता चलता है कि **अतीत में यह क्षेत्र कमज़ोर भारतीय मानसून** के कारण **शुष्क तथा ठंडा** था, जबकि अत्यंतनूतन युग (Pleistocene Epoch) के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में ऐसा नहीं था।
  - इसके बाद वर्ष 1989 में महाराष्ट्र के पाटन (भारत के महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में स्थित जलगाँव ज़िले का एक गाँव है) में **बड़ी संख्या में उच्च पुरापाषाण स्थल पर 50,000-40,000 वर्ष पूर्व** के **शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्कीर्णन के साथ पाए** गए।
  - **वर्ष 2017 में साक्ष्यों से पता चला कि शुतुरमुर्ग 25,000 वर्ष** पहले **राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात** में मौजूद थे।
- **शुतुरमुर्ग (*Struthio Camelus*):**
  - **IUCN स्थिति:** कम चिंतनीय (Least Concern-LC)
  - **सबसे बड़े जीवित पक्षी: 2-2.8 मीटर** लंबे, वज़न **90-160 किलोग्राम।**
  - **उड़ने में असमर्थ** पक्षी, 43 मील प्रति घंटे तक की गति वाले असाधारण धावक।
  - **अफ्रीकी सवाना और रेगिस्तान** (सोमालिया, इथियोपिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका) के स्थानिक।
  - ये **छोटे झुंड** में रहते हैं (एक दर्ज़न से भी कम), जिनका **नेतृत्व नर करते** हैं जो मुख्य रूप से अग्रणी मादा के साथ जनन करते हैं।

SEHER कार्यक्रम

हाल ही में **महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform - WEP)** और **ट्रांसयूनियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड [TransUnion CIBIL]** ने भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिये **मानव संसाधन सशक्तीकरण सोसायटी (Society for Empowering Human Resource- SEHER)** कार्यक्रम शुरू किया है।

- इसका उद्देश्य **महिला उद्यमियों के बीच वित्त, ऋण तक पहुँच और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है,** इसके लिये उन्हें व्यक्तिगत संसाधन तथा उपकरण प्रदान करना है।
- भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर **30 मिलियन से अधिक** नए महिला स्वामित्व वाले उद्यम बना सकता है जिससे **150-170 मिलियन से अधिक** नौकरियाँ सृजित होंगी।
- **भारत में व्यवसाय में संलग्न महिलाएँ:**
  - भारत में 63 मिलियन **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small, and Medium Enterprises - MSME)** हैं, जिनमें से लगभग **20% महिलाओं** के स्वामित्व में हैं तथा **27 मिलियन** लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।
  - विगत 5 वर्षों (वित्तवर्ष 2019 - वित्तवर्ष 2024) में **महिलाओं द्वारा व्यावसायिक ऋण की मांग में 3.9 गुना वृद्धि हुई है।**
  - वित्तवर्ष 2019 और 2024 के बीच **व्यवसाय ऋण प्राप्त करने वाली महिला** उधारकर्त्ताओं की हिस्सेदारी में **10% की वृद्धि** हुई।
  - **शहरी क्षेत्रों (18.42%)** की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों **(22.24%)** की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- WEP को वर्ष **2018 में नीति आयोग** द्वारा लॉन्च किया गया था और भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2022 में इसे **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP)** में परिवर्तित कर दिया गया।
- **ट्रांसयूनियन सिबिल** भारत की अग्रणी ऋण सूचना कंपनी है, जिसके पास उपभोक्ता सूचना का सबसे बड़ा संग्रह है।

भारत और पाकिस्तान द्वारा कैदियों की सूची का आदान-प्रदान

हाल ही में **भारत और पाकिस्तान** ने नई दिल्ली तथा इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों एवं मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया।

- **कॉन्सुलर एक्सेस 2008 पर द्विपक्षीय समझौते** के प्रावधानों के तहत ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान **प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई** को किया जाता है।
  - **समझौते की धारा 4** में कहा गया है कि दोनों देशों की सरकारों को दूसरे देश के नागरिकों को उनकी गिरफ्तारी, **हिरासत या कारावास के तीन महीने के भीतर कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करना होगा।**

नोट :

- समझौते की **धारा 5** में यह प्रावधान है कि **दोनों सरकारों को व्यक्तियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि** होने और उनकी सज़ा पूरी होने के एक महीने के भीतर उन्हें रिहा करना होगा तथा वापस भेजना होगा।

- भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक **कैदियों**, **मछुआरों**, **उनकी नौकाओं** तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है।

कॉग्निटिव टेस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिये उनकी उपयुक्तता अथवा स्वस्थता पर चिंताओं को लेकर उनका **कॉग्निटिव टेस्ट** (व्यक्ति का संज्ञानात्मक परीक्षण) कराने का आह्वान किया जा रहा है।

- **कॉग्निटिव टेस्ट** मनुष्य के **मानसिक प्रकार्य** और **मस्तिष्क द्वारा विचारों को संसाधित करने** का मूल्यांकन करता है। इस प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति से **सरल प्रश्न पूछे जाते हैं** और **सरल कार्य करवाकर** उसका परीक्षण किया जाता है।
  - **संज्ञान** मस्तिष्क की वह क्षमता है जो आपकी इंद्रियों से प्राप्त सभी सूचनाओं को संसाधित करती है।
- यह **संज्ञानात्मक कमियों**, **उनके कारणों** और **मस्तिष्क के प्रभावित भागों** की पहचान करता है।
  - परीक्षण के परिणामों के आधार पर मनुष्य के **संज्ञानात्मक हानि (Cognitive Impairment), डिमेंशिया (मनोभ्रंश) या सूडो डिमेंशिया** का निदान किया जाता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार और संज्ञान में सुधार आता है।
- यह उन लोगों के लिये अनुशंसित है जो **स्मृति ह्रास, स्मृतिभ्रंश (Memory Loss) या भूलने की बीमारी**, **ध्यान केंद्रित करने** या **निर्णय लेने में कठिनाई का** अनुभव करते हैं।

सामान्य संज्ञानात्मक स्क्रीनिंग टेस्ट:

- **मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट (MoCA)** में शब्दों को याद रखना, वस्तुओं का नाम बताना और आकृतियों को देखकर उनकी प्रति बनाना जैसे कार्य शामिल हैं।
- **मिनी-मेंटल स्टेट परीक्षा (MMSE)** में उल्टी गिनती करना, वस्तुओं की पहचान करना और तारीख बताना शामिल है।
- **मिनी-कॉग** में शब्दों को याद रखना, घड़ी बनाना और उसमें घंटे के बिंदुओं का अंकन करना शामिल है।

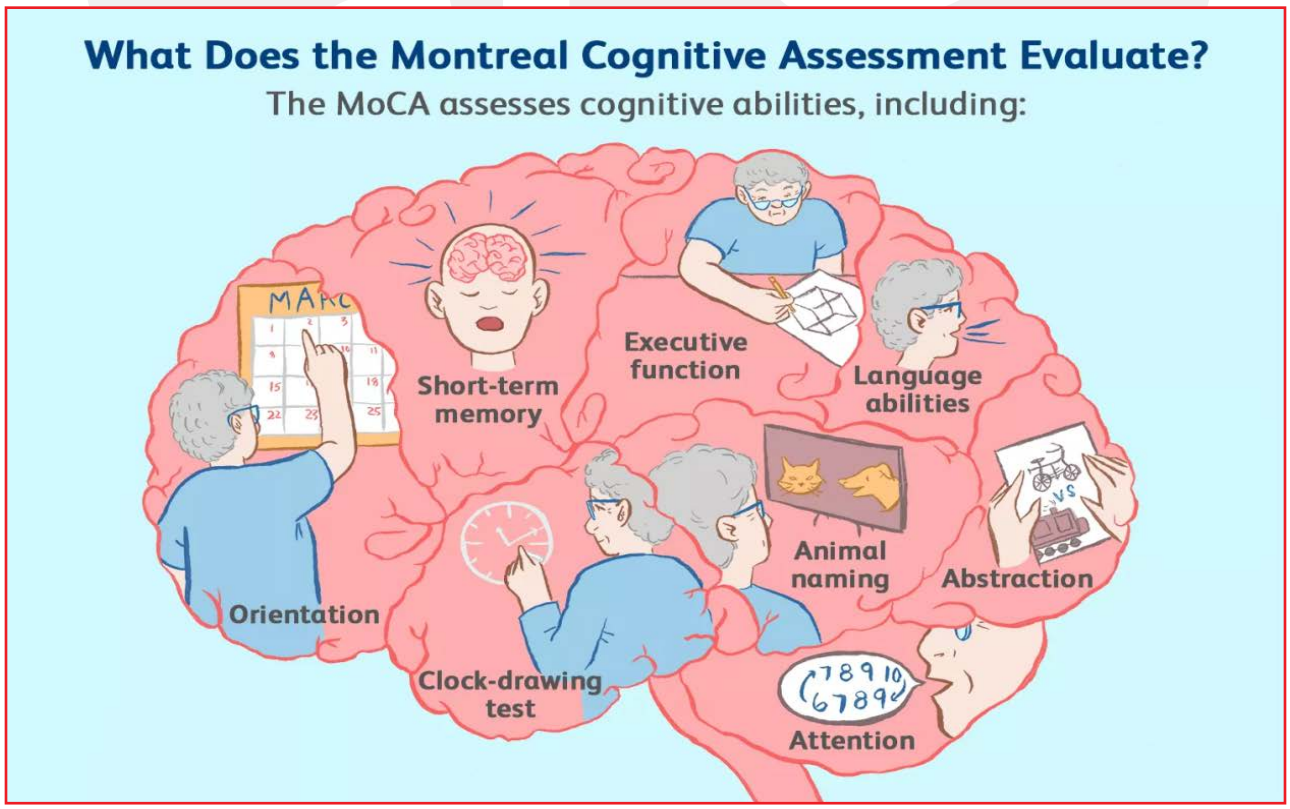

नोट :

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती

प्रधानमंत्री ने हाल ही में **डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी** को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म **6 जुलाई, 1901** को **कलकत्ता** में एक **बंगाली ब्राह्मण** परिवार में हुआ था।
- वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया।
- वर्ष 1934 में 33 वर्ष की आयु में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के **सबसे कम उम्र के कुलपति** बने।
- कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, **रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्वविद्यालय** के दीक्षांत समारोह को पहली बार **बंगाली भाषा** में संबोधित किया और भारतीय भाषा को सर्वोच्च परीक्षा के लिये एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- **वर्ष 1946** में उन्होंने बंगाल के विभाजन की मांग की ताकि इसके **हिंदू-बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम** बहुल पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने से रोका जा सके।
- वर्ष 1947 में उन्होंने **सुभाष चंद्र बोस** के भाई शरत बोस और बंगाली मुस्लिम राजनेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी द्वारा बनाई गई एक संयुक्त लेकिन स्वतंत्र बंगाल के लिये एक असफल बोली का भी विरोध किया।
- उन्होंने आधुनिक **भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)** के पूर्ववर्ती **भारतीय जनसंघ (BJS)** की स्थापना की।
  - श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे, जिन्होंने प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया।जम्मू और कश्मीर के मुद्दों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद के कारण **भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस** से अलग होने के बाद, उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी।
- **वर्ष 1953 में**, कश्मीर को दिये गए विशेष दर्जे के विरोध में उन्होंने बिना अनुमति के कश्मीर में प्रवेश करने की कोशिश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

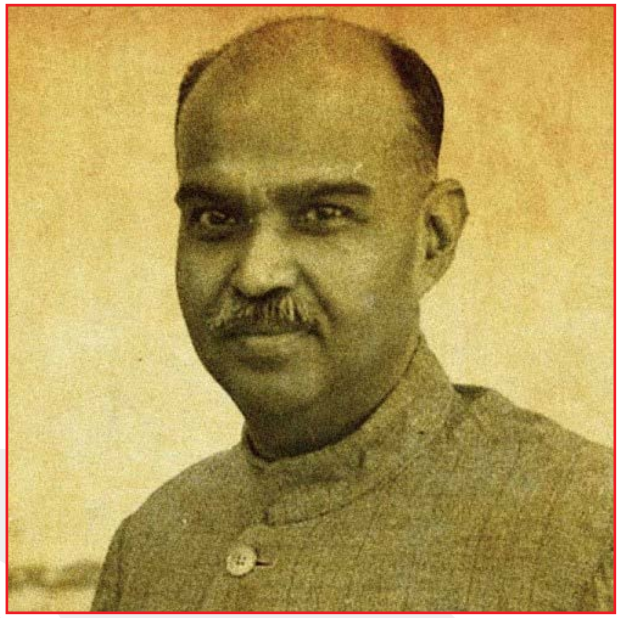

डॉ. गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कार्यवाहक अध्यक्ष *डॉ. बीएन गंगाधर* को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC) का प्रमुख नियुक्त किया, जबकि डॉ. संजय बिहारी को चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया।

- NMC का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है, जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India - MCI) का स्थान लिया।
  - इस सुधार का उद्देश्य **चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करना है, विशेष रूप से MIC को प्रतिस्थापित करना है,** जो भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों से ग्रस्त है।
- NMC भारत में **चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के शीर्ष नियामक** के रूप में कार्य करता है।
- इसके चार अलग-अलग **स्वायत्त बोर्ड** होंगे:
  - स्नातक चिकित्सा शिक्षा।
  - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा।
  - चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग।
  - नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण।

नोट :

वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस

वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस (Global Energy Independence Day), जो हर वर्ष 10 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता **और स्थिरता** प्राप्त करने के लिये प्रयासरत देशों हेतु एक महत्त्वपूर्ण क्षण है।

- यह व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिये एक कार्रवाई का आह्वान है कि वे **गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने** तथा स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को अपनाने के महत्त्व को पहचानें।
- इसके बाद से इसे विश्व भर में व्यापक मान्यता मिल गई है और **यह ऊर्जा स्वायत्तता तथा विभिन्न प्रकार के टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों के महत्त्व** पर प्रकाश डालता है।
- वर्ष 2024 का विषय, **"ऊर्जा परिवर्तन अभी: भविष्य को अपनाएँ",** टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने की तात्कालिकता और महत्त्व को दर्शाता है।
- जलवायु परिवर्तन में तेज़ी आने तथा ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ, यह दिन **सतत् ऊर्जा के लिये नवाचार और प्रतिबद्धता की महत्त्वपूर्ण** आवश्यकता की याद दिलाता है।

भारत-यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक

हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच **संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC)** की 12वीं बैठक अबू धाबी में आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग को और विस्तृत करने के लिये वार्ता की गई।

नोट :

- दोनों देशों के बीच भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हुए बैठक में प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग और अनुसंधान एवं विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया।
  - भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। शुरुआत से लेकर अब तक कुल 11 दौर की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। इस बैठक से संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को और अधिक विस्तार देने का अवसर प्राप्त हुआ।
  - **भारत-संयुक्त अरब अमीरात रक्षा सहयोग:**
    - वायु सेना: वर्ष 2018 में **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)** पर त्रिपक्षीय वायु अभ्यास।
    - नौसेना: **अभ्यास "गल्फ स्टार 1"**, ज़ायद तलवार और IDEX/NAVDEX।
- UAE **अरब प्रायद्वीप** पर स्थित है जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी की सीमा पर स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण और पश्चिम में सऊदी अरब तथा दक्षिण-पूर्व में ओमान से लगती है जबकि कतर इसके उत्तर-पश्चिम में स्थित है।
  - **ईरान** और **ओमान** के साथ UAE, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के साथ एक तटरेखा साझा करता है जो इसे इस रणनीतिक जलमार्ग की सीमा से लगे तीन देशों में से एक बनाता है।
  - UAE एक संघीय सर्वोच्च परिषद द्वारा शासित है जो सात अमीरात से मिलकर बना है: **अबू धाबी (सबसे बड़ा अमीरात)**, दुबई, अजमान, फुजैराह, शारजाह, रस अल-खैमाह और उम्म अल-कैवेन।

ग्रोयनेस

ग्रोयनेस **लकड़ी या कंक्रीट से बनी निचली संरचनाएँ** हैं जो **समुद्र तट से दूर स्थित** होती हैं।

- इन्हें **तलछट को रोकने**, तरंग ऊर्जा को नष्ट करने तथा तटीय बहाव के माध्यम से तलछट को **समुद्र तट से दूर स्थानांतरित होने से रोकने के लिये डिज़ाइन** किया गया है।
  - **दीर्घतटीय/लॉन्गशोर बहाव** तब होता है जब प्रचलित पवनें, लहरों को तट के एक ऐसे कोण पर पहुँचती हैं जो समुद्र तट पर तलछट को प्रवाहित करती हैं।
  - ग्रोयनेस तट पर **कटाव/क्षरण की प्रक्रिया को धीमा** कर देते हैं।
- वे **पारगम्य अथवा अपारगम्य** भी हो सकते हैं; पारगम्य ग्रोयनेस कुछ तटीय बहाव के साथ कुछ गाद को गुज़रने की अनुमति देते हैं।
  - हालाँकि **अपारगम्य ग्रोयनेस ठोस** होते हैं और किसी भी तलछट के स्थानांतरण को रोक सकते हैं।
- वे अल्पावधि में **समुद्र तट की सुरक्षा करने में अत्यधिक प्रभावी** होते हैं, क्योंकि वे कुछ दीर्घावधि सॉफ्ट इंजीनियरिंग विधियों की तुलना में तत्काल प्रभावी होते हैं।
  - हालाँकि वे अपनी **लगातार घुसपैठ के कारण तटरेखा के अन्य भागों में भी समस्या उत्पन्न** कर सकते हैं।

विश्व जनसंख्या दिवस 2024

विश्व जनसंख्या दिवस हर साल **11 जुलाई को वैश्विक जनसंख्या मुद्दों** और **प्रजनन स्वास्थ्य** तथा अधिकारों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है। इसकी **स्थापना वर्ष 1989 में** संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।

- **इतिहास:**
  - वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जनसंख्या संबंधी मुद्दों की तात्कालिकता और महत्त्व पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिये **11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस** के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा।
  - **UNDP 11 जुलाई 1987 को "पाँच अरब दिवस" द्वारा बनाई गई सार्वजनिक रुचि और जागरूकता से प्रेरित था,** जब दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुँच गई थी।
- **विषयवस्तु (Theme):**
  - इस वर्ष 2024 विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है ***"किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें (Leave no one behind, count everyone)"।***
- **वर्ष 2011 में,** वैश्विक जनसंख्या 7 बिलियन के आँकड़े तक पहुँच गई, वर्ष 2021 में यह लगभग **7.9 बिलियन** है और वर्ष 2030 में इसके लगभग **8.5 बिलियन**, वर्ष 2050 में **9.7 बिलियन** और 2100 में **10.9 बिलियन** तक बढ़ने की उम्मीद है।
  - **संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार, वर्ष 2024 तक भारत की जनसंख्या 1.428 अरब** से कुछ अधिक होगी।

नोट :

चीन सीमा पर सोने की तस्करी

हाल ही में **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)** ने **ऑपरेशन जज़्बा** के तहत **पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा** के पास दो व्यक्तियों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्कुट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

- हालाँकि छोटी वस्तुओं की तस्करी आम बात थी, लेकिन यह पहली बार था कि इस क्षेत्र में कथित सोने की तस्करी का रैकेट उजागर हुआ, जो **ITBP द्वारा सोने की तस्करी की अब तक की सबसे बड़ी खेप** थी।
- ITBP को **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा **तलाशी और ज़ब्त करने के लिये अधिकृत** किया गया है तथा साथ ही तस्करी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये सीमा पर **सीमा शुल्क की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये इसे ITBP अधिनियम में भी शामिल** किया गया है।

एरियन 6 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण

हाल ही में **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)** ने पहली बार **फ्रेंच गुयाना** से **एरियन 6 रॉकेट** को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने यूरोप की अंतरिक्ष में वापसी की सराहना की, क्योंकि एरियन 6 रॉकेट ने अपनी पहली उड़ान में कई प्रक्षेपणों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

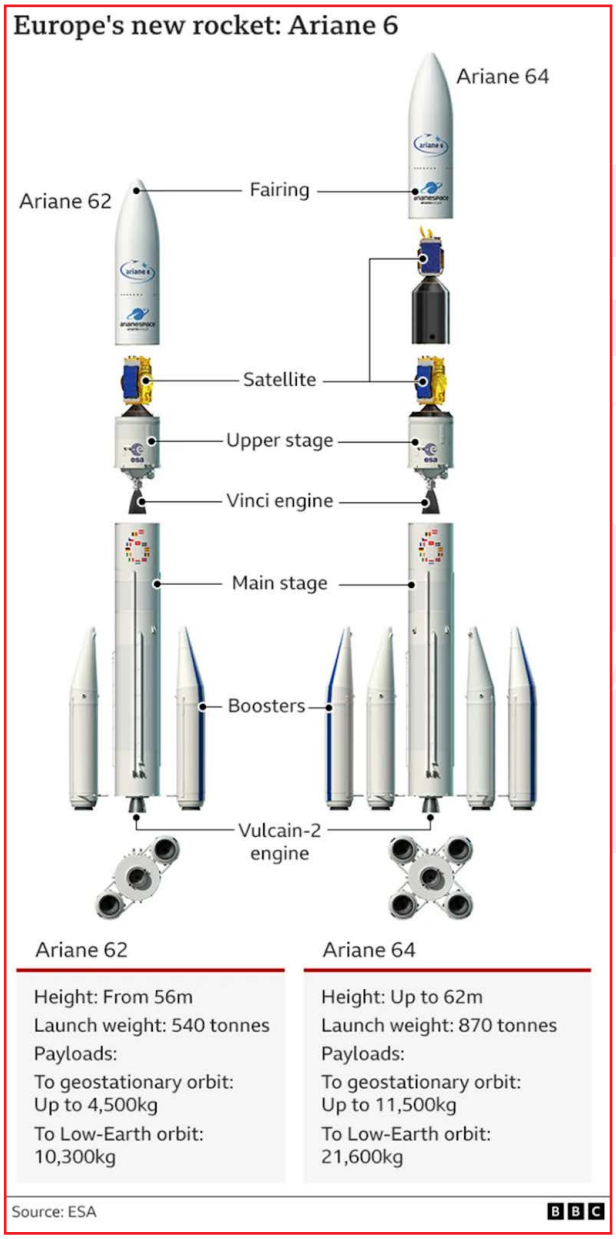

- यह **यूरोप की एरियन** रॉकेट श्रृंखला (**एरियन 5** से आगे) में नवीनतम रॉकेट है, जो लो अर्थ ऑर्बिट से और दूर **गहन अंतरिक्ष (Deep Space)** में मिशन लॉन्च कर सकता है।
  - **एरियन-5 रॉकेट** का उपयोग इसरो **के संचार उपग्रहों जैसे कि GSAT-11, GSAT-30, GSAT-31, ESA के** जूस मिशन और नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को लॉन्च करने के लिये किया गया है।
- इस पहली उड़ान ने **नौ क्यूबसैट** को कक्षा में पहुँचाया, जिसमें **नासा का क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरीमेंट (CURIE)** और **पृथ्वी की जलवायु तथा मौसम** का अध्ययन करने वाले अन्य उपग्रह शामिल थे।
- ऊपरी चरण में उपयोग किये जाने वाले **विंसी इंजन (Vinci Engine)** को बार-बार स्टार्ट (Restart Repeatedly) करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिससे ऑपरेटिंग एजेंसी को अलग-अलग कक्षाओं में पेलोड रखने की अनुमति मिलती है।
- अगले कई वर्षों में **एरियन 6 द्वारा 29 मिशन** प्रक्षेपित किये जाएंगे, जिसमें प्रतिवर्ष की 12 उड़ानें शामिल है।

जगन्नाथ रथ यात्रा और आषाढ़ी पर्व

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **जगन्नाथ रथ यात्रा** और **कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज के शुभ अवसर** पर लोगों को शुभकामनाएँ दीं। **गुजरात** के **मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा के लिये जगन्नाथ के रथ के मार्ग की प्रतीकात्मक** सफाई हेतु **'पहिंद विधि'** की।

- **जगन्नाथ रथ यात्रा:** यह एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा की ओडिशा के पुरी में उनके घरेलू मंदिर से लगभग तीन किलोमीटर दूर गुंडिचा में उनकी मौसी के मंदिर तक की यात्रा का जश्न मनाता है।
  - इस उत्सव की शुरुआत कम-से-कम 12वीं शताब्दी से हुई है, जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण **राजा अनंतवर्मन चोडगंगा देव** ने करवाया था।
  - इस त्योहार को **रथों के त्योहार** के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि **देवताओं को तीन विशाल लकड़ी के रथों पर ले जाया जाता** है, जिन्हें भक्त रस्सियों से खींचते हैं।
  - यह **आषाढ़ (जून-जुलाई) माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया** को शुरू होता है और **नौ दिनों तक चलता** है।
- **आषाढ़ी बीज:**
  - यह **हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया** को पड़ता है।
  - यह **त्योहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत** से जुड़ा हुआ है।
  - **आषाढ़ी बीज के दौरान,** वातावरण में नमी की जाँच की जाती है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले महीने में कौन-सी फसल सबसे अच्छी होगी।

नोट :

भारत में पारंपरिक नववर्ष उत्सव	
नाम	**विशेषताएँ**
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा	यह विक्रम संवत के नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जिसे वैदिक (हिंदू) कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है।
गुड़ी पड़वा और उगादि	यह त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र में मनाया जाता है।
नवरेह	कश्मीर में चंद्र नववर्ष मनाया जाता है। यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मनाया जाता है।
साजिबू चेराओबा	मणिपुर में मैतेई लोगों द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर के चंद्र मास शाजिबू के पहले दिन मनाया जाता है।
चेटीचंड	सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिंधियों के संरक्षक संत इष्ट देव उदेरोलाल/झूलेलाल की जयंती।
बिहु	यह वर्ष में तीन बार मनाया जाता है- अप्रैल में रोंगाली या बोहाग बिहू, अक्तूबर में कोंगाली या काटी बिहू और जनवरी में भोगली या माघ बिहू।
बैसाखी	किसानों द्वारा भारतीय आभार दिवस के रूप में मनाया जाता है। खालसा पंथ की नींव इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह ने रखी थी।
लोसूंग	सिक्किम का नववर्ष, जिसे नामसूंग के नाम से भी जाना जाता है।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग दुग्ध हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष **राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार** प्रदान करता रहा है।

- पशुधन और डेयरी क्षेत्र में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार **सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों** में से एक है।
- विभाग ने **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)** राज्यों के लिये एक विशेष पुरस्कार शामिल किया है ताकि **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)** में **डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित और बढ़ावा** दिया जा सके।
- यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किया जाता है:
  - **स्वदेशी मवेशी/भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान।**
  - सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (DCS)/दुग्ध उत्पादक कंपनी (MPC)/डेयरी किसान उत्पादक संगठन (FPO)।
  - सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT)।
- पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष **राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार** प्रदान कर रहा है।
  - देशी गोजातीय नस्लों के वैज्ञानिक तरीके से **संरक्षण एवं विकास** के उद्देश्य से **RGM की शुरुआत दिसंबर 2014** में की गई थी।

नेशनल वन हेल्थ मिशन

हाल ही में **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री** ने **राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन (National One Health Mission)** की **पहली कार्यकारी समिति** की बैठक की **अध्यक्षता** की।

- इस मिशन को 2022 में **प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (Prime Minister's Science, Technology, and Innovation Advisory Council - PM-STIAC)** द्वारा अनुमोदित किया गया था। मिशन का उद्देश्य **मानव और पशु दोनों क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली बीमारियों** के खिलाफ **समग्र महामारी** तैयारी तथा एकीकृत रोग नियंत्रण प्राप्त करने में **मंत्रालयों के बीच समन्वय** करना है।
- यह मिशन 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने में मदद करेगा।
  - **वन हेल्थ** एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य पशुओं और हमारे साझा वातावरण के स्वास्थ्य से निकटता से जुड़ा हुआ है।
- राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रमुख प्रयास:
  - **एकीकृत रोग निगरानी लागू करना**
  - पर्यावरण निगरानी प्रणाली
  - मज़बूत प्रकोप जाँच तंत्र विकसित करना
- इस मिशन द्वारा महत्त्वपूर्ण उपकरणों **जैसे कि टीके, निदान और चिकित्सा, नैदानिक देखभाल, विभिन्न क्षेत्रों में डेटा तथा सूचना को सुव्यवस्थित करने** एवं **सामुदायिक भागीदारी** को बढ़ाने के लिये लक्षित **अनुसंधान व विकास** के रूप में तैयारी के **महत्त्वपूर्ण स्तंभों** पर भी ध्यान दिया जाएगा।

नोट :

वन हेल्थ ONE HEALTH

वन हेल्थ ट्राई पार्टी अलायन्स यानी FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE)

WHO के बीच समझौते के आधार पर गतिविधियों का एक सेट प्रदान करता है जिसका उद्देश्य मानव-पशु-पौधे-पर्यावरण इंटरफेस से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना है।

दृष्टिकोण

- जानवरों और लोगों में जूनोटिक रोग के प्रकोप को रोकना
- खाद्य सुरक्षा में सुधार
- MMR संक्रमण को कम करना और मानव तथा पशु स्वास्थ्य में सुधार करना
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार करना
- जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण

वन हेल्थ से संबंधित तथ्य

- मानव रोगों का कारण बनने वाले 60% रोगजनक, घरेलू पशुओं या वन्यजीवों से उत्पन्न होते हैं
- वैश्विक पशु उत्पादन में 20% की गिरावट पशु रोगों से जुड़ी हुई है
- जब मूल वन आवरण का 25% से अधिक नष्ट हो जाता है तो मनुष्यों और उनके पशुओं की वन्यजीवों से सामना करने की संभावना अधिक होती है

वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा एक नई चतुष्पक्षी पहल
- यह योजना वर्ष 2022-2026 तक वैध है और इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करना है।

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM)

NOHM

- इसका उद्देश्य मानव और पशु दोनों क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली बीमारियों के विरुद्ध समग्र महामारी की तैयारी और एकीकृत रोग नियंत्रण को प्राप्त करने के लिये समन्वय करना है

हाल ही में उठाए गए कदम

- पशु महामारी तैयार पहल (APPI)
- वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (AHSSOH)

पूर्व में की गई पहलें

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, 2004
- जूनोज से निपटने के लिये एक बहु-विषयक रोड मैप (2008)

घटक

Drishti IAS

अपनी बहुआयामी सांस्कृ

हाल ही में, **राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET)** परीक्षा के पेपर परीक्षा से पूर्व ही **डार्क वेब** पर लीक हो गए, जिससे देश भर में विरोध और समस्याएँ उत्पन्न हुई।

नोट :

डार्क नेट:

- डार्क नेट **इंटरनेट का एक छिपा हुआ भाग है** जो नियमित सर्च इंजन की पहुँच से परे होते हैं। इसे सिर्फ **टोर (द ओनियन राउटर)** जैसे विशेष ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।
- इसे **आरंभ में मुख्य रूप से सरकारी और सैन्य उपयोग के लिये सुरक्षित एवं निजता संबंधी संचार की सुविधा के लिये विकसित किया गया था।**
  - हालाँकि, हाल ही में यह अवैध हथियारों और ड्रग्स की बिक्री जैसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ गया है।
- डार्क नेट पर **संचार को एन्क्रिप्टेड किया जाता है, जिससे प्रेषक और रिसीवर के बीच संचार का कोई संकेत शेष नहीं रह जाता है,** जिससे यूजर के लिये उच्च निजता सुनिश्चित होती है।

भारतीय कानून के अनुसार डार्क नेट के उपयोग या पहुँच को दंडनीय नही है, क्योंकि भारत में इसका उपयोग वैध है। **हालाँकि, अवैध उद्देश्यों के लिये इसका उपयोग करना कानून के तहत दंडनीय है।**

डार्क नेट पर मैलवेयर का खतरा:

- मैलवेयर **डार्क नेट द्वारा विकसित होता है,** जहाँ कुछ प्लेटफार्मों को यह सक्रिय रूप से प्रभावित करता है, **जिससे साइबर अपराधियों को साइबर आक्रमण आरंभ करने के लिये उपकरण उपलब्ध होते हैं।**
  - इसी तरह, यह डार्क नेट वेबसाइटों पर छिपा रहता है, जो वेबसाइटों यूजर को सरफेस वेब की तरह प्रभावित करता है।
- डार्क नेट यूजर अक्सर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयरों में से **कीलॉगर्स,** बॉटनेट मैलवेयर, रैंसमवेयर और फिशिंग मैलवेयर का सामना करते हैं।

RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक) मार्च 2023 के 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है, जो पूरे देश में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत प्रदान करता है।

- FI-सूचकांक वित्तीय समावेशन का एक व्यापक माप है, जो **0 से 100** तक होता है, जिसमें 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
  - FI-सूचकांक **प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित** किया जाता है।
- इसमें मुख्य रूप से तीन मानदंड शामिल हैं: **पहुँच (35%), उपयोग (45%), और गुणवत्ता (20%)**। यह सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाओं एवं पेंशन को कवर करने वाले **97 संकेतकों पर आधारित** है।
  - इसे वित्तीय सेवाओं की पहुँच, उपलब्धता, उपयोग और साथ ही गुणवत्ता की आसानी को मापने के लिये सरकार एवं क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से विकसित किया गया था।
  - सूचकांक में सुधार सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि से प्रेरित था, जिसमें कुल वृद्धि में उपयोग आयाम का सर्वाधिक योगदान था।
- यह सूचकांक **बिना किसी आधार वर्ष** के निर्मित किया गया है, जो पिछले कई वर्षों में वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों के संचयी प्रयासों को दर्शाता है।

ब्याज समानीकरण योजना का पुनर्नियोजन

इंजीनियरिंग निर्यातकों के संगठन **इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद (EEPC इंडिया) ने सभी निर्यातकों के लिये ब्याज समानीकरण योजना (Interest Equalization Scheme- IES)** को बहाल करने और **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME)** को होने वाले लाभ में वृद्धि करने का अनुरोध किया।

- निर्यातकों द्वारा माल के लदान (शिपमेंट) से पहले और उसके बाद (प्री एंड पोस्ट) प्राप्त किये जाने वाले रुपया ऋण के लिये IES की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी तथा इसको MSME के अतिरिक्त सभी निर्यातकों के लिये जून 2024 में समाप्त कर दिया गया।
- IES वाणिज्य मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो निर्यातकों को रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। EEPC ने 410 टैरिफ लाइनों के लिये ब्याज छूट दर को 3% पर बहाल करने और **किसी भी टैरिफ लाइन के तहत निर्यात करने वाले MSME के लिये** इस दर को **बढ़ाकर 5%** करने का आग्रह किया।
- वर्ष 1955 में स्थापित EEPC इंडिया ने भारत के इंजीनियरिंग निर्यात की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो वर्ष 1955 के 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की अपेक्षा वित्त वर्ष 2023-2024 में 109.32 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
  - इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत में मॉडल EPC के रूप में मान्यता दी गई है तथा यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका सरकारी नीतियों में सक्रिय रूप से योगदान है तथा यह भारत के इंजीनियरिंग उद्योग और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाता है।
- वर्ष 2021 में शुरू की गई निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना **(Remission of Duties and Taxes on Export Products- RoDTEP)** मौजूदा **भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना (MEIS)** को प्रतिस्थापित करती है।

नोट :

- यह सुनिश्चित करती है कि **निर्यातकों को उन अंतर्निहित करों और शुल्कों पर रिफंड प्राप्त हो जिनकी पहले वसूली नहीं की जा सकती थी** जबकि IES का उद्देश्य **निर्यात को बढ़ावा देने के लिये शिपमेंट से पूर्व तथा शिपमेंट के बाद निर्यात ऋण पर ब्याज दर समानीकरण** प्रदान करना है।

समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिये IMO सम्मान

तेल टैंकर के कैप्टन अवहिलाश रावत और **उनके चालक दल को समुद्र में असाधारण बहादुरी** के लिये वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन **(International Maritime Organisation-IMO)** पुरस्कार मिला है।

- उन्हें लाल सागर में एक बचाव अभियान के दौरान उनके **"दृढ़ संकल्प और धीरज"** के लिये सम्मानित किया गया, जहाँ उन्हें उस समय गंभीर आग का सामना करना पड़ा था, जब उनके जहाज़ पर एक जहाज़-रोधी मिसाइल से हमला किया गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह **ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों** द्वारा दागी गई थी।
- IMO समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिये नाविकों को सम्मानित करने हेतु सदस्य देशों से प्रतिवर्ष नामांकन आमंत्रित करता है, जिनकी समीक्षा विशेषज्ञों के एक मूल्यांकन पैनल द्वारा की जाती है।
  - इसके बाद पैनल की सिफारिशों की समीक्षा IMO परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले न्यायाधीशों के पैनल द्वारा की गई।
  - अंतिम सिफारिश के परिणामस्वरूप भारतीय नाविकों को प्रतिष्ठित मान्यता प्रदान की गई।
- वार्षिक पुरस्कार समारोह 2 दिसंबर, 2024 को **समुद्री सुरक्षा समिति के 109वें सत्र** के दौरान **लंदन में IMO मुख्यालय में आयोजित** किया जाएगा।
- IMO, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो शिपिंग को नियंत्रित करती है और जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकती है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में जिनेवा में **संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी और आधिकारिक तौर पर वर्ष 1958 में अस्तित्व** में आई। इसके 175 सदस्य देश हैं, तीन सहयोगी सदस्य हैं, भारत वर्ष 1959 में इसका सदस्य बना।
  - IMO की मुख्य भूमिका **शिपिंग उद्योग के लिये एक निष्पक्ष और प्रभावी विनियामक ढाँचा तैयार** करना है जिसे सार्वभौमिक रूप से अपनाया तथा लागू किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, IMO शिपिंग एवं समुद्री गतिविधियों के महत्त्व पर ज़ोर देने हेतु सितंबर के हर आखिरी गुरुवार को **विश्व समुद्री दिवस** मनाता है।

खर्ची पूजा

- हाल ही में **आषाढ़** माह की **शुक्ल अष्टमी के दिन** प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली खर्ची पूजा (Kharchi Puja) का आयोजन किया गया।
  - पूजा के दिन 14 देवताओं को **"चंताई" (शाही पुजारी)** के सदस्यों द्वारा **"सैदरा" नदी** पर ले जाया जाता है। देवताओं को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और वापस मंदिर में लाया जाता है।
  - त्योहार के दौरान त्रिपुरा के लोग **अपने 14 देवताओं के** साथ-साथ पृथ्वी की भी पूजा करते हैं।
  - इस त्योहार में एक महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान में **चतुर्दश मंडप** का निर्माण शामिल है, यह एक संरचना है जो त्रिपुरी राजाओं के शाही महल का प्रतीक है।
  - खर्ची पूजा को **'14 देवताओं के त्योहार'** के रूप में भी जाना जाता है, इस पारंपरिक कार्यक्रम में त्रिपुरा के लोगों के पैतृक देवता, **चतुर्दश देवता (प्राचीन उज्जयंत महल में स्थित) की पूजा** शामिल है।
- **इतिहास:**
  - हालाँकि यह आदिवासी मूल का त्योहार है, यह त्रिपुरा के आदिवासी और **गैर-आदिवासी दोनों** लोगों द्वारा मनाया जाता है।
  - ऐसा माना जाता है कि देवी **माँ या त्रिपुरा सुंदरी**, भूमि की अधिष्ठात्री देवी है, जो **त्रिपुरा के लोगों की रक्षा** करती है, जून माह में अंबुबाची के समय मासिक धर्म से गुज़रती हैं। लोक मान्यता है कि देवी के मासिक धर्म के दौरान पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है।
  - इसलिये मासिक धर्म समाप्त होने के बाद पृथ्वी को स्वच्छ करने के लिये अनुष्ठान द्वारा लोगों के पापों को धोने के लिये **खर्ची पूजा** की जाती है।

नोट :

स्क्वैलस हिमा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति

ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों द्वारा अरब सागर **तट, केरल में शक्तिकुलंगरा फिशिंग हार्बर** के गहरे जल में **स्क्वैलस हिमा डॉगफिश शार्क, की एक नई प्रजाति** की खोज की है।

- स्क्वैलस, **स्क्वैलिडे परिवार** में डॉगफिश शार्क की एक प्रजाति है। आमतौर पर स्परडॉग के रूप में जाना जाता है और साथ ही इसकी **विशेषता चिकने पृष्ठीय पंखों वाली रीढ़** होती है।
  - भारतीय तट पर, स्क्वैलस की दो प्रजातियाँ भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं और साथ ही इसकी नई प्रजाति, ***स्क्वैलस हिमा n.sp.*** यह ***स्क्वैलस लालैनी*** के समान है, लेकिन यह इससे कई विशेषताओं में भिन्न भी है।
  - ***स्क्वैलस मेगालोप्स*** की कुछ प्रजातियों से छोटी, नुकीली नाक, नाक के बराबर चौड़ा छोटा मुख, एक सुडौल शरीर तथा उनके अग्र पृष्ठीय पंख का उद्गम उनके पेक्टोरल पंखों के पीछे होता है।
    - ***स्क्वैलस तथा सेंट्रोफोरस प्रजाति*** के **यकृत तेल का उपयोग फार्मास्यूटिकल व्यवसायों में उच्च-स्तरीय कॉस्मेटिक एवं कैंसर-रोधी दवाइयों** के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इसमें **स्क्वैलीन की उच्च मात्रा** होती है।
- देश के **विविध जीव-जंतुओं का अध्ययन** करने हेतु **वर्ष 1916 में ZSI की स्थापना** की गई थी। कोलकाता में स्थित अपने मुख्य कार्यालय और 16 क्षेत्रीय स्थानों के साथ, यह एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित हो चुका है।
  - इसने अपने कार्यों का विस्तार करते हुए इसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन, संरक्षण क्षेत्र सर्वेक्षण, DNA आणविक अध्ययन और वन्यजीव फोरेंसिक अध्ययन शामिल किये हैं। इसमें भारत और पड़ोसी देशों की 103,920 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5.5 मिलियन से अधिक नमूने हैं।

■■■